Annual Report 2009-2010

BUILDING CONFIDENCE THROUGH CONSISTENT PERFORMANCE... YEAR AFTER YEAR.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
अच्छे लोग, अच्छा बैंक

Union Bank of India
Good people to bank with

Winner of ABCI Gold Award for Marketing and Brand Communications, 2010.

The award is in recognition of the transformation process and the rebranding exercise undertaken by the Bank.

Awarded the National Awards for Excellence in lending to Micro Enterprises during the year 2008-09.

The Bank was adjudged the Best Bank in Credit Quality in the FE Best Bank Awards.

The Asian Banker has ranked Union Bank the 7th Strongest Bank in Asia - Pacific Region in 2009. The bank stands at No. 3 amongst banks in India.

विषय सूची

	पृष्ठ
निदेशक मंडल	03
वर्ष 2009-10 की प्रमुख बातें	14
महत्वपूर्ण वित्तीय सूचक	18
सूचना	20
निदेशकों की रिपोर्ट	22
प्रबंधकीय परिचर्चा एवं विश्लेषण	27
कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट	44
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	63
तुलन-पत्र	64
लाभ एवं हानि लेखा	65
अनुसूचियाँ 1 से 18	66
नकदी प्रवाह विवरण	89
जोखिम प्रबंधन	91

CONTENTS

	Page
Board of Directors	03
Highlights of 2009-10	16
Key Financial Indicators	102
Notice	104
Directors' Report	106
Management Discussions & Analysis	111
Corporate Governance Report	128
Auditors' Report	147
Balance Sheet	148
Profit & Loss Account	149
Schedules 1 to 18	150
Cash Flow Statement	173
Risk Management	175

प्रधान कार्यालय

यूनियन बैंक भवन
239, विधान भवन मार्ग,
नरीमन पॉइंट,
मुंबई-400 021.

Head Office

Union Bank Bhavan,
239, Vidhan Bhavan Marg,
Nariman Point,
Mumbai 400 021.

केंद्रीय कार्यालय

यूनियन बैंक भवन,
239, विधान भवन मार्ग,
नरीमन पॉइंट,
मुंबई-400 021.

Central Office

Union Bank Bhavan,
239, Vidhan Bhavan Marg,
Nariman Point,
Mumbai 400 021.

निवेशक सेवा प्रभाग

यूनियन बैंक भवन,
239, विधान भवन मार्ग,
नरीमन पॉइंट,
मुंबई-400 021.

Investor Services Division

Union Bank Bhavan,
239, Vidhan Bhavan Marg,
Nariman Point,
Mumbai 400 021.

रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेंट
डाटामैटिक्स फायनांशियल सर्विसेज लि.

प्लॉट क्र. ए-16-17, पार्ट-बी,
क्रॉस लेन, एमआईडीसी, अंधेरी (पूर्व)
मुंबई-400 093.

Registrar & Share Transfer Agent
Datamatics Finanacial Services Ltd.

Plot No. A-16-17, Part B,
Cross Lane, M.I.D.C., Andheri (E),
Mumbai -400 093.

लेखा परीक्षक AUDITORS

चंदाभाई एंड जसुभाई
चार्टर्ड अकाउंटेंट
For CHANDABHOY & JASSOOBHOY
CHARTERED ACCOUNTANTS

जी. डी. आपटे एंड कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट
For G. D. APTE & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

जगन्नाथ एंड सर्वेश्वरन
चार्टर्ड अकाउंटेंट
For JAGANNATHAN & SARABESWARAN
CHARTERED ACCOUNTANTS

अरुण के. अग्रवाल एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
For ARUN K. AGARWAL & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS

जे. एल. सेनगुप्ता एंड कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट
For J. L. SENGUPTA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

ओम प्रकाश एस. चपलोत एंड कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट
For OM PRAKASH S. CHAPLOT & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

निदेशक मंडल
BOARD OF DIRECTORS

श्री एम. वी. नायर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

SHRI M.V.NAIR
Chairman &
Managing Director

श्री एम. वी. नायर ने 1 अप्रैल 2006 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का कार्यभार ग्रहण किया था. रु.292000 करोड़ से अधिक अर्थात् यू एस डालर 65.18 बिलियन से अधिक समेकित कारोबार संमिश्र एवं संपूर्ण भारतवर्ष में 2800 से अधिक शाखाओं के साथ यह बैंक बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक है.

कार्पोरेशन बैंक से शुरु हुआ श्री नायर का कॅरियर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में नवोन्मेष एवं प्रेरणा के जरिये उत्कृष्ट उपलब्धियों का एक ज्वलंत उदाहरण है. कार्पोरेशन बैंक में उन्होंने नकदी प्रबंधन सेवा सफलतापूर्वक शुरुआत की, जिसने कार्पोरेशन बैंक के लिए नये विपणन लाभों का मार्ग प्रशस्त किया.

देना बैंक में उन्होंने कार्यपालक निदेशक के रुप में कार्य किया एवं तदुपरांत अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभाला. उन्हें उस बैंक में वित्तीय स्थिति में आमूल चूल परिवर्तन करने का श्रेय प्राप्त है.

यूनियन बैंक में 2006 से उनके कार्यकाल को कई नवोन्मेषी श्रृखलाएं क्रियान्वित करने लिए जाना जाता है, जिसने बैंक के लिए गुणवत्तापूर्ण संवृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया.

मार्च, 2008 में यूनियन बैंक, अपनी सभी शाखाएं कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) के अंतर्गत लाने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम बड़ा बैंक बना. श्री नायर ने प्रौद्योगिकी विस्तार, परिवर्तन प्रक्रियाओं एवं जन सशक्तिकरण के जरिये 'प्रोजेक्ट नव निर्माण' नामक परिवर्तन प्रक्रिया सफलतापूर्वक आरंभ की, जिसने बैंक को ग्राहक संकेंद्रित बैंक के रुप में रुपांतरित किया. बैंक का कारोबार मार्च 2006 के रु.128700 करोड़ यानी यूएस डालर 29.61 बिलियन से बढ़कर 126% की वृद्धि दर के साथ मार्च 2010 में रु.292000 करोड़ अर्थात् यूएस डालर 65.18 बिलियन तक पंहुच गया.

भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के अध्यक्ष के रुप में श्री नायर ने यह सुनिश्चित करने के लिए भरसक प्रयास किए कि बैंक गांवों में शाखारहित बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए समुचित योजना तैयार करें. वित्तीय समावेशन के बारे में अपने जज़्बे के कारण आप देश के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा मुहैया कराने के लिए कारोबार संपर्कियों की संख्या बढ़ाने पर निरंतर जोर देते रहे हैं.

भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के अध्यक्ष होने के साथ-साथ आप कृषि वित्त निगम लिमिटेड के निदेशक हैं. आप साधारण जीवन बीमा निगम के निदेशक मंडल के सदस्य, बैंकिंग कार्मिक चयन समिति(आईबीपीएस) की गवर्निंग कौंसिल और वित्त समिति के भी सदस्य हैं. आप भारतीय रिज़र्व बैंक, कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे की कॉलेज सलाहकार समिति के भी सदस्य हैं. आप भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान (आईआईबीएफ) के उपाध्यक्ष होने के साथ ही साथ संस्थान की कार्यपालक समिति के भी अध्यक्ष हैं. आप भारतीय बैंक प्रबंधन संस्थान (एनआईबीएम) पुणे, के गवर्निंग बोर्ड और वित्त समिति के भी सदस्य हैं. आप आईडीआरबीटी की गवर्निंग काउंसिल के सदस्य एवं सीजीटीएमएसई के न्यासी बोर्ड के भी सदस्य हैं.

आप सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की समस्याओं का अध्ययन करने तथा समुचित सिफारिशें करने हेतु वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित समिति के भी सदस्य हैं. आप शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय समिति के भी सदस्य हैं, जो देश में शहरी विकास से संबंधित आपाती मुद्दों का अध्ययन करती है. आप योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा देश में समावेशित बैंकिंग हेतु आईसीटी आधारित मोबाइल बैंकिंग सेवा केन्द्रों की स्थापना के लिए विभिन्न वैकल्पिक मॉडलों की जांच हेतु गठित जांच दल के भी सदस्य हैं. आप सेबी द्वारा गठित प्राइमरी मार्केट सलाहकार समिति के भी सदस्य हैं. आप निर्यातकों को डालर निर्यात ऋणों के प्रवाह पर निगरानी रखने के लिए भारत सरकार द्वारा बनाई गई समिति के भी सदस्य हैं. आपको प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रवासी भारतीय फैसिलिटेशन सेंटर की गवर्निंग काउंसिल का सदस्य न्यासी मनोनीत किया गया है, जो निवेश सरलीकरण एवं नॉलेज नेटवर्किंग के माध्यम से प्रवासी भारतीय समुदाय के हितों के लिए कार्य करती है. आप योजना आयोग द्वारा वित्तीय सेवाओं के अंतर्गत सेवा क्षेत्र पर गठित उच्च स्तरीय दल के उप-दल के भी सदस्य थे. आप अग्रणी बैंक योजना की समीक्षा हेतु भारिबैं. की उप गवर्नर श्रीमती ऊषा थोराट की अध्यक्षता में भारिबैं. द्वारा गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति के भी सदस्य थे.

उनके सक्रिय नेतृत्व में यूनियन बैंक न केवल अपनी सभी शाखाओं बल्कि बैंक द्वारा प्रायोजित ग्रामीण बैंकों की सभी शाखाओं को भी सीबीएस नेटवर्क में शामिल करने वाला पहला बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बना. बैंक ने आपकी अगुवाई में ही चीन में शंघाई और बीजिंग, युनाइटेड अरब अमीरात में आबू धाबी, युनाइटेड किंगडम में लंदन और आस्ट्रेलिया में सिडनी में प्रतिनिधि कार्यालय और हांगकांग में एक ओवरसीज़ शाखा खोली है.

Shri M.V.Nair took charge of Union Bank of India as Chairman and Managing Director on 1st April 2006. The Bank is one of the largest Public Sector Banks in India with business mix of Rs 292000 crs+ i.e US $ 65.18+ billion and a branch network of 2800+ branches across India.

Shri Nair's career which began in Corporation Bank is an example of what innovation and drive can achieve in Public Sector Banks. In Corporation Bank he successfully introduced Cash Management Services, which quickly created a market advantage for Corporation Bank.

He served in Dena Bank as Executive Director and later took over as Chairman and Managing Director. He is credited with effecting a turn around in the financial fortunes of that Bank.

In Union Bank, his tenure since April 2006 has been characterized by a series of innovations resulting in putting the Bank on a trajectory of quality growth.

In March 2008, Union Bank became the first large Public Sector Bank to network all its branches under the Core Banking Solution(CBS). Shri Nair successfully introduced a change process called "Project Nav Nirman" by leveraging technology, changing processes and empowering people, thereby transforming the Bank into a Customer Centric Marketing Organization. Business of the Bank has grown from Rs. 128700 crs i.e US $ 29.61 billion in Mar'06 to Rs. 292000 crs i.e. US $ 65.18 billion as of Mar'10 – a growth of 126% .

As Chairman of the Indian Banks Association, Shri Nair has worked tirelessly to ensure that banks work out a strategy to facilitate branchless banking in villages. Passionate about financial inclusion he is relentlessly pushing for increase in the number of business correspondents to penetrate banking services in the hinterland.

Besides being the Chairman of Indian Banks' Association (IBA), he serves as a Director on the Board of Agricultural Finance Corporation Ltd. He is also a Director on the Board of the GIC Re., Chairman of the Governing Board of Institute of Banking Personnel Selection (IBPS) and serves on its Finance Committee as well. He is a member of the College Advisory Committee of Reserve Bank of India, College of Agricultural Banking, Pune. He is the Vice-President of the Indian Institute of Banking & Finance(IIBF) and also serves as Chairman of the Executive Committee of the Institute. He is a member of the Governing Board of National Institute of Bank Management (NIBM), Pune and also serves as a member on its Finance Committee. He is also the member of the governing council of IDRBT and a member on the Board of Trustees of CGTMSE.

He is also a member on the Committee constituted by the Govt. of India, Ministry of Finance, for conducting a study of the HR issues of the Public Sector Banks and make appropriate recommendations. He is also a member on the High Level Committee constituted by Govt. of India, Ministry of Urban Development, to deliberate emergent issues concerning urban development in the country. He is also a member on study group constituted by the Govt. of India, Planning Commission, to examine various alternative models for establishing ICT based mobile banking service centres for inclusive banking in the country. He is also a member of the Primary Markets Advisory Committee set up by SEBI. He is also a member on the Committee to monitor flow of Dollar Export Credit to Exporters constituted by the Govt. of India. He has also been nominated by the Govt. of India, Ministry of Overseas Indian Affairs, as a member trustee on the governing council of "Overseas India Facilitation Centre" which serves the interests of Overseas Indian community through Investment facilitation and Knowledge networking. He was a member of the sub-group on financial services under the High Level Group on Services Sector constituted by the Planning Commission. He was also a member on the High Powered Committee set up by the RBI and headed by Smt Usha Thorat, Dy. Governor, RBI to review the Lead Bank Scheme.

Under his stewardship Union Bank has not only brought all its branches but also branches of its sponsored RRBs under the CBS network, the first large Public Sector Bank to do so. The Bank has opened representative offices in Shanghai and Beijing, PRC, Abu Dhabi, UAE, London, UK and Sydney, Australia and also its first full fledged overseas branch in Hong Kong.

श्री एस. सी. कालिया
कार्यपालक निदेशक

SHRI S. C. KALIA
Executive Director

श्री कालिया ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक के रूप में 21 नवंबर 2009 को कार्यभार ग्रहण किया. इससे पहले वे 08 अक्तूबर 2008 से विजया बैंक के कार्यपालक निदेशक थे. श्री कालिया बैंक ऑफ बड़ौदा के केन्द्रीय कार्यालय, मुम्बई में होलसेल बैंकिंग पोर्टफोलियो के प्रभारी महा प्रबंधक रह चुके हैं. राजनीति शास्त्र में स्नातकोत्तर स्वर्णपदक विजेता श्री कालिया एक व्यावसायिक बैंकर के रूप में देश और विदेश में विभिन्न पदों पर 35 वर्ष से अधिक अवधि से कार्य कर रहे हैं. बैंक ऑफ बड़ौदा में सेवा करते समय उन्होंने आगरा एवं बरेली क्षेत्र के प्रमुख के रूप में सफलतापूर्वक कार्य किया है. देश एवं विदेश में व्यापक रूप से कार्य कर चुके श्री कालिया विशेषकर ऋण एवं अन्तर्राष्ट्रीय बैंकिंग संबंधी मामलों में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाने जाते हैं. वर्ष 1990 में वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में अपनी पदोन्नति पर आपको लंदन में बैंक के ग्रुप कंट्रोल ऑफिस में नियुक्त किया गया था. आप बैंक के अंचल कार्यालय - उत्तर प्रदेश में पश्चिमांचल के ऋण एवं अन्तर्राष्ट्रीय बैंकिंग कारोबार के प्रभारी भी रहे. श्री कालिया बैंक ऑफ बड़ौदा के संयुक्त उद्यमों - बड़ौदा पायनियर एसेट मैनेजमेंट कं. लि. और बड़ौदा एल एंड जी लाइफ इंश्योरेंस कं. के शिल्प-निर्माता थे. आप मॉरिशस में बैंक के परिचालनों के मुख्य कार्यपालक आईसीआईसीआई वेंचर फंड द्वारा प्रायोजित सुपरवाइजर बोर्ड ऑफ इंडिया एडवांटेज फंड के बोर्ड सदस्य थे. आप बैंक ऑफ बड़ौदा (बोट्सवाना) लि. के बोर्ड में, तत्कालीन बरेली कार्पोरेशन बैंक लि., नैनीताल बैंक लि., एवं बैंक ऑफ बड़ौदा (हांगकांग) लि. के निदेशक मंडल में निदेशक भी थे. श्री कालिया प्रतापगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष भी रह चुके हैं. श्री कालिया को अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जिनमें बैंकर शिरोमणि पुरस्कार और उत्तरकाशी पुरस्कार शामिल हैं. इस समय श्री कालिया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एवं केबीसी बेल्जियम की संयुक्त उद्यम कंपनी यूबीआई केबीसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी लि. के निदेशक मंडल के सदस्य हैं.

Shri Kalia assumed charge as Executive Director of Union Bank of India w.e.f. November 21, 2009. He was earlier the Executive Director of Vijaya Bank with effect from October 8, 2008. Prior to taking charge at Vijaya Bank, Shri Kalia was General Manager in charge of the Wholesale Banking portfolio at the Bank of Baroda's Corporate Centre, Mumbai. A post-graduate gold medalist in Political Science, Shri Kalia has been a professional banker for over thirty five years in various capacities across the country and abroad. While serving Bank of Baroda, he headed its Agra and Bareilly Regions successfully. Widely traveled within and outside the country, Shri Kalia is known for his expertise, especially in credit related matters and international banking. On his promotion as Senior Manager in the year 1990, he was posted to the Bank's Group Control Office in London. He was also in-charge of credit and International Banking Business of the Bank's Zonal Office Western Zone in UP. Shri Kalia was the architect of the Bank of Baroda's Joint Ventures Baroda Pioneer Asset Management Company Ltd. and Baroda L & G Life Insurance Company. He was the Chief Executive of the Bank's operations in Mauritius and the Board Member of the Supervisory Board of India Advantage Fund sponsored by ICICI Venture Fund. He was also in the Board of Bank of Baroda (Botswana) Ltd. Director on the Board of Directors and Audit Committee of the Board of Erstwhile Bareilly Corporation Bank Ltd., Nainital Bank Limited and Bank of Baroda (Hong Kong) Ltd. Shri Kalia was also the Chairman of Pratapgarh Kshetriya Gramin Bank. Shri Kalia is the recipient of several awards including Banker Shiromani Award and Uttarkashi Award. Shri Kalia is presently a Director on the Board of Union KBC Asset Management Company Ltd., a Joint Venture Company of Union Bank of India and KBC, Belgium.

श्री एस. रामन
कार्यपालक निदेशक

SHRI S. RAMAN
Executive Director

श्री एस रामन ने 15 अक्तूबर, 2008 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक का कार्यभार ग्रहण किया है.

यूनियन बैंक में कार्यग्रहण से पूर्व श्री रामन 34 वर्ष से अधिक बैंक ऑफ इंडिया में थे, जहां आपने कार्पोरेट बैंकिंग, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग एवं मानव संसाधन प्रबंधन सहित विभिन्न बैंकिंग क्षेत्रों में कार्य किया. श्री रामन ने देश के विभिन्न भागों यथा मुंबई, नई दिल्ली, अहमदाबाद, पुणे, हैदराबाद, भुवनेश्वर तथा नागपुर में विभिन्न क्षमताओं में कार्य किया, जिसमें उड़ीसा एवं गुजरात में अंचल प्रमुख का दायित्व शामिल है.

श्री रामन दो अवसरों पर ओवरसीज पोस्टिंग पर भी रहे, जिसमें 1983-1987 तक जर्सी (यूके) तथा जून 2005 से अक्तूबर, 2008 तक बैंक ऑफ इंडिया के यू.एस. परिचालनों के मुख्य कार्यपालक के रुप में कार्य किया, जिस अवधि में उस केंद्र ने शानदार प्रगति दर्शायी.

श्री रामन की प्रतिष्ठित शैक्षिक पृष्ठभूमि रही है. उस्मानिया यूनिवर्सिटी की वाणिज्य स्नातक की परीक्षा में आप यूनिवर्सिटी में द्वितीय स्थान पर रहे थे, वहीं आपने नागपुर यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में परा स्नातक की उपाधि प्रथम रैंक एवं गोल्ड मेडल के साथ प्राप्त की. व्यवसाय प्रबंधन में आपने डिप्लोमा हासिल किया एवं वहां भी यूनिवर्सिटी में द्वितीय स्थान प्राप्त किया था. भारतीय बैंकिंग संस्थान से सीएआईआईबी एवं चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स, लंदन से एसीआईबी के अतिरिक्त आप जर्मन

भाषा में सीनियर डिप्लोमा धारी हैं.

वर्तमान में श्री रामन कार्पोरेट क्रेडिट, ट्रेज़री, अंतर्राष्ट्रीय कारोबार, क्षीण आस्तियों एवं संव्यवहार बैंकिंग इत्यादि विभागों का पर्यवेक्षण कर रहे हैं.

श्री रामन स्टार यूनियन दाई-ची लाइफ इंश्युरेस कं. लि. एवं भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के निदेशक मंडल के भी सदस्य हैं.

Shri S. Raman joined the Union Bank of India as Executive Director on 15th October,2008. Prior to joining the Union Bank of India, Shri Raman was with the Bank of India for over 34 years and has had exposure to different segments including Corporate Banking, International Business and Human Resources Management. Shri Raman served in different parts of the country including Mumbai, New Delhi, Ahmedabad, Pune, Hyderabad, Bhubaneshwar and Nagpur in different capacities including as Zonal Manager in Orissa and Gujarat.

Shri Raman also had two stints Overseas - at Jersey (UK) from 1983 to 1987 and as Chief Executive of Bank of India's US Operations from June 2005 to October 2008, during which period the Center showed spectacular progress.

Shri Raman has had a distinguished academic background.He is a Commerce Graduate(B.Com.) from Osmania University (with a Second Rank) followed by an M.A. in Economics from Nagpur University (with First Rank and a Gold Medal). He also holds a Diploma in Business Management and a Senior Diploma in German Language besides CAIIB from the Indian Institute of Bankers and ACIB from the Chartered Institute of Bankers, London.

Shri Raman currently oversees the portfolios of Corporate Credit, Treasury, International Business, Impaired Assets and Transaction Banking etc.

Shri Raman is also currently on the Board of Star Union Dai-Ichi Life Insurance Co. Ltd. and National Payments Corporation of India.

श्री के.वी. ईप्पन
भारत सरकार नामिती

SHRI K. V. EAPEN
Government of India Nominee

श्री ईप्पन दिनांक 10 जून 2008 से बैंक के निदेशक मंडल में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं. वे असम-मेघालय कैडर के 1984 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और संप्रति भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग, नई दिल्ली में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं. यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के सेंट स्टीफेन कालेज के अल्युम्नी श्री ईप्पन बी ए एवं अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर हैं. आपने एम डी आई, गुड़गांव से मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एवं ब्रॉडफोर्ड युनिवर्सिटी, यू के से मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी एवं प्लानिंग में एमएससी भी की है.

आपने असम एवं मेघालय के विभिन्न जिलों में एक दशक से भी अधिक समय तक जिला प्रशासन का कार्यभार संभाला है. इसके अलावा, आपके पास स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पर्यटन, योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन, कृषि एवं उद्योग के क्षेत्र का व्यापक अनुभव है. आप दो वर्ष तक असम के वित्त सचिव भी रह चुके हैं. आपने वाणिज्य एवं उद्योग, पर्यटन और कार्मिक विभाग एवं प्रशिक्षण जैसे विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों में भी कार्य किया है.

श्री ईप्पन के वर्तमान कार्यभार में कृषि ऋण, वित्तीय समावेशन, ग्रामीण बैंकिंग के साथ ही साथ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में मानव संसाधन एवं संगठन संबंधी मामले शामिल हैं.

Shri Eapen represents Government of India on the Board of Directors of the Bank with effect from 10th June, 2008. He is an IAS Officer of the Assam-Meghalaya cadre of 1984 batch and is presently Joint Secretary, (Banking Administration), Department of Financial Services, Government of India, New Delhi. An alumni of St. Stephen's College, University of Delhi, he has a Bachelor of Arts degree and a Post Graduate degree in Economics. He also holds a Post Graduate Diploma in Management from Management Development Institute, Gurgaon and an M.Sc. in Macro Economic Policy and Planning from the University of Bradford, United Kingdom.

He has worked in different districts of Assam and Meghalaya spanning more than a decade in District Administration. In addition, he has experience in areas such as Health and Family Welfare, Tourism, Planning and Programme Implementation, Agriculture and Industries. He was also Finance Secretary of Assam for two years. He has also served in various Central Ministries such as Commerce and Industry, Tourism and the Department of Personnel and Training.

Shri Eapen is looking after issues relating to Agriculture Credit, Financial Inclusion, Rural Banking besides HR and Establishment issues of Public Sector Banks in his current assignment.

श्री के. शिवरामन

SHRI K. SIVARAMAN

श्री शिवरामन भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुशंसा पर भारत सरकार द्वारा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9 उपधारा 3 के अंतर्गत 27 फरवरी 2007 से बैंक के निदेशक के रुप में नामित किए गए हैं. आप भारतीय रिज़र्व बैंक के सेवानिवृत्त वरिष्ठ कार्यपालक हैं. आप काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी भारत से सांख्यिकी में स्नातकोत्तर (एस.एस.सी) डिग्रीधारक हैं. बैंकिंग पर्यवेक्षण, विकास वित्त, प्रशिक्षण एवं वित्तीय क्षेत्र सुधार में विशिष्टता के साथ आपको 37 वर्षों से अधिक का बैंकिंग उद्योग का अनुभव है. इसके अतिरिक्त, आप भारतीय बैंकर्स संस्थान के प्रमाणपत्र एसोसिएट हैं.

Nominated by Government of India, on the recommendation of Reserve Bank of India, as Director with effect from 27th February, 2007, under sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970. He is a retired Senior Executive from Reserve Bank of India. He has a post graduate degree in Statistics (M.Sc. from Banaras Hindu University, Varanasi, India). He has more than 37 years experience in the Banking Industry with specialisation in Banking Supervision, Development Finance, Training and Financial Sector Reforms. Additionally, he is a Certified Associate of Indian Institute of Bankers.

श्री बी. एम. शर्मा

SHRI B. M. SHARMA

श्री बी. एम. शर्मा बैंक के निदेशक मंडल में बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 के सनदी लेखाकार श्रेणी खंड (3)(जी) के अंतर्गत दिनांक 16 अप्रैल, 2010 की अधिसूचना के जरिये नियुक्त किए गए हैं.

श्री शर्मा अर्हताप्राप्त सनदी लेखाकार हैं जो 26 से अधिक वर्ष से प्रैक्टिस कर रहे हैं. इसके अतिरिक्त, आप अर्हताप्राप्त सूचना प्रणाली लेखारीक्षक भी हैं. आपने अपने दो दशकों से अधिक के अनुभव के दौरान समवर्ती लेखापरीक्षा तथा बैंकों के कई अन्य कार्यों का संचालन भी किया है तथा वित्त, बैंकिंग एवं कराधान में विशेषज्ञता प्राप्त की है.

यूनियन बैंक में अपने नामांकन से पहले श्री शर्मा सनदी लेखाकार श्रेणी के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त विजया बैंक के निदेशक मंडल में थे.

श्री शर्मा वर्ष 2009 के दौरान इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स ऑफ इंडिया की व्यावसायिक विकास समिति में विशेष आमंत्रित थे. व्यावसायिक विकास समिति से जुड़े होने के कारण आपको सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निजी इक्विटी वित्तपोषण और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के क्षेत्रों में गहन अनुभव है.

Shri B.M. Sharma has been appointed on the Board of the Bank vide notification dated 16th April, 2010 under the clause 9 (3)(g), Chartered Accountant Category of Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980.

Shri B.M. Sharma is qualified Chartered Accountant practicing for more than 26 years. In addition, he is also qualified Information System Auditor. During his span of experience of over two decades he has handled Concurrent Audit and various other assignments of banks and has gained expertise in the field of Finance, Banking &Taxation.

Prior to his nomination to Union Bank, Shri Sharma had been on the Board of Vijaya Bank appointed by Central Government under Chartered Accountant Category.

Shri Sharma was also a special invitee to Professional Development Committee of the Institute of Chartered Accountants of India during the year 2009. During his association with Professional Development Committee he has worked very closely in the fields of Public Sector Undertakings, Private Equity Financing and Regional Rural Banks.

श्री एन. शंकर

SHRI N. SHANKAR

श्री शंकर बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9 की उपधारा 3 के खंड (ई) के अंतर्गत निदेशक के रुप मे नामित हैं. आप 1979 से बैंक के कर्मचारी हैं एवं वर्तमान में एम.एस.मार्ग शाखा, मुंबई में विशेष सहायक के रुप में पदनामित है. संप्रति यूनियन बैंक स्टाफ यूनियन, मुंबई के महासचिव एवं बैंक में बहुमत प्राप्त यूनियन के रुप में मान्य एआईयूबीईए के संगठन सचिव हैं. आप महाराष्ट्र राज्य बैंक कर्मचारी संघ, जिसमें 50000 से अधिक कर्मचारी शामिल हैं, के संयुक्त सचिव तथा नेशनल जनरल कौन्सिल के सदस्य भी हैं. आप एआईबीईए आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए अनेक स्तरों पर गठित विभिन्न समितियों के भी सदस्य, विज्ञान स्नातक तथा आईसीडब्ल्यूए के सदस्य हैं.

आप पिछले 8 वर्षों से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट में कर्मचारी प्रतिनिधि के रुप में पीएफ ट्रस्टी भी हैं. यूनियन परिवार के जरिये विभाग का कार्य सुसंगत बनाने एवं उसमें सुधार लाने हेतु आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसके फलस्वरुप भविष्य निधि ऋण एवं सेवानिवृत्ति देयों का त्वरित संवितरण संभव हो सका है.

आप नवी मुंबई में सहकारिता समिति आंदोलन में भी सक्रिय हैं तथा म्युनिसिपल कर आदि लागू करने हेतु नवी मुंबई म्युनिसिपल कार्पोरेशन एवं नागरिकों द्वारा बनायी गयी कार्य समिति के प्रमुख सदस्य हैं.

Government nominated Director under Clause (e) of Sub-Section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970. A Bank employee since 1979 and is presently a Special Assistant in M. S. Marg branch, Mumbai. Currently, he is the General Secretary, Union Bank Staff Union, Mumbai and Organizing Secretary of AIUBEA, the majority recognized Union in the Bank. He is also the Working Committee Member of Maharashtra State Bank Employees Federation covering more than 50,000 employees and is also the National General Council member. He is also a member of many Committees at various levels that take up updating AIBEA movement. He is a Graduate in the faculty of Science and a member of the Institute of Cost and Works Accountants of India.

An employee representative on the PF Trustee in the Union Bank of India employees PF Trust for the last eight years, he has been instrumental in bringing about various improvements and streamlining the functioning of the department through Union Parivar resulting in speedy disbursement of PF Loans and Retirement dues.

He is also involved in the Cooperative Society movement in Navi Mumbai and is the key member of the action committee formed by Navi Mumbai Municipal Corporation and Citizens to implement Municipal tax etc.

प्रो. एम. एस. श्रीराम

PROF. M. S. SRIRAM

प्रो. श्रीराम 14 जून 2006 को संपन्न असाधारण सामान्य बैठक में बैंक के निदेशक मंडल में चुने गए तथा शेयरधारकों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं. आप ग्रामीण प्रबंधन संस्थान, आणंद (ईरमा) (1984) से ग्रामीण प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमाधारी हैं तथा भारतीय प्रबंध संस्थान, बेंगलूर (1992) के सह-सदस्य (फेलो) हैं. संप्रति, आप भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद में वित्तीयन एवं लेखा क्षेत्र में प्रोफेसर हैं. आपको अकादमी एवं परामर्श के क्षेत्र में दो दशकों से अधिक का अनुभव है. वित्तीय लेखांकन, कृषि वित्त, सामाजिक उद्यमिता और माइक्रोफाइनेंस आपकी विशेष योग्यता के क्षेत्र हैं. आपकी दो पुस्तकें एवं कई पेपर प्रकाशित हो चुके हैं.

Represents shareholder interests on the Board having been elected to the Board at the EGM held on 14th June 2006 and re-elected for a further period of 3 years in EGM held on 22nd June 2009 . He holds a Post Graduate Diploma in Rural Management from Institute of Rural Management, Anand (IRMA) (1984) and is a Fellow of the Indian Institute of Management, Bangalore (1992). He has more than two decades of experience in academia and consulting. His fields of expertise are Financial Accounting, Agricultural Finance, Social Entrepreneurship and Microfinance. His publications include two books and several papers.

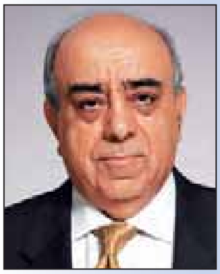

श्री अरुण कुमार नंदा

SHRI ARUN KUMAR NANDA

श्री अरुण नंदा एक अर्हताप्राप्त सनदी लेखाकार, कंपनी सेक्रेटरी और विधि स्नातक हैं, जिन्हें 35 वर्ष से अधिक का अनुभव है. वे महिन्द्रा & महिन्द्रा लि. में इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेल्पमेंट के कार्यपालक निदेशक और अध्यक्ष होने के साथ ही साथ महिन्द्रा ग्रुप की अन्य कंपनियों में भी निदेशक हैं. आपको अनुपालन, कार्पोरेट गवर्नेंस, निवेश, रणनीतिक योजना, नयी कारोबारी संभावनाओं की पहचान और कार्पोरेट सम्प्रेषण का व्यापक अनुभव है. आप इंडो-फ्रेंच चैंबर ऑफ कॉमर्स के अवकाशप्राप्त अध्यक्ष होने के साथ ही साथ भारत में कौंसिल ऑफ ईयू चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के गवर्निंग बोर्ड के सदस्य, सीआईआई के पश्चिम क्षेत्र के उपाध्यक्ष, सीआईआई नेशनल कमेटी ऑन वॉटर के अध्यक्ष और गवर्निंग बोर्ड ऑफ बॉम्बे फर्स्ट के सदस्य हैं.

आपको हाल ही में फ्रेंच प्रेसीडेंट द्वारा "Chavalier de la Legion d Honneur" (Knight of National Order of the Legion of Honour) पुरस्कार और जीआईआरईएम लीडरशिप अवार्ड्स "Real Estate Person of the Year" पुरस्कार प्रदान किया गया है. आपको दी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स ऑफ इंडिया अवार्ड 2009 के अंतर्गत ''सीए बिज़नेस अचीवर अवार्ड - कार्पोरेट'' तथा गोल्डन स्टार अवार्ड्स 2010 द्वारा होस्पीटैलिटी एवं सेवा क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए ''लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड'' भी प्रदान किया गया है.

Shri Arun Nanda is a qualified Chartered Accountant, Company Secretary and also a law graduate having more than 35 years experience. Shri Nanda is Executive Director and President, Infrastructure Development in Mahindra and Mahindra Limited and also on the Board of other Mahindra group companies. He has vast experience in compliances, Corporate Governance, investments, strategic planning, identifying new business opportunities and corporate communications. He is the Chairman, Emeritus of the Indo-French Chamber of Commerce, a member of the governing Board of the Council of EU Chambers of Commerce in India, Deputy Chairman â€“ Western Region of CII, Chairman of CII National Committee on Water and a member of the Governing Board of Bombay First.

He has been recently conferred the award of â€œChavalier de la Legion dâ€™Honneurâ€ (Knight of the National Order of the Legion of Honour) by French President and he has also been awarded the â€œReal Estate Person of the Yearâ€ from GIREM Leadership Awards. He has also been awarded with the “CA Business Achiever Award - Corporate” at The Institute of Chartered Accountants of India Award 2009 and “Lifetime Achievement Award” for his outstanding contribution to the Hospitality Industry and the Service Sector by the Golden Star Awards 2010.

श्री एस. रवि

SHRI S. RAVI

श्री रवि विज्ञान स्नातक एवं कॉमर्स में स्नातकोत्तर होने के अलावा एक पेशेवर सनदी लेखाकार हैं. आप अन्य सार्वजनिक बैंकों के निदेशक मंडल में शेयरधारक और सनदी लेखाकार वर्ग के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त, दोनों ही हैसियतों से निदेशक रहे हैं. आप अन्य अनेक कंपनियों के निदेशक मंडल में भी हैं, जिनमें प्रमुख हैं - महिन्द्रा उजाइन स्टील लि., भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि., आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स लि., आईडीबीआई होम फायनांस लि., यूटीआई ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लि., एलआईसी हाउसिंग फायनांस कार्पोरेशन लि., महर्षि हाउसिंग डेवेल्पमेंट कार्पोरेशन लि., एस रवि फायनांशियल मैनेजमेंट सर्विसेज़ प्रा. लि., मेसर्ज़ रवि राजन कं. प्रा. लि. आपको चुनिंदा क्षेत्र में निरंतर प्रेरक उपलब्धियों के लिए इंदिरा गांधी सोलीडेरिटी अवार्ड प्राप्त हुआ था.

Shri Ravi is practicing Chartered Accountant apart from being a Science graduate and Masters in Commerce. He had been on the Board of other Public Sector Banks both in the capacity of a Shareholder Director and as appointed by the Central Government under Chartered Accountant Category. He is also on the Board in number of other companies, major amongst them are Mahindra Ugine Steel Limited, Bharat Heavy Electricals Limited, IDBI Capital Markets Limited, IDBI Home Finance Limited, UTI Trustee Company P. Ltd., LIC Housing Finance Corporation Ltd., Maharishi Housing Development Corporation Ltd., S. Ravi Financial Management Services Pvt. Ltd., M/s Ravi Rajan & Com Pvt. Ltd. He was awarded the Indira Gandhi Solidarity Award for scoring a string of inspiring achievements in chosen Field.

श्री अशोक सिंह

SHRI ASHOK SINGH

श्री अशोक सिंह, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अधिग्रहण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा 3(एच) और (3-ए) के अंतर्गत 19 फरवरी, 2008 से भारत सरकार द्वारा नामित अंश कालिक, गैर सरकारी निदेशक हैं.

वे अपनी युवा अवस्था से ही कांग्रेस से जुड़े एक सामाजिक कार्यकर्ता और ट्रेड यूनियन लीडर हैं. वे पिछले 20 सालों से शिक्षा, श्रमिक संबंध और वित्तीय संस्थाओं से संबंधित उद्योगों/बैंकों से जुड़े हैं. इस समय वे एआईसीसी मुगलसराय (चंदौली) के सदस्य हैं. इस समय वे राष्ट्रीय स्तर पर कई ट्रेड/श्रमिक यूनियनों और फेडरेशनों में महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हैं यथा श्रम प्रकोष्ठ, पीसीसी उत्तर प्रदेश और एआईसीसी, श्रमिक शिक्षा के केंद्रीय बोर्ड (श्रम एवं नियोजन मंत्रालय भारत सरकार) उद्योग व तकनीकि संस्थानों में प्रभावी समन्वय के लिये स्थायी समिति (मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार) श्रम एवं नियोजन मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत निर्माण श्रमिकों के लिये सामाजिक सुरक्षा के विस्तार और अनुश्रवण के लिये समिति के अध्यक्ष हैं. इंटक की यू पी राज्य शाखा, इंडियन नेशनल शुगर मिल वर्कर्स फैडरेशन, इंडियन नेशनल डिफेंस वर्कर्स फेडरेशन के सभापति हैं. इंडियन नेशनल इलैक्ट्रिसिटी वर्कर्स फैडरेशन और इंटक के उप सभापति हैं. वे श्रम मंत्रालय, भारत सरकार के प्रबंधनाधीन कर्मचारी भविष्य निधि के ट्रस्टी बोर्ड, भारतीय प्रबंध संस्थान लखनऊ के गवर्नर्स बोर्ड, श्रम मंत्रालय के अंतर्गत शर्करा पर राष्ट्रीय समिति, इलाहबाद विश्व विद्यालय के कोर्ट, ग्रामीण संस्थानों की राष्ट्रीय परिषद, हैदराबाद की शासकीय निकाय, एनसीआरआई मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के आयोजना बोर्ड के सदस्य हैं. श्री सिंह कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में विभिन्न ट्रेड यूनियनों की ओर से भेजे जाने वाले प्रतिनिधि मंडलों में प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किये गये हैं. वे 2007 में हुए राष्ट्रपति पद के चुनाव में नागालैंड राज्य के लिए एआईसीसी के प्रेक्षक थे.

Nominated by Government of India as a part-time non-official Director effective 19th February, 2008 under sub-section 3(h) and (3-A) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970. He is a graduate in the faculty of Science and a post graduate in Law from Lucknow University.

He is a social worker and a trade union leader actively associated with Congress party from his youth. He has been closely associated for more than 20 years with Education, Labour relations and Industry / Bank related financial Institutions. Presently he is a member of AICC Mughalsarai (Chandoli). He currently holds important positions in several trade / labour unions and federations at the national level such as Chairman, Labour Cell, PCC Uttar Pradesh and AICC, Central Board for Workers Education (Ministry of Labour & Employment, Governmemnt of India), Standing Committee for effective co-ordination between Industry & Technical Institution (Ministry of HRD, Government of India), Committee for monitoring the extension of social security to the construction workers under Ministry of Labour & Employment, Government of India. President, U.P. State Branch of INTUC, Indian National Sugar Mill Workers' Federation, Indian National Defence workers' Federation. Vice President, Indian National Electricity Workers' Federation and INTUC. He is also a member on the Board of Trustee of the Employees Provident Fund managed by the Ministry of Labour, Government of India, member on the Board of Governors of the Indian Institute of Management, Lucknow, National Committee on Sugar, under the Ministry of Labour, Member Court of the University, Allahabad and member of Governing Body, National Council of Rural Institutes, Hyderabad, Govt. of India and member on Planning Board N.C.R.I., Ministry of HRD, Government of India. Shri Singh was appointed to act as a delegate representing several trade unions to attend a number of international labour conferences. He was AICC Observer for Nagaland State in the President Election held in the year 2007.

डॉ गुलफ़ाम मुज़िबी

DR. GULFAM MUJIBI

डॉ. मुज़िबी दिनांक 29 जनवरी 2009 से बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9 की उपधारा 3(एच) तथा (3-ए) के अंतर्गत अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक के रुप में भारत सरकार द्वारा नामित हैं. डॉ गुलफ़ाम मुज़िबी रांची विश्वविद्यालय से स्वर्ण पदक सहित परास्नातक हैं. आपको रांची विश्वविद्यालय से पीएचडी एवं एलएलबी की उपाधि भी प्राप्त है. डॉ मुज़िबी अपने कालेज की उम्र से विभिन्न सामाजिक सेवाओं में सक्रिय रहे हैं. आपने अपना कॅरियर जिला युवक कांग्रेस के महासचिव पद से आरंभ किया था. इस समय आप झारखंड अल्प संख्यक आयोग के अध्यक्ष, झारखंड राज्य कांग्रेस समिति के उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य, राज्य निर्वाचन समिति, झारखंड के सदस्य, अल्प संख्यक शैक्षिक संस्थानों के राष्ट्रीय आयोग के समन्वयक, रांची विश्वविद्यालय की सीनेट के सदस्य और मिल्ली तालीमी मिशन (बिहार और झारखंड) के अध्यक्ष हैं. इसके अतिरिक्त आप बहुत से सामाजिक और शैक्षिक संस्थानों, जैसे बिहार प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग कालेज के निदेशक, महेन्द्र महिला कालेज के अध्यक्ष तथा अल हबीब महिला व विधि महाविद्यालय, बोकारो के संरक्षक और मौलाना आजाद कालेज, रांची के सचिव भी हैं.

Nominated by Government of India as a part-time non-official Director effective 29th January, 2009, under sub-section 3(h) and (3-A) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980. Dr. Gulfam Mujibi is a Post Graduate (MA) with a gold medal from Ranchi University. He also holds a Ph.D. and LLB degree from Ranchi University. Dr. Mujibi has been involved in social service right from his college days. He started his career as a General Secretary of District Youth Congress. At present he is Chairman, Jharkhand Minority Commission, Vice President of Jharkhand State Congress Committee, Member of All India Congress Committee, Ex-Member of State Election Committee (Jharkhand), Coordinator of National Commission for Minority Educational Institution, Member of Senate, Ranchi University and Chairman of Milli Talimi Mission (Bihar and Jharkhand). In addition, he is associated with many social and educational institutions such as Director of Millat Primary Teachers Training College, President of Mahendra Mahila College, Patron of Al Habib Women's and Law College of Bokaro, Secretary of Maulana Azad College, Ranchi.

महा प्रबंधक - GENERAL MANAGER

1	श्री वी. के. खन्ना	SHRI V. K. KHANNA
2	श्री टी. के. शर्मा	SHRI T. K. SHARMA
3	श्री एन. एस. मेहता	SHRI N. S. MEHTA
4	श्री वी. ए. मेंडोन्सा	SHRI V. A. MENDONSA
5	श्री एस. रामन	SHRI S. RAMAN
6	श्री पी. वाई. नागर	SHRI P. Y. NAGAR
7	श्री एस. एस. घुगरे	SHRI S. S. GHUGRE
8	श्री एस. एल. बंसल	SHRI S. L. BANSAL
9	श्री एल. एन. वासुदेव राव	SHRI L. N. VASUDEVA RAO
10	श्रीमती वी. आर. अय्यर	SMT. V. R. IYER
11	श्री सी. अब्राहम	SHRI C. ABRAHAM
12	श्री ए. के. बंसल	SHRI A. K. BANSAL
13	श्री डी. एस.त्रिपाठी	SHRI D. S. TRIPATHI
14	श्री एस. गोविन्दन	SHRI S. GOVINDAN
15	श्री यू. बी. रायरीकर	SHRI U. B. RAIRIKAR
16	श्री एस. राजेन्द्रन	SHRI S. RAJENDRAN
17	श्री एम. सी. मित्तल	SHRI M. C. MITTAL
18	श्री आर. बी. मेनन	SHRI R. B. MENON
19	श्री एस. के. सांगर	SHRI S. K. SANGAR
20	श्री एस. पी. गोयल	SHRI S. P. GOEL
21	श्री टी. के. श्रीवास्तव	SHRI T. K. SRIVASTAVA
22	श्री पी. के. बंसल	SHRI P. K. BANSAL
23	श्री बी. वर प्रसाद	SHRI B. VARA PRASAD
1	श्री एन.के. अग्रवाल	SHRI N. K. AGARWAL

उप महा प्रबंधक - DY GENERAL MANAGER

1 श्री एम. एन. जोशी	SHRI M. N. JOSHI	39 श्री बी. बी. खट्टर	SHRI B. B. KHATTAR
2 श्री एस. के. गुप्ता	SHRI S. K. GUPTA	40 श्री जी. आर. भोखरे	SHRI G. R. BHOKARE
3 श्री आर. बी. पटेल	SHRI R. B. PATEL	41 श्री ए. के. ठाकुर	SHRI A. K. THAKUR
4 श्री वी. आई. मैथ्यू	SHRI V. I. MATHEW	42 श्री जी. एस. सोढी	SHRI G. S. SODHI
5 श्री ए. सुधाकर	SHRI A. SUDHAKAR	43 श्री ए. वाई. शेट्टी	SHRI A. Y. SETTY
6 श्री एम. डी. वराडपाण्डे	SHRI M. D. VARADPANDE	44 श्री एस. मुरली	SHRI S. MURALI
7 श्री के. जे. टंडन	SHRI K. J. TANDON	45 श्री एस. वी. कुमठेकर	SHRI S. V. KUMTHEKAR
8 श्री डी. के. जैन	SHRI D. K. JAIN	46 श्री एस. के. सिद्धांती	SHRI S. K. SIDHANTI
9 श्री ओ पी दुआ	SHRI O. P. DUA	47 श्री एन. एल. बरुआ	SHRI N. L. BARUAH
10 श्री डी वी. वी. बी. एस. राजू	SHRI D. V. V. B. S. RAJU	48 श्री बी. सी. महापात्रा	SHRI B. C. MOHAPATRA
11 श्री वी. वी. एस. शिवप्रसाद	SHRI V. V. S. SHIVPRASAD	49 श्री एस. पद्मनाभन	SHRI S. PADMANABHAN
12 श्री जी. आर. लव्हाले	SHRI G. R. LAWHALE	50 श्री आर. डी. ग्रोह	SHRI R. D. GROH
13 श्री एस. एल. डिखोले	SHRI S. L. DIKHOLE	51 श्री ए. के. कटारिया	SHRI A. K. KATARIA
14 श्री वी. के. गुप्ता	SHRI V. K. GUPTA	52 श्रीमती रेखा पी. नायक	SMT. REKHA P. NAYAK
15 श्री ए. के. जैन	SHRI A. K. JAIN	53 श्री पंकज शर्मा	SHRI PANKAJ SHARMA
16 श्री एस. के. भार्गव	SHRI S. K. BHARGAVA	54 श्री ए. जे. डी. थंगराज	SHRI A. J. D. THANGARAJ
17 श्री एस. आफताबुद्दीन	SHRI S. AFTABUDDIN	55 श्री ए. आर. मानवी	SHRI A. R. MANAVI
18 श्री वी. जे. म्हात्रे	SHRI V. J. MHATRE	56 श्री अशोक कुमार गुप्ता	SHRI ASHOK KR. GUPTA
19 श्री एम. के. पटनायक	SHRI M. K. PATNAYAK	57 श्री सुमित के. गुप्ता	SHRI SUMEET K GUPTA
20 श्री के. एम. पुरुषोत्तमन	SHRI K. M. PURUSHOTHAMAN	58 श्री ए. बी. बोपटे	SHRI A. B. BOPTE
21 श्री प्रवीन सीएच. एम. पटेल	SHRI PRAVIN CH M PATEL	59 श्री एल. के. सीकरी	SHRI L. K. SIKREE
22 श्री वी.एस. डोले	SHRI V. S. DOLE	60 श्री आर. एस. पांडे	SHRI R. S. PANDEY
23 श्री आर. जी. केलकर	SHRI R. G. KELKAR	61 श्री टी. एम. आर. नटराजन	SHRI T. M. R. NATRAJAN
24 श्री ए. एम. घोसालकर	SHRI A. M. GHOSALKAR	62 श्री आर. के. जोशी	SHRI R. K. JOSHI
25 श्री आर. के. अग्रवाल	SHRI R. K. AGGARWAL	63 श्री वी. एम. पोतदार	SHRI V. M. POTDAR
26 श्री एस. के. वर्मा	SHRI S. K. VERMA	64 श्री के. के. तिवारी	SHRI K. K. TIWARI
27 श्री एस. जी. एस. पवार	SHRI S. G. S. PAWAR	65 श्री सी. एस. पी. राव	SHRI C. S. P RAO
28 श्री आर. बी. रास्वलकर	SHRI R. B. RASWALKAR	66 श्री के. ए. सुब्बा राव	SHRI K. A. SUBBA RAO
29 श्री जे. पी. बहुगुणा	SHRI J. P. BAHUGUNA	67 श्री वी. के. जयरथ	SHRI V. K. JAIRATH
30 श्री डी. सी. सतपथी	SHRI D. C. SATAPATHY	68 श्री देबज्योति गुप्ता	SHRI DEBAJYOTI GUPTA
31 श्री एम. वी. आरेकर	SHRI M. V. AREKAR	69 श्री एस. के. सिंह	SHRI S. K. SINGH
32 श्री के. सी. चरमन्ना	SHRI K. C. CHARMANNA	70 श्री हृषिकेश बेहेरा	SHRI HRUSHIKESH BEHERA
33 श्री एस. एन. त्रिपाठी	SHRI S. N. TRIPATHY	71 श्री रवि कुमार गुप्ता	SHRI RAVI KUMAR GUPTA
34 श्री ललित सिन्हा	SHRI LALIT SINHA	72 श्री आर. महेश्वरन	SHRI R. MAHESHWARAN
35 श्री आर. सी. लोढा	SHRI R. C LODHA	73 श्री के. एन. रघुनाथन	SHRI K. N. RAGHUNATHAN
36 श्री बी. पी. डिमरी	SHRI B. P. DIMRI	74 श्री डी. एम. वेंगुर्लेकर	SHRI D. M. VENGURLEKAR
37 श्री टी. आर. साहनी	SHRI T. R. SAHNI	1 *श्री अजीत कुमार रथ	*SHRI AJITH KUMAR RATH
38 श्रीमती एम. आर. प्रभु	SMT. M. R. PRABHU	2 *श्री एम. एस. राव	*SHRI M. S. RAO

वर्ष 2009-10 की प्रमुख बातें

- 31 मार्च 2010 को कुल कारोबार **रु.2,91,289 करोड़**- पिछले वर्ष से 22.9% की वृद्धि.
- कुल जमाराशि **रु.1,70,040 करोड़**, 22.6% की वृद्धि. कासा जमाराशि में 29.4% की वृद्धि. कुल जमाराशि में कासा की हिस्सेदारी 166 आधार बिंदु बढ़कर 31.73% हुई.
- कुल अग्रिम **रु.1,21,249 करोड़**, 23.4% की वृद्धि. रिटेल अग्रिम 33.8% बढ़े.
- शुद्ध लाभ **रु.2,075 करोड़**, पिछले वर्ष से 20.2% अधिक
- कोर शुल्क आय **रु.896 करोड़**, पिछले वर्ष से 32.74% की वृद्धि.
- पूंजी पर्याप्तता अनुपात (बासल II) 31 मार्च 2010 को **12.51%** है; जबकि कानूनी न्यूनतम आवश्यकता 9.0% है. टियर I अनुपात 7.91% है.
- औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ **1.25%**
- इक्विटी पर प्रतिलाभ **23.69%** रिकार्ड हुआ.
- प्रति शेयर बुक वैल्यू **रु. 173.38** पिछले वर्ष से 25.6% की वृद्धि.
- प्रति शेयर आय बढ़कर **रु. 41.08** हुई. पिछले वर्ष रु.34.18 थी.
- आय लागत अनुपात **40.66%**, पिछले वर्ष से 115 आधार बिंदु कम.
- प्रस्तावित लाभांश 50% से बढ़कर **55%.**
- अखिल भारतीय पहुंच-31 मार्च 2010 को **2,805 शाखाएं** और **2,327 एटीएम**.
- वैश्विक विस्तार : **सिडनी** (आस्ट्रेलिया) और **बीजिंग** (चीन) में प्रतिनिधि कार्यालय खोले. 1 अप्रैल 2010 को **लंदन** में प्रतिनिधि कार्यालय खोला गया.

पुरस्कार और प्रशंसा

ब्रांड फाइनेंस पीएलसी

सर्वाधिक मूल्यवान ग्लोबल बैंकिंग ब्रांड में 275 वां स्थान

यूनियन बैंक के लिए ब्रांड मूल्यांकन ए+ है. (ए अर्थात सुदृढ़)

❑

दि एशियन बैंकर

एशिया प्रशांत क्षेत्र में सुदृढ़ बैंकों में 7 वां स्थान

भारत के बैंकों में 3 रा स्थान

❑

फायनेंशियल एक्सप्रेस

ऋण गुणवत्ता में सर्वश्रेष्ठ बैंक

❑

एसोसिएशन ऑफ बिज़नेस कम्युनिकेटर्स ऑफ इंडिया

मार्केटिंग और ब्रांड कम्युनिकेशन के लिए 2010 का स्वर्ण पुरस्कार

❑

राष्ट्रीय पुरस्कार

सूक्ष्म उद्यमों को ऋण देने के लिए उत्कृष्ट पुरस्कार

❑

आईबीए-टीएफसीआई बैंकिंग तकनीक

बिज़नेस इंटेलिजेंस के सर्वश्रेष्ठ प्रयोक्ता का पुरस्कार

❑

आईएसओ प्रमाण-पत्र

डाटा सेंटर एवं आईटी सिक्युरिटी के लिए आईएसओ 27001 प्रमाण-पत्र प्राप्त.

❑

स्कोह चैलेंजर अवार्ड

नवोन्मेषी संकल्पना 'ग्राम ज्ञान केन्द्र' के माध्यम से क्षमता निर्माण

Highlights of 2009-10

- Total Business size of Rs. 2,91,289 crore as on March 31, 2010 – an increase of 22.9% over previous year .
- Total Deposits of Rs. 1,70,040 crore, an increase of 22.6%. CASA deposits grew at 29.4%, its share increased by 166 basis points to 31.73%.
- Total Advances of Rs. 1,21,249 crore, an increase of 23.4%. Retail advances grew at 33.8%
- Net Profits of Rs. 2,075 crore, an increase of 20.2% over the previous year.
- Core Fee Income of Rs. 896 crore, an increase of 32.74% over the previous year.
- Capital Adequacy Ratio (Basel II CAR) stood at 12.51% as on March 31, 2010 as against regulatory minimum of 9.0%. Tier I ratio at 7.91%.
- Return on average assets 1.25%.
- Return on equity recorded at 23.69%.
- Book Value per share of Rs. 173.38, an increase of 25.6% over the previous year.
- Earning per share increased to Rs. 41.08, compared to Rs. 34.18 of previous year.
- Cost to Income ratio of 40.66%, reduced by 115 basis points over the previous year.
- Proposed Dividend up from 50% to 55%.
- Pan India reach - Network of 2,805 branches and 2327 ATMs as on March 31, 2010.
- Global Expansion: Opened representative offices in Sydney (Australia) and Beijing (China). Representative office in London opened on April 1, 2010.

Awards & Accolades

Brand Finance Plc
Ranked 275th most valuable Global Banking Brand
Brand value A+ (A means strong)

❑

The Asian Banker
Ranked 7th Strongest Bank in Asia-Pacific Region
Ranked 3rd amongst banks in India

❑

Financial Express
Best Bank in Credit Quality

❑

Association of Business Communicators of India
Gold Award for Marketing and Brand Communications, 2010

❑

National Award
Excellence in Lending to Micro Enterprises

❑

IBA-TFCI Banking Technology
Best user of Business Intelligence award

❑

ISO Certificate
Awarded ISO 27001 certificate for its data centre & IT Security.

❑

Skoch Challenger Award
Capacity building through innovative concept of “Village Knowledge Centre”

महत्वपूर्ण वित्तीय सूचक

क्र. सं.	विवरण (प्रतिशत में)	31.03.2001	31.03.2002	31.03.2003	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2006	31.03.2007	31.03.2008	31.03.2009	31.03.2010
1	ब्याज आय / औसत कार्यशील निधियां (ए डब्ल्यू एफ)	10.49	9.96	9.20	8.43	7.96	7.49	8.08	8.35	8.78	8.04
2	ब्याज व्यय / ए डब्ल्यू एफ	7.06	6.65	6.00	5.19	4.65	4.46	5.03	5.76	5.96	5.51
3	ब्याज स्प्रेड / ए डब्ल्यू एफ	3.43	3.31	3.20	3.24	3.31	3.03	3.05	2.59	2.82	2.53
4	गैर-ब्याज आय / ए डब्ल्यू एफ	1.08	1.24	1.76	1.55	1.23	0.63	0.75	1.20	1.09	1.19
5	परिचालन व्यय / ए डब्ल्यू एफ	2.86	2.39	2.17	2.02	2.01	1.79	1.61	1.44	1.63	1.52
6	लागत आय अनुपात	66.56	52.66	43.82	42.26	44.42	48.90	42.45	38.17	41.81	40.66
7	सकल (परि.) लाभ / ए डब्ल्यू एफ	1.44	2.16	2.79	2.77	2.52	1.87	2.19	2.34	2.28	2.21
8	शुद्ध लाभ / ए डब्ल्यू एफ	0.44	0.78	1.18	1.33	1.15	0.86	0.92	1.26	1.27	1.25
9	नेट वर्थ पर प्रतिलाभ	8.41	14.90	21.53	27.36	22.90	16.55	17.88	24.70	24.79	23.69
10	वर्षांत आस्तियों पर प्रतिलाभ	0.40	0.71	1.08	1.22	0.99	0.76	0.82	1.12	1.07	1.06
11	औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ	0.42	0.75	1.16	1.32	1.10	0.84	0.92	1.26	1.27	1.25
12	अग्रिमों पर प्रतिफल	12.10	10.95	10.02	9.03	8.33	8.18	8.98	10.12	11.06	9.94
13	जमाराशियों की लागत	7.57	7.03	6.46	5.64	4.97	4.75	5.23	6.19	6.50	5.94
14	शुद्ध लाभ का लाभांश भुगतान अनुपात (कार्पोरेट लाभांश कर सहित)	24.52	14.33	19.72	25.51	25.32	30.78	24.20	17.04	17.11	15.66
15	ऋण जमा अनुपात	52.63	56.45	59.55	61.17	67.96	75.50	76.46	75.55	73.22	73.71
16	ऋण + गैर एस एल आर निवेश (अनुषंगी इकाइयों में निवेश को छोड़कर) - जमा अनुपात	60.36	63.30	67.36	73.74	77.86	84.29	81.49	78.44	76.75	80.75
17	पूंजी पर्याप्तता अनुपात (बेसल I)	10.86	11.07	12.41	12.32	12.09	11.41	12.80	12.51	13.27	12.51
	टियर -I	6.19	6.16	6.86	6.47	6.07	7.32	7.79	7.45	8.18	7.91
	टियर - II	4.67	4.91	5.55	5.85	6.02	4.09	5.01	5.06	5.09	4.60

महत्वपूर्ण वित्तीय सूचक

क्र. सं.	विवरण	31.03.2001	31.03.2002	31.03.2003	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2006	31.03.2007	31.03.2008	31.03.2009	31.03.2010
1	कर्मचारी (संख्या)	28044	25822	25706	25630	25645	25421	25969	25722	27510	27772
2	शाखाएं (संख्या)	2053	2023	2020	2020	2051	2082	2206	2361	2558	2805
3	प्रति कर्मचारी कारोबार (रु. करोड़ में)	1.83	2.15	2.50	2.86	3.46	4.36	5.09	6.20	6.94	8.53
4	प्रति कर्मचारी सकल लाभ (रु. लाख में)	1.82	3.37	5.07	5.79	6.13	5.77	7.70	10.03	11.20	13.18
5	प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ (रु. लाख में)	0.55	1.22	2.15	2.78	2.81	2.66	3.25	5.39	6.28	7.47
6	प्रति शाखा कारोबार (रु.करोड़ में)	23.48	27.41	31.78	36.35	43.35	53.29	59.94	67.52	74.61	84.49
7	प्रति शाखा सकल लाभ (रु.करोड़ में)	0.25	0.43	0.65	0.73	0.77	0.70	0.91	1.09	1.20	1.30
8	प्रति शाखा शुद्ध लाभ (रु.करोड़ में)	0.08	0.16	0.27	0.35	0.35	0.32	0.38	0.59	0.68	0.74
9	प्रति शेयर आय (रुपयों में)	4.60	9.29	13.95	15.47	15.64	14.58	16.74	27.46	34.18	41.08
10	प्रति शेयर बही मूल्य (रुपयों में)	39.42	39.03	40.70	55.71	67.18	80.77	93.60	111.19	137.87	173.38

नोट : * औसत कारोबार

परिभाषाएं :

औसत कार्यशील निधियां (ए डब्ल्यू एफ) : कुल आस्तियों का पाक्षिक औसत
औसत जमाराशियां : कुल जमाराशियों का पाक्षिक औसत
औसत अग्रिम : कुल अग्रिमों का पाक्षिक औसत
औसत कारोबार : औसत जमाराशियों और औसत अग्रिमों का योग
औसत निवेश : कुल निवेश का पाक्षिक औसत
ब्याज आय/ए डब्ल्यू एफ : कुल ब्याज आय को एडब्ल्यूएफ से भाग दें
ब्याज व्यय/ए डब्ल्यू एफ : कुल ब्याज खर्च को एडब्ल्यूएफ से भाग दें
ब्याज स्प्रेड/ए डब्ल्यू एफ : कुल ब्याज आय में से कुल ब्याज व्यय को घटाकर एडब्ल्यूएफ से भाग दें
गैर-ब्याज आय/ए डब्ल्यू एफ : कुल गैर ब्याज आय/एडब्ल्यूएफ
परिचालन व्यय : कुल ब्याज में से ब्याज व्यय घटाये
परिचालन व्यय/ए डब्ल्यू एफ : एडब्ल्यूएफ से परिचालन व्यय को भाग दें
लागत आय अनुपात : परिचालन खर्च/गैर ब्याज आय + ब्याज स्प्रेड
सकल लाभ/ए डब्ल्यू एफ : परिचालन लाभ को एडब्ल्यूएफ से भाग दें
शुद्ध लाभ/ए डब्ल्यू एफ : शुद्ध लाभ को एडब्ल्यूएफ से भाग दें
नेट वर्थ पर प्रतिलाभ : शुद्ध लाभ/नेटवर्थ (पूनर्मूल्यांकन प्रारक्षित राशि एवं अर्मूत आस्तियों को छोड़कर)
आस्तियों पर प्रतिफल : शुद्ध लाभ/कुल आस्तियां
औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ : शुद्ध लाभ/एडब्ल्यूएफ
अग्रिमों से आय : अग्रिमों पर अर्जित ब्याज/औसत अग्रिम
जमाराशियों की लागत : जमाराशियों पर प्रदत्त ब्याज को औसत जमाराशियों से भाग दें
लाभांश भुगतान अनुपात : कार्पोरेट लाभांश कर सहित लाभांश/शुद्ध लाभ (कार्पोरेट लाभांश कर सहित)
ऋण जमा अनुपात : कुल अग्रिम/ग्राहकों की जमाराशियां (यथा कुल जमाराशियां - अंतर बैंक जमाराशियां)
ऋण + गैर सांविधिक तरलता अनुपात निवेश
(अनुषंगी इकाइयों में निवेश को छोड़कर)
जमाराशि अनुपात : कुल अग्रिम+गैर एस एल आर निवेश - अनुषंगी इकाइयों में निवेश/ग्राहकों की जमा राशियां
प्रति कर्मचारी कारोबार : औसत जमाराशियां (बैंक जमाराशियों को छोड़कर) + औसत अग्रिम/कर्मचारियों की कुल संख्या
प्रति कर्मचारी सकल लाभ : कर्मचारियों की कुल संख्या से सकल लाभ को भाग दें
प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ : शुद्ध लाभ/कर्मचारियों की कुल संख्या
प्रति शाखा कारोबार : औसत जमाराशियां (बैंक जमाराशियों को छोड़कर)+औसत अग्रिम को शाखाओं की संख्या से भाग दें
प्रति शाखा सकल लाभ : सकल लाभ/शाखाओं की संख्या
प्रति शाखा शुद्ध लाभ : शुद्ध लाभ/शाखाओं की संख्या
प्रति शेयर आय : शुद्ध लाभ को इक्विटी से विभाजित कर दस से गुणा करें
प्रति शेयर बही मूल्य : नेटवर्थ (पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित राशि एवं अमूर्त आस्तियों को छोड़कर)/को इक्विटी से विभाजित कर दस से गुणा करें

सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की 8 वीं वार्षिक साधारण सभा शुक्रवार, 2 जुलाई, 2010 को शाम 4.00 बजे रामा वाटुमल ऑडिटोरियम, के सी कालेज, दिनशा वाच्छा रोड, चर्चगेट, मुंबई - 400 020 में निम्नलिखित कार्यों के लिए आयोजित की जाएगी.

मद क्र. 1

दिनांक 31 मार्च 2010 के तुलन पत्र तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा, लेखों में कवर की गयी अवधि के लिए बैंक की गतिविधियों तथा कार्यकलापों पर निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट तथा तुलन पत्र और लेखों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा.

मद क्र.2

वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिए इक्विटी शेयरों पर लाभांश की घोषणा करना.

निदेशक बोर्ड के आदेश से

(एम. वी.नायर)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : मुंबई.
दिनांक : 18 मई, 2010

नोट :

(i) **परोक्षी की नियुक्ति**

बैठक में भाग लेने तथा वोट देने के हकदार शेयरधारक अपने स्थान पर भाग लेने तथा वोट देने हेतु एक परोक्षी नियुक्त कर सकते हैं और आवश्यक नहीं कि ऐसा परोक्षी बैंक का शेयरधारक हो. परोक्षी फार्म को प्रभावी बनाने के लिए वह बैंक के प्रधान कार्यालय में वार्षिक साधारण सभा की तिथि से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात् शनिवार, 26 जून, 2010 की कार्य-समाप्ति अर्थात् दोपहर 2.00 बजे तक या उससे पूर्व अवश्य प्राप्त होना चाहिए.

(ii) **प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति**

किसी कंपनी या किसी निकाय, निगम जो बैंक के शेयरधारक हैं, के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति बैठक में उपस्थित रहने या वोट देने के लिए तब तक पात्र नहीं हो सकता, जब तक उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने के संकल्प की प्रति उस बैठक, जिसमें वह संकल्प पारित किया गया है, के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित सत्य प्रति को बैंक के प्रधान कार्यालय में वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात् शनिवार, 26 जून, 2010 की कार्य-समाप्ति अर्थात् दोपहर 2.00 बजे तक या उससे पूर्व जमा न करा दिया गया हो.

(iii) **उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र**

शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र इस सूचना के साथ संलग्न है, शेयरधारकों / परोक्षियों/ प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र में निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें तथा उसे बैठक के स्थान पर सौंप दें. शेयरधारक के परोक्षी/ प्रतिनिधि द्वारा उपस्थिति पर्ची पर 'परोक्षी' या 'प्राधिकृत प्रतिनिधि' जैसी भी स्थिति हो, का उल्लेख किया जाना चाहिए.

(iv) **बुक क्लोजर**

वार्षिक साधारण बैठक के उद्देश्य एवं लाभांश की पात्रता का पता लगाने के लिए बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण रजिस्टर शनिवार दिनांक 26 जून, 2010 से शुक्रवार दिनांक 2 जुलाई, 2010 (दोनों दिन को मिलाकर) तक बंद रहेगा.

(v) **लाभांश का भुगतान**

बैंक के निदेशक मंडल द्वारा यथा प्रस्तावित शेयरधारकों के लिए लाभांश का भुगतान भौतिकरूप में रखने वाले उन शेयरधारकों को किया जाएगा जिनके नाम बैंक के सदस्यों के रजिस्टर में दि. 02 जुलाई 2010 को दर्ज है तथा डीमैट शेयरों के मामलों में, दिनांक 25 जून , 2010 को कारोबार समाप्ति पर डिपॉजिटरी द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार हिताधिकारी स्वामित्व के आधार पर ही प्रस्तावित लाभांश का भुगतान किया जाएगा तथा लाभांश वारंट वार्षिक साधारण बैठक की तारीख से 30 दिनों के भीतर प्रेषित/जमा किया जाएगा.

(vi) **अंतरण**

अतंरण विलेख के साथ शेयर प्रमाणपत्र रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेंट को अंतरण हेतु भेजा जाना चाहिए.

(vii) **राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (एनईसीएस)/ यूनियन बैंक खाते में सीधे जमा के माध्यम से लाभांश के भुगतान के लिए बैंक मैन्डेट**

ए) शेयरधारकों को अपना बैंक खाता क्रमांक, एम आई सी आर चेक पर अंकित 9 अंकों का एमआईसीआर कोड, बैंक तथा शाखा का नाम प्रस्तुत करना होगा, जहां वे अपना लाभांश वारंट नकदीकरण के लिए जमा करना चाहते हों. यदि लाभांश की राशि सीधे शेयाधारकों के खाते में जमा न की जा रही हो, तो लाभांश वारंट के चेक के हिस्से पर शेयरधारक के नाम के अलावा खाता संख्या भी मुद्रित की जाएगी ताकि लाभांशों का कपटपूर्ण नकदीकरण टाला जा सके. भौतिक रुप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को उक्त जानकारी प्रथम / एकल शेयरधारक द्वारा उनका फोलियो क्रमांक दर्शाते हुए रजिस्ट्रार तथा अंतरण एजेंट को सीधे एवं डीमैट फार्म में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को संबंधित डिपॉज़िटरी सहभागी को प्रस्तुत की जानी चाहिए.

बी) बैंक लाभांश भुगतान के लिए ये सुविधाएं भी प्रदान करता है :

i) राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक समाशोधन सेवा

ii) यूनियन बैंक खाताधारकों के खातों में सीधे जमा

यह सुविधा शेयरधारक द्वारा लाभांश के जमा को प्राप्त करने के लिए बैंक आदेश प्रणाली के स्थान पर प्रयोग की जा सकती है. विकल्प फॉर्म इस रिपोर्ट के साथ भी संलग्न है और बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in पर भी उपलब्ध है.

(viii) अदावाकृत लाभांश, यदि कोई है.

ऐसे शेयरधारक, जिन्होंने पिछली अवधियों के अपने लाभांश वारंट, यदि कोई हैं, का नकदीकरण नहीं कराया है या लाभांश प्राप्त नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे डुप्लीकेट लाभांश वारंट जारी करने के लिए बैंक शेयर अंतरण एजेंट से संपर्क करें. संबंधित क्षतिपूर्ति बांड बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in पर भी उपलब्ध है.

बैंक कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 में नयी शामिल की गई धारा 10बी के अनुसार 7 वर्ष की अवधि के अप्रदत्त या अदावाकृत रहने वाली लाभांश की राशि कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 205सी के अधीन केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) को अंतरित की जानी अपेक्षित है तथा उसके उपरांत लाभांश के भुगतान के संबंध में बैंक या आईईपीएफ को किसी भी प्रकार का दावा नहीं किया जाएगा.

(ix) पते / बैंक ब्यौरों / बैंक खाता मैन्डेट में परिवर्तन की सूचना :

(क) जिनके पास भौतिक रुप में शेयर उपलब्ध हैं :

जिन शेयरधारकों के पास भौतिक रुप में शेयर मौजूद हैं, उनसे अनुरोध है कि उनके पंजीकृत पते और / या बैंक खाते में यदि कोई परिवर्तन हो तो वे इसकी सूचना बैंक के रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेंट को निम्न पते पर दें :

डाटामैटिक्स फायनांशियल सर्विसेज लि.,
यूनिट : यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
प्लॉट क्र. ए-16 एवं 17, पार्ट बी, क्रॉस लेन, एमआईडीसी,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 093.

(ख) जिनके पास डीमैट रुप में शेयर उपलब्ध हैं :

डीमैट रुप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि उनके पंजीकृत पते तथा बैंक मैनडेट / ब्यौरे में कोई परिवर्तन होने की स्थिति में उसकी सूचना केवल अपने डिपॉजिटरी सहभागी(गियों) को दें.

(x) निवासी स्थिति में परिवर्तन

अनिवासी भारतीय शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित के बारे में बैंक के शेयर अंतरण एजेंट डाटामैटिक्स फायनांशियल सर्विसेज लि. को तत्काल सूचित करें.

ए. स्थायी निवास हेतु भारत वापसी पर निवासी स्थिति में परिवर्तन.

बी. भारत में संचालित बैंक खाते का पूर्ण विवरण यथा पूरा नाम, शाखा, खाते का स्वरुप, खाता संख्या तथा बैंक का पता, पिन कोड आदि यदि पहले नहीं दिया गया हो.

(xi) फोलियो का समेकन

एक से अधिक खाते में एक जैसे नाम से या नामों से उसी क्रम में संयुक्त नाम से भौतिक रुप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे उन सभी शेयरों का एक ही खाते में समेकन करने हेतु अपने शेयर प्रमाणपत्र बैंक के शेयर अंतरण एजेंट डाटामैटिक्स फायनांशियल सर्विसेज लि.को प्रेषित करें.

(xii) शेयरधारक / परोक्षीधारक / प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वार्षिक साधारण सभा में आते समय वे वार्षिक रिपोर्ट तथा नोटिस की प्रतियां अपने साथ लाएं.

(xiii) शेयरधारक अपने लेखों पर किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हों तो उनसे अनुरोध है कि वे बैंक को लिखें, जो वार्षिक साधारण बैठक की तारीख से कम से कम एक सप्ताह पहले प्राप्त हो जाना चाहिए ताकि प्रबंधन वह सूचना तैयार रख सके. उत्तर केवल वार्षिक साधारण सभा में ही दिये जाएंगे.

निदेशक बोर्ड के आदेश से

(एम. वी.नायर)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : मुंबई.
दिनांक : 18 मई, 2010

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय शेयरधारक,

हमें लेखापरीक्षित तुलनपत्र, लाभ एवं हानि लेखा, नकद प्रवाह विवरण और 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के कारोबार एवं परिचालन पर रिपोर्ट सहित 91वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है. कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट भी वार्षिक रिपोर्ट का एक भाग है.

विशिष्ट वित्तीय कार्यनिष्पादन

तालिका 1ः बैंक के संक्षिप्त वित्तीय आंकड़े (रु. करोड़ में)

	वि. व.2009	वि. व.2010	% वर्षानुवर्ष
कुल कारोबार	236968	291289	22.9
जमाराशियां	138703	170040	22.6
अग्रिम	98265	121249	23.4
कुल आय	13372	15277	14.2
ब्याज आय	11889	13302	11.9
अन्य आय	1483	1975	33.2
कुल व्यय	10290	11618	12.9
ब्याज व्यय	8076	9110	12.8
परिचालन व्यय	2214	2508	13.3
परिचालन लाभ	3082	3659	18.7
प्रावधान	1355	1584	16.9
शुद्ध लाभ	1727	2075	20.2
लाभांश	50%	55%	500आधार बिंदु
प्रति शेयर आय (रु.)	34.18	41.08	20.2
आय लागत अनुपात	41.81	40.66	-115आधार बिंदु

1. 31 मार्च, 2010 को बैंक का कुल कारोबार 31 मार्च, 2009 के रु.2.37 लाख करोड़ में 22.9% की वृद्धि के साथ रु.2.91 लाख करोड़ रहा. कारोबार वृद्धि में आस्तियों और देयताओं दोनों में खुदरा एवं कार्पोरेट ग्राहकों का व्यापक अंशदान था.

2. 31 मार्च, 2010 को समाप्त वित्तीय वर्ष में बैंक की कुल आय रु.15,277 करोड़ और शुद्ध लाभ रु.2075 करोड़ रहा जो पिछले वर्ष क्रमशः रु.13372 करोड़ और रु.1727 करोड़ थे. प्रति शेयर आय (ईपीएस) अनुपात पिछले वर्ष के रु.34.18 से सुधरकर रु.41.08 हो गयी जबकि आय लागत अनुपात पिछले वर्ष के 41.81 से कम होकर 40.66 रह गया.

लाभांश

1. आपके बैंक की लाभांश नीति भावी वृद्धि में मदद के साथ स्वस्थ पूंजी पर्याप्तता अनुपात को बनाए रखने के लिए लाभ के अंश को संयोजित करके शेयरधारकों को उचित रूप से पुरस्कृत करना है. तदनुसार, आपके बैंक के निदेशक पिछले वर्ष के 50% लाभांश की तुलना में 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए 55% लाभांश की सहर्ष सिफारिश करते हैं. लाभांश कर के साथ लाभांश की कुल रकम रु.325 करोड़ है.

पुरस्कार एवं प्रशस्तियां

समीक्षाधीन अवधि के दौरान आपके बैंक ने अग्रणी संगठनों से लगातार पुरस्कार एवं प्रशंसाएं प्राप्त की हैं. कुछ निम्नानुसार हैं :

i. एशियन बैंकर ने यूनियन बैंक को वर्ष 2009 में एशिया-पेसिफिक क्षेत्र में 7वें सबसे मजबूत बैंक का दर्जा दिया है. भारतीय बैंकों में आपके बैंक को नं.3 पर रखा गया है.

ii. आपका बैंक विपणन एवं ब्रांड सम्प्रेषण 2010 के लिए एसोसिएशन ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन ऑफ इंडिया (एबीसीआई) का स्वर्ण अवार्ड विजेता है. यह अवार्ड बैंक द्वारा की गई रूपांतरण प्रक्रिया के सम्मान में दिया गया है.

iii. बैंक को वित्तीय समावेशन पहलों के एक भाग के रूप में ''ग्राम ज्ञान केन्द्र'' की नवोन्मेषी विचारधारा के माध्यम से क्षमता निर्माण में उत्कृष्टता के लिए ''स्कोह चैलेंजर अवार्ड 2009'' प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया है.

iv. आपके बैंक को वर्ष 2008-08 के दौरान सूक्ष्म उद्यमों को ऋण प्रदान करने में उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है.

v. बैंक को सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी कई पुरस्कार एवं प्रशस्तियां प्राप्त हुई हैं, जिनमें से कुछ इसप्रकार हैं :

   क. आईबीए टीएफसीआई'एस बैंकिंग टेक्नॉलाजी अवार्ड 2009 : बैंक ने आईबीए-टीएफसीआई द्वारा आयोजित बैंकिंग टेक्नॉलाजी अवार्ड 2009 में भाग लिया जिसमें बेस्ट यूज़र बिजनेस इंटेलीजेंस अवार्ड प्राप्त हुआ.

   ख. बैंक ने प्रमुख आईटी संवीक्षा कार्यान्वयन को पूरा किया और अपने डाटा सेंटर के लिए आईएसओ 27001 प्रमाणपत्र प्राप्त किया. यूनियन बैंक देश के उन कुछ बैंकों में से एक है जिसके पास यह प्रमाणपत्र है जो आईटी संवीक्षा प्रक्रिया की एक छाप है.

vi. आपका बैंक कैलेंडर वर्ष 2009 के लिए 275वां अत्यधिक मूल्यवान वैश्विक बैंकिंग ब्रांड बना. वर्ष 2008 में यह 351वें स्थान पर था.यह रेंकिंग ब्रांड फायनांस पीएलसी, एक स्वतंत्र अमूर्त आस्ति मूल्यांकन और ब्रांड कौशल वैश्विक फर्म द्वारा की गई है. यूनियन बैंक के लिए ब्रांड वैल्यू रेटिंग पिछले वर्ष बीबी (बीबी अर्थात् औसत) की तुलना में ए+ (ए अर्थात् मजबूत) है. कैलेंडर वर्ष 2009 में यूनियन बैंक की ब्रांड वैल्यू 148% बढ़ी है.

वित्तीय कार्यनिष्पादन

ए. कारोबार

1. आपके बैंक की रूपांतरण प्रक्रिया का पहला चरण - नव निर्माण - वर्ष 2006-07 में शुरु हुआ था. बैंक ने ग्राहक सेवा में वृद्धि, सक्षम प्रक्रियाओं के विकास, नेटवर्क के विस्तार और नये उत्पादों की ओर ध्यान केन्द्रित किया, जिससे कारोबार और लाभ के सुदृढ़ परिणाम मिले.

चार्ट 1 : जमाराशियां एवं अग्रिम

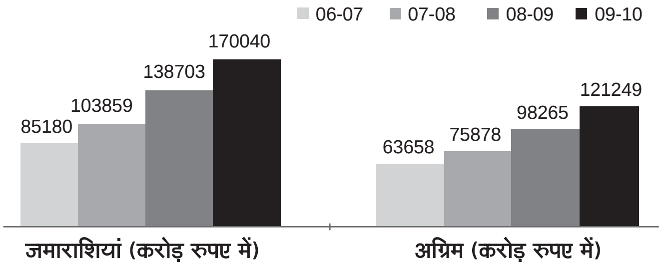

2. वित्तीय वर्ष 2006-07 से 2009-10 के दौरान बैंक के कारोबार की चक्रवर्धित वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) 25.1% रही, जमाराशियां 26.0% सीएजीआर और अग्रिम 23.9% सीएजीआर बढ़े. इसप्रकार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के कारोबार में बैंक का बाजार का हिस्सा मार्च 2007 के अंतिम शुक्रवार (3.20%) और मार्च 2010 के अंतिम शुक्रवार (3.45%) के बीच 25 आधार अंक (बीपीएस) तक बढ़ा.

3. देयता साइड में कम लागत की चालू एवं बचत बैंक जमाराशियां (कासा) 29.4% बढ़ीं और कुल जमाराशियां 22.6% बढ़कर 31 मार्च, 2010 को 170040 करोड़ हो गईं. जिसके परिणामस्वरूप कासा का अनुपात 30.07% से बढ़कर 31.73% हो गया.

4. बैंक के ऋण 23.4% बढ़कर 31 मार्च, 2010 को 1,21,249 करोड़ हो गए. इसी प्रकार, बैंक का ऋण जमा अनुपात पिछले वर्ष के 73.22% से 49 आधार अंक (बीपीएस) बढ़कर 31 मार्च, 2010 को 73.71% हो गया.

5. बैंक की विदेशी शाखा (हांगकांग) ने रु.369.78 करोड़ की जमाराशियां जुटाईं और 31 मार्च 2010 को उसके ऋण रु.2976.61 करोड़ हो गए.

बी. लाभप्रदता

1. बैंक की कुल आय पिछले वर्ष के रु.13372 करोड़ से 14.25% बढ़कर 31 मार्च, 2010 को रु.15277 करोड़ हो गई. कुल व्यय पिछले वर्ष के रु.10290 करोड़ से 12.91% की कम दर से बढ़कर 31 मार्च, 2010 को रु.11618 करोड़ हो गए.

2. वर्ष के दौरान, सिस्टम में ऋण की निम्नतर मांग और उच्चतर तरलता ने निवेश के प्रतिलाभ के साथ-साथ अग्रिमों के प्रतिफल पर भी असर डाला. अग्रिमों पर प्रतिलाभ पिछले वर्ष के 11.06% के सामने 9.94% रहा. इसके फलस्वरूप, पिछले वर्ष के रु.11889 करोड़ के सामने ब्याज आय में 11.88% की अल्प वृद्धि के साथ यह 31 मार्च 2010 को रु.13302 करोड़ रही. अग्रिमों पर ब्याज पिछले वर्ष के दौरान रिपोर्ट किए गए रु.8893 करोड़ की तुलना में 9.03% बढ़कर रु.9696 रहा. निवेश पर ब्याज 6.32% की आय के साथ 23.0% बढ़कर रु.3482 करोड़ रहा.

3. बैंक ने लेनदेन लागतों को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी के विकास और भावी आय के लिए क्षमता निर्माण में निवेश किया. बैंक के कुल व्यय पिछले वर्ष रु.10290 करोड़ की तुलना में 12.91% बढ़कर रु.11618 करोड़ रहे. कम-लागत की जमाराशियों पर ध्यान केन्द्रित करने के कारण जमाराशियों की लागत में 56 आधार अंक (बीपीएस) तक कमी आई. इस वर्ष ब्याज व्यय पिछले वर्ष के 26.96% की तुलना में 12.8% बढ़ा.

4. शुद्ध ब्याज आय 9.94% की वृद्धि के साथ पिछले वर्ष के रु.3813 करोड़ की तुलना में रु.4192 करोड़ रही.

5. बैंक के नवनिर्माण रूपांतरण ने शुल्क-आधारित आय को बढ़ाने में भी सहायता की. गैर-ब्याज आय 33.18% की वृद्धि के साथ रु.1975 करोड़ रही, जो पिछले वर्ष के दौरान रु.1483 करोड़ थी. कोर शुल्क-आधारित आय (ट्रेज़री, फोरेक्स और बट्टे खातों में वसूली से हुई आय को निकालकर) 32.74% की वृद्धि के साथ रु.896 करोड़ रही, जो पिछले वर्ष के दौरान रु.675 करोड़ थी. ट्रेज़री आय भी पिछले वर्ष के रु.321.4 करोड़ की तुलना में 78.18% बढ़कर रु.572.78 करोड़ रही.

तालिका 2: गैर ब्याज आय (रु. करोड़ में)

	वि.व.07	वि.व.08	वि.व.09	वि.व.10	% सीएजीआर
कोर शुल्क आधारित आय	279	505	675	896	46.80
ट्रेज़री आय	199	510	517	730	53.56
फोरेक्स लेनदेन से आय	108	128	143	166	15.92
बट्टे खातों में वसूली	101	177	148	183	21.01
कुल गैर-ब्याज आय	687	1320	1483	1975	42.19

6. परिचालन व्यय पिछले वर्ष के रु.2214 करोड़ की तुलना में रु.2508 करोड़ रहे. इनमें पिछले वर्ष 38.98% वृद्धि की तुलना में 13.28% निम्न वृद्धि हुई.

7. बैंक का परिचालन लाभ पिछले वर्ष के रु.3082 करोड़ से 18.72% की वृद्धि के साथ रु.3659 करोड़ रहा.

8. प्रावधान एवं आकस्मिकताओं के लिए आबंटन पिछले वर्ष के रु.1355 करोड़ की तुलना में 2009-10 के दौरान रु.1584 करोड़ थे. गैर-निष्पादक आस्तियों के लिए प्रावधान पिछले वर्ष के रु.546 करोड़ से रु.699 करोड़ तक बढ़ा, जिसमें तुलनपत्र को मजबूत करने के लिए रु.158 करोड़ का अस्थायी प्रावधान भी शामिल है.

9. भारतीय रिज़र्व बैंक के संशोधित मानदंड के अनुसार प्रावधान कवरेज अनुपात 74.02% रहा. भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह अनिवार्य किया है कि बैंक सितंबर, 2010 से 70% का प्रावधान कवरेज अनुपात बनाए रखें. वर्ष के दौरान मानक आस्तियों के लिए प्रावधान रु.21 करोड़ (असुरक्षित निजी ऋणों के लिए नियामक अपेक्षाओं से रु.13 करोड़ ऊपर) रहा और कर के लिए प्रावधान रु.758 करोड़ रहा.

चार्ट 2 :परिचालन लाभ एवं शुद्ध लाभ

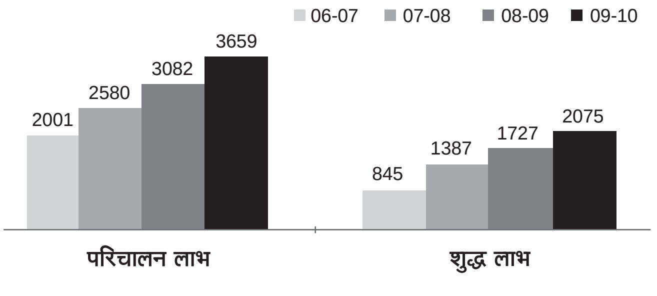

9. कर के बाद लाभ/शुद्ध लाभ पिछले वर्ष के दौरान हुए रु.1727 करोड़ की तुलना में बढ़कर रु.2075 करोड़ हुआ. गैर-ब्याज आय में हुई स्वस्थ वृद्धि की सहायता से स्थायी(कोर) कारोबारी परिचालनों में उत्साह ने शुद्ध लाभ में 20.15% वृद्धि प्राप्त करने में मदद की. वित्तीय वर्ष 2006-07 से 2009-10 के दौरान बैंक के परिचालन लाभ एवं शुद्ध लाभ की चक्रवर्धित वार्षिक विकास दर क्रमशः 22.3% और 34.9% है.

स्प्रैड विश्लेषण

1. अर्थव्यवस्था में सुधार की धीमी गति, ऋण की कम मांग और तरलता की अधिकता के रहते बैंक ने अपने बेंचमार्क मूल उधार दर (बीपीएलआर) को वर्ष के दौरान दो बार कम किया. 75 आधार अंकों की कुल कमी करने के कारण अग्रिमों पर एवं निधियों पर प्रतिलाभ कम हुआ. इसके अतिरिक्त, फरवरी 2010 के दौरान नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में 50 आधार अंक की बढ़ोत्तरी ने आय पर दबाव बनाया. निधियों से आय पिछले वित्त वर्ष में 8.78% से 8.04% पर आ गई.

2. आपके बैंक की औसत कार्यशील निधियां रु.1,35,452 करोड़ से बढ़कर रु.1,65,519 करोड़ हो गईं.बैंक के कम लागत की जमाराशियों पर ध्यान केन्द्रित करने ने जमाराशियों की लागत और निधि की लागत कम करने में मदद की.वर्ष के दौरान निधि की लागत 31 मार्च, 2009 के 5.96% से 31 मार्च, 2010 को 45 आधार अंक (बीपीएस)कम होकर 5.51% रह गई.

3. इसके कारण नेट ब्याज मार्जिन (एनआईएम) पिछले वित्त वर्ष के 3.24% से 53 आधार अंक की कमी के साथ वित्तीय वर्ष 2009-10 में 2.71 रहा. नेट ब्याज मार्जिन (एनआईएम) में कमी वर्ष के दौरान ऋण वृद्धि में कमी की प्रवृत्ति की परिचायक है जो पहली दो तिमाहियों के दौरान बनी रही. समग्र ऋण वृद्धि पिछले वर्ष से कम थी. तथापि, विवेकपूर्ण निधि प्रबंधन के कारण आपके बैंक नेट ब्याज मार्जिन (एनआईएम) में क्रमानुक्रम आधार पर निरंतर सुधार हुआ है : पहली तिमाही में 2.32%,दूसरी तिमाही में 2.42%, तीसरी तिमाही में 2.77% और चौथी तिमाही में 3.39%.

रेटिंग और पूंजी निर्माण

1. आपके बैंक ने टियर 1- स्थायी बांड, अपर टियर II बांड, लोअर टियर II बांड के लिए अच्छी रेटिंग प्राप्त की है. क्रिसिल ने अपनी 'एएए/स्टेबल' की रेटिंग की है. इन रेटिंग्स से लगातार यूनियन बैंक की बाजार में स्वस्थ स्थिति, सुविधाजनक संसाधन प्रोफाइल, पर्याप्त आय प्रोफाइल और संकट की घड़ी में अपने बहुसंख्यक शेयरधारकों एवं भारत सरकार से प्राप्त होने वाले समर्थन को प्रतिबिम्बित करता है. बैंक ने स्टैंडर्ड एंड पुअर'स (एस एंड पी) द्वारा की गई काउंटर पार्टी क्रेडिट रेटिंग के लिए स्टेबल आउटलुक 'बीबीबी-/ए-3' भी प्राप्त किया है.

2. इक्रा ने बैंक के लोअर टियर II बांड्स की रेटिंग एलएए+ से एलएएए विद स्टेबल आउटलुक अपग्रेड कर दी है. इक्रा ने बैंक के हाइब्रिड टियर बांड्स प्रोग्राम के लिए दी गई रेटिंग भी एलएए से एलएए+विद स्टेबल आउटलुक अपग्रेड कर दी है.

3. बैंक ने वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान टियर I एवं टियर II के माध्यम से रु.1200 करोड़ की पूंजी जुटाई है.

पूंजी पर्याप्तता अनुपात

बासल II की रूपरेखा के अनुसार संगणित बैंक का कुल पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) 12.51% रहा, जो 9% के विनियामक बेंचमार्क से कहीं (काफी) ऊपर है. बैंक का टियर I सीएआर 7.91% है.

तालिका 3 : पूंजी पर्याप्तता अनुपात (रु. करोड़ में)

	वि.व.09	वि.व.10
कुल जोखिम भारित आस्तियां	95245	122598
पूंजी निधि	12639	15336
टियर I पूंजी	7794	9697
सीएआर - बासल II	13.27%	12.51%
टियर 1 (%)	8.19%	7.91%
टियर 2 (%)	5.08%	4.60%

शेयरधारकों को प्रतिलाभ

आपके बैंक की शुद्ध सम्पत्ति पिछले वर्ष रिपोर्ट की गई रु.6964 करोड़ से 25.76% बढ़कर रु.8758 हो गई है. प्रति शेयर बही मूल्य रु.137.87 से बढ़कर 173.38 हो गया है. इक्विटी पर प्रतिलाभ 23.69% रहा है और प्रतिशेयर आय पिछले वर्ष रिपोर्ट किए गए रु.34.18 से बढ़कर रु.41.08 हो गयी है. प्रतिशेयर आय की चक्रवर्धित वार्षिक विकास दर वित्तीय वर्ष 07 से वित्तीय वर्ष 10 के दौरान 34.9% बढ़ी है.

चार्ट 3 : शेयर धारकों को प्रति लाभ

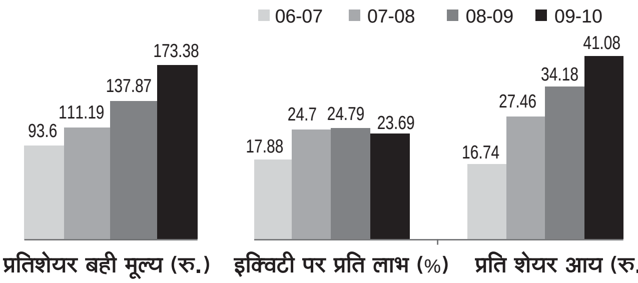

कार्यक्षमता एवं लाभप्रदता अनुपात

1. आस्तियों के प्रभावी उपयोग की झलक, औसत आस्तियों पर उद्योग के औसत से अधिक तथा स्थायी प्रतिलाभ और लागत आय अनुपातों में कमी से मिलती है. 31 मार्च, 2010 को औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ 1.25% की अच्छी दर पर बनाये रखा गया. लागत आय अनुपात 115 आधार बिंदु कम होकर 40.66% हो गया, जो पिछले वर्ष 41.81% था, फिर भी बैंक ने भावी प्राप्तियों हेतु डिलीवरी चैनलों एवं मानव संसाधन में निवेश सहित क्षमता निर्माण में निवेश करना जारी रखा. औसत कार्यशील फंड के सापेक्ष्य परिचालन व्यय भी पिछले साल के 1.63% से कम होकर 1.52% हुआ.

चार्ट 4 कार्यक्षमता एवं लाभप्रदता अनुपात

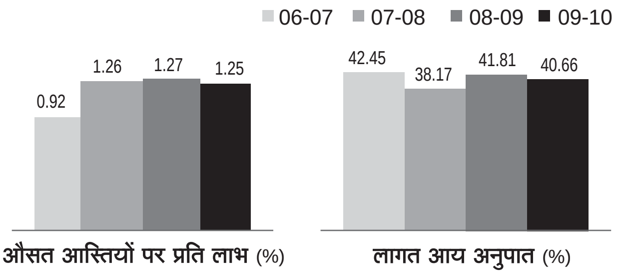

2. निम्नांकित औसत प्रति कर्मचारी एवं शाखा उत्पादकता को प्रतिबिंबित करते हैं, प्रत्येक औसत तीन साल की अवधि में हुए महत्वपूर्ण सुधार को दर्शाता है.

तालिका 4 : उत्पादकता अनुपात (रु.लाख में)

	वि.व. 07	वि.व. 08	वि.व. 09	वि.व. 10	% सीएजीआर
औसत कारोबार प्रति कर्मचारी	509	620	694	853	18.8
सकल लाभ प्रति कर्मचारी	7.7	10.3	11.2	13.18	19.6
औसत कारोबार प्रति शाखा	5994	6752	7461	8449	12.1
सकल लाभ प्रति शाखा	91	109	120	130	12.6

टिप्पणी : औसत कारोबार में औसत बैंक जमाराशियां शामिल नहीं हैं.

विस्तार

1. आपके बैंक ने वर्ष के दौरान 247 नयी शाखाएं तथा 536 एटीएम खोले हैं, जिससे 31 मार्च , 2010 को कुल शाखाएं 2805 तथा एटीएम 2327 हो गये हैं. विस्तार पटलों एवं सेवा शाखाओं सहित कुल संख्या 2910 है.

2. अपनी वैश्विक विस्तार पहलों के भाग स्वरुप, बैंक ने 2009-10 में प्रतिनिधि कार्यालय सिडनी (आस्ट्रेलिया) तथा बीजिंग (चीन) में खोले हैं. लंदन में 01 अप्रैल, 2010 को प्रतिनिधि कार्यालय खोला गया है. शंघाई (चीन) तथा अबूधाबी (यूएई) में बैंक के प्रतिनिधि कार्यालय पहले से ही हैं. बैंक को शंघाई (चीन) एवं एंटवर्प (बेल्जियम) में शाखाएं तथा तथा जोहांसबर्ग (दक्षिण अफ्रिका) एवं टोरंटो (कनाडा) में प्रतिनिधि कार्यालय खोलने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुमति प्राप्त हो गयी है.

निदेशक

वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए :

1. शेयरधारक निदेशकों के रिक्त तीन स्थानों को भरने के लिए 22 जून, 2009 को शेयरधारकों की असाधारण सभा में प्रो.एम.एस.श्रीराम तीन वर्ष की अवधि के लिए पुनः चुने गये. श्री आर.आर.नायर एवं प्रो.एन. एल.नंदा के स्थान पर श्री अरुण कुमार नंदा एवं श्री एस.रवि तीन वर्ष की अवधि के लिए चुने गये.

2. भारत सरकार द्वारा श्री एस.सी.कालिया को श्री टी.वाय.प्रभू के स्थान पर कार्यपालक निदेशक नियुक्त किया गया है तथा 21 नवंबर, 2009 को उन्होंने बैंक में कार्यभार ग्रहण किया है.

3. चार्टर्ड एकाउंटेंट संवर्ग में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक श्री के.एस. श्रीनिवासन ने 10 अक्तूबर, 2009 को अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है. सरकार ने बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 2970/1980 के खंड 9 के उपखंड 3 (जी) के तहत श्री बी. एस.शर्मा को उनके स्थान पर 16 अप्रैल, 2010 से चार्टर्ड एकाउंटेंट निदेशक नामित किया है.

4. आलोच्य वर्ष के दौरान निम्नलिखित निदेशकों का कार्यकाल पूरा हो गया है तथा रिक्त हुए स्थानों पर सरकार द्वारा नियुक्तियों का इंतजार है.

   1) श्री देबाशिष घोष, अधिकारी कर्मचारी निदेशक ने 25 सितंबर, 2009 को अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है.

   2) श्रीमती रानी सतीश, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक ने 01 जनवरी, 2010 को अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है.

   निदेशक मंडल, सभी नये निदेशकों का स्वागत करने के साथ ही, श्री आर.आर.नायर, प्रो.एन.एल.सारडा, श्री टी.वाय.प्रभू, श्री के.एस. श्रीनिवासन, श्री देवाशिष घोष एवं श्रीमती रानी सतीश द्वारा प्रदान की गयी मूल्यवान सेवाओं को भी रिकार्ड में लेता है.

निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण

निदेशक गण पुष्टि करते हैं कि 31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वार्षिक लेखे तैयार करते समयः

1. लागू होने वाले लेखा मानकों का पालन किया गया है और निर्धारित लेखा मानकों से कोई सारवान विचलन नहीं हुआ है.

2. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बनायी गयी लेखा नीतियों को निरंतर लागू किया गया है.

3. उचित एवं विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान किये गये हैं ताकि वित्त वर्ष की समाप्ति को बैंक के कार्यकलापों तथा 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ की सच्ची और सही तस्वीर प्रस्तुत की जा सके.

4. भारत में बैंकों के लिए लागू नियंत्रक कानूनों के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड रखने के लिए पर्याप्त एवं उचित सावधानी बरती गयी.

5. लेखे लाभ अर्जित करनेवाले संस्थान के लेखों के सिद्धांत के आधार पर तैयार किए गए हैं.

कारपोरेट गवर्नेंस

बैंक का निदेशक मंडल श्रेष्ठ कारपोरेट गर्वनेंस पद्धतियों को पूरी तरह लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है. कारपोरेट गवर्नेंस पर एक विस्तृत रिपोर्ट इस वार्षिक रिपोर्ट के अलग खंड में दी गयी है. इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया द्वारा कारपोरेट गवर्नेंस में श्रेष्ठता के राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु चयनित टॉप 25 कारपोरेट में बैंक शामिल था. वर्ष 2009-10 की कारपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट पर लेखा परीक्षा की कोई अभ्युक्ति शेष नहीं है.

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

1. आपका बैंक समाज को अंशदान देकर कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निभाता है. इस दिशा में, बैंक ने अपने लाभ का 1% सामाजिक कार्यों के लिए रखा है, जिससे उस समाज एवं परिवेश में दृश्यमान परिवर्तन संभव हो सके, जहां बैंक कारोबाररत है.

2. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्वहन में बैंक सामाजिक-आर्थिक वंचितों के जीवन में गुणवत्ता लाने के उद्देश्य से नये गांवों का अभिनिर्धारण करके, उन गावों में बैंकिंग सेवाएं देकर सक्रिय प्रयास कर रहा है. आपके बैंक ने पूरे देश में 26 जिलों के अंदर 2727 स्थानों पर

24.2 लाख ग्रामीण /शहरी लाभार्थियों को बायोमेट्रिक स्मार्टकार्ड तकनीक प्रदान करके अपने शाखा रहित बैंकिंग परिचालनों का विस्तार किया है, जिसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत रोजगार चाहने वाले, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत पेंशनर्स, एनडीडीबी के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक तथा हाकर्स शामिल हैं. आपका बैंक समस्त मूलभूत बैंकिंग सेवाएं-बचत बैंक खाता, माइक्रो ऋण, माइक्रो बीमा एवं धन प्रेषण उपलब्ध करा रहा है.

3. 103 गांवों में लागू की गयी बैंक की यूनियन आदर्श ग्राम (यूएजी) योजना ने, एकीकृत दृश्यमान विकास लाकर और श्रेष्ठ जीवनयापन करने हेतु ग्रामीण जनता को सशक्त बनाकर उन्हें आदर्श गांवों में परिवर्तित करके, परिणाम दर्शाये हैं.

4. ग्रामीण जनता में उद्यम क्षमताएं पैदा करने के लिए वित्तीय साक्षरता मूलभूत आवश्यकता है. हमने सूचना प्रौद्योगिक का उपयोग करते हुए ज्ञानप्रदान करने हेतु 201 ग्रामीण ज्ञान केंद्र (वीकेसी) 13 ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आर-सेटी), 90 यूनियन मित्र केंद्र और एक वित्तीय साक्षरता एवं ऋण परामर्श केंद्र (एफएलसीसी) खोले हैं. इनमें मोटे तौर पर प्रत्येक को वित्तीय शिक्षा, ऋण परामर्श एवं ऋण प्रबंधन के अलावा आय प्रदायक गतिविधियों का व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है.

5. बैंक ने अपनी सामाजिक उत्तरदायित्व के कार्यों को चलाने के लिए यूनियन बैंक सोशल फाउंडेशन ट्रस्ट की स्थापना की है. इस फाउंडेशन के माध्यम से बैंक ने प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में प्रोफेसर-पीठ स्थापित कर मानवता की भलाई के लिए शोध करने के साधन उपलब्ध कराये हैं.

6. बैंक ने कोचीन चाइल्ड फाउंडेशन को - गरीब बच्चों की सहायता के लिए रु.6 लाख, रामकृष्ण मिशन, नागपुर को - विवेकानंद विद्यार्थी भवन बनाने के लिए रु.11 लाख, भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, जयपुर को - शारीरिक रूप से विकलांग 3000 लोगों को कृत्रिम अंग प्रदान करने के लिए रु. 20 लाख का अनुदान दिया है.

7. बैंक ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, प्रत्येक राज्य को रु.50 लाख, इन दोनों राज्यों के बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए प्रदान किए.

8. बैंक ने अपने अग्रणी जिलों में 50 स्कूलों का अंगीकरण, उनके बच्चों की शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अनुमोदित किया है तथा इस उद्देश्य से कुल रु.1.5 करोड़ की रकम आवंटित की है.

9. यूनियन बैंक सोशल फाउंडेशन ट्रस्ट ने अपने यूनियन आदर्श ग्रामों को, ग्रामीण जनों की जीवन शैली में सुधार लाने हेतु विभिन्न संरचनात्मक विकास गतिविधियों के लिए, रु.67.77 लाख वितरित किए हैं.

आभार

निदेशक मंडल भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण तथा केंद्रीय सतर्कता आयोग से प्राप्त उनके बहुमूल्य मार्गदर्शन और समर्थन के लिये आभार व्यक्त करता है. निदेशक मंडल वित्तीय संस्थाओं, संपर्की बैंकों के प्रति भी उनके सहयोग और समर्थन के लिये आभारी है. बोर्ड अपने ग्राहकों, शेयरधारकों एवं अन्य स्टेकधारकों के निरंतर सहयोग के लिये आभार व्यक्त करता है. निदेशक मंडल बैंक के समग्र कार्यनिष्पादन के लिये स्टाफ-सदस्यों की समर्पित सेवा और उनके योगदान की सराहना करता है.

निदेशक मंडल के लिये तथा उनकी ओर से,

स्थान : मुंबई
दिनांक : 31 मई, 2010

(एम. वी. नायर)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

प्रबंधकीय परिचर्चा एवं विश्लेषण

परिदृश्य : व्यापक आर्थिक परिदृश्य, वित्तीय बाजार एवं बैंकिंग उद्योग

व्यापक आर्थिक परिदृश्य

ए. वैश्विक व्यापक आर्थिक परिदृश्य

1. कैलेंडर वर्ष 2009 के प्रारम्भ में, वैश्विक अर्थव्यवस्था भारी वित्तीय संकट एवं विश्वास की अत्यंत कमी के कारण संकुचन के दौर से गुजर रही थी. इस दौरान, वैश्विक उत्पादन की मात्रा काफी प्रभावित हुई, जिससे वर्ष 2009 में वैश्विक उत्पादन में 0.5 प्रतिशत की कमी परिलक्षित हुई. वैश्विक उत्पादन में वृद्धि समग्र मांग में बढ़ोत्तरी के साथ-साथ वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए अपेक्षित नीतिगत उपायों पर आश्रित रही.

2. उत्पादन में संकुचन की गति 2009 की द्वितीय तिमाही में कम हुई किन्तु इसमें सुधार तृतीय तिमाही में परिलक्षित हुआ तथा 2009 की चतुर्थ तिमाही में इसमें तेजी आई. मांग में वृद्धि एवं अनिश्चितता में कमी लाने वाली व्यापक लोक हस्तक्षेप नीतियों के परिणाम स्वरुप, वैश्विक स्थिति में अनुमान से बेहतर सुधार हुआ, जो विभिन्न गतिविधियों में अलग-अलग रहा अर्थात् अनेक उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में सामान्य; लेकिन उभरती एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में उल्लेखनीय प्रगति हुई. वर्ष 2010 में विश्व के आर्थिक उत्पादन में 4.25% वृद्धि होने का अनुमान है.

3. विकसित अर्थव्यवस्थाओं में बड़े सार्वजनिक ऋणों के कारण समग्र जोखिम में बढ़ोत्तरी हुई. कई बड़ी आर्थिक घटनाएं विशेषकर दुबई वैश्विक ऋण संकट तथा ग्रीक एवं अन्य पूर्व यूरोपीय देशों में तेजी से फैलते हुए राजकीय ऋण संकटों की श्रंखला वित्तीय स्थिरता के समक्ष गम्भीर चुनौती बनी. विकसित देशों में आनुपातिक रुप से कम विकास को देखते हुए उभरती अर्थव्यवस्थाओं के समक्ष यह चुनौती है कि पूंजी के बढ़ते प्रवाह को समाहित करें एवं घरेलू मांग में सुधार लायें.

बी. भारत का व्यापक आर्थिक परिदृश्य

1. सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) : भारत, विकास दर में अनुमान से बेहतर उपलब्धि दर्ज करने वाली तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है. केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ) के संशोधित अनुमानों के अनुसार 2004-05 के मूल्यों के आधार पर वित्त वर्ष 2009-10 में विकास दर 7.4% रिकार्ड की गई, जो इसके पूर्व वर्ष में 6.7% थी.

2. संशोधित अनुमानों के अनुसार कृषि एवं सहायक गतिविधियों में विकास की दर वर्ष 2009-10 में 0.2% हुई, जो गत वर्ष 1.6% थी. इस स्थिति का कारण कमजोर मानसून से कृषि उत्पादन प्रभावित होना है. औद्योगिक क्षेत्र में विकास की दर वर्ष 2009-10 में लगभग 9.3% रही है, जो विगत वर्ष में 3.9% थी. चालू राजस्व वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर में सुधार का मुख्य कारक औद्योगिक क्षेत्र का उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन रहा है. वर्ष 2009-10 में औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक 10.4% रहा, जो विगत वर्ष में 2.8% था. संशोधित अनुमानों के अनुसार वर्ष 2009-10 में सेवा क्षेत्र में 8.5% की विकास दर रिकार्ड की गई, जो विगत वर्ष में 9.8% थी.

सी मूल्य

1. जून 2008 में पेट्रोलियम उत्पादों के प्रशासित मूल्यों में भारी वृद्धि के कारण हुई तेज मुद्रा स्फीति के बाद जून से अगस्त 2009 की 3 माह की अवधि के दौरान मुद्रा स्फीति की दर अपेक्षाकृत कम रही, जिसके फलस्वरुप थोक मूल्य सूचकांक(डब्ल्यूपीआई)पर आधारित मुद्रा स्फीति भी धीमी गति से बढ़ी. वर्ष की दूसरी छमाही में मुद्रा स्फीति का दबाव बना रहा तथा वर्ष के अन्तिम 3 माहों में मुद्रा स्फीति की दर भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्च, 2010 के 8.5% के अनुमान से अधिक रही.

2. खाद्य पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि का विस्तार बाद में अन्य क्षेत्रों में भी होने के कारण थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रा स्फीति बढ़ने लगी. नवम्बर, 2009 से ही मुद्रा स्फीति के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करने के संकेत मिलने लगे थे. खाद्य उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि के कारण वर्ष 2009-10 के दौरान थोक मूल्य सूचकांक में अकेले खाद्य पदार्थों की हिस्सेदारी 47% हो गई.

3. कोयले के प्रशासित मूल्यों में वृद्धि तथा पेट्रोल एवं डीजल पर उत्पाद एवं सीमा शुल्क की वापसी का भी वर्ष की अन्तिम तिमाही में थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति की वृद्धि में आंशिक योगदान रहा.

4. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रा स्फीति वर्ष की अधिकांश अवधि में दो अंकों के उच्च स्तर पर बनी रही.

डी बाह्य क्षेत्र:

1. विकसित अर्थव्यवस्थाओं में धीमे सुधार के कारण वित्त वर्ष 2009-10 में बाह्य क्षेत्र का कार्य निष्पादन सामान्य रहा.

2. वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान देश का निर्यात 176.6 बिलियन अमरीकी डालर रहा, जो विगत राजस्व वर्ष के 185.3 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में वर्ष दर वर्ष आधार पर 4.7% कम रहा. इसी प्रकार वर्ष 2009-10 के दौरान आयात 278.7 बिलियन अमरीकी डालर रहा, जो विगत वर्ष के 303.7 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में वर्ष दर वर्ष आधार पर 8.2% कम रहा.

3. तदनुसार वर्ष 2009-10 में व्यापार घाटा कम होकर 102 बिलियन अमरीकी डालर रह गया, जो विगत वर्ष में 118 बिलियन अमरीकी डालर था.

वित्तीय बाजार

ए तरलता परिदृश्य

1. वृहत् आर्थिक एवं वित्तीय बाजार के वातावरण के अनुरुप भारतीय रिज़र्व बैंक की सुविचारित नीति में तरलता की स्थिति परिलक्षित होती है.

2. मुद्रा बाजार दरों तथा रिवर्स रेपो परिचालनों से स्पष्ट है कि वर्ष 2009-10 के दौरान तरलता की स्थिति सामान्यतः अनुकूल रही; तथापि अन्तिम तिमाही के दौरान मौद्रिक उपायों तथा कंपनियों द्वारा अग्रिम कर भुगतान के कारण तरलता में कमी आई.

3. प्रथम अर्द्धवर्ष के दौरान एमएसएस अधिशेषों के जारी होने तथा खुले बाजार परिचालनों (OMO) के कारण घरेलू बाजार में तरलता की

स्थिति में आंशिक वृद्धि हुई. वर्ष 2009-10 के दौरान बाजार स्थिरीकरण योजनाओं (एमएसएस) तथा नीलामी आधारित खुले बाजार परिचालनगत क्रयों के कारण रु.1,42,827 करोड़ रकम बाजार में जारी हुई.

4. निरंतर तरलता आधिक्य ने पूरे वर्ष के दौरान मुद्रा बाजार ब्याज दरों को एलएफए कोरिडोर (तरलता समायोजन सुविधा) के निचले स्तर पर बनाये रखा.

बी इक्विटी बाजार

1. वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान भारतीय इक्विटी बाजार का कार्य निष्पादन अनेक उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बाजारों से बेहतर रहा. वैश्विक सुधार के सशक्त संकेतों, ईएमई के प्रति जोखिम अवधारणा में कमी तथा विकसित अर्थव्यवस्थाओं में ब्याज की दर कम बनी रहने जैसे महत्वपूर्ण घटकों के कारण भारत में पूंजी के प्रवाह में पुनः वृद्धि हुई.

2. वर्ष की प्रथम छमाही में शेयर मूल्यों में निरन्तर वृद्धि का रुख रहा. दुबई वर्ल्ड संकट एवं ग्रीक राजकीय ऋण संकट जैसी घटनाओं के कारण अन्तिम दो तिमाहियों में शेयर मूल्यों में कुछ अवसरों पर गिरावट का रुख रहा. केन्द्रीय बजट प्रस्तावों के कारण शेयर मूल्यों में भी कुछ वृद्धि हुई.

3. वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान बीएससी सेंसेक्स एवं एनएसई निफ्टी में विगत वर्ष की तुलना में क्रमशः 81% एवं 74% की वृद्धि हुई.

4. विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने वर्ष 2009-10 के दौरान भारतीय इक्विटी बाजार में 23.7 बिलियन अमरीकी डालर की शुद्ध खरीददारी की; जबकि विगत वर्ष में 10.4 बिलियन अमरीकी डालर की शुद्ध बिक्री उनके द्वारा की गई थी. यद्यपि वर्ष 2009-10 के दौरान म्यूचुअल फंडों ने रु.10512 करोड़ की शुद्ध बिक्री की, जबकि विगत वर्ष इनके द्वारा रु.6985 करोड़ की शुद्ध खरीददारी की गई थी.

सी ऋण बाजारः

1. अनुकूल तरलता स्थिति, बड़े सरकारी ऋण कार्यक्रम, एमएसएस निर्गमन, मुद्रा बाजार में मांग दरें नीची एवं एलएएफ कोरिडोर के निचले स्तर पर बनी रहने तथा मध्यम एवं दीर्घावधि शासकीय बांड आयों पर निरंतन बढ़ता दबाव आदि वर्ष 2009-10 के दौरान ऋण बाजार की मुख्य विशेषतायें रहीं.

2. वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान केंद्रीय सरकार की सकल उधारी भारांकित औसत परिपक्वता अवधि 11.2 वर्ष एवं भारांकित औसत प्राप्ति 7.23% के साथ कुल रु.451000/- करोड़ रही.

3. 10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों पर औसत मासिक आय अप्रैल 2009 में 6.55% से मार्च, 2010 में 7.94% हो गई. ऋण की मांग में कमी, प्रणाली में पर्याप्त तरलता और मार्केट स्थिरीकरण स्कीम के अनवाइंड किए जाने से वर्ष 2009-10 में बड़ा सरकारी उधार कार्यक्रम आसानी से पूरा हो गया.

4. वर्ष 2009-10 के दौरान तरलता आधिक्य के चलते जमा प्रमाणपत्र (सीडी) का निर्गमन विगत वर्ष की तुलना में अधिक रहा तथा सीडी पर ब्याज की दर अन्तिम तिमाही में कुछ वृद्धि के साथ सामान्यतः स्थिर ही रही. कम्पनियों द्वारा सीपी पर बढ़ती निर्भरता के कारण वाणिज्यिक पत्र (सीपी) बाजार में भी तेजी आई.

(डी) विदेशी मुद्रा बाजार

1. अर्थव्यवस्था में सशक्त पूंजी अन्तर्प्रवाह एवं सकारात्मक दृष्टिकोण के कारण अमरीकी डॉलर की तुलना में भारतीय रूपए में मजबूती की प्रवृत्ति रही. यद्यपि समय-समय पर रुपए पर दबाव भी बना रहा. फारवर्ड प्रीमिया में भी वर्ष 2009-10 के दौरान स्पोरेडिक कठोरता के साथ गिरावट की प्रवृत्ति रही.

2. यूएस डॉलर की तुलना में भारतीय रुपए के मूल्य में वर्ष 2009-10 में 11.4% की वृद्धि हुई जबकि विगत वर्ष में 27.5% का ह्रास हुआ था..

बैंकिंग उद्योग परिदृश्य

1. भारतीय रिज़र्व बैंक की प्रथम वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में भारत में वाणिज्यिक बैंकों की स्थिति का उल्लेख किया गया है. रिपोर्ट के अनुसार भारतीय बैंकिंग व्यवस्था स्वस्थ, विधिवत् पूंजीकृत तथा सुसमृद्ध है. साख की गुणवत्ता सशक्त बनी हुई है तथा कुल जमाराशियों में चालू एवं बचत बैंक जमाराशियों का भाग अधिक है. आगे इसमें यह भी उल्लेख है कि यदि सभी पुनर्गठित खाते गैर निष्पादक (एनपीए) हो जाएं, तो भी बहुत अधिक दबाव नहीं पड़ेगा.

2. वित्त वर्ष 2009-10 की शुरुआत मुद्रा विस्तार की नीति जारी रखने के साथ हुई. अप्रैल 2009 में घोषित वर्ष 2009-10 की अपनी वार्षिक नीति में भारतीय रिज़र्व बैंक ने रेपो एवं रिवर्स रेपो दरों में 25 आधार अंकों की कमी कर दी; तथापि आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ रिज़र्व बैंक ने दूसरी तिमाही की समीक्षा में एसएलआर को 100 आधार अंक से बढ़ाकर 25% करने के साथ गैर परम्परागत सुधारात्मक उपाय बंद करने आरंभ कर दिए. तीसरी तिमाही की समीक्षा में सीआरआर में 75 आधार अंकों की वृद्धि के साथ प्रत्यक्ष उपायों को बंद कर दिया गया.

3. वित्त वर्ष 2009-10 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की सकल जमाराशियां रु. 44,86,574 करोड़ रहीं, जो वर्ष दर वर्ष आधार पर 17% की वृद्धि के साथ रु. 6,52,464 करोड़ अधिक रहीं. एससीबी के बैंक ऋण रु. 32,40,399 करोड़ रहे, जो वर्ष दर वर्ष आधार पर 16.7% की वृद्धि के साथ रु. 4,64,849 करोड़ अधिक रहे.

4. वित्त वर्ष 2009-10 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार को एससीबी द्वारा एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश रु.13,82,684 करोड़ रहा. इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में 17.5% वृद्धि के साथ रु. 2,16,273 करोड़ की बढ़ोत्तरी हुई.

5. वित्त वर्ष 2009-10 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार को एससीबी का ऋण जमा अनुपात 72.2% रहा. पर्याप्त तरलता एवं न्यून नीतिगत दरों के कारण बैंकों ने मार्च से दिसंबर 2009 के बीच जमा दरों में कमी रखी, लेकिन वर्ष 2009-10 की अंतिम तिमाही में 25-50 आधार अंकों की बढ़ोतरी की.

विजन एवं नवनिर्माण पहलः

1. आपके बैंक ने वर्ष 2006-07 के दौरान रूपांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ की. इस पहल को 'नवनिर्माण' का नाम दिया गया. नव निर्माण पहल के तहत इस रूपांतरण प्रक्रिया ने हमारे कारोबार करने के तरीके में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं. बिक्री एवं सेवा अवधारणा, ऋण के क्षेत्र में रिटेल आस्ति

सृजन के लिए यूनियन लोन पॉइंट के माध्यम से केन्द्रीकरण, त्वरित ऋण प्रोसेसिंग हेतु समर्पित सरल केन्द्र तथा अन्य क्षेत्रों में सेवाओं के केन्द्रीकरण जैसी अवधारणाओं ने शाखाओं के कारोबार के तरीके में नए बदलाव किए हैं. बिजनेस वर्टिकल्स ने प्रमुख कारोबार क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया है. इस रुपांतरण का प्रथम चरण वित्त वर्ष 2009-10 में पूरा हुआ.

2. नवनिर्माण के प्रथम चरण में सृजित क्षमताओं के आधार पर बैंक ने ग्राहक अनुभूति के संबंध में नया विज़न बनाया है, जो है- 'अपने पसंदीदा क्षेत्रो में हम बनें, लोगों की पसंद का पहला बैंक, ग्राहकों के साथ चिरकालीन रिश्तों के साथ कार्यप्रणाली में करते हुए अनवरत सुधार'. इसे ध्यान में रखते हुए बैंक ने अपनी पहल के अगले चरण हेतु प्रमुख क्षेत्र निर्धारित किये हैं, जो बैंक के साथ ग्राहक की अनुभूति में जबरदस्त परिवर्तन लायेंगे. बैंक की इन प्रमुख प्राथमिकताओं का उद्देश्य है- अपने बैंक को ग्राहक संकेन्द्रित संस्थान बनाना, जो ग्राहकों को उत्पादों की व्यापक श्रृंखला प्रस्तुत करे, शेयरधारकों की सम्पदा में सर्वाधिक वृद्धि करे, विश्वसनीय ब्रांड बने तथा वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में अग्रणी रहे.

3. वर्तमान वर्ष मे रुपांतरण श्रृंखला का नया चरण नवनिर्माण II प्रारंभ होगा. इस कड़ी में बैंक उन प्राथमिकताओं पर जोर देगा, जिनमें अन्य पहलों के साथ ग्राहक सेवा में उत्कृष्टता एवं मानव संसाधन रुपांतरण पर प्रमुख जोर दिया गया हो.

   ए. ग्राहक सेवा उत्कृष्टता - इसमें सभी डिलीवरी चैनलों / ग्राहक सम्पर्क केन्द्रों पर अनुभूति में बेहतरी एवं रिलेशनशिप बैंकिंग के सशक्तीकरण पर ध्यान दिया जायेगा.

   बी. मानव संसाधन रुपांतरण- मानव संसाधन एक प्रमुख घटक है. आपका बैंक मानव संसाधन नीति एवं व्यवहारों का पुनरावलोकन करेगा, संगठनात्मक एवं भूमिका विशिष्ट योग्यताओं में उत्तरोत्तर नियोजन एवं मानव संसाधन प्रशिक्षण आडिट के लिये फ्रेमवर्क तैयार करेगा.

   सी. त्वरित शाखा विस्तार - बैंक ने अगले 5 वर्षों तक प्रतिवर्ष 500 शाखाएं खोलने का निर्णय लिया है. माडल में सुधार हेतु सुझाव देने के लिए सेवा प्रदाता संगठन के साथ समझौता भी किया है.

   डी. वित्तीय समावेशन - यह केन्द्र सरकार के प्रमुख लक्ष्य बिन्दु अधिकतम कल्याण को समर्पित है. समग्र विकास एक सुअवसर है और यदि सही ढंग से निवेश किया जाय तो दीर्घावधि में इसके लाभ बहुत अधिक होंगे. आपका बैंक उन प्रमुख बैंकों में एक है, जो वित्तीय समावेशन के लिए सक्रियता से कार्यान्वित कर रहे हैं. बैंक अब तक 9000 गांवों में 100% बैंकिंग आदत विकसित कर चुका है तथा चालू वर्ष में 2500 अतिरिक्त गांवों को इसमें जोड़ने की योजना है.

   ई. जोखिम प्रबंधन - बैंक का उद्देश्य है सशक्त जोखिम प्रबंधन संरचना के साथ अनवरत विकास करना. अतः आवश्यक है कि सर्वोत्तम जोखिम प्रबंधन प्रणालियों को अपनाकर जोखिम प्रबंधन को निरन्तर मजबूत किया जाए.

   एफ. सम्पदा प्रबंधन - सर्वोत्तम संपदा प्रबंधन उत्पादों एवं सेवाओं को सुलभ कराने हेतु आपका बैंक एक प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रीय संगठन से टाई-अप व्यवस्था कर रहा है.

कारोबार की अद्यतन स्थिति

संसाधनः

1. संसाधनों के संग्रहण की दृष्टि से आपके बैंक ने अपना ग्राहक आधार बढ़ाते हुए कासा एवं रिटेल मियादी जमाओं पर जोर दिया है. समीक्षा वर्ष के दौरान बैंक ने कुल जमाराशियों के अंतर्गत 22.59% की वृद्धि दर्ज की. 31 मार्च 2010 को बैंक की कुल जमाराशियां रु.1,70,040 करोड़ रही, जो 31 मार्च 2009 को रु.1,38,703 करोड़ थी. इस प्रकार रु. 31,337 करोड़ की वृद्धि हुई.

2. **टर्मिनल जमाराशियां :**

   बैंक की चालू एवं बचत जमाराशियां (कासा) 31 मार्च 2010 को रु. 53,957 करोड़ रही, जो 31 मार्च 2009 के रु. 41711 करोड़ से 29.36% अधिक है. कुल जमाराशियों में कासा का भाग 31.73% रहा, जो 166 आधार अंक (बीपीएस) अधिक है. बैंक की चालू जमाराशियां 23..26% की दर से बढ़कर रु.16,229 करोड़ हो गयी हैं. बचत बैंक जमाराशियों की वृद्धि विशेष उल्लेखनीय है, जो 32.17% की दर से बढ़कर रु. 37,728 करोड़ हो गयी हैं. इस प्रकार रु. 9,183 करोड़ की वृद्धि हुई है. बैंक की कोर/रिटेल जमाराशियां विगत वर्ष के रु. 1,24,103 करोड़ से बढ़कर रु. 1,59,817 करोड़ हो गयी, जो 28.78% अधिक है.

तालिका 5ः टर्मिनल जमा संवर्ग (करोड़ रु. में)

	वि.व. 09	वि.व. 10	% वर्ष दर वर्ष	शेयर-वि.व.09	शेयर-वि.व.10	% वृद्धि
बचत जमाराशियां	28545	37728	32.17	20.58%	22.19%	161bps
चालू जमाराशियां	13166	16229	23.26	9.49%	9.54%	5bps
कासा जमाराशि	41711	53957	29.36	30.07%	31.73%	166bps
मियादी जमाराशियां	96992	116083	19.68	69.93%	68.27%	-166bps

नोट : % वृद्धि कुल जमा राशियों में हिस्से को प्रदर्शित करती है.

3. **औसत जमाराशियां**

   बैंक की औसत जमाराशियां पिछले वर्ष के रु.1,13,736 करोड़ से बढ़कर रु.1,43,637 करोड़ हो गयी. इस प्रकार औसत जमाराशियों की वृद्धि दर 26.29% रही. कासा एवं रिटेल जमाराशियों पर विशेष जोर देने के बैंक के प्रयास का परिणाम यह रहा कि जमाराशियों की लागत पिछले वर्ष के 6.50% से 56 आधार अंक घटकर 5.94% रह गयी.

4. बैंक के पास ग्राहक संपर्क प्रबंधकों, संसाधन विपणन अधिकारियों एवं संपर्क अधिकारियों की एक टीम है, जो ग्राहक संबंधों के सृजन एवं उसे बढ़ाने पर ध्यान केन्द्रित करती है. इसके परिणामस्वरूप बैंक 33 लाख नए बचत खाते एवं 86,000 नए चालू खाते खोलने एवं इन नए कासा खातों के माध्यम से वर्ष के दौरान रु. 8,500 करोड़ से अधिक की जमाराशि जुटाने में सफल रहा. सुरक्षा, संरक्षा एवं तरलता की परम्परागत अवधारणा के कारण बैंक की जमाराशियों में घरेलू क्षेत्र का प्रमुख योगदान रहा है. बैंक ने स्वयं को बाजार की संभावनाओं के प्रति सदैव जागरुक रखा तथा रिटेल जमाराशियों पर जोर देते हुए अधिकाधिक मियादी घरेलू जमाराशियों का संग्रहण किया. मियादी जमाराशियों में रिटेल जमाराशियों का भाग 50% से बढ़कर 54% हो

गया है. इस प्रकार 4% की वृद्धि हुई है. बैंक ने वर्ष के दौरान '555 दिवस' नामक विशेष मियादी जमा योजना प्रारंभ की. इस प्रकार कासा एवं रिटेल जमाराशियों पर निरंतर एवं विशेष ध्यान देकर लागत प्रभावी ढंग से उत्कृष्ट विकास दर प्राप्त करने में सफलता हासिल की है.

ऋण प्रबंधन

1. वित्त वर्ष 2009-10 की प्रथम छमाही में ऋण की प्रगति दर धीमी रही तथा दूसरी छमाही में इसमें तेजी आयी. बैंक का अग्रिम संविभाग विगत वर्ष के रु.98,265 करोड़ से 23.4% की दर से बढ़कर रु.1,21,249 करोड़ हो गया. खाद्य ऋण रु. 2,047 करोड़ रहा तथा गैर खाद्य ऋण 31 मार्च 2009 की तुलना में 23.8% की दर से बढ़कर रु.1,19,202 करोड़ हो गया.

2. सरकार की अपेक्षाओं का अनुपालन करते हुए आपके बैंक ने अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों एवं अन्य जरूरतमंद क्षेत्रों में ऋण वितरण पर जोर दिया है. इसके लिए बैंक ने विवेकपूर्ण ऋण मूल्यांकन एवं वितरण नीति लागू की है. ऋण संविभाग का विधिवत विविधीकरण कर इसे एक लघु, मध्यम एवं बृहद् उपक्रमों, कृषि एवं रिटेल क्षेत्रों में बांटा गया है. मार्च 2009 एवं 2010 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए बैंक का ऋण संविभाग निम्न तालिका में दिया गया है.

तालिका 6ः अग्रिम संविभाग (रुपये करोड़ में)

	वि.व. 09	वि.व.10	% वृद्धि वर्ष दर वर्ष
लार्ज कार्पोरेट अग्रिम	35,336	40,618	14.95
एमएसएमई अग्रिम	16149	22685	40.47
कृषि अग्रिम	13519	18464	36.58
रिटेल अग्रिम	10092	13506	33.83

नोटः भारतीय रिज़र्व बैंक के नये दिशानिर्देशों के अनुसार वित्त वर्ष 10 के एमएसएमई ऋणों में रिटेल व्यापार ऋण शामिल हैं.

रिटेल बैंकिंग

1. आपके बैंक के रिटेल ऋण संविभाग ने वर्ष 2009-10 के दौरान 33.83% की वृद्धि दर्ज की. बैंक का रिटेल ऋण संविभाग 31 मार्च, 2009 के रु. 10,092 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2010 को रु.13,506 करोड़ हो गया. 31मार्च 2010 को बैंक के कुल अग्रिमों में रिटेल अग्रिमों का भाग 11.62% रहा.

तालिका 7ः रिटेल बैंकिंग अग्रिम संविभाग (रुपये करोड़ में)

	वि.व.09	वि.व.10	% वर्ष दर वर्ष	% हिस्सा
रिटेल अग्रिम	10092	13506	33.8%	-
आवास ऋण	6621	8115	22.6%	60.1
वाहन ऋण	1011	1189	17.6%	8.8
शिक्षा ऋण	982	1301	32.5%	9.6
अन्य रिटेल ऋण	1478	2901	96.3%	21.5

नोट : % हिस्सा वित्त वर्ष 2010 में बैंक के कुल रिटेल ऋण संविभाग में स्थिति को दर्शाता है.

2. 40 यूनियन लोन पॉइंट (यूएलपी) - निर्धारित समय सीमा(टीएटी) के अंदर रिटेल ऋण सुविधाएं प्रदान करने हेतु बैंक का यह उत्कृष्टतम केन्द्र सराहनीय कार्य कर रहा है. वर्ष 2009-10 के दौरान यूएलपी द्वारा 71.29% की उत्कृष्ट वृद्धि दर्ज की गयी. आने वाले वर्षों में और अधिक यूएलपी की स्थापना कर बैंक इस सफलता की कहानी को आगे भी जारी रखने हेतु प्रयासरत है.

3. रिटेल ऋण संवर्ग के अंतर्गत उल्लेखनीय प्रगति दर्ज करने हेतु अनेक उत्पाद संवर्धन प्रयास एवं विपणन रणनीतियां अपनायी गयी हैं. इसमें ग्राहक अनुकूल मात्रात्मक पात्रता मानदंड की शुरुआत एवं संवर्धित चुकौती अवधि मानदंड के माध्यम से आवास ऋण उत्पाद (यूनियन होम) में किया गया संशोधन शामिल है. वर्तमान में हमारे बैंक के आवास ऋण प्रस्ताव बाजार में सर्वश्रेष्ठ है.

4. आईआईटी, आईआईएम, आईएसबी आदि जैसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों के छात्रों के लिए विशेष शिक्षा ऋण योजना प्रारंभ की गयी तथा इसे व्यापक प्रसारित किया गया. पिछले 3 वर्षों में शिक्षा ऋण के क्षेत्र में 41% चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर की उल्लेखनीय स्थिति रही.

5. यूनियन माइल्स (वाहन ऋण) के अंतर्गत बैंक के वर्तमान आवास ऋणियों के लिए विशेष कार ऋण योजना तैयार की गयी है. बैंक ने प्रतिष्ठित कार निर्माताओं यथा मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, टाटा मोटर्स इंडिया लिमिटेड, हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता किया है.

6. वर्ष के दौरान बैंक द्वारा प्रतिष्ठित संगठनों के कर्मचारियों के लिए विशेष वैयक्तिक ऋण (यूनियन कम्फर्ट), शहरी विकास प्राधिकरणों द्वारा प्लॉटों के आबंटन के लिए अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट हेतु विशेष योजना तथा आवधिक पे-आउट्स सहित एकमुश्त पे-आउट विकल्प की यूनियन रिवर्स मार्गेज योजना आदि अन्य शुरुआतें की गयीं.

लार्ज कॉरपोरेट

1. बैंक ने एक परम्परागत बैंकिंग संगठन से विक्रय उन्मुख वित्तीय सेवा संगठन के रूप में अपने को रुपान्तरित किया है. कॉरपोरेट बैंकिंग को विकास के मुख्य घटक के रूप में चिन्हित किया गया है और बैंक ने इसके लिए एक अलग वर्टिकल की स्थापना की है, जिसने जून 2008 से अपना कार्य आरंभ कर दिया है.

2. वर्तमान वित्त वर्ष 2009 में इस वर्टिकल ने एक अलग विशेषीकृत वर्टिकल के रूप में पहली बार पूरे वर्ष तक काम किया है. बैंक ने कार्पोरेट ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए 9 औद्योगिक वित्त शाखाएं एवं 2 ओवरसीज़ शाखाओं की स्थापना की है. बैंक ने एक अलग सिंडिकेशन एवं सलाहकारी सेवा कक्ष की स्थापना की है, जो ऋण सिंडिकेशन, एम एंड ए तथा ऋण पुनर्गठन का कार्य करता है. लार्ज कार्पोरेट वर्टिकल का कार्यनिष्पादन निम्नानुसार हैः

तालिका 8ः कार्पोरेट बैंकिंग आय स्रोत (रुपये करोड़ में)

	वि.व.09	वि.व.10	% वृद्धि वर्ष दर वर्ष
कुल अग्रिम	35,336	40,618	14.95
गैर ब्याज आय	151	226	49.66
सिंडिकेशन शुल्क	9.75	35.9%	268
आय	10.1%	9.1%	

3. वर्ष के दौरान बैंकिंग उद्योग में सामान्य रूप से एवं कॉरपोरेट क्षेत्र में विशेष रूप से ऋण की मांग कम रही, जिसका कारण अर्थव्यवस्था में सुधार की धीमी गति तथा तरलता की अधिक उपलब्धता रही. तथापि बैंक ने औसत टर्न अराउंड समय (ऋण प्रस्तावों हेतु) में कमी लाने पर जोर दिया और यह घटकर 19 दिन तक आ गया है. इस वर्टिकल से प्राप्त आय रू.151 करोड़ से बढ़कर रू.226 करोड़ हो गयी अर्थात् लगभग 50% की वृद्धि हुई.

4. बैंक ने वर्ष के दौरान दो नए औद्योगिक डेस्कों की स्थापना की, जिससे इनकी संख्या बढ़कर 11 हो गयी है. विशेषीकृत औद्योगिक रिसर्च डेस्क द्वारा औद्योगिक क्षेत्र एवं संभावित कॉरपोरेट ग्राहकों को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की जाती है. कॉरपोरेट ग्राहकों की सभी जरुरतों पर ध्यान देने के लिए शाखाओं में 27 ग्राहक संपर्क प्रबंधक नियुक्त किए गए हैं. गैर-निधि आधारित लिमिट में वृद्धि पर मुख्य जोर दिया गया है; ताकि बैंक की गैर-ब्याज आय में पर्याप्त वृद्धि हो सके. बैंक द्वारा सी आर एम अवधारणा (ग्राहक संपर्क प्रबंधन) पर और अधिक जोर दिया जाएगा; ताकि वास्तविक अर्थों में संबंधों का विकास हो सके .

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई)

1. आपके बैंक के एमएसएमई संविभाग ने पिछले वर्ष के रु. 16,149 करोड़ की तुलना में 40.47 % की वृद्धि के साथ रू. 22,685 करोड़ की उपलब्धि दर्ज की. एमएसएमई ऋण में भारी वृद्धि परिभाषागत परिवर्तन के कारण भी हुई है. भारतीय रिजर्व बैंक के नए दिशानिर्देशों के अनुसार अब रिटेल ऋण, एमएसएमई में शामिल हैं. कुल ऋणों में एमएसएमई ऋणों का योगदान 18.71% है, जो विगत वर्ष में 16.60% था.

2. एमएसएमई ऋणों में वृद्धि, सुनिश्चित टर्न अराउंड समय (टीएटी), अनुकूल मूल्यों पर ऋण की उपलब्धता, कस्टमाइज्ड उत्पादों तथा एमएसएमई ग्राहकों का आधार बढ़ाकर की गयी है.

3. बैंक ने एमएसएमई ऋणों के त्वरित मूल्यांकन एवं स्वीकृति हेतु 250 समर्पित कारोबार बैंकिंग शाखाओं(बीबीबी) तथा 16 एसएमई सरल (सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर्स) की स्थापना की है.

ग्रामीण एवं कृषि कारोबारः

ए. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र

बैंक अपनी ग्रामीण एवं अर्धशहरी शाखाओं के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से ग्रामीण विकास एवं ग्रामीण जनसंख्या के सशक्तीकरण हेतु राष्ट्रीय योजनाओं के कार्यान्वयन में संलग्न है. 31 मार्च 2010 को बैंक का प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम 23.81% की वृद्धि के साथ रु. 44,993 करोड़ रहा, जो समायोजित शुद्ध बैंक क्रेडिट (एएनबीसी) का 46.40% है. यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित 40% के लक्ष्य से अधिक है.

बी. कृषि

बैंक की ऋण नीति में कृषि को काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र माना गया है. बैंक का कुल कृषि अग्रिम रु.13,519 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2010 को रु.18464 करोड़ हो गया. इस प्रकार रु.4945 करोड़ (36.58%) की वृद्धि हुई. 31 मार्च 2010 को बैंक के समायोजित शुद्ध बैंक ऋणों में कृषि ऋणों का भाग 16.01% रहा. प्रत्यक्ष कृषि अग्रिम रु. 2207 करोड़ की बढ़ोतरी के साथ रु.11,162 करोड़ हो गए. विशेष कृषि ऋण योजना (एसएसीपी) के अंतर्गत रु. 6000 करोड़ के ऋण वितरण लक्ष्य के सापेक्ष कुल संवितरण रु. 6491 करोड़ रहा, जो 108.18%की उपलब्धि दर्शाता है. वर्ष के दौरान रु.700 करोड़ से अधिक की ऋण सुविधा के 1,15,071 अतिरिक्त किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए.

सी. सूक्ष्म एवं लघु उद्यम

31 मार्च 2010 को सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को कुल रु.15,790 करोड़ का ऋण वितरण किया गया, जो विगत वर्ष में रु.9,434 करोड़ था. इस प्रकार 67.37% की वृद्धि हुई. यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए परिभाषागत परिवर्तन का परिणाम है, जिसके अनुसार रिटेल व्यापार क्षेत्र को दिए गए ऋण को सूक्ष्म एवं लघु उद्यम का एक भाग माना गया है.

डी. तृतीयक क्षेत्र

31 मार्च 2010 को तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत कुल ऋण संवितरण रु. 10,739 करोड़ रहा, जो 31 मार्च 2009 को रु. 13,388 करोड़ था. इस कमी का कारण यह रहा कि रु.3,000 करोड़ के रिटेल ट्रेड ऋणों को तृतीयक क्षेत्र से हटाकर लघु उद्यम क्षेत्र में शामिल किया गया है.

ई. विशेष ऋण वितरण

1. महिलाओं में उद्यमिता का विकास करने एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए बैंक द्वारा महिला उद्यमियों को ऋण सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं. बैंक द्वारा महिला लाभार्थियों को संवितरित ऋण की राशि रु. 4,035 करोड़ से बढ़कर रु.5,066 करोड़ हो गयी, जो भारत सरकार/ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित एनबीसी के 5% बेंचमार्क से अधिक है.

2. कमजोर वर्ग को ऋण वितरण की राशि रु.6,428 करोड़ से बढ़कर रु.9,449 करोड़ हो गयी, जो 47% वृद्धि को दर्शाती है. 31 मार्च 2010 को अनुसूचित जाति/ जनजाति को दिए गए अग्रिमों की स्थिति रु.1,427 करोड़ (253096 लाभार्थी) रही, जो 31 मार्च 2009 में रु.1,220 करोड़ (268668 लाभार्थी) थी.

एफ. अल्पसंख्यक समुदाय को ऋण

अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण हेतु भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुक्रम में बैंक द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के 297431 लाभार्थियों को रु. 4624.64 करोड़ का ऋण दिया गया, जो पिछले वर्ष रु.3216.20 करोड़ था. 31 मार्च 2010 को कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों में इन अग्रिमों का भाग 10.35% था.

जी. स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)

1. स्वयं सहायता समूहों के गठन तथा इनकी ऋण संबद्धता (लिंकेज) के माध्यम से सूक्ष्म ऋण वितरण बैंकिंग व्यवस्था को गरीब जनता तक ले जाने का सुलभ माध्यम है. इससे नए कारोबार की संभावनाएं भी बढ़ती हैं. वर्ष के दौरान 15653 समूहों का गठन किया गया तथा 14837 समूहों को रु.175.63 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गयी.

2. स्वयं सहायता समूहों के गठन में हुई प्रगति को नीचे दर्शाया गया है :-

तालिका 9: स्वयं सहायता समूह परिदृश्य

31 मार्च को समाप्त वर्ष	2009	2010	वर्ष दर वर्ष वृद्धि	% वृद्धि
गठित समूह (संख्या)	122507	138160	15653	12.8
वित्त पोषित समूह (संख्या)	86525	101362	14837	17.1
वित्तपोषित राशि (रु.करोड़ में)	830.74	1006.37	175.63	21.1
जिसमें महिला एसएचजी (संख्या)	75719	87828	12109	16.0
राशि (रु.करोड़ में)	742.27	886.91	144.64	19.5

3. स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम को अधिक आकर्षक बनाने की दृष्टि से बैंक ने महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम की ओर से 'जनश्री बीमा योजना' आरंभ की है, जिसके अंतर्गत रु. 200/- के नाममात्र के प्रीमियम भुगतान, जिसका वहन भारत सरकार एवं स्वयं सहायता समूहों द्वारा समान रूप से किया जायेगा, से रु.50,000 मात्र का बीमा कवर प्रदान किया जाता है.

4. बैंक ने स्वयं सहायता समूहों के लिए बॉयो मैट्रिक कार्ड जारी किए हैं, जो उनके द्वार पर बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराता है.

एच. अग्रणी बैंक योजना

4 राज्यों के 14 जिलों अर्थात् उत्तरप्रदेश में आजमगढ़, जौनपुर, वाराणसी, गाजीपुर, मऊ, भदोही एवं चंदौली; मध्यप्रदेश में रीवा, सीधी एवं सिंगरौली; केरल में एर्नाकुलम एवं इडुक्की तथा बिहार में खगड़िया एवं समस्तीपुर में अग्रणी बैंक की भूमिका निभा रहा है. इन जिलों में बैंक की 413 शाखाएं कार्यरत हैं. 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष में इन जिलों में बैंक की जमाराशियां एवं अग्रिम क्रमशः रु.16,461 करोड़ एवं रु.4,937 करोड़ रहे, जो 31 मार्च 2009 को क्रमशः रु.14,128 करोड़ एवं रु.4,137 करोड़ था.

आई. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

1. बैंक ने 2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रायोजित किए हैं जिसमें एक है उत्तरप्रदेश में 'काशी गोमती संयुत ग्रामीण बैंक' (केजीएसजीबी), वाराणसी तथा दूसरा है मध्यप्रदेश में 'रीवा सीधी ग्रामीण बैंक' (आरएसजीबी). दोनों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक लाभ अर्जक स्थिति में हैं.

2. बैंक अपनी सभी शाखाओं में कोर बैंकिंग सॉल्यूशन कार्यान्वित करने में अग्रणी रहा है. प्रौद्योगिकी के प्रयोग द्वारा वित्तीय समावेशन के कार्यान्वयन तथा बेहतर ग्राहक सेवा उपलब्ध कराने की दृष्टि से बैंक ने दोनों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की सभी शाखाओं को शत प्रतिशत सीबीएस के तहत ला दिया है.

जे. अन्य प्रयास

1. आपका बैंक प्रथम बैंक है जिसने स्वयं द्वारा प्रायोजित दोनों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों अर्थात् काशी गोमती संयुत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक,वाराणसी (उत्तरप्रदेश) एवं रीवा सीधी ग्रामीण बैंक (मध्य प्रदेश) की सभी शाखाओं में कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) के कार्यान्वयन का इतिहास बनाया है. इससे प्रौद्योगिकी के प्रयोग द्वारा वित्तीय समावेशन के कार्यान्वयन तथा बेहतर ग्राहक सेवा उपलब्ध कराने में सुविधा होगी. इस प्रकार इन ग्रामीण बैंकों के सभी ग्राहक वाणिज्यिक बैंकों के ग्राहकों को उपलब्ध सभी सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे. यह बैंक के उस मिशन का एक अंग है, जिसके अंतर्गत महानगरीय एवं शहरी केन्द्रों के ग्राहकों के समान ही ग्रामीण क्षेत्र के ग्राहकों को टेक्नोसैवी बैंकिंग उत्पादों एवं सुविधाओं को उपलब्ध कराना बैंक का लक्ष्य है.

2. बैंकिंग सुविधा से वंचित ग्राहकों को व्यवस्थित कवरेज प्रदान करने के लिए बैंक द्वारा एक तीन वर्षीय रोड मैप/वित्तीय समावेशन योजना 2010-13 तैयार की गयी हैं. बैंक का सेवा से वंचित एवं अल्प सुविधा प्राप्त आबादी को शाखाओं में यूज़र फ्रैन्डली तकनीक मॉडल के जरिए तथा शाखा रहित स्थानों पर आउटसोर्सिंग एजेंसियों के जरिए समुचित रूप में सभी बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य है.

3. ऋण की व्यवहार्यता बढ़ाने हेतु वित्तीय एवं जीविकोपार्जक सलाह महत्वपूर्ण है. निःशुल्क वित्तीय साक्षरता/ शिक्षा एवं ऋण सलाह सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु बैंक द्वारा वाराणसी में एफएलसीसी की स्थापना की गयी है. शेष 9 अग्रणी जिलों में भी बैंक द्वारा चरणबद्ध ढंग से वित्तीय साक्षरता एवं ऋण सलाहकारी केन्द्र (एफएलसीसी) खोले जाएंगे.

वित्तीय समावेशन- बैंकिंग का एक अनिवार्य अंग

1. वित्तीय समावेशन बैंकिंग गतिविधियों का प्रमुख अंग रहेगा. वित्तीय सुविधाओं से वंचित गरीब तबके को उनके द्वार पर बॉयो मैट्रिक स्मार्ट कार्ड आधारित बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराने हेतु बैंक द्वारा प्रौद्योगिकी का प्रयोग बढ़ाया जाएगा. वर्ष के अंत तक बैंक द्वारा आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, तमिलनाडु, केरल एवं पश्चिम बंगाल में नो फ्रिल सेविंग खातों के माध्यम से 2.42 मिलियन ग्रामीण/ शहरी गरीबों को इस सुविधा के तहत लाया गया. उनमें बचत की आदत पैदा करने तथा आर्थिक गतिविधियों के विकास हेतु बैंक द्वारा सूक्ष्म ऋण एवं सूक्ष्म बीमा उत्पाद उपलब्ध कराए गए हैं. बैंक द्वारा मुंबई एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ चयनित कॉरिडोर में बॉयो मैट्रिक कार्ड आधारित विप्रेषण सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है.

2. वित्तीय समावेशन के विस्तार हेतु बैंक द्वारा निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं :-

   i. बैंक ने आंध्र प्रदेश, मध्यप्रदेश एवं केरल राज्यों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत मजदूरी के भुगतान एवं सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन के भुगतान का दायित्व स्वीकार किया है. वर्ष के अंत तक बैंक द्वारा पूरे देश में 20,33,597 लाभार्थियों को पंजीकृत किया गया है.

   ii. वर्ष के दौरान 15,86,942 नो फ्रिल खाते (शाखा रहित बैंकिंग सहित) खोले गए. (गत वर्ष 2827475 खाते खुले.) इस प्रकार खुले नो फ्रिल खातों की कुल संख्या मार्च 2010 को 44,14,417 हो गयी.

   iii. ग्रामीण गतिविधियों के विकास एवं किसानों को खेती से बेहतर उपज एवं अधिक आय की प्राप्ति हेतु खेती के ढंग/ प्रौद्योगिकी के प्रयोग, उर्वरकों, कीटनाशकों के समुचित प्रयोग आदि में हुई नयी प्रगति की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु पूरे देश में कोर केन्द्रों के रूप में 201 ग्राम ज्ञान केन्द्रों (वीकेसी) की स्थापना की गयी है.

iv. वित्तीय जागरुकता पैदा करने की बैंक की सामाजिक जिम्मेदारी के निर्वहन के तहत 90 यूनियन मित्र केन्द्रों की स्थापना की गई है. यूनियन मित्र केन्द्रों द्वारा समाज के सभी वर्गों विशेषकर ग्रामीण जनसंख्या को वित्तीय शिक्षा सेवा एवं ऋण सलाहकारी सेवाएं प्रदान की जाती हैं.

v. गावों में प्रत्येक घर को बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराने की दृष्टि से बैंक ने अधिक से अधिक गांवों को 100% बैंकिंग आदत वाले गांवों के रूप में अपने कमांड क्षेत्र में लाने का प्रयास किया है. वर्ष के दौरान 8,955 गावों को 100% बैंकिंग आदत वाले गांवों के रूप में विकसित किया गया. मार्च 2010 को चार अग्रणी जिलों यथा एर्णाकुलम, इडुक्की, आजमगढ़ एवं जौनपुर में बैंक ने 100% वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया.

vi. बैंक ने अपने 13 अग्रणी जिलों यथा एर्णाकुलम, इडुक्की, वाराणसी, मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर, भदोही, चंदौली, समस्तीपुर, खगड़िया, रीवा एवं सीधी जिलों में 13 आर-सेटी की स्थापना की है. इन संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण एवं अर्द्धशहरी इलाकों में युवाओं को स्व-रोजगार हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना, विभिन्न व्यावसायिक एवं मानव संसाधन विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना एवं सलाहकारी सेवाएं प्रदान करना है.

ऋण अनुश्रवणः

ऋण अनुश्रवण हेतु बैंक के पास एक समर्पित विभाग है. अनुश्रवण व्यवस्था के अंतर्गत ईएएस/ एसएमए खातों (शीघ्र चेतावनी व्यवस्था/ विशेष चिह्नित खातों) की ट्रैकिंग तथा तुरंत सुधारात्मक कदम उठाना शामिल है. वर्तमान में इस विभाग द्वारा पुनर्गठित खातों का गहन अनुश्रवण किया जा रहा है, जिसका विवरण निम्नानुसार हैः

तालिका 10ः पुनर्गठित खाता संविभाग

अग्रिम की प्रकृति (रु. करोड़ में)	मार्च 2009 तक		वि.व.10 के दौरान		कुल	
	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि
एमएसएमई	28272	647.42	1736	186.54	30008	833.96
जिसमें सूक्ष्म उद्यम	20620	249.18	590	18.22	21210	267.4
जिसमें लघु उद्यम	7571	242.91	1132	128.1	8703	371.01
जिसमें मध्यम उपक्रम	81	155.33	14	40.22	95	195.55
लार्ज कार्पोरेट	39	680.25	35	1172.19	74	1852.44
कृषि	15987	113.71	10	17.64	15997	131.35
रिटेल ऋण	38162	721.25	836	47.73	38998	768.98
अन्य	30808	796.71	3357	571.8	34165	1368.51
कुल	**113268**	**2959.34**	**5974**	**1995.9**	**119242**	**4955.24**

आस्ति गुणवत्ता प्रबंधन :

1. विश्व व्यापी मंदी का प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा तथा इसके विकास की गति धीमी हुई. परिणामस्वरूप विगत वर्ष में कई खातों का पुनर्गठन करना पड़ा. यद्यपि कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार का रुझान शुरू हो गया है; लेकिन तीव्र विकास में अभी कुछ और समय लगेगा. बाजार में मंदी की स्थिति के कारण अनेक पुनर्गठित खातों में पुनर्गठन संबंधी मानदंडों का अनुपालन नहीं हो सका तथा ये खाते गैर-निष्पादक (एनपीए) हो गये. उपर्युक्त परिदृश्य का प्रभाव बैंक की आस्तियों की गुणवत्ता पर पड़ा है तथा बैंक का सकल एनपीए 31 मार्च 2010 को बढ़कर रु. 2671 करोड़ हो गया, जो 31 मार्च 2009 को रु.1923 करोड़ था. प्रतिशत की दृष्टि से सकल एनपीए 31 मार्च 2009 के 1.96% से बढ़कर 31 मार्च 2010 को 2.20% हो गया. शुद्ध एनपीए भी 31 मार्च 2010 को बढ़कर रु.965 करोड़ हो गया, जो 31 मार्च 2009 को रु.326 करोड़ था. प्रतिशत की दृष्टि से यह पिछले वर्ष के 0.34% से बढ़कर 0.81% हो गया है.

तालिका 11ः गैर निष्पादक खातों का संचलन (रुपये करोड़ में)

	वि व 09	वि व 10
प्रारम्भिक सकल एनपीए	1657	1923
नये स्लीपेज	1177	1785
घटायाः		
अपग्रेडेशन	138	123
वसूली	406	401
अपलिखित	366	513
सकल एनपीए (अन्तिम)	1923	2671
शुद्ध एनपीए		
प्रारम्भिक	126	326
अंतिम	326	965

2. वर्ष के दौरान नकद वसूली एवं अपग्रेडेशन रु.524 करोड़ रहा जो पिछले वर्ष रु.545 करोड़ था. प्रारंभिक एनपीए स्तर के सापेक्ष वसूली/ अपग्रेडेशन का अनुपात 27.24% रहा, जिसमें विगत वर्ष की ही भांति कृषि ऋण राहत एवं ऋण छूट योजना (ADRDWS) की राशि शामिल नहीं है. अपलिखित खातों में रु.183 करोड़ की वसूली किसी एक वर्ष में अब तक की गई सर्वाधिक वसूली है.

3. बैंक ने सरफेसिया (SARFAESIA) के अंतर्गत 3690 चूककर्ता खातेदारों के बीच रु.800 करोड़ की बकाया राशि के लिए नोटिस जारी की है. एकमुश्त समझौते (OTS) के अंतर्गत रु.127 करोड़ के 726 मामलों को अनुमोदित किया गया. इसके अतिरिक्त, बैंक 1007 मामलों में रु.263 करोड़ की आस्तियों को कब्जे में लेकर इनसे रु.87 करोड़ वसूल करने में सफल रहा है. ओटीएस योजना के अंतर्गत बैंक ने 58800 से अधिक मामलों में रु.348 करोड़ का समझौता किया, जिसमें से रु.185 करोड़ की वसूली हो चुकी है.

4. उच्च मूल्य के एनपीए खातों में वसूली करने हेतु बैंक ने देश भर में 10 आस्ति वसूली शाखाओं की स्थापना की है. उनके द्वारा वसूली प्रयासों पर काफी जोर दिया गया है. वर्ष के दौरान इन शाखाओं द्वारा रु.113 करोड़ की वसूली की गई, जिसमें से रु.55 करोड़ अपलिखित खातों में वसूल हुए.

5. बैंक ने रु.1.00 लाख से कम बकाया मूल्य के एनपीए खातों में समझौते हेतु एक विशेष योजना तैयार की है. इस वर्ष बैंक ने रु.75 करोड़ की समाधान राशि के 52650 मामलों का निपटान किया. बैंक ने देश भर में 2728 वसूली कैंप लगाये, जिनमें 39,178 मामलों का समाधान कर रु.121 करोड़ की वसूली की गयी. वसूली के प्रभावी उपाय के रूप में लोक अदालत मंच का भी उपयोग किया गया. वर्ष के दौरान बैंक ने रु.19 करोड़ के 4261 मामलों का निपटान किया.

6. एनपीए श्रेणी के बड़ी राशि के उधार खातों की समीक्षा नियमित अंतराल पर नियंत्रक कार्यालयों में विभिन्न स्तरों पर की जाती है. बैंक की एनपीए की स्थिति की समीक्षा तिमाही अंतराल पर निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति द्वारा की जाती है. इस वर्ष बैंक ने दो (2) प्रूडेंशियल अपलिखित खातों की बिक्री रु.26.79 करोड़ में की है.

ट्रेजरी :

1. विकसित देशों में वित्तीय उथल-पुथल और वैश्विक मंदी के दबावों के कारण भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी क्षेत्रों के लिये निधियों के सरल प्रवाह हेतु तरलता सुनिश्चित करने के लिये अनेक उपाय किये. प्रचुर तरलता और प्राप्तियों में कमी के कारण ट्रेजरी को अतिरिक्त निधियों के लाभप्रद विनियोजन में कठिनाई का सामना करना पड़ा. अर्थव्यवस्था में सुधार और विदेशी संस्थागत निवेशकों और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के कारण सभी प्रमुख मुद्राओं की तुलना में रुपया मजबूत बना रहा.

ए. निवेशः

1. बैंक का कुल निवेश संविभाग 31 मार्च 2009 के रु. 43,194 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2010 को रु.54,483 करोड़ रहा. इसमें सरकारी प्रतिभूतियों, राज्य विकास ऋणों और सांविधिक तरलता अनुपात बनाये रखने के लिये अनुमोदित प्रतिभूतियों तथा इक्विटी शेयर, कारपोरेट डिबेंचरों, पीएसयू बांडों, वाणिज्यिक प्रपत्रों (सीपी), जमा प्रमाण पत्रों (सीडी), सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में किया गया निवेश शामिल है. 31 मार्च 2010 को निवेश पर प्राप्ति की दर पिछले वर्ष की 7.24% की तुलना में 6.32% रही. निवेश पर ब्याज आय, निवेश के विक्रय पर लाभ तथा शुद्ध प्रतिशोधन सहित निवेश संविभाग पर प्रतिलाभ पिछले वर्ष के 8.07% की तुलना में 7.36% रहा.

2. ट्रेजरी का हमेशा प्रयास रहा है कि तरलता बनाये रखने के साथ अतिरिक्त निधियों के विनियोजन से अधिकतम लाभ प्राप्त किया जाए. ट्रेज़री द्वारा सांविधिक अपेक्षाओं के पालन के साथ सरकारी प्रतिभूतियों, बांडों, डिबेंचरों व इक्विटी की खरीद की जाती है और विदेशी मुद्रा बाजार में निधियां विनियोजित की जाती हैं. इस वर्ष घरेलू और विदेशी मुद्राबाजार के परिचालनों से ट्रेजरी का कुल लाभ रु.729.90 करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष रु.517.48 करोड़ था.

3. बैंक डेरिवेटिव में स्वयं की ट्रेडिंग के साथ-साथ ग्राहकों को भी डेरिवेटिव संव्यवहारों के माध्यम से हेजिंग की सुविधा प्रदान करता है. ये संव्यवहार भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किये जाते हैं. ट्रेजरी ने एनएसई में संव्यवहार प्रारंभ होने के दिन से ही ब्याज दर फ्यूचर में संव्यवहार करना प्रारम्भ कर दिया था तथा अब यह एक्सचेंज के माध्यम से होने वाले करेंसी आप्शन जैसे संव्यवहारों के लिये पूरी तरह तैयार है.

4. अपना बैंक, एनएसई और एमसीएक्स-एसएक्स दोनों ही एक्सचेंज प्लेटफार्मों के करेंसी फ्यूचर मार्केट में लेनदेन करने वाले सक्रिय बैंकों में से एक है. स्वयं की ट्रेडिंग के अलावा यह ग्राहकों के लिये भी उत्पाद उपलब्ध कराता है. .

अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग

1. वैश्विक मंदी ने विश्व व्यापार को बहुत बुरी तरह प्रभावित किया है. वर्ष 2009 की प्रथम छमाही का विश्व व्यापार वर्ष 2008 की समान अवधि के 8.2 ट्रिलियन अमरीकी डालर से कम होकर 5.8 ट्रिलियन अमरीकी डालर हो गया. वैश्विक आर्थिक संकट का सफलतापूर्वक मुकाबला करते हुए भारत का निर्यात 2009-10 की समाप्ति पर पिछले वर्ष से मात्र 4.7% कम होकर 176.5 बिलियन अमेरिकी डालर रहा. बैंक का विदेशी व्यापार टर्नओवर 17.13% की दर से बढ़कर 31 मार्च, 2010 को रु.86,657 करोड़ हो गया, जो पिछले वर्ष रु.73,984 करोड़ था.

2. बैंक का सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय केन्द्रों पर 320 अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के साथ संपर्की संबंध है. 31 मार्च, 2010 को बैंक की 22 अंतर्राष्ट्रीय बैंकों और 20 विनिमय .गृहों के साथ रुपया आहरण व्यवस्था थी. ग्राहक के खाते में तत्काल जमा के ऑन-लाइन प्रेषण उत्पाद को व्यापक सफलता मिली है.

3. बैंक के निर्यात ऋण में 7.01% की कमी आयी है. निर्यात ऋण की मात्रा 31 मार्च, 2009 के रु.6746 करोड़ से कम होकर 31 मार्च, 2010 को रु. 6273 करोड़ रह गयी. यह कमी, निर्यात में कमी के कारण बैंकिंग उद्योग में आयी कमी के अनुरुप है.

ए. विदेशी परिचालन

1. अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बैंक बनने के अपने विजन के अनुसार बैंक ने चरणबद्ध तरीके से विदेशी शाखाएं खोलने की योजना बनाई है. बैंक की एक पूर्णस्तरीय शाखा मई 2007 से हांगकांग में कार्य कर रही है.

यह शाखा जमाराशि स्वीकार करने, व्यापार वित्त पोषण, बाहरी वाणिज्यिक उधारी और सिंडीकेटेड ऋण जैसे सामान्य बैंकिंग कार्य करती है. शाखा की जमाराशि 31 मार्च, 2010 को 82 मिलियन अमेरिकी डालर हो गई, जो 31 मार्च 2009 के 56.05 मिलियन अमेरिकी डालर के स्तर से 46.30% अधिक है. शाखा के अग्रिम 31 मार्च, 2009 के 257.35 मिलियन अमेरिकी डालर के स्तर से 158% बढ़कर 31 मार्च, 2010 को 664 मिलियन अमेरिकी डालर हो गये. परिचालन लाभ, 31 मार्च, 2009 के 3 मिलियन अमेरिकी डालर से 330% बढ़कर 31 मार्च, 2010 को 12.92 मिलियन अमेरिकी डालर के स्तर तक पहुंच गया.

2. वर्ष 2009-10 के दौरान बैंक ने सिडनी (ऑस्ट्रेलिया) और बीजिंग (चीन) में प्रतिनिधि कार्यालय खोले. 01 अप्रैल, 2010 को लंदन (यूके) में प्रतिनिधि कार्यालय खोला गया. इसके अतिरिक्त शंघाई(चीन) और आबूधाबी (यूएई) में बैंक के प्रतिनिधि कार्यालय हैं.

3. बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक से शंघाई (चीन) और एंटवर्प (बेल्जियम) में अपनी शाखाएं खोलने तथा जोहांसबर्ग (दक्षिण अफ्रीका) एवं टोरंटो (कनाडा) में प्रतिनिधि कार्यालय खोलने के लिए अनुमोदन प्राप्त हो गया है.

संव्यवहार बैंकिंगः

1. बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया है. इसके लिए तकनीकी उत्पादों में निवेश किया गया है और ग्राहकों को सर्विस चैनल के विकल्प उपलब्ध कराये गये हैं. इलेक्ट्रानिक माध्यमों से संव्यवहार का प्रतिशत 2007-08 के 6% से बढ़कर मार्च 2010 में 35% हो गया.

ए. वैकल्पिक डिलीवरी चैनलः

वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान बैंक अपने ग्राहकों को चैनलों के कई विकल्प उपलब्ध कराने तथा उन्हें और बेहतर सुविधाएं प्रदान करने हेतु प्रयासरत रहा. इस प्रयासों को सफल बनाने के लिए बैंक ने अलग-अलग क्षेत्रों में निम्न कदम उठाये.

1. डेबिट कार्ड

बैंक ने वर्ष के दौरान 2 मिलियन डेबिट कार्ड जारी किये. बैंक ने 4 विभिन्न प्रकार के डेबिट कार्ड जारी करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ भी गठबंधन किया है; ताकि ग्राहक सेवा के स्तर में निरंतर सुधार लाया जा सके तथा विभिन्न प्रकार के ग्राहकों की पसंद के अनुसार उन्हें कार्ड जारी किये जा सकें.

चार्ट 5ः कार्ड आधार एवं एटीएम लेनदेन परिदृश्य

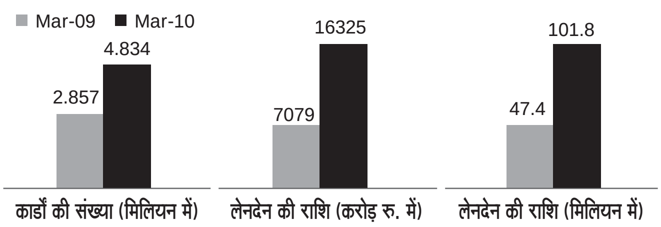

2. इंटरनेट एवं मोबाइल बैंकिंग -

i. बैंक ने अन्य इलेक्ट्रानिक सेवा चैनलों यथा मोबाइल व इंटरनेट बैंकिग का भी विस्तार किया है. इस वर्ष इन चैनलों में सुरक्षा उपायों को और सुदृढ़ करने तथा ग्राहकों की सुविधा में बढोत्तरी करने का हमारा प्रयास रहा. स्वयं पासवर्ड बनाना (सेल्फयूजर क्रियेशन) तथा तीसरे पक्ष को धन भेजने के लिए लाभग्रहीता का पंजीकरण करना इस वर्ष आंरभ किये गये प्रयास हैं. इस प्रकार की पहलों से भविष्य में अधिकाधिक ग्राहक इन सस्ते एवं सुरक्षित चैनलों के प्रयोग की ओर आकर्षित होंगे.

ii. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने छोटी राशि के धन अंतरण और एम कामर्स के लिये एक सरल एसएमएस आधारित मोबाइल बैंकिंग प्लेटफार्म आरंभ किया है. इसने बैंक के ग्राहकों के मध्य मोबाइल बैंकिंग को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है.

3 इलैक्ट्रानिक नकदी प्रेषण उत्पाद :

i. बैंक का एक उद्देश्य कागज रहित बैंकिग और इलैक्ट्रानिक लेनदेनों को बढ़ावा देना भी है और बैंक ने एनईएफटी (नेशनल इलैक्ट्रानिक फंड अंतरण) और आरटीजीएस (रीयल टाइम ग्रास सैटिलमेंट प्रणाली को लोकप्रिय बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है. जिसके परिणामस्वरूप, उच्चमूल्य के इलेक्ट्रॉनिक नकदी प्रेषणों में बैंक का मार्केट शेयर 4% तक बढ़ गया है.

ii. कुल मिलाकर वैकल्पिक चैनलों के माध्यम से बैंक के लेन-देन 31 मार्च 2009 के 21% के स्तर से बढ़कर मार्च 2010 में 35% हो गये हैं. इससे और अधिक ग्राहकों को उनकी सुविधानुसार लेनदेन के वैकल्पिक चैनल उपलब्ध हैं.

चार्ट 6 वैकल्पिक चैनल

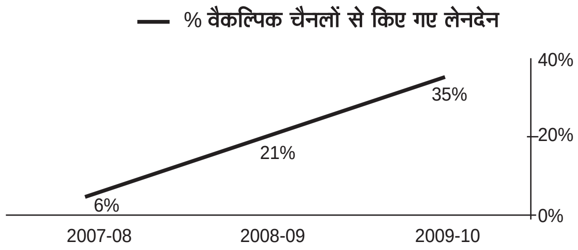

4. एक्वायरिंग उत्पाद

i. इस साल बैंक ने एक्वायरिंग कारोबार के क्षेत्र में प्रवेश किया है और वीसा और मास्टर दोनों प्रकार के कार्ड स्वीकार करने वाली मशीन (पाइंट ऑफ सेल टर्मिनल) लगाने के लिये सारे देश में व्यापारिक प्रतिष्ठानों का नामांकन आरंभ किया है. खासकर टियर II और टियर III के शहरों के व्यापारियों के उत्साहप्रद प्रतिसाद को देखते हुए बैंक मार्च 2011 तक 50000 पीओएस टर्मिनल लगाने की उम्मीद करता है.

ii. बैंक को इस बात का गर्व है कि बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार पीओएस टर्मिनल पर नकदी उपलब्ध कराने में सर्वप्रथम बैंक रहा है. यह सेवा बैंक रहित क्षेत्र में निकट के व्यापारिक स्थान पर थोड़ी फीस का भुगतान कर छोटी राशि के धन आहरण के लिये बहुत उपयोगी

है. कार्ड के बड़े आधार से इस सेवा से भविष्य में बैंक को अच्छी मात्रा में शुल्क और कमीशन के रूप में आय मिलेगी.

बी. करेंसी चेस्ट

1. बैंक जनता को साफ और बिना स्टेपल लगे नोट देकर भारिबैं की स्वच्छ नोट नीति का पालन कर रहा है. इसके लिये बैंक ने हाई स्पीड नोट छंटाई मशीनें खरीदी हैं. भारिबैं के निदेशों के अनुपालन की निर्धारित समय सीमा के पहले ही ये मशीनें उन 250 शाखाओं को भी प्रदान की जा रही हैं, जहां औसत नकदी प्राप्ति रु.50 लाख या अधिक है.
2. बैंक अपनी क्षमताओं से नकदी प्रबंधन करने के साथ ही साथ एक ख्यातिप्राप्त एजेंसी के माध्यम से व्यावसायिक नकदी संचालन सेवाओं की चयनित आइटसोर्सिंग द्वारा दक्ष नकदी प्रबंधन सुनिश्चित करा रहा है. इससे ग्राहकों को डोरस्टेप बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना भी संभव हुआ. करेंसी चेस्टों में एयर कंडिशनर के साथ ही साथ मास्क, एप्रन, दस्ताने, एयर प्यूरीफायर, पोर्टेबल आक्सीजन बोतलें जैसे स्वास्थ्यकर उपकरणों को उपलब्ध कराकर करेंसी चेस्ट सेवाओं को उन्नत किया गया है.
3. वर्ष के दौरान बैंक ने आजमगढ मे एक और करेन्सी चेस्ट खोला है. बैंक नकदी जमा अनुपात को बैंकिंग उद्योग के बैंच मार्क स्तर तक बनाये रखने में सफल रहा है. करेंसी चेस्ट से फीस आधारित आय पिछले वर्ष के रु.5.07 करोड़ की तुलना में आलोच्य वर्ष में रु.36.73 करोड़ तक पहुंच गई.

सी. नकदी प्रबंधन सेवाएं

1. बैंक की नकदी प्रबंधन सेवा कार्पोरेट ग्राहकों के लिखतों के संग्रहण के साथ ही साथ भुगतान का कार्य कम लागत एवं तीव्र गति से सुनिश्चित करता है. ग्राहक अब सभी चेकों को संकलित कर एक ही स्थान पर निधियां जमा कर सकते हैं. ठीक इसी प्रकार नकदी प्रबंधन सेवा ग्राहकों को उनके बल्क भुगतान एक ही स्थान से करने में सहायक होती है.
2. नकदी प्रबंधन सेवाएं बैंक का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और बैंक ने अब तक विभिन्न केन्द्रों पर 13 शाखाएं खोली हैं एवं विशेषीकृत अधिकारियों की भर्ती भी की है. बैंक सीएमएस संग्रहण के निम्नलिखित उत्पादों का विपणन कर रहा है :-
   i. यूनियन स्पीड - स्थानीय चेक (छोटे/उच्च मूल्य के)
   ii. यूनियन स्पीड - बाह्य
   iii. यूनियन स्पीड - बाहय (स्थानीय)
   iv. केन्द्रीकृत नामे / जमा

   बैंक ने रिमोट पे ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, आहरण व्यवस्था, चेक राइटिंग एवं बल्क पेमेंट जैसे सीएमएस भुगतान उत्पादों का विपणन आरंभ कर दिया है.
3. सीएमएस अब नए वेब आधारित सोफ्टवेयर पर ऑनलाइन कार्य कर रहा है, जिसमें सभी वसूली उत्पादों का समावेश है.
4. कार्पोरेट ग्राहकों के लिए सीएमएस के लाभ हैं - लिखतों की त्वरित वसूली, बेहतर निधि प्रबंधन, निधियों का अधिकतम उपयोग, सेवाओं/लेनदेनों की निम्न लागत, मूल उद्गम स्थान पर निधियों का संग्रह, इच्छित स्थानों पर निधियों का त्वरित एवं सहज अंतरण, प्राप्य राशियों एवं भुगतानों का केन्द्रीकृत नियंत्रण, नकदी अनुमान एवं सूचीकरण तथा नकदी शेष में कमी आदि.

डी. ट्रेड एवं चैनल वित्तीयन, व्यापारी बैंकिंग

1. बैंक ने एक विशेष योजना तैयार की है और कुछ बडी आटो कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे वे उनके वितरकों एवं खुदरा खरीददारों को वित्त प्रदान कर सकें. बैंक उन कुछ बैंकों में पहला बैंक हैं, जिसने सेबी द्वारा 1 जनवरी 2010 से आरंभ की गई. आस्बा (ब्लाक राशि द्वारा समर्थित आवेदन) फेज़ II सुविधा उपलब्ध कराई है.
2. बैंक अधिकाधिक ग्राहक संतुष्टि सुनिश्चित करने और लेनदेनों की लागत को कम करने के लिए वैकल्पिक डिलीवरी चैनलों के जरिए लेनदेन करने पर विशेष जोर दे रहा है.

ई. तृतीय पार्टी उत्पादों का वितरण :-

1. तृतीय पक्ष उत्पाद वितरण विभाग की स्थापना इस उद्देश्य के साथ की गयी थी कि वे बैंक की छवि को एक 'वित्तीय सुपर मार्केट' के रुप में बनाएं और अपने ग्राहकों को जीवन बीमा, गैर जीवन बीमा, म्युचुअल फंड, स्टाम्प वैंडिंग आदि जैसे मूल्य वर्धित उत्पाद/सेवाएं उपलब्ध कराएं.
2. बैंक ने बीमा उत्पादों (दोनों जीवन एवं गैर जीवन बीमा) के वितरण से पिछले वर्ष के रु.20.98 करोड़ की आय की तुलना में वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान रु.25.58 करोड़ की कमीशन आय अर्जित की.
3. वर्ष 2009-10 के दौरान बैंक की संयुक्त उपक्रम म्युचुअल फंड कं. 'यूनियन के बी सी एसेट मैनेजमेंट कं.' को आरंभ करने का सेबी से सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त हो गया है. इस कंपनी के उत्पाद वित्तीय वर्ष 2010-11 की तीसरी तिमाही के दौरान लांच होने की संभावना है.

सूचना प्रौद्योगिकी

1. प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आपके बैंक ने बहुत पहल की है. कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) और ऋण आटोमेशन सोल्यूशन (लैस), लीड मैनेजमेंट सिस्टम (एलएमएस), दक्ष वैकल्पिक डिलीवरी चैनलों, एकीकृत एमआईएस, प्रबंधन रिपोर्टों और डैशबोर्ड के लिए कारोबार सूचना साधनों का प्रयोग आदि जैसे अन्य समर्पित सिस्टमों के माध्यम से प्रौद्योगिकी को अंगीकार किया जा रहा है. प्रौद्योगिकी के प्रयोग में अधिकाधिक वृद्धि ने न केवल नए उत्पाद बनाने बल्कि परिचालन लागत में कमी लाने व उच्च उत्पादकता प्रदान करने में सहायता प्रदान की है.
2. आलोच्य अवधि के दौरान अर्जित कुछ प्रमुख उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:-
   I. बैंक ने ऋण आटोमेशन सॉल्यूशन (लैस) का कार्यान्वयन अपनी सभी शाखाओं में पूरा किया. इसका क्रियान्वयन अक्तूबर 2008 में आरंभ किया गया था और इसे सितंबर 2009 में पूरा किया गया. बैंक के 30 क्षेत्रों की समस्त शाखाओं में लैस पर कार्य करना अनिवार्य किया है और इसे 2010 में सभी क्षेत्रों में क्रियान्वित कर दिया जाएगा.
   II. लेनदेनों की संख्या में ही निरंतर वृद्धि को पूरा करने के लिए डाटा सेंटर की प्रतिदिन लेनदेन क्षमता को 30 लाख से बढ़ाकर 45 लाख लेनदेन प्रतिदिन तक कर दिया गया है. वर्तमान में प्रतिदिन लेनदेनों की संख्या 33 लाख है. डाटा सेंटर बगैर बंद हुए 24 x7x365 दिन कार्यरत है. वर्ष के दौरान डाटा सेंटर की स्टोरेज क्षमता को भी 5 टेराबाइट से बढ़ाकर 10 टेराबाइट कर दिया गया है.

III. विभिन्न डिलीवरी चैनलों के माध्यम से ग्राहक सेवा में सुधार को ध्यान में रखते हुए, बैंक ने रिटेल ग्राहकों को काल सेंटर के माध्यम से एक और सेवा चैनल प्रदान किया है. यह एक ही स्थान से ग्राहकों से प्राप्त होने वाले टेलीफोन काल के साथ ही साथ उन्हें टेलीफोन के माध्यम से बैंक के उत्पादों की जानकारी भी प्रदान करता है. रिटेल बैंकिंग से संबंधित सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से कॉल सेंटर से बैंक के कई कार्य जुड़े हुए हैं :-

काल सेंटर के द्वारा निम्नलिखित सूचनाएं प्रदान की जाती हैं

ए. बचत और चालू जमा, रिटेल आस्तियों और अन्य सभी उत्पादों की जानकारी.

बी. डेबिट कार्ड

सी. क्रेडिट कार्ड एवं इंटरनेट बैंकिंग

डी. यू मोबाइल

ई. बैंक की ओर से कॉल करना (केवायसी)

एफ. एस एम एस बैंकिंग

जी. वेब चॅट सेवा

एच. क्षेत्रीय भाषाओं में बातचीत की सुविधा

आई. काल सेंटर को प्रतिदिन 600 कॉल प्राप्त हो रहे हैं और इनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं.

iv. बैंक ने वर्ष के दौरान 536 नए एटीएम खोले, इनको मिलाकर एटीएम की कुल संख्या 2327 हो गई है. इन एटीएम का प्रयोग सभी बैंकों के वीज़ा व मास्टर दोनों कार्डधारक कर सकते हैं. अन्य बैंकों के साथ द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय समझौता हो जाने के कारण अब बैंक के ग्राहकों की पहुंच पूरे देश में स्थापित 57000 से अधिक एटीएम तक हो गई है. इस वर्ष के दौरान स्थापित किए गए नए एटीएम में वीडियो निगरानी एवं चोरी /सेंधमारी से बचाव के लिए एलार्म की व्यवस्था भी की गई है.

v. इंटरनेट बैंकिंग के क्षेत्र में बैंक ने वर्ष के दौरान कई नए उत्पाद / अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान की हैं :-

ए. सेल्फ यूज़र क्रिएशन

बी. ईएमआई भुगतान

सी. टीडीएस भुगतान की जानकारी प्राप्त करना

डी. ऑनलाइन आस्बा

ई. केन्द्रीय/राज्य सरकारों एवं स्थानीय निकायों के लिए कर वसूली

बैंक इंटरनेट बैंकिंग को और व्यापक आधार प्रदान करने के लिए कई प्रतिष्ठानों से टाई-अप करने हेतु प्रयासरत है. इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से निधि अंतरण को और सुरक्षापूर्वक बनाते हुए बैंक ने तीसरे पक्षकारों को निधि अंतरण के लिए हिताधिकारी को पंजीकृत कराने जैसी एक और विशिष्ट सुविधा प्रदान की है. बैंक की इंटरनेट बैंकिंग सेवा का प्रयोग 4,66,000 से अधिक यूज़र कर रहे हैं.

vi. यू मोबाइल (मोबाइल भुगतान सॉल्यूशन) एवं एसएमएस एलर्ट के प्रयोग में भी काफी वृद्धि हुई है. एसएमएस एलर्ट के अन्तर्गत 8 लाख से अधिक एवं मोबाइल भुगतान के अन्तर्गत 1 लाख से अधिक यूज़र पंजीकृत किए गए है. बैंक ´नई-नई मूल्यवर्धित सुविधाएं / विशिष्टताएं शामिल कर वैकल्पिक डिलीवरी चैनलों को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है. एसएमएस/मोबाइल बैंकिंग की कुछ विशिष्टताएं निम्नानुसार हैं :-

ए. जमाराशियों की परिपक्वता तारीख एलर्ट प्राप्त होना.

बी. ई एम आई भुगतान एलर्ट

सी. रु.1000 तक के एसएमएस आधारित मोबाइल लेनदेन

डी. प्रतिदिन रु.50000/- तक के लेनदेन मोबाइल बैंकिंग से करने की सुविधा

ई. खाते की सूचना / मिनी विवरण इत्यादि.

चार्ट 7- एटीएम पहुंच एवं वैकल्पिक डिलीवरी यूजर

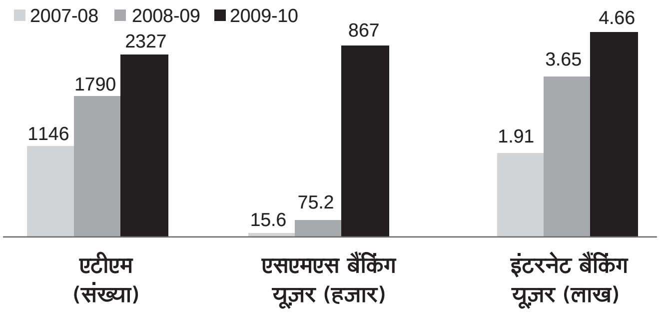

vii. बैंक ने कारोबारी वर्टिकलों को सहायता पहुंचाने एवं लेनदेनों की दक्षता में सुधार लाने के लिए वर्ष के दौरान सीबीएस प्लेटफार्म पर कई उत्पाद तैयार किए.

कोर बैंकिंग प्लेटफार्म पर तैयार किए गए कुछ मूल्यवर्धित उत्पाद निम्नानुसार हैं.

ए. कोर बैंकिंग आस्बा II - उत्पाद लांच करने वाला पहला बैंक.

बी. चेक बुक आवेदन प्रणाली का आटोमेशन-अब चेक बुक जारी करने हेतु अनुरोध सीबीएस के माध्यम से शाखाओं द्वारा प्रविष्ट किया जाता है और इसकी प्रोसेसिंग केन्द्रीकृत रुप से की जाती है.

सी. ट्रेजरी शाखा के लिए डिजिटल अथारिटी चेक सुविधा का आरंभ.

डी. पिछले कार्यदिवस के अपवादात्मक लेनदेनों की मैन्डेटरी रिपोर्ट

ई. स्कूल फीस वसूली हेतु मेनू.

एफ. एटीएम खातों को संबंधित शाखाओं में शिफ्ट करना, जिससे एटीएम लेनदेनों पर समुचित नियंत्रण एवं समाधान किया जा सके.

जी. स्थानीय शाखा खातों का समापन एवं समाशोधन नियंत्रण.

एच. के. का. के सभी विभागों को सीबीएस प्लेटफार्म में शामिल करना.

आई. वार्षिक लेखाबंदी के लिए केन्द्रीकृत टीपीएम रिवर्सल सुविधा प्रदान करना.

जे. एनआरआई शाखाओं के लिए भारी मात्रा में खाता खोलने की सुविधा प्रदान करना.

के. क्षेत्रीय/अंचलीय प्रमुखों को प्रतिदिन कारोबारी आंकड़ों का एसएमएस भेजना.

प्रबंध तंत्र को रिपोर्ट एवं डैश बोर्ड के रुप में प्रमुख आंकड़े प्रदान करने के लिए निम्नलिखित प्रबंध सूचना संसाधन विकसित किए गए हैं.

ए. प्रमुख कारोबारी पैरामीटरों पर सभी शाखाओं को दैनिक रिपोर्ट भेजना.

बी. परिचालन विभागों हेतु रिपोर्ट

सी. क्षेका/फील्ड म.प्र.को कार्यनिष्पादन के प्रमुख पैरामीटरों पर रिपोर्ट

डी. अपवादात्मक लेनदेनों की रिपोर्ट

ई. उच्च प्रबंधन के लिए डैश बोर्ड

प्रयोक्ताओं को प्रदान की गई इंटरनेट सुरक्षा को और सुदृढ़ बनाने हेतु वर्ष के दौरान केन्द्रीकृत पैच प्रबंधन, एंटी वायरस प्रबंधन और नेटवर्क एडमीशन कंट्रोल (नैक) प्रणालियां कार्यान्वित की गई.

जोखिम प्रबंधन

1. आपके बैंक ने जोखिम प्रबंधन के क्षेत्र में बढ़-चढ़ कर कार्य किया है. इसकी जोखिम अवधारणा में जोखिम नियंत्रण एवं विनियामक फ्रेमवर्क के अंतर्गत एक सुदृढ़ पोर्टफोलियो तैयार करना एवं उसे बनाए रखना है. जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क को विशेष रुप से प्रमुख जोखिम क्षेत्रों की पहचान करने, उनके परिमाण का पता लगाने, उनका अनुश्रवण करने एवं उनका कौशलपूर्ण प्रबंधन करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है, जिससे जोखिम और प्रतिफल के बीच समुचित समन्वय रखते हुए अंशधारकों की संपत्ति में वृद्धि की जा सके. बैंक का हमेशा यह सुनिश्चित करने का प्रयास रहता है कि कारोबारी भागीदार जोखिम प्रबंधन कार्यो से लाभान्वित हों तथा उपलब्ध पूंजी का और अत्यधिक प्रभावी उपयोग हो.

2. बैंक के जोखिम प्रबंधन संरचना में स्वतंत्र जोखिम प्रबंधन संगठनात्मक ढ़ांचा (कार्पोरेट एवं फील्ड दोंनो स्तर पर), जोखिम प्रबंधन नीतियां, जोखिम के परिमाण के तरीके और जोखिम अनुश्रवण व प्रबंधन प्रणाली शामिल है. फील्ड में जोखिम प्रबंधन अधिकारियों की पदस्थी की बैंक की पहल से संपूर्ण संस्था में जोखिम के प्रति एक अनुकूल वातावरण तैयार हुआ है. विभिन्न जोखिमों क्षेत्रों हेतु बैंक एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के जोखिम प्रोफाइलिंग का कार्य तिमाही आधार पर किया जा रहा है.

3. मुख्यतः जोखिम पैरामीटरों के निर्धारण और एक समन्वित जोखिम प्रबंधन व नियंत्रण प्रणाली की स्थापना करना बैंक के निदेशक मंडल की प्राथमिक जिम्मेदारी है. बैंक का बोर्ड जोखिम प्रबंधन नीतियों को अनुमोदित करता है और बैंक की जोखिम वहन करने की क्षमता के साथ ही साथ जोखिम प्रबंधन हेतु उपलब्ध कौशल को ध्यान में रखते हुए सीमाएं निर्धारित करता है. निदेशक मंडल की सहायता के लिए एक उपसमिति है, जिसे जोखिम प्रबंधन और एएलएम पर बोर्ड की पर्यवेक्षी समिति के नाम से जाना जाता है. इस समिति को ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी), आस्ति देयता समिति (एल्को) और परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) से सहायता मिलती है. ये समितियां अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक / कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में गठित कार्यपालकों की समितियां हैं.

ए ऋण जोखिम

1. ऋण जोखिम प्रक्रिया में उन नीतियों और प्रैक्टिसों को शामिल किया गया है, जिससे खाता स्तर एवं संविभाग स्तर पर ही ऋण जोखिम का पता लगा कर उनका अनुश्रवण सुनिश्चित किया सके. ऋण जोखिम प्रबंधन प्रणाली के साथ ही साथ अचल संपत्ति ऋण नीति और संपार्श्विक प्रबंधन नीति वित्तीयन से संबंधित ऋण जोखिम का पता लगाती है. ऋण अनुमोदनकर्ता प्राधिकारी, विवेकपूर्ण ऋण सामाएं, जोखिम मापन पद्धति, जोखिम आधारित मूल्य निर्धारण, संविभाग प्रबंधन आदि ऋण जोखिम प्रबंधन की प्रमुख विधाएं हैं.

2. बैंक ने सभी ऋण प्रस्तावों में व्याप्त ऋण जोखिम को न्यूनतम करने के लिए मानकीकृत और विस्तृत पारिभाषित अनुमोदन प्रक्रिया तैयार की है. बैंक ने क्षेत्रीय कार्यालयों/फील्ड महा प्रबंधक कार्यालयों और केन्द्रीय कार्यालय में ऋण अनुमोदन ग्रिड की स्थापना की है. बैंक ने रु.2.00 लाख से अधिक की ऋण सीमा के लिए ऋण रेटिंग मॉडल और रिटेल लेंडिंग योजनाओं के लिए स्कोरिंग मॉडल विकसित किया है. बैंक का संपूर्ण ऋण सविभाग आंतरिक क्रेडिट रेटिंग के अध्यधीन होता है. इसके पास गत 8 वर्षों के क्रेडिट रेटिंग माइग्रेशन एवं चूक संभाव्य आंकड़े उपलब्ध हैं.

3. बैंक ने ऋण ऑटोमेशन सोल्युशन (लैस) कार्यान्वित किया है, जो ऋण प्रबंधन प्रक्रिया का त्रुटिरहित एकीकरण करता है. यह एक तरफ ऋण आवेदनों के निपटान के लिए विश्वसनीय टर्नअराउंड समय और दूसरी ओर मानकीकृत प्रक्रिया प्रदान करेगा. यह ऋण प्रदान करने के बाद उसका अनुश्रवण और एनपीए का प्रबंधन भी करेगा.

4. बैंक ऋणों की गुणवत्ता में सुधार और जोखिम प्रोफाइल रखने के लिए निरन्तर प्रयासरत है, जो ऋणियों, उत्पादों और उद्योगों के संवर्ग के अनुसार अलग-अलग हो.

बी. बाजार जोखिम

1. आस्ति देयता प्रबंधन नीति एवं ट्रेज़री नीति बैंकिंग और व्यापार जगत में व्याप्त बाजार जोखिम व व्यापार बही का प्रबंधन करने में सहायक हैं. बाजार जोखिम के प्रबंधन की समग्र जिम्मेदारी आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एल्को) की है. समिति की नियमित बैठकें होती हैं और इसमें विभिन्न आस्तियों एवं देयताओं के परिमाण, संमिश्र, मूल्य एवं संरचना के बारे में निर्णय लिया जाता है. यह मुख्यतः बाजार जोखिम की पहचान, मापन, अनुश्रवण और तरलता व ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन करती है. यह तरलता और ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन हेतु अनुपात विश्लेषण, अंतर विश्लेषण रिपोर्ट-संरचनात्मक तरलता, डायनामिक तरलता, ब्याज दर संवेदनशीलता, जोखिम मूल्य, अवधि गैप विश्लेषण इत्यादि का उपयोग करती है. इसका मूल उद्देश्य आय परिदृश्य तथा आर्थिक मूल्य परिदृश्य दोनों दृष्टिकोणों से मूल्यवर्द्धन करना है. बैंक के पास एक स्वतंत्र मिड ऑफिस कार्यरत है, जो ट्रेज़री में स्थित है तथा जोखिम प्रबंधन को रिपोर्ट करता है. यह ऑफिस एक्सपोज़र विश्लेषण, निर्धारित ऋणसीमाओं तथा जोखिम संवेदनशील मानदंडों यथा व्याप्त जोखिम, पीवी 01 (आधार बिंदु परिवर्तित होने पर वर्तमान मूल्य), अवधि, विफलीकरण अवधि इत्यादि एवं उनका विश्लेषण से संबंधित अनुपालन सुनिश्चित करता है.

सी. परिचालनात्मक जोखिम :

1. परिचालन जोखिम के प्रबंधन के प्रारंभिक साधन के रुप में, परिपूर्ण प्रणाली और प्रक्रिया तथा आंतरिक नियंत्रण और लेखा परीक्षा का प्रयोग किया जाता है. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक की उसके बोर्ड द्वारा अनुमोदित परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति है. परिचालन

जोखिम की जांच और समाधान के लिए सभी नये उत्पादों को नव उत्पाद अनुमोदन प्रक्रिया से गुजरना होता है. विगत 2 वर्षों के परिचालन जोखिम के आंकड़े एकत्रित किये गये है, जिन्हें 8 कारोबार लाइनों और 7 प्रकार की हानियों में बांटा गया है बैंक की आय भी 8 कारोबार लाइनों में विभाजित है और मानकीकृत अवधारणा को अपनाने के लिए तैयार है. बैंक ने आईबीए की पहल एक्सटर्नल डाटा पूलिंग में भी शामिल होने की सहमति भी दे दी है.

2 अच्छे कारपोरेट गवर्नेंस के उपाय के रुप में अपने कामकाज में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए बैंक ने प्रकटन नीति बनायी है तथा कारोबार निरंतरता योजना बनाकर उसे कार्यान्वित किया है. कारोबार निरंतरता योजना में उथल-पुथल की स्थिति में अपने स्टाफ, आस्तियों और ग्राहकों के हितों के संरक्षण के लिए विभिन्न उपायों का विस्तृत खाका तैयार किया है. कारोबार निरंतरता योजना में वास्तविक जीवन की घटनाओं की रोकथाम एवं उनसे बचाव के उपायों का समावेश है.

डी. बासल II का कार्यान्वयन :

1. बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित समय सीमा में नया पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क कार्यान्वित किया है. बैंक ने शुरुआत के ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत प्रणाली, बाजार जोखिम के लिए मानकीकृत ड्यूरेशन प्रणाली और परिचालन जोखिम के लिए आरंभिक संकेतक प्रणाली को अपनाया है. इस दिशा में अब तक किये गये कार्य, बासल II समझौते में निर्धारित पूंजीमापन के अत्याधुनिक मानकों के पालन की दिशा में है.
2. बैंक ने उन्नत दृष्टिकोण को अंगीकृत करने हेतु विभिन्न उपाय किए हैं. इस दिशा में टू डायमेंशनल ऑब्लाइजर एवं सुविधा रेटिंग के साथ आस्ति संवर्ग वार क्रेडिट रेटिंग मॉडल का आरंभ, डाटा प्रबंधन फ्रेमवर्क तैयार करना एवं एकीकृत जोखिम प्रबंधन के लिए सलाहकार की नियुक्ति जैसे कुछ कदम उठाए गए हैं.
3. जोखिम प्रबंधन में कौशल में वृद्धि के लिए बैंक जोखिम प्रबंधन पर आंतरिक प्रशिक्षण प्रदान करना है. इसके अतिरिक्त प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थाओं में जोखिम प्रबंधन के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अधिकारियों को नामित किया जाता है. बैंक प्रतिष्ठित बिजनेस स्कूलों से योग्य प्रोफेशनल की भर्ती कर रहा है, जो जोखिम प्रबंधन की परंपरा, मापन और प्रबंधन उपायों को परिष्कृत करने में सहायक होंगे.
4. बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार पिलर- 2 जोखिम की मात्रा के मापन और आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (आईसीएएपी) फ्रेमवर्क तैयार किया है. बैंक अपनी व्यवसायिक इकाइयों, उत्पादों और ग्राहकों की लाभप्रदता के आकलन हेतु जोखिम आधारित कार्य-निष्पादन मापन पद्धति भी आरंभ करने हेतु प्रयासरत है.

ई. अनुपालन कार्य

1. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरुप तथा व्यवहार प्रक्रिया की सुदृढ़ता बनाने के लिए बैंक ने अनुपालन प्रबंधन विभाग की स्थापना की है. बैंक में एक सुदृढ़ अनुपालन परंपरा आरंभ करने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं. अनुपालन नीति तैयार की गई है और परिचालन विभागवार अनुपालन संबंधी समस्याएं चिन्हित की गई हैं. एक रिपोर्टिंग प्रणाली भी आरंभ की गई है, जिसमें
   1. स्वतः प्रमाणन एवं
   2. जोखिम प्राधिकारियों के माध्यम से यदाकदा टेस्टिंग /निगरानी कराई जा रही है. जिससे नियामक एवं सांविधिक अनुपालना संबंधी समस्याओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके .
2. स्टाफ सदस्यों के बीच जागरुकता पैदा करने के लिए अनुपालन पर सघन प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए गए हैं.

केवाईसी/एएमएल

1. बैंक ने केवाईसी /एएमएल (अपने ग्राहक को जानिए - धनशोधन निवारण) अनुपालना को सुदृढ़ बनाने हेतु विभिन्न उपाय किए हैं. खाता खोलने का नया फार्म बनाया गया है जिसमें ग्राहक प्रोफाइल में अतिरिक्त सूचनाएं एवं केवाईसी जांचबिन्दुओं को शामिल किया गया. अतिरिक्त सूचनाओं को शामिल करते हुए साक्षात्कार एवं ग्राहक ड्यू डिलिजेंस फार्म को भी संशोधित किया गया है. केवाईसी/एएमएल साफ्टवेयर को भी अद्यतन किया जा रहा है, जिससे अतिरिक्त सूचनाओं एवं रिपोर्टों को इसमें शामिल किया जा सके. केवाईसी/एएमएल पर विशेष प्रशिक्षण सत्र/ कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं. इसके अलावा बैंक के सभी स्टाफ सदस्यों में गंभीरता लाने हेतु सभी आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में केवाईसी/एएमएल पर एक सत्र अनिवार्य कर दिया गया है. बैंक ने वर्तमान केवाईसी/एएमएल व्यवस्था, इसके मूल्यांकन एवं जहां भी वांछित हो, उपयुक्त सुझाव देने हेतु एक सलाहकार की नियुक्ति की है.

मानव पूंजी

ए. भर्ती

1. वर्ष के दौरान बैंक ने कैम्पस भर्ती के साथ नई भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की, जिसके माध्यम से विभिन्न ग्रेडों/वेतनमानों में कुल 1063 अधिकारियों की भर्ती की गई. जिनमें विशेषीकृत खंड के 728 अधिकारी भी शामिल थे. इसके अतिरिक्त 40 लिपिकीय स्टाफ भी भर्ती हुए.
2. देश में विद्यमान सर्वोत्तम प्रतिभाओं को आकृष्ट करने की दृष्टि से बैंक द्वारा वर्ष के दौरान प्रतिष्ठित आईआईएम एवं आईआईटी सहित ख्याति प्राप्त बिजनेस स्कूलों एवं कृषि विश्वविद्यालयों से बड़े पैमाने पर कैम्पस भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की गई. ऐसा बैंकिंग उद्योग में कुछ बैंकों द्वारा ही किया गया है. आईआईएम सहित विभिन्न कैम्पस भर्ती में कुल 421 अधिकारियों का चयन किया गया.

टेबल 12 - मानव पूंजी का वर्गीकरण

पैरामीटर	अधिकारी	लिपिक	अधी.स्टाफ	योग
कुल जनबल	13149	8572	7698	29419
जिसमें से अनुसूचित जाति	2561	1755	2918	7234
अनुसूचित जनजाति	766	381	607	1754
अन्य पिछड़ा वर्ग	1485	940	1406	3831
विकलांग	97	183	122	402
भूतपूर्व सैनिक	74	285	1432	1791
महिलाएं	1469	2492	899	4860

नोट : अधीनस्थ स्टाफ में 1647 अंशकालिक सफाईकर्ता शामिल हैं.

बी. पदोन्नति

पात्र कर्मचारियों को कैरियर संवृद्धि का अवसर प्रदान करने तथा

कार्मिकों को बेहतर कार्यनिष्पादन हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से बैंक द्वारा सभी संवर्गों में वित्तीय वर्ष 2009-10 के अंत तक नई पदोन्नति प्रक्रिया आरंभ कर दी गई.

सी. प्रौद्योगिकी

यूनियन परिवार पीपुलसाफ्ट पैकेज के माध्यम से उपलब्ध तकनीकी सहयोग के माध्यम से कार्मिक विभाग द्वारा कर्मचारी पारिश्रमिक, स्टाफ कल्याणकारी लाभ, सेवान्त लाभ, स्टाफ अग्रिम, प्रतिपूर्ति आदि के अंतर्गत त्वरित एवं समय से भुगतान किया गया, जिससे आन्तरिक ग्राहकों में आनंद की वृद्धि हुई है. आने वाले समय में और बेहतर स्टाफ सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु तकनीकी संवर्द्धन हेतु बैंक कटिबद्ध है.

डी. औद्योगिक संबंध

प्रमुख ट्रेड यूनियनों के साथ निरंतर वार्तालाप तथा सभी विवादास्पद मामलों के समाधान के कारण बैंक का औद्योगिक संबंध सौहार्द्रपूर्ण रहा. अनुशासनिक कार्रवाई के मामले अत्यंत न्यायपूर्ण तरीके से तथा मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए शीघ्रता से निपटाये गये.

ई. आरक्षण नीति

बैंक में कार्यरत विभिन्न अनुसूचित जाति/ अनु.जन जाति एवं ओबीसी कल्याणकारी संगठनों के साथ विभाग द्वारा नियमित वार्तालाप किया गया तथा विभिन्न आरक्षित श्रेणी के नीतिगत मामलों सहित कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान में इस मंच की सार्थक भूमिका रही.

एफ. स्टाफ कल्याण

वर्ष 2008-09 के दौरान, अपने कर्मचारियों की आशाओं पर खरा उतरने और उनकी प्रतिभागिता एवं क्षमता को विकसित करने के लिए विभिन्न कर्मचारी हितैषी स्टाफ कल्याण योजनाओं के अंतर्गत रु.15 करोड़ की अधिकतम अनुमत रकम का उपयोग करने के भरपूर प्रयास किए गए.

जी. मानव संसाधन पहल

नवनिर्माण कार्यक्रम के दूसरे चरण में, बैंक ने मानव संसाधन रुपांतरण को प्रमुख क्षेत्र के रुप में चिन्हित किया है, जो बैंक द्वारा चलाई जाने वाली मानव संसाधन नीतियों और प्रैक्टिसों में आमूल चूल परिवर्तन लाना इस कार्यक्रम का उद्देश है.

I. बैंक ने मेसर्स हेविट एंड एसोसिएट्स (इंडिया) प्रा.लि. को मानव संसाधन सलाहकार के रुप में नियुक्त किया है, जो बैंक द्वारा चलाई जाने वाली मानव संसाधन रुपांतरण प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करेंगे.

II. सलाहकार वर्तमान मानव संसाधन प्रणाली एवं सर्वश्रेष्ठ मानव संसाधन प्रणाली में बीच के अंतर की पहचान करने के बाद उपयुक्त समाधान एवं कार्यान्वयन हेतु रणनीतियों के साथ ही साथ भर्ती, पदोन्नति, स्थानांतरण, जॉब निर्धारण, जॉब रोटेशन, प्रशिक्षण, योजना, मानव संसाधन विकास ढांचा, एचआरआईएस इत्यादि जैसे सामान्य मानव संसाधन पर समुचित सुझाव देंगे.

एच नीति संशोधन

1. बदलते कारोबारी परिदृश्य के अनुकूल और विज़न दस्तावेज में वर्णित उद्देश्यों को पूरा करने में बैंक को सुदृढ़ बनाने हेतु वर्ष के दौरान अधिकारी सवर्ग में पदोन्नति, लिपिकीय संवर्ग से अधिकारी संवर्ग में पदोन्नति और अधीनस्थ संवर्ग से लिपिकीय संवर्ग में पदोन्नति के संबंध में आवश्यक नीतिगत संशोधन किए गए.

2. बैंक द्वारा एक नई हाउस कीपर नीति तैयार की गई, जिसके अनुसार

   i. सफाईकर्ताओं का पदनाम बदलकर हाउसकीपर किया गया.

   ii. स्टाइपेंड स्केल को समाप्त किया गया और सभी स्टाइपेंड सफाईकर्ताओं को 1/3 वेतनमान प्रदान किया गया.

   iii. सभी हाउसाकीपरों को नीले रंग की पोशाक प्रदान की गई जिस पर सफेद बैकग्राउंड में बैंक का प्रतीक चिन्ह अंकित होगा.

   iv. हाउसकीपर को नकद प्रोत्साहन प्रदान करना - क्षेत्र की प्रत्येक श्रेणी की सर्वश्रेष्ठ शाखा के हाउसकीपर को रु.2000/- और सर्वश्रेष्ठ हाउस कीपर को रु.5000/- नकद प्रोत्साहन प्रदान करने की योजना.

नई योजनाएं

स्टाफ के लिए निम्नलिखित कल्याणकारी योजनाएं तैयार की गयीः

i. निर्धारित आई टी प्रमाणन कोर्स को पूरा करने पर परीक्षा फीस एवं अन्य संबंधित लागतों की प्रतिपूर्ति के साथ ही साथ एकमुश्त मानदेय प्रदान करने की एक नई योजना.

ii. झूठी शिकायतों के पेटे कार्यपालकों / अधिकारियों / अवकाश प्राप्त अधिकारियों को कानूनी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक नई योजना.

स्टाफ हित लाभ :

i. वर्ष के दौरान स्टाफ हाउसिंग ऋण, त्यौहार अग्रिम आदि जैसे कुछ प्रमुख स्टाफ संबंधी हितलाभों को बढ़ाया गया और इसे अधिक आकर्षक बनाया गया.

ii. अधिकारियों को प्रदान किए जाने वाने फर्नीचर की मौद्रिक सीमा को बढ़ाया गया और इसके साथ ही साथ फर्नीचरों की मदें भी बढाई गई.

राजभाषा कार्यान्वयन

1. वर्ष के दौरान बैंक ने राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की हैं.

2. परिणामस्वरुप बैंक को क एवं ख भाषायी क्षेत्र में 2008 -09 में श्रेष्ठ कार्यनिष्पादन के लिए प्रतिष्ठित 'भारतीय रिज़र्व बैंक राजभाषा शील्ड योजना' का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ.

3. इसके अलावा, बैंक को वर्ष 2007-08 के लिए गृह मंत्रालय (भारत सरकार) का इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड योजना का प्रोत्साहन पुरस्कार भी प्राप्त हुआ, जिसकी घोषणा वर्ष 2009-10 के दौरान की गई.

4. इसके साथ ही साथ वर्ष के दौरान बैंक को गुजरात राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति का प्रथम पुरस्कार एवं महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति के दो द्वितीय पुरस्कार भी प्राप्त हुए.

5. राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन के लिए बैंक के 21 क्षेत्रीय कार्यालयों / शाखाओं को उनके संबंधित क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन कार्यालयों और / या नगर राजभाषा कार्यान्वियन समितियों से शील्ड / पुरस्कार प्राप्त हुए.

6. बैंक ने वर्ष 2009-10 के दौरान अपने कर्मचारियों के बीच राजभाषा के प्रति अधिक जागृति लाने के उद्देश्य से 'मानव संसाधन - विविध आयाम' नामक हिन्दी पुस्तक का प्रकाशन किया.

7. बैंक द्वारा कार्यपालकों और अन्य कर्मचारियों के बीच उत्पाद ज्ञान पर आधारित हिन्दी में ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया गया.

जे. यूनियन धारा :

1. बैंक की गृह पत्रिका 'यूनियन धारा' प्रबंधन एवं कर्मचारियों के बीच आंतरिक संप्रेषण का उत्कृष्ट माध्यम बनी रही और यह स्टाफ सदस्यों के बीच अपनत्व की भावना पैदा करने और कर्मचारियों को उनके कर्तव्यों, निष्ठा एवं सृजनशीलता के प्रति प्रेरित करने के अपने उद्देश्यों में सफल रही.

2. वर्ष के दौरान, यूनियन धारा, मध्य पृष्ठ, पिछले कवर पृष्ठ और समाचार मदों की विषयवस्तु में नवोन्मेष विचारों / अवधारणाओं के साथ प्रकाशित की गयी. इस प्रकार, यूनियन धारा कर्मचारियों के पुनः अभिमुखीकरण की दिशा में अपना पूर्ण योगदान प्रदान कर रही है.

3. इस वर्ष यूनियन धारा को विभिन्न प्रतियोगिताओं में कुल 10 पुरस्कार प्राप्त हुए, जिसमें सुविख्यात प्रतिष्ठान एसोसिएशन ऑफ बिज़नेस कम्युनिकेशन ऑफ इंडिया (एबीसीआई) से प्राप्त 6 पुरस्कार, प्रेस क्लब ऑफ त्रिवेन्द्रम, पब्लिक रिलेशन काउंसिल ऑफ इंडिया (पी आर सी आई), अखिल भारतीय राजभाषा गृह पत्रिका एवं भारिबैं, प्रत्येक से प्राप्त एक-एक पुरस्कार शामिल है.

के. सुरक्षा :

1. आलोच्य वर्ष के दौरान, बैंक ने सुरक्षा सुविधाओं में वृद्धि, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन और शाखाओं के सुरक्षा मानकों में सुधार के द्वारा सुरक्षा स्तर को बढ़ाने के लिए सघन प्रयास किए. सुरक्षा अधिकारियों द्वारा 1426 शाखाओं में सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया.

2. इलेक्ट्रानिक निगरानी व्यवस्था को प्रमुखता से लागू करने के लिए बैंक की 630 शाखाओं एवं सभी 2327 एटीएम में सीसीटीवी सिस्टम लगाए गए.

ज्ञान - गंगा

1. पुनर्व्यवस्थापन एवं रीब्रांडिंग के एक वर्ष के बाद, यह वर्ष बैंक के प्रशिक्षण तंत्र के लिए चुनौतीपूर्ण रहा. रीब्रांडिंग अभियान के दौरान किए गए वायदों की पूर्ति सुनिश्चित करने में बैंक के मानव संसाधन को शामिल किए जाने की महती आवश्यकता थी. वर्ष के दौरान प्रशिक्षण हेतु की गयी पहल इस दिशा पर ही केन्द्रित रखी गयी और इसके साथ ही साथ संस्था के बदले स्वरूप और इसके स्टाफ सदस्यों की प्रशिक्षण संबंधी बढ़ती जरूरतों को भी प्रभावी ढ़ंग से पूरा किया गया.

2. प्रशिक्षण प्रणाली द्वारा गुणवत्ता पूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करने के प्रयासों का पूरा लाभ उठाने के लिए बैंक की प्रशिक्षण संबंधी जरूरतों का पता कर स्टाफ सदस्यों की प्रशिक्षण जरूरतों का उनसे मिलान किया गया. कार्यपालक, अधिकारी, लिपिक और अधीनस्थ स्टाफ, सभी की प्रशिक्षण आवश्यकताओं का ख्याल रखा गया. वर्ष के दौरान अनुमोदित कैलेंडर के अनुसार स्टाफ कालेज बंगलोर और 7 प्रशिक्षण केंद्रों पर कुल 426 कार्यक्रम संचालित किये गये जिनमें 8645 स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया. इनके अलावा 252 स्थानिक प्रशिक्षण और कार्यशालाएं आयोजित की गईं जिनमें 8212 स्टाफ सदस्यों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया. प्रशिक्षण प्रणाली द्वारा बैंक के प्रायोजित ग्रामीण बैंकों के 1173 स्टाफ सदस्यों हेतु कोर बैंकिंग सॉल्यूशन पर 52 कार्यक्रम आयोजित किए गए.

3. ब्रांड वायदों को पूरा करने के उद्देश्य से, भारतीय रिज़र्व बैंक के सहयोग से जाली / नकली नोटों की पहचान करने के लिए खजांचियों हेतु विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए. इसके अतिरिक्त, हाउसकीपिंग, आईटी सॉल्यूशनों का प्रयोग बढ़ाने, ऋण ऑटोमेशन सॉल्यूशन और केवाईसी एवं एएलएम दिशा-निर्देशों पर विभिन्न संवर्ग के स्टाफ सदस्यों के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया गया.

4. बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के स्टाफ सदस्यों को सी बी एस प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 52 कार्यक्रम आयोजित किए गए. कुल मिलाकर, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के 1173 स्टाफ सदस्यों को सीबीएस का प्रशिक्षण दिया गया. बैंक को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय बैंकों में शत प्रतिशत सीबीएस कार्यान्वित करने वाला पहला बैंक होने का गौरव प्राप्त है.

5. नेतृत्व विकास : समीक्षाधीन वर्ष के दौरान मैनेजमैंट एजूकेशन प्रोग्राम (एमईपी 2008) का तीसरा बैच सफलतापूर्वक संपन्न हुआ. प्रमुख एवं विख्यात प्रबंधन संस्थानों के प्रोफेसर इस एक वर्षीय कार्यक्रम से जुड़े रहे. बैंक के 24 अधिकारियों, जिनका चयन एक सुविचारित चयन प्रक्रिया के द्वारा किया गया था, को इस कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला, जो 15 दिसंबर 2008 को आरंभ होकर 15 नवंबर 2009 को संपन्न हुआ. इस कार्यक्रम की गतिविधियां शिक्षाविदों के एक समूह द्वारा निर्देशित थीं, जो एकेडमिक काउंसिल मीटिंग के माध्यम से आवधिक अंतराल पर मिलते थे. कुछ प्रमुख प्रोजेक्ट के अध्ययन एवं निष्कर्ष बैंक के उच्च प्रबंधन समूह - अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशक और महा प्रबंधकों के समक्ष प्रस्तुत किए गए. प्रथम दो बैचों के प्रतिभागियों को दिनांक 8 मार्च 2010 को स्टाफ प्रशिक्षण केन्द्र, मुंबई में आयोजित एक संयुक्त सम्मेलन में कार्यक्रम पूर्णता प्रमाणपत्र दिए गए.

6. स्टाफ को आंतरिक तथा बाहरी दोनों ही प्रकार के मिश्रित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया जिससे उनके कौशल को अद्यतन रखा जा सके. इस संबंध में, बैंक के 351 कर्मचारियों को भारत में एवं 31 कर्मचारियों को विदेशों में आयोजित बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षित किया गया.

आंतरिक लेखापरीक्षा :

1. बैंक ने 1 अप्रैल 2009 से शाखाओं की लेखापरीक्षा को पूर्णतः जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा में परिवर्तित कर दिया है. बैंक में विभिन्न

लेखापरीक्षाओं के लिए निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित सुपरिभाषित लेखापरीक्षा नीति और निरीक्षण मैन्युअल उपलब्ध हैं.

2. वर्ष के दौरान 2620 शाखाओं की नियमित लेखापरीक्षा एवं आईएस लेखापरीक्षा की गयी. इसके अतिरिक्त, वर्ष 2009-10 के दौरान 82 विदेशी विनिमय डीलिंग शाखाओं, 35 सेवा शाखाओं, 60 करेंसी चेस्ट, 55 क्षेत्रीय कार्यालयों एवं 9 महा प्रबंधक कार्यालयों का प्रबंधकीय लेखापरीक्षण किया गया. निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति की वर्ष के दौरान 12 बैठकें संपन्न हुईं, जिन्होंने लेखापरीक्षा रिपोर्टों की समीक्षा की और परिचालनात्मक दक्षता एवं नियंत्रण प्रणाली में सुधार हेतु सुझाव दिए. बैंक का 68.34% कारोबार सनदी लेखाकारों की बाहरी फर्मों द्वारा समवर्ती लेखापरीक्षा के अधीन है. बैंक ने समवर्ती लेखापरीक्षा को सुदृढ़ करने के उपाय किए हैं.

सतर्कता :

1. बैंक में परिचालनों की सुरक्षा के एक साधन के रूप में कार्य करने हेतु केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप एक विस्तृत एवं सुसंगत सतर्कता प्रणाली लागू है. 2007 से, बैंक यूनियन विज़िल के नाम से एक द्विभाषिक न्यूज़ लेटर प्रकाशित कर रहा है, जिसमें धोखाधड़ी ग्रस्त क्षेत्रों, धोखेबाजों द्वारा अपनायी गयी कार्य प्रणाली एवं प्रक्रियागत सुधारों का समावेश होता है, जिससे धोखाधड़ी के जोखिमों का सामना किया जा सके.

2. धोखाधड़ी के मामलों को रोकने के लिए शाखाओं / नियंत्रक कार्यालयों के निवारक सतर्कता निरीक्षण और क्षेत्र कर्मियों को कमियों के प्रति सचेत किया जाता है. वर्ष के दौरान, बैंक के विभिन्न कार्यालयों में 162 निरीक्षण किए गए. इसके तहत् जहां कहीं आवश्यक होता है, कार्यप्रणाली एवं प्रक्रियागत सुधारों हेतु सुझाव भी दिए जाते हैं.

ग्राहक सेवा और शिकायत निवारण प्रणाली :

1. आपका बैंक भारतीय बैंकिंग कोड एवं मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) का सदस्य है. बैंक एमएसएमई सहित बीसीएसबीआई द्वारा निर्धारित कोड का कार्यान्वियन कर रहा है. बैंक ने अपने उत्पादों एवं सेवाओं के मानक अंग्रेजी, हिन्दी एवं क्षेत्रीय भाषाओं में मुद्रित कराए हैं और सभी शाखाओं के सभी ग्राहकों को उपलब्ध कराए हैं. भारतीय बैंकिंग कोड एवं मानक बोर्ड के मानकों को स्वीकार करने से ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा करना बैंक की बड़ी जिम्मेदारी है. इस दिशा में, बैंक अपने सभी उत्पादों एवं सेवाओं में पारदर्शिता बनाए रखने एवं ग्राहकों को इसकी जानकारी पहुंचाने हेतु प्रयास कर रहा है.

2. बैंक ने ग्राहक सेवा के बारे में भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक और भारतीय बैंक संघ द्वारा समय-समय पर जारी की गयी संस्तुतियों को कार्यान्वित किया है. तकनीक का लाभ उठाते हुए, बैंक ने एक ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली आरंभ की है, जिसके माध्यम से न्यूनतम समय में ग्राहकों की शिकायतों का समाधान किया जाता है. इसके अतिरिक्त, वित्त मंत्रालय, प्रशासनिक सुधार व लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने केन्द्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं अनुश्रवण प्रणाली (सीपीजीआरएएमएल) के माध्यम से वित्त मंत्रालय से प्राप्त शिकायतों पर ऑन लाइन कार्रवाई की प्रणाली भी स्थापित की है.

3. ग्राहक केन्द्रित दृष्टिकोण रखते हुए बैंक तिमाही आधार पर अपनी सभी शाखाओं में एक निर्धारित तिथि को ग्राहक बैठक का आयोजन करता है, जिसमें ग्राहकों को बैंक के कार्य निष्पादन की जानकारी के साथ ही साथ बैंक के उत्पादों और सेवाओं की प्रमुख बातें भी बताई जाती हैं और उनसे प्राप्त फीडबैक / सुझावों को ऑनलाइन रिकार्ड किया जाता है एवं उन पर समुचित कार्रवाई की जाती है.

4. ग्राहक सेवा उपायों के रूप में ई-बैंकिंग उत्पादों के अंतर्गत एस एम एस एलर्ट सुविधा को व्यापक रूप से आरंभ किया गया है, जिससे ग्राहकों को उनके खाते में होने वाले लेनदेनों की समुचित जानकारी प्राप्त होती रहे और उनके सेवा अनुरोधों को पूरा किया जा सके. इसके अतिरिक्त, बैंक ने सेल्फ यूज़र क्रिएशन सुविधा आरंभ की है, जो रिटेल एवं व्यक्तिगत ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने की सुविधा प्रदान करती है. अन्य बैंक खातों में निधि अंतरण, बिल भुगतान, शॉपिंग इत्यादि जैसी बहुत सी नयी सेवाएं ई-बैंकिंग उत्पाद में शामिल की गयी हैं. बैंक ने सभी ऋण आवेदनों को रजिस्टर करने का एक सिस्टम तैयार किया है, जिसमें आवेदक को रजिस्ट्रेशन नं. आबंटित किया जाता है, जिसके माध्यम से आवेदक ऋण आवेदनों की वर्तमान स्थिति का पता लगा सकता है.

5. एकल सूचना केन्द्र के रूप में, बैंक ने मुंबई के पवई स्थित डाटा सेंटर में कॉल सेंटर की स्थापना की है, जो ग्राहकों को कार्डों की हॉट लिस्टिंग, स्थायी अनुदेशों, निधि अंतरण, विभिन्न जमा एवं ऋण उत्पादों के बारे में पूछताछ इत्यादि जैसी सेवाएं 24 घंटे प्रदान करता है..

6. बैंक विशेषीकृत उत्पादों / सेवाओं का क्रियान्वयन निर्धारित समय सीमा (टीएटी) के अंदर करने के लिए वचनबद्ध है विशेषकर मल्टी सिटी चेक जारी करने, समाशोधन और काउंटर सेवा में लगने वाले समय को. इन पर निगरानी रखी जा रही है, जिससे समय सीमा में इनका कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके .

7. शाखा में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं एवं प्रौद्योगिकी के समुचित प्रयोग के द्वारा ग्राहकों की लेनदेन संबंधी आवश्यकताओं को प्रभावी ढ़ंग से पूरा करने एवं आपसी संबंधों को और मजबूत बनाने की दिशा में लॉबी बैंकिंग की अवधारणा एक उपयुक्त कदम है. इसमें स्वतः पास बुक मुद्रित करने, पावती सहित चेक ड्राप बॉक्स की सुविधा और ऐसे ही कई ग्राहक अनुकूल उत्पाद उपलब्ध कराए जाते हैं. लॉबी बैंकिंग सुविधा 23 शाखाओं में क्रियान्वित की जा चुकी है. इस सुविधा को अन्य क्रन्द्रों पर भी आरंभ करने के प्रयास जारी हैं.

8. केन्द्रीय सिविल पेंशनरों के साथ ही साथ रक्षा पेंशनरों को भी पेंशन का त्वरित एवं समय से भुगतान करने हेतु केन्द्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली आरंभ की गई है.

9. बैंक ग्राहकों की शिकायतों के प्रति सतर्क एव संवेदनशील रहेगा और सभी स्तरों पर सेवा में कमी को दूर करने के एक उपाय के रूप में इसका इस्तेमाल करेगा. ग्राहकों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को और अधिक पारदर्शी बनाने के क्रम में शिकायत निवारण मशीनरी और क्षतिपूर्ति से संबंधित नीतियों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और उन महत्वपूर्ण तथ्यों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जो ग्राहक सेवा को अधिक प्रभावित करते हैं. इसीलिए, ग्राहकों के फीडबैक के आधार पर

ग्राहक सेवा में व्याप्त कमियों को दूर करने की दिशा में एटीएम, मोबाइल बैंकिंग, फोन एवं इंटरनेट बैंकिंग जैसे सभी डिलीवरी चैनलों को पर्याप्त महत्व दिया जाता है. कॉल सेंटर, ऑनलाइन शिकायतें जैसे चैनल शिकायतें प्राप्त करने एवं साथ ही साथ शिकायतों का निवारण करने, दोनों पर ही ध्यान देते हैं.

विस्तार

1. तीव्र शाखा विस्तार बैंक की एक प्रमुख प्राथमिकता है. वर्ष के दौरान, बैंक ने 247 शाखाएं खोली हैं, जिससे बैंक की पंहुच अखिल भारतीय स्तर तक सुनिश्चित की जा सके. इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि मैट्रो, शहरी, अर्धशहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के बीच शाखाओं का वितरण लगभग समान रहे. बैंक की एक पूर्ण शाखा हांगकांग में एवं 5 प्रतिनिधि कार्यालय विदेशों में स्थित हैं.

तालिका 8 : शाखाओं का विस्तार एवं उनका कारोबार संमिश्र

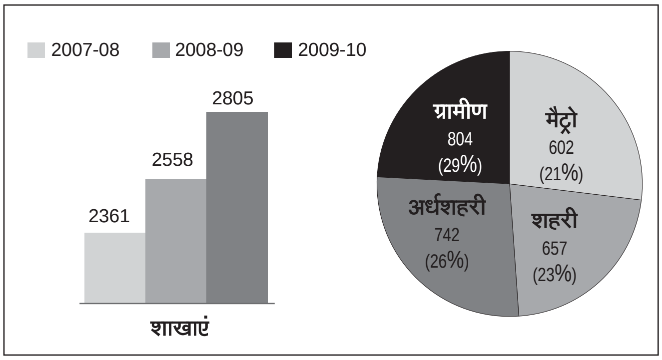

तालिका 9 : शाखाओं का भौगोलिक विभाजन एवं बैंक के कारोबार में उनका योगदान

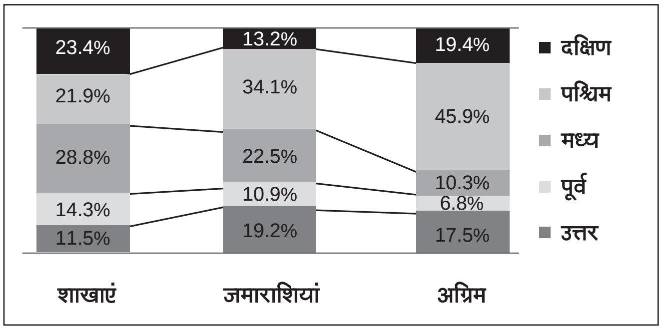

अवसर

1. रिटेल क्षेत्र : देश में युवाओं की बढ़ती जनसंख्या, उनकी खर्च करने की बढ़ती क्षमता और बैंकिंग आवश्यकताओं के प्रति उनका रवैया बैंक की सुस्थिर विकास दर का आधार बनेगा. अग्रणी एशियाई देशों की तुलना में रिटेल का कम प्रसार हमारे लिए एक अवसर है. यह नए बाजार विकसित करने या नया कारोबार या नवोन्मेष उत्पाद प्रारंभ करने का सुअवसर है.
2. ग्रामीण क्षेत्र : देश की जनसंख्या का एक बड़ा भाग अभी भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर निर्भर है, जो काउंटरसाइक्लिकल प्रकृति को दर्शाता है. इस क्षेत्र में भी अच्छे अवसर प्रतिबिंबित होते हैं.
3. प्रतिभा बैंक : अत्यधिक कुशल एवं विशिष्ट मानव संसाधनों की उपलब्धता से उत्पादकता में वृद्धि और गुणवत्ता में सुधार के अच्छे आसार हैं.
4. प्रौद्योगिकी : यह गुणवत्ता, दक्षता और उच्च ग्राहक संतोष का समन्वित रुप है.

चुनौतियां

1. अर्थव्यवस्था में सुधार की धीमी गति, लोक ऋण में निरंतर वृद्धि और विकसित देशों में ग्राहकों के उत्साह में कमी समग्र वित्तीय व्यवस्था के लिए नकारात्मक संकेत हैं. घरेलू अर्थव्यवस्था में भी कुछ नरमी के जोखिम हैं. वर्ष 2010-11 के दौरान सामान्य मानसून के पूर्वानुमान के कारण कृषि की विकास दर पुनः प्राप्त होने की संभावना व्यक्त की जा रही है, परंतु इसमें सदैव की भांति अनिश्चितता बनी रहेगी. दूसरे, इस समय निवेश की मांग वैश्विक संकट के पहले की वृद्धि दर से काफी कम है और निजी उपभोग की मांग में तेजी आने का अभी भी इंतजार है. कुल मिलाकर वैश्विक अर्थवयवस्था में अब तक उतना सुधार नहीं हुआ है, जिसकी वजह से भारतीय निर्यात में वृद्धि को बनाए रखने में भी असमंजस की ही स्थिति है.
2. अर्थव्यवस्था के विकास में मूल्य वृद्धि का जोखिम सदैव बना रहता है, जिसके कारण उच्च वेतन की मांग और कच्चे माल की लागत में वृद्धि से उत्पादों की लागत बढ़ने की संभावना बनी रहती है. तेल और खाद्यान्नों के मूल्य में अस्थिरता, जो थोक मूल्य सूचकांक को काफी हद तक प्रभावित करती है, से ब्याज दर में प्रतिकूल उतार-चढ़ाव हो सकता है. उच्च मूल्य वृद्धि और सख्त मौद्रिक नीति उपभोग पर रोक लगा सकती है. जहां तक मांग का प्रश्न है, निजी उपभोग मांगों में तेजी के साथ-साथ ऋण और मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि के स्तर में सुधार से मूल्य वृद्धि पर दबाव बढ़ सकता है.

संभावना

1. कारोबारी क्षेत्र में काफी सुधार हुआ है एवं आर्थिक गतिविधियों में और तेजी आने की प्रबल संभावना है. भारत में वृहत् राजकोषीय एवं मौद्रिक नीतियां निरंतर बढ़ रहे विकास सूचकांक और स्फीति जन्य आशंकाओं के बीच समन्वय बनाए रखने पर केन्द्रित है. वर्ष 2010-11 के यूनियन बजट के प्रस्ताव विकासोन्मुख हैं और साथ ही साथ राजकोषीय घाटे को कम करने हेतु भी स्पष्ट दिशानिर्देश दिए गए हैं. भारिबैं. की नीति भी इसका समर्थन करती है, जिसमें कहा गया है कि ऋणों पर ब्याज दर को व्यवहार्य रखते हुए ऋणों की गुणवत्ता को बनाए रखा जाए, जो अर्थव्यवस्था को उच्च वृद्धि दर हासिल करने का मार्ग प्रशस्त कर सके. आरंभिक अनुमानों के अनुसार वर्ष 2010-11 में मानसून के सामान्य और उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में सामान्य वृद्धि दर बने रहने की संभावना व्यक्त की गई है. वर्ष 2010-11 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 8% या उससे अधिक रहने का अनुमान है. मैक्रोइकोनामिक बुनियादी क्षेत्र में सुदृढ़ता के साथ ही साथ घरेलू मांग मजबूत बनी रहने के कारण भारत विदेशी निवेशकों के लिए आकर्षण का केन्द्र बना रहेगा. भारत के विकास में बैंकिंग क्षेत्र प्रमुख मददगार तो होगा ही साथ ही, इन सबका सर्वाधिक लाभ भी इस क्षेत्र को ही मिलेगा.
2. आपका बैंक संसाधन जुटाने और उनका लाभप्रद विनियोजन कर विकास की गति के साथ चलने को तैयार है. नव निर्माण पहलों से यह अपेक्षित है कि मूल्य वर्धित सर्वश्रेष्ठ उत्पादों और सेवाओं, निर्धारित समय सीमा के अनुपालन, डिलीवरी चैनलों के विभिन्न विकल्प और पारदर्शिता के माध्यम से ग्राहकों को सुखद अनुभूति होगी.

कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट

1. कार्पोरेट गवर्नेंस के बारे में बैंक की मान्यता

1.1 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में श्रेष्ठ कार्पोरेट गवर्नेंस की परिपाटी रही है. शेयरधारकों की संपदा वृद्धि और हितधारकों के हितों के संरक्षण के लिए बैंक ने अपने सभी स्तर के कार्यों में औचित्य, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के सिद्धांत को अत्यधिक महत्व प्रदान किया है.

1.2 बैंक स्वयं को अपने शेयरधारकों का ट्रस्टी मानता है और उनके लिए संपदा सृजन करने और उसकी रक्षा करने की जिम्मेवारी स्वीकार करता है. आलोच्य वर्ष के दौरान बैंक कार्पोरेट कार्यनीति लागू करने और उसका अनुश्रवण करने, सुविचारित कारोबार योजना बनाने, बैंक के कारोबार की प्रमुख जोखिमों का अनुश्रवण करने तथा कानूनी एवं नैतिक जिम्मेदारियों के निर्वाह के लिए नीतियों और कार्यपद्धतियों के पालन के माध्यम से उक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहा है.

भारतीय कंपनी सेक्रेटरी संस्थान और कंपनी कार्य मंत्रालय ने मिलकर वर्ष के दौरान, श्रेष्ठ गवर्नेंस पालन करने वाली सर्वश्रेष्ठ 25 कंपनियों में बैंक को शामिल किया है. इस पुरस्कार के चयन मानदंडों में बोर्ड की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली और प्रक्रिया, बोर्ड की गवर्नेंस, पारदर्शिता एवं प्रकटन, स्टेकधारकों की मूल्यवृद्धि, कार्पोरेट सामाजिक दायित्व, शीर्ष प्रबंधन की सृजनात्मक व सहयोगात्मक क्षमताएं, भावी योजनाओं और अच्छे कार्पोरेट गवर्नेंस संबंधी पहल शामिल हैं.

2. निदेशक मंडल

2.1 निदेशक मंडल का संघटन, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण),1970 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित है. 31.03.2010 की स्थिति के अनुसार निदेशक मंडल में भारत सरकार द्वारा नियुक्त 3 पूर्णकालिक निदेशक यथा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और दो कार्यपालक निदेशकों के अतिरिक्त आठ अंशकालिक गैर-कार्यपालक निदेशक भी हैं, जो समाज के विभिन्न वर्गों से चुने गए श्रेष्ठ व्यक्तित्व वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं. विभिन्न क्षेत्रों में उनके बहुमूल्य एवं वृहद् अनुभव बैंक की प्रगति एवं उपलब्धियों में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं.

2.2 निदेशक मंडल के उत्तरदायित्व में नीति निर्माण, नई पहल, कार्यनिष्पादन समीक्षा और बैंक के विभिन्न क्षेत्र कर्मियों को प्रदत्त शक्तियों से अधिक के मामलों में मंजूरी प्रदान करना और नियंत्रण करना सम्मिलित है. निदेशक मंडल ने विभिन्न समितियां बनाई हैं और विभिन्न कार्यक्षेत्रों में अधिकारों का प्रत्यायोजन किया है. निदेशक मंडल और समितियों की बैठक आवधिक अंतराल पर होती है.

3. बोर्ड / समिति की बैठकें और कार्यवाहियां

3.1 कार्यसूची मदों का निर्धारण और क्रमांकन

बोर्ड / समिति के सभी सदस्यों को बैठकों की सूचना पहले ही दे दी जाती है. बैठकें पूर्व निर्धारित कार्यसूची के अनुसार संपन्न होती है. बैठक से पहले कार्यसूची और व्याख्यात्मक नोट उपलब्ध करा दिये जाते हैं.

3.2 सदस्यों को जानकारी उपलब्ध कराना

कार्यसूची की सभी मदें विस्तृत जानकारी से परिपूर्ण होती हैं, जिससे सदस्य व्यापक समीक्षा कर उचित निर्णय ले सकें.

3.3 कार्यवाही के कार्यवृत्त रिकार्ड करना

बोर्ड / समिति की प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त रिकार्ड किये जाते हैं. श्रेष्ठ कार्पोरेट गवर्नेंस सिद्धान्तों के आधार पर सभी कार्यसूची मदों पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है. बैठकों की कार्यवाहियां कार्यवृत्त बही में प्रविष्टि की जाती है.

3.4 अनुवर्ती कार्रवाई प्रक्रिया

बैंक के पास, बैठक के बाद की अनुवर्ती कार्रवाई, बोर्ड और समितियों द्वारा लिये गये निर्णयों की समीक्षा और रिपोर्टिंग प्रक्रिया हेतु प्रभावी प्रणाली मौजूद है. पिछली बैठक(कों) में लिए गए निर्णयों पर कृत कार्रवाई की रिपोर्ट/पिछली बैठक के कार्यवृत्त बोर्ड / समिति की अगली बैठक में प्रस्तुत किए जाते हैं.

3.5 अनुपालन

बोर्ड द्वारा अनुपालन रिपोर्टों की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है ताकि सभी लागू होने वाले विधिक प्रावधानों, नियमों और दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा सके.

3.6 कार्पोरेट गवर्नेंस संहिता

उत्तम पद्धतियों को ध्यान में रखते हुए बैंक ने कार्पोरेट गवर्नेंस की स्वैच्छिक संहिता तैयार की है. यह संहिता शीर्ष से ही अच्छी कार्पोरेट गवर्नेंस की भावना का विकास करती है. इसमें मूलतः सभी हितधारकों के प्रति अपने कर्तव्यों के निर्वाह में बैंक में प्रचलित कार्यप्रणालियां सम्मिलित एवं प्रलेखित हैं, यथा :

- निदेशक मंडल एवं उसकी विभिन्न समितियों की कार्यप्रणालियां
- अनुपालन एवं अनुश्रवण कार्यप्रणाली
- शेयरधारकों एवं ग्राहकों के साथ संबंध
- व्यापक स्तर पर सार्वजनिक प्रकटन
- कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और ;
- अन्य विधिक मामले जैसे आचार संहिता, इनसाइडर ट्रेडिंग, कार्मिक मामले, सतर्कता आदि.

3.7 बोर्ड बैठकें

आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित तिथियों को 12 बोर्ड बैठकें संपन्न हुईं :

7 मई, 2009	8 अक्तूबर, 2009
8 मई, 2009	26 अक्तूबर, 2009
15 जून, 2009	12 दिसंबर, 2009
22 जून, 2009	27 जनवरी, 2010
23 जुलाई, 2009	4 मार्च, 2010
5 सितंबर, 2009	20 मार्च, 2010

वर्ष के दौरान हुई बोर्ड बैठकों में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति, बोर्ड समितियों की संख्या, जिनके कि वे सदस्य या अध्यक्ष हैं और अन्य कंपनियों / निगमों, जिनमें वे शेयरधारक एवं निदेशक हैं, का ब्यौरा निम्नानुसार है :

निदेशकों एवं वर्ष 2009-10 के दौरान आयोजित बैठकों के ब्यौरे

निदेशक का नाम एवं श्रेणी	जन्म-दिवस/ आयु (वर्ष)	अर्हता	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति	निदेशक मंडल की समितियों की सदस्यता	शेयर धारिता	अन्य कंपनियों में निदेशक
श्री एम वी नायर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (कार्यपालक)	03.03.52 58 वर्ष	बीएससी	12	12	एमसीएम, एससीआर एवं एएलएम, डीपीसी, डी पी सी (वी), एसटीसीबी, एससीएमएफ, सीएससीबी	शून्य	2
श्री टी वाय प्रभु कार्यपालक निदेशक (कार्यपालक)	30.12.50 59 वर्ष	बीकॉम, एलएलबी, सीएआईआईबी	5	5	एमसीएम, एसीबी, एससीआर एवं एएलएम, एसआईजीसी, एसटीसीबी, सीएससीबी, एससीएमएफ,	100	1
श्री एस. रामन कार्यपालक निदेशक (कार्यपालक)	07.09.52 57 वर्ष	उस्मानिया विश्वविद्यालय से वाणिज्य स्नातक (बी. कॉम)(द्वितीय रेंक)नागपुर विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर (प्रथम रेंक एवं स्वर्ण पदक) बिजनेस मैनेजमेंट में डिप्लोमा / जर्मन में सीनियर डिप्लोमा, भारतीय बैंकर्स संस्थान, मुंबई से सीएआईआईबी एवं चार्टर्ड इंस्टीच्यूट ऑफ बैंकर्स, लंदन से एसीआईबी	12	12	एमसीएम, एसीबी, एससीआर एवं एएलएम, एसआईजीसी, एसटीसीबी, सीएससीबी, एससीएमएफ,	शून्य	2
श्री एस. सी. कालिया कार्यपालक निदेशक (कार्यपालक)	06.08.51 58 वर्ष	एम.ए. (राजनीति), स्वर्ण पदक विजेता, सीएआईआईबी	4	4	एमसीएम, एसीबी, एससीआर, एएलएम, एसआईजीसी, एसटीसीबी,सीएससीबी, एससीएमएफ	शून्य	1
श्री के वी ईप्पन भारत सरकार द्वारा नामित (गैर कार्यपालक)	09.09.59 50 वर्ष	1984 के असम- मेघालय संवर्ग के आईएएस अधिकारी और वर्तमान में संयुक्त सचिव (बैंकिंग प्रशासन) वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली. सेंट स्टीफन कालेज दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र, कला स्नातक एवं अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर, एमडीआई, गुड़गांव से मैनेजमेंट में स्नातकोत्तर डिप्लोमा एवं यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रॅाडफोर्ड, यू के से मैक्रो इकोनॉमिक्स एवं प्लानिंग में एमएससी	12	7	एसीबी, डीपीसी, डीपीसी (वी), एससीआर एवं एएलएम, एससीएमएफ, आरसीबी, एनसीबी	शून्य	1
श्री के शिवरामन भारिबैं नामिती (गैर-कार्यपालक)	19.05.42 68 वर्ष	एमएससी (सांख्यिकी), सीएआईआईबी	12	12	एमसीएम, एसीबी, डीपीसी, डीपीसी (वी), एससीआर एवं एएलएम, आरसीबी, एनसीबी, सीएससीबी	शून्य	शून्य
श्री के एस श्रीनिवासन # चार्टर्ड एकाउन्टेंट (गैर कार्यपालक) @	26.07.55 54 वर्ष	बी कॉम, एफसीए, कंम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा और डिप्लोमा इन इन्फार्मेशन सिस्टम (डीसा)	6	6	एमसीएम, एसीबी, एससीआर एवं एएलएम, एससीएमएफ.	शून्य	शून्य
श्री देवाशीष घोष # अधिकारी संवर्ग (गैर कार्यपालक)	25.12.59 50 वर्ष	बीएससी (ऑनर्स), एमबीए, कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा, मार्केटिंग मैनेजमेंट में पी जी डिप्लोमा, सीएआईआईबी, ग्रामीण विकास में डिप्लोमा	6	6	एमसीएम, सीएससीबी,	शून्य	शून्य

निदेशक का नाम एवं श्रेणी	जन्म-दिवस/ आयु (वर्ष)	अर्हता	उनकी कार्यावधि के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति	निदेशक मंडल की समितियों की सदस्यता	शेयर धारिता	अन्य कंपनियों में निदेशक
श्री आर आर नायर शेयरधारक (गैर कार्यपालक)	02.07.39 70 वर्ष	एमए, आईआईटी से पर्सनल मैनेजमेंट में मास्टर्स डिप्लोमा, एडवांस पर्सनल मैनेजमेंट में डिप्लोमा (यूके)	3	1	एमसीएम,एसीबी, एससीएमएफ, सीएससीबी, आरसीबी, एसआईजीसी	677	5
प्रो. एन एल सारडा शेयरधारक (गैर कार्यपालक)	02.05.48 61 वर्ष	बी ई, एम टेक, पीएचडी	3	2	एमसीएम, एसीबी, एसआईजीसी, एसटीसीबी	550	2
प्रो. एम एस श्रीराम शेयरधारक (गैर कार्यपालक)	16.05.62 47 वर्ष	बी. कॉम., ग्रामीण प्रबंधन में पी.जी. डिप्लोमा, फेलो (आईआईएमबी)	11	9	एमसीएम, एससीआर एवं एएलएम, सीएससीबी, आरसीबी, एससीएमएफ, एसटीसीबी.	100	4
श्रीमती रानी सतीश # अंशकालिक गैर-सरकारी (गैर कार्यपालक)	31.10.48 61 वर्ष	राजनीति शास्त्र में स्नातकोत्तर	9	7	एमसीएम, एसटीसीबी, एनसीबी	शून्य	शून्य
श्री अशोक सिंह अंशकालिक गैर-सरकारी	02.07.53 56 वर्ष	विज्ञान स्नातक एवं लखनऊ विश्वविद्यालय से विधि में स्नातकोत्तर	12	10	एमसीएम, एसआईजीसी, एससीआर एवं एएलएम, सीएससीबी	शून्य	शून्य
श्री एन. शंकर वर्कमैन कर्मचारी निदेशक	20.05.58 51 वर्ष	बीएससी, आईसीडब्ल्यूए	12	12	एमसीएम, सीएससीबी, एसटीसीबी	शून्य	शून्य
डा. गुलफ़ाम मुज़िबी अंशकालिक गैरसरकारी (गैर-कार्यपालक)	27.04.45 64 वर्ष	रांची विश्वविद्यालय से स्वर्ण पदक के साथ एमए, पीएचडी, एलएलबी	12	12	एमसीएम, सीएससीबी	शून्य	शून्य
श्री अरुण कुमार नंदा $ शेयरधारक (गैर-कार्यपालक)	13.03.49 61 वर्ष	बी कॉम (ऑनर्स), विधि में स्नातक (एलएलबी), इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउण्टेंस ऑफ इंडिया और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज़ ऑफ इंडिया के फेलो मेंबर.	8	5	एसआईजीसी, आरसीबी	200	18
श्री एस. रवि @ $ शेयरधारक (गैर-कार्यपालक)	12.07.59 50 वर्ष	बीएससी, एम. कॉम एवं एफसीए, सेंटर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, जेएमआई से पीएचडी कर रहे हैं.	8	8	एसीबी, एमसीएम	600	9

$ श्री अरुण कुमार नंदा 22.06.2009 को आयोजित ईजीएम में चुने गए.
श्री एस रवि 22.06.2009 को आयोजित ईजीएम में चुने गए.
श्री एस सी कालिया 21.11.2009 से बोर्ड में नामांकित किए गए.

@ एसीबी के अध्यक्ष

निदेशक के रूप में श्री देबाशीष घोष का कार्यकाल 25.09.2009 को समाप्त हुआ.
निदेशक के रूप में श्री के.एस. श्रीनिवासन का कार्यकाल 10.10.2009 को समाप्त हुआ
निदेशक के रूप में श्रीमती रानी सतीश का कार्यकाल 01.01.2010 को समाप्त हुआ

एमसीएम	- निदेशक मंडल की प्रबंध समिति
एसीबी	- निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति
एससीआर एवं एएलएम	- जोखिम और आस्ति-देयता प्रबंधन पर निदेशकों की पर्यवेक्षी समिति
एसआईजीसी	- निदेशक मंडल की शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति
डीपीसी	- निदेशकों की पदोन्नति समिति
डीपीसी(वी)	- निदेशकों की पदोन्नति समिति - सतर्कता / गैर-सतर्कता
एसटीसीबी	- निदेशक मंडल की शेयर अंतरण समिति
एससीएमएफ	- रु.1.00 करोड़ एवं अधिक के धोखाधड़ी मामलों के अनुश्रवण हेतु निदेशक मंडल की विशेष समिति
सीएससीबी	- बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति
आरसीबी	- बोर्ड की पारिश्रमिक समिति
एनसीबी	- बोर्ड की नामांकन समिति

3.8 निदेशकों की समिति सदस्यता

श्री अरुण कुमार नंदा, निदेशक बैंक के बाहर निम्नलिखित लेखापरीक्षा समिति या निवेशक शिकायत समितियों की सदस्यता रखते हैं / के अध्यक्ष हैं :

1. महिन्द्रा & महिन्द्रा लि. - सदस्य - शेयर अंतरण एवं शेयरधारक निवेशक शिकायत समिति.
2. महिन्द्रा होलीडेज़ एवं रिसोर्ट्स (इंडिया) लि. - अध्यक्ष - शेयर आबंटन अंतरण - सह - निवेशक शिकायत समिति.
3. ओवंस कार्निंग (इंडिया) लि. - अध्यक्ष , लेखापरीक्षा समिति
4. महिन्द्रा लाइफस्पेस डवलपर्स लि. - अध्यक्ष - निवेशक शिकायत एवं शेयरधारक समिति.
5. महिन्द्रा इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपर्स लि. - सदस्य, लेखापरीक्षा समिति.
6. महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लि. - सदस्य, लेखापरीक्षा समिति.
7. महिन्द्रा होल्डिंग्स लि. - सदस्य, लेखापरीक्षा समिति.

3.9 निदेशकों का आपसी संबंध

कोई भी निदेशक आपस में रिश्तेदार नहीं हैं.

3.10 वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान निदेशक मंडल में शामिल किए गए नए निदेशकों का संक्षिप्त परिचय निम्नानुसार हैः

नाम	आयु	अनुभव	नियुक्ति की तारीख	वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति की तिथि	अन्य कं. में निदेशक पद
श्री अरुण कुमार नंदा	60 वर्ष	श्री अरुण नंदा एक अर्हताप्राप्त चार्टर्ड एकाउन्टेंट, कंपनी सेक्रेटरी और विधि स्नातक हैं जिन्हें 35 वर्ष से अधिक अनुभव है. वे महिन्द्रा & महिन्द्रा लि. में कार्यपालक निदेशक एवं अध्यक्ष, इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट रहे हैं और महिन्द्रा ग्रुप की अन्य कंपनियों के बोर्ड में गैर कार्यपालक निदेशक भी हैं. उन्हें अनुपालन, कार्पोरेट गवर्नेंस, निवेश, रणनीतिक योजना, नयी कारोबारी संभावनाओं की पहचान और कार्पोरेट सम्प्रेषण का व्यापक अनुभव है. वे इंडो-फ्रेंच चेंबर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष हैं, वे भारत में कौंसिल ऑफ ईयू चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के गवर्निंग बोर्ड के सदस्य, सीआईआई के पश्चिम क्षेत्र के उपाध्यक्ष, सीआईआई नेशनल कमेटी ऑन वॉटर के अध्यक्ष और गवर्निंग बोर्ड ऑफ बॉम्बे फर्स्ट के सदस्य हैं. उन्हें फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा "Chavalier de la Legion d Honneur" (Knight of National Order of the Legion of Honour) पुरस्कार और जीआईआरईएम लीडरशिप अवार्ड्स द्वारा "Real Estate Person of the Year" पुरस्कार प्रदान किया गया है. उन्हें दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स ऑफ इंडिया अवार्ड 2009 के अंतर्गत ''सीए बिजनेस अचीवर अवार्ड - कार्पोरेट'' तथा गोल्डन स्टार अवार्ड्स 2010 द्वारा होस्पीटैलिटी एवं सेवा क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए ''लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड'' भी प्रदान किए गए हैं.	22.06.2009 की ईजीएम में चुने गए	21.06.2012	18

नाम	आयु	अनुभव	नियुक्ति की तारीख	वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति की तिथि	अन्य कं. में निदेशक पद
श्री एस रवि	49 वर्ष	श्री रवि विज्ञान स्नातक एवं कॉमर्स में स्नातकोत्तर होने के अलावा एक पेशेवर सनदी लेखाकार हैं. आप अन्य सार्वजनिक बैंकों के निदेशक मंडल में शेयरधारक और सनदी लेखाकार वर्ग के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त, दोनों ही हैसियतों से निदेशक रहे हैं. आप अन्य अनेक कंपनियों के निदेशक मंडल में भी हैं, जिनमें प्रमुख हैं - महिन्द्रा उजाइन स्टील लि., भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि., आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स लि., आईडीबीआई होम फायनांस लि.,यूटीआई ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लि., एलआईसी हाउसिंग फायनांस कार्पोरेशन लि., महर्षि हाउसिंग डेवेल्पमेंट कार्पोरेशन लि., एस रवि फायनांशियल मैनेजमेंट सर्विसेज़ प्रा. लि., मेसर्ज़ रवि राजन कं. प्रा. लि. आपको चुनिंदा क्षेत्र में निरंतर प्रेरक उपलब्धियों के लिए इंदिरा गांधी सोलीडेरिटी अवार्ड प्राप्त हुआ था.	22.06.2009 की ईजीएम में चुने गए	21.06.2012	9
श्री एस.सी कालिया	58 वर्ष	श्री कालिया ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक के रूप में 21 नवंबर 2009 को कार्यभार ग्रहण किया. इससे पहले वे 08 अक्तूबर 2008 से विजया बैंक के कार्यपालक निदेशक थे. श्री कालिया बैंक ऑफ बड़ौदा के केन्द्रीय कार्यालय, मुम्बई में होलसेल बैंकिंग पोर्टफोलियो के प्रभारी महा प्रबंधक रह चुके हैं. राजनीति शास्त्र में स्नातकोत्तर स्वर्णपदक विजेता श्री कालिया एक व्यावसायिक बैंकर के रूप में देश और विदेश में विभिन्न पदों पर 35 वर्ष से अधिक अवधि से कार्य कर रहे हैं. बैंक ऑफ बड़ौदा में सेवा करते समय उन्होंने आगरा एवं बरेली क्षेत्र के प्रमुख के रूप में सफलतापूर्वक कार्य किया है. देश एवं विदेश में व्यापक रूप से कार्य कर चुके श्री कालिया विशेषकर ऋण संबंधी एवं अन्तर्राष्ट्रीय बैंकिंग के मामलों में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाने जाते हैं. वर्ष 1990 में वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में अपनी पदोन्नति पर उन्हें लंदन में बैंक के ग्रुप कंट्रोल ऑफिस में नियुक्त किया गया था. वे बैंक के अंचल कार्यालय-उत्तर प्रदेश में पश्चिमांचल के ऋण एवं अन्तर्राष्ट्रीय बैंकिंग कारोबार के प्रभारी भी थे. श्री कालिया बैंक ऑफ बड़ौदा के संयुक्त उद्यमों-बड़ौदा पायनियर एसेट मैनेजमेंट कं. लि. और बड़ौदा एल एंड जी लाइफ इंश्योरेंस कं. के शिल्पकार थे. वे मॉरिशस में बैंक के परिचालनों के मुख्य कार्यपालक और आईसीआईसीआई वेंचर फंड द्वारा प्रायोजित एडवांटेज फंड के सुपरवाइजरी बोर्ड के सदस्य थे. वे बैंक ऑफ बड़ौदा (बोत्सवाना) लि. के बोर्ड में निदेशक, पूर्व बरेली कार्पोरेशन बैंक लि.के बोर्ड में निदेशक एवं बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के सदस्य, नैनीताल बैंक लि., एवं बैंक ऑफ बड़ौदा (हांगकांग) लि. के निदेशक मंडल में निदेशक भी थे. श्री कालिया प्रतापगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष भी थे. श्री कालिया को अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं जिनमें बैंकर शिरोमणि पुरस्कार और उत्तरकाशी पुरस्कार शामिल हैं. इस समय श्री कालिया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एवं केबीसी बेल्जियम की एक संयुक्त उद्यम कंपनी यूबीआई केबीसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी लि., के निदेशक मंडल में निदेशक हैं.	21.11.2009	31.08.2011	1
31 मार्च, 2010 के बाद निदेशक मंडल में शामिल निदेशक का परिचय					
श्री बी. एम. शर्मा	53 वर्ष	श्री बी. एम. शर्मा बैंक के निदेशक मंडल में बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 के चार्टर्ड एकाउंटेंट श्रेणी खंड (3)(जी) के अंतर्गत दिनांक 16 अप्रैल, 2010 की अधिसूचना के जरिये नियुक्त किए गए हैं. श्री शर्मा अर्हता प्राप्त चार्टर्ड एकाउंटेंट हैं जो 26 से अधिक वर्ष से प्रैक्टिस कर रहे हैं. इसके अतिरिक्त, वे अर्हताप्राप्त सूचना प्रणाली लेखारीक्षक भी हैं. उन्होंने अपने दो दशकों से अधिक के अनुभव के दौरान समवर्ती लेखापरीक्षा तथा बैंकों के कई अन्य कार्यों का संचालन भी किया है तथा उन्हें वित्त, बैंकिंग एवं कराधान में विशेषज्ञता प्राप्त है. यूनियन बैंक में अपने नामांकन से पहले श्री शर्मा चार्टर्ड एकाउंटेंट श्रेणी के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त विजया बैंक के निदेशक मंडल में थे. श्री शर्मा वर्ष 2009 के दौरान इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स ऑफ इंडिया की व्यावसायिक विकास समिति में विशेष आमंत्रित थे. व्यावसायिक विकास समिति से जुड़े होने के कारण उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निजी इक्विटी वित्तपोषण और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के क्षेत्रों में गहन अनुभव है.	16.04.2010	15.04.2013	शून्य

3.11 वार्षिक साधारण बैठकः

शेयर धारकों की सातवीं वार्षिक साधारण बैठक दि. 22 जून,2009 को आयोजित की गयी, जिसमें निम्नलिखित निदेशक उपस्थित थे :

1.	श्री एम.वी.नायर	-	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2.	श्री टी.वाय.प्रभु	-	कार्यपालक निदेशक
3.	श्री एस रामन	-	कार्यपालक निदेशक
4.	श्री के.शिवरामन		निदेशक
5.	श्री के.एस.श्रीनिवासन	-	निदेशक तथा अध्यक्ष लेखापरीक्षा समिति
6.	श्री देबाशीष घोष	-	निदेशक
7.	श्री एन शंकर	-	निदेशक
8.	श्री अशोक सिंह	-	निदेशक एवं शेयरधारक / निवेशक शिकायत समिति के अध्यक्ष
9.	डॉ. गुलफ़ाम मुज़िबी	-	निदेशक

*श्री आर आर नायर, प्रो. एन. एल. सारडा और प्रो. एम. एस. श्रीराम वार्षिक सामान्य बैठक में भाग लेने के लिए पात्र नहीं थे क्योंकि उनका कार्यकाल दिनांक 18.06.2009 को पूरा हो गया था.

श्री के. वी. ईप्पन और श्रीमती रानी सतीश अपनी अन्य व्यस्तताओं के कारण वार्षिक सामान्य बैठक में भाग नहीं ले सके.

4. निदेशक मंडल की समितियां

4.1 निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी)

4.1.1 संघटन :

निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) का गठन भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार किया गया है, जिसमें 6 निदेशक यथा - कार्यपालक निदेशक, भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती और 2 गैर सरकारी गैर कार्यपालक निदेशक जिनमें से एक चार्टर्ड एकाउटेंट शामिल हैं. बैठकों की अध्यक्षता स्वतंत्र, गैर सरकारी निदेशक और चार्टर्ड एकाउटेंट श्री एस.रवि द्वारा की जाती है.

4.1.2 कार्य

1. एसीबी बैंक के लेखापरीक्षा संबंधी समग्र कार्य का पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन करती है. समग्र लेखा परीक्षा कार्य में बैंक की आंतरिक लेखापरीक्षा और निरीक्षण का संगठन, परिचालन तथा गुणवत्ता नियंत्रण और बैंक की सांविधिक/ बाह्य लेखापरीक्षा और भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षणों पर अनुवर्ती कार्रवाई करना शामिल है.

2. एसीबी बैंक की आंतरिक निरीक्षण/लेखापरीक्षा कार्यों अर्थात् उसकी प्रणाली,गुणवत्ता और अनुवर्ती कार्रवाई की प्रभावकारिता की समीक्षा करती है. यह विशेषीकृत शाखाओं और बहुत बड़ी शाखाओं तथा असंतोषजनक रेटिंगवाली सभी शाखाओं की निरीक्षण रिपोर्टों की समीक्षा करती है. इसके द्वारा विशेष रूप से निम्नलिखित कार्यों पर भी ध्यान केन्द्रित किया जाता हैः

- अंतर शाखा समायोजन खाते
- अंतर बैंक खातों और नोस्ट्रो खातों में बहुत समय से बकाया प्रविष्टियां जिनका मिलान न हुआ हो.
- विभिन्न शाखाओं में बहियों के तुलन की बकाया स्थिति.
- धोखाधड़ी.
- हाऊसकीपिंग से संबंधित सभी प्रमुख क्षेत्र.

3. एसीबी भारिबैं. के अन्य दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों में नियुक्त अनुपालना अधिकारी से छमाही रिपोर्ट प्राप्त करती है एवं उसकी समीक्षा करती है.

4. सांविधिक लेखापरीक्षा के मामले में यह समिति लांग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट में उठाए गए सभी मुद्दों पर अनुवर्ती कार्रवाई करती है. बैंक के छमाही/ वार्षिक वित्तीय लेखों और रिपोर्टों को अंतिम रूप प्रदान करने के पहले यह बाह्य लेखापरीक्षकों से चर्चा करती है.

5. लेखापरीक्षा समिति, बैंक की लेखा नीतियां, संबंधित पार्टी लेनदेन, प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण तथा बैंक के तिमाही और वार्षिक वित्तीय परिणामों की भी समीक्षा करती है.

6. इसके साथ ही साथ, एसीबी प्रत्येक वर्ष गुप्त सूचना (व्हिसिल ब्लोअर) हेतु अपनायी गई नीति की भी समीक्षा करती है.

4.1.3 एसीबी बैठकों में उपस्थिति

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री टी.वाय. प्रभु, का.नि.	4	4
श्री एस. रामन, का.नि.	12	12
श्री एस. सी. कालिया, का.नि.	6	6
श्री के. वी. ईप्पन, सरकार द्वारा नामित	12	8
श्री के. शिवरामन, भारिबैं द्वारा नामित	12	11
श्री के. एस. श्रीनिवासन, गैर-सरकारी निदेशक, चार्टर्ड एकाउटेंट संवर्ग. (अध्यक्ष एसीबी)	5	5
श्री आर. आर. नायर, शेयरधारक निदेशक	1	1
श्री एस. रवि (अध्यक्ष एसीबी)	9	9
प्रो. एम. एस. श्रीराम	7	7

4.2 बोर्ड की प्रबंधन समिति (एमसीबी)

4.2.1 संघटन

वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) बैंकिंग प्रभाग द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान योजना) 1970 के अंतर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 19 फरवरी, 2007 और उसके बाद 29 जून, 2007 तक किए गए संशोधनों द्वारा अब प्रबंधन समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशक/निदेशकों, केन्द्र सरकार द्वारा धारा 9(3)(जी) के अंतर्गत नामित एक चार्टर्ड एकाउटेंट जो समिति के नियमित सदस्य के रूप में कार्य करते हैं, शामिल हैं और निदेशक मंडल द्वारा धारा 9(3)(ई),(एफ),(एच)एवं(आई) के अंतर्गत रोटेशन के आधार पर प्रत्येक छःमाह के लिए बोर्ड द्वारा नामित तीन अन्य गैर-कार्यपालक निदेशक होते हैं. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बैठक की अध्यक्षता करते हैं.

4.2.2 कार्य

निदेशक मंडल ने प्रबधंन समिति का गठन वित्त मंत्रालय,भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार कारोबार संबंधी विभिन्न मामलों यथा ऋण प्रस्तावों की मंजूरी,ऋण समझौता/बट्टे खाते डालने संबंधी प्रस्तावों,राजस्व एवं पूंजीगत व्ययों का अनुमोदन, परिसर अधिग्रहण और किराये पर लेना, निवेश और दान आदि पर विचार करने के लिए किया है.

4.2.3 एम सी बी बैठक में उपस्थिति

वर्ष के दौरान प्रबंधन समिति की 20 बैठकें हुईं, जिनमें उपस्थिति इस प्रकार रही : -

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री एम. वी. नायर, अ.एवं प्र.नि.	20	20
श्री टी. वाय. प्रभु, का.नि.	8	8
श्री एस. रामन, का. नि.	20	20
श्री एस. सी. कालिया, का. नि.	7	7
श्री के. शिवरामन, भारिबैं के नामिती	20	19
श्री के. एस. श्रीनिवासन, गैर-सरकारी निदेशक, चार्टर्ड एकाउटेंट संवर्ग	11	11
श्री आर. आर. नायर, शेयरधारक निदेशक	4	1
प्रो. एन. एल. सारडा, शेयरधारक निदेशक	3	2
प्रो. एम. एस. श्रीराम, शेयरधारक निदेशक	10	9
डॉ. गुलफाम मुजिबी, गैर-सरकारी निदेशक	10	8
श्री देबाशीष घोष, अधिकारी कर्मचारी निदेशक	6	5
श्री अशोक सिंह, अंशकालिक, गैर-सरकारी निदेशक	10	9
श्रीमती रानी सतीश, अंशकालिक, गैर-सरकारी निदेशक	4	4
श्री एन. शंकर, वर्कमैन कर्मचारी निदेशक	7	7
श्री एस. रवि, शेयरधारक निदेशक	5	4

4.3 जोखिम और आस्ति देयता प्रबंधन पर निदेशकों की पर्यवेक्षी समिति (एससीआर एण्ड एएलएम) :

4.3.1. संघटन

इस समिति में निदेशक मंडल के निम्नलिखित सदस्य यथा : अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक और भारत सरकार के नामित सदस्य तथा दो अन्य गैर-कार्यपालक निदेशक शामिल हैं. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक इस समिति के अध्यक्ष हैं.

4.3.2. कार्य

बैंक ने जोखिम और आस्ति देयता प्रबंधन के कार्यकलापों के पर्यवेक्षण के लिए निदेशक मंडल की जोखिम और आस्ति देयता प्रबंधन पर्यवेक्षी समिति गठित की है, यह बैंक के सभी जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन और निगरानी करती है.

4.3.3. एससीआर एवं एएलएम बैठकों में उपस्थिति

वर्ष में समिति की 5 बैठकें हुईं, जिनमें उपस्थिति निम्नानुसार रही :-

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री एम. वी. नायर, अ.एवं प्र.नि.	5	5
श्री टी. वाय. प्रभु, का.नि.	2	2
श्री एस. रामन, का. नि.	5	5
श्री एस. सी. कालिया, का. नि.	2	2
श्री के. वी. ईप्पन, भारत सरकार नामिती	5	3
श्री के. शिवरामन, भारिबैं के नामिती	5	5
श्री के. एस. श्रीनिवासन, गैर-सरकारी निदेशक, चार्टर्ड एकाउटेंट संवर्ग	3	3
प्रो. एम. एस. श्रीराम, शेयरधारक निदेशक	5	5
श्री अशोक सिंह, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	5	4

4.4 बोर्ड की शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत संबंधी समिति (एसआईजीसी):

4.4.1 संघटन

शेयरधारकों / निवेशकों की शिकायत संबंधी समिति में कार्यपालक निदेशक और दो गैर-कार्यपालक निदेशक हैं. समिति के अध्यक्ष श्री अशोक सिंह, स्वतंत्र गैर-कार्यपालक निदेशक हैं.

4.4.2 कार्य

सूचीबद्धता करार के खंड 49 के अनुसार बोर्ड द्वारा बोर्ड की शेयरधारकों / निवेशकों की शिकायत समिति (एसआईजीसी) का गठन किया गया है. यह समिति शेयरों के अंतरण, वापसी आदेश, शेयर प्रमाणपत्र, लाभांश आदि प्राप्त न होने संबंधी शेयरधारकों / निवेशकों की शिकायतों का निवारण करती है.

4.4.3 एसआईजीसीमें उपस्थिति

वर्ष के दौरान समिति की 4 बैठकें हुईं, जिनमें उपस्थिति निम्न प्रकार है :-

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री टी. वाय. प्रभु, का.नि.	1	1
श्री एस. रामन, का. नि.	4	4
श्री एस. सी. कालिया	2	2
प्रो. एन. एल. सारडा, शेयरधारक निदेशक	1	1
श्री आर. आर. नायर, शेयरधारक निदेशक	1	-
श्री अशोक सिंह, अंशकालिक, गैर-सरकारी निदेशक (एसआईजीसी के अध्यक्ष)	4	3
श्री अरुण कुमार नंदा, शेयरधारक निदेशक	3	3

वित्तीय वर्ष दिनांक 01.04.2009 से 31.03.2010 तक प्राप्त, उत्तरित और लंबित शिकायतों की तुलनात्मक सारणी निम्न प्रकार है :

		31.03.2010 को समाप्त वि.वर्ष के लिए	31.03.2009 को समाप्त वि.वर्ष के लिए
ए	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारकों की लंबित शिकायतों की संख्या	शून्य	शून्य
बी	वर्ष के दौरान प्राप्त शेयरधारकों की शिकायतों की संख्या	1,646	1950
सी	वर्ष के दौरान शेयरधारकों की निपटाई गई शिकायतों की संख्या	1,646	1950
डी	वर्ष की समाप्ति पर शेयरधारकों की लंबित शिकायतों की संख्या	शून्य	शून्य

श्रीमती मोनिका कालिया, कंपनी सचिव को निवेशकों की शिकायतों के लिए अनुपालन अधिकारी के रूप में पदनामित किया है.

4.5 बोर्ड की शेयर अंतरण समिति (एसटीसीबी)

4.5.1 संघटन

इस समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं / अथवा कार्यपालक निदेशक तथा कोई दो निदेशक शामिल हैं.

4.5.2 कार्य

बैंक ने शेयरों के शीघ्रतापूर्वक अंतरण के लिए निदेशक मंडल की शेयर अंतरण समिति गठित की है, जिसे शेयरों के अंतरण, प्रेषण, रीमैट एवं डुप्लीकेट शेयर जारी करने आदि की पुष्टि के अधिकार दिये गये हैं.

4.5.3 एसटीसीबी में उपस्थिति

वर्ष के दौरान, समिति की अंतरण, प्रेषण, रीमैट एवं डुप्लीकेट शेयर जारी करने इत्यादि पर कार्रवाई करने के लिए 21 बैठकें आयोजित की गयीं.

4.6 रु.1.00 करोड़ एवं अधिक के धोखाधड़ी वाले मामलों के अनुश्रवण हेतु निदेशक मंडल की विशेष समिति (एससीएमएफ)

भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्रांक आरबीआई / 2004.15.डीबीएस.एफजीवी (एफ) नं.1004/23.04.01 ए/2003-04, दिनांक 14.01.2004 द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप रु.1.00 करोड़ एवं अधिक के धोखाधड़ी के मामलों के अनुश्रवण हेतु निदेशक मंडल की विशेष समिति का गठन किया गया है. वर्तमान में निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) से आंतरिक निरीक्षण, सांविधिक लेखापरीक्षा, अंतर शाखा / अंतर बैंक खातों, हाऊसकीपिंग के प्रमुख क्षेत्रों इत्यादि का पर्यवेक्षण अपेक्षित है. समिति से यह भी अपेक्षित है कि वह बैंक में धोखाधड़ी के संबंध में निवारक पहलुओं तथा की जा रही अनुवर्ती कार्रवाई पर भी ध्यान दे. यह विशेष समिति रु.1.00 करोड़ एवं अधिक के धोखाधड़ी के मामलों का विशेष रूप से अनुश्रवण और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करती है. तथापि निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति सामान्य रूप से धोखाधड़ी के सभी मामलों का भी अनुश्रवण करना जारी रखेगी.

मंडल की विशेष समिति की कार्यप्रणाली की समीक्षा छमाही आधार पर की जाती है और निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत की जाती है.

4.6.1 संघटन

यह विशेष समिति, निदेशक मंडल के निम्नलिखित सदस्यों को शामिल कर गठित की गई है.

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
- निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति के दो सदस्य
- भारतीय रिज़र्व बैंक नामिती को छोड़कर निदेशक मंडल के दो अन्य सदस्य.

4.6.2 कार्य

इस विशेष समिति का प्रमुख कार्य रु.1.00 करोड़ एवं अधिक के धोखाधड़ी के सभी मामलों की समीक्षा एवं उनका अनुश्रवण करना होगा ताकि :

- धोखाधड़ी की संभावनाओं वाली कार्यप्रणालीगत कमियों को दूर किया जा सके और उन पर रोक लगाने हेतु आवश्यक उपाय किये जा सकें.
- धोखाधड़ी का पता लगाने और / या उच्च प्रबंधन या भारतीय रिज़र्व बैंक को सूचित करने में यदि कोई देरी हुई हो, तो उनके कारणों का पता लगाया जा सके,
- सीबीआई / पुलिस जांच एवं वसूली स्थिति की प्रगति का अनुश्रवण किया जा सके,
- सुनिश्चित किया जा सके कि धोखाधड़ी के सभी मामलों में प्रत्येक स्तर पर स्टाफ उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाता है तथा स्टाफ संबंधी कार्रवाई यदि कोई है तो उसे तत्काल निपटाया जाता है.
- धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति रोकने हेतु आंतरिक नियंत्रणों को सुदृढ़ करने जैसी रक्षात्मक कार्रवाई के प्रभाव की समीक्षा की जा सके,
- धोखाधड़ी निरोधक उपायों को सुदृढ़ बनाने हेतु यथावश्यक अन्य उपाय लागू किये जा सकें.

4.6.3 एससीएमएफ में उपस्थिति

वर्ष 2009-10 के दौरान समिति की 5 बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें उपस्थिति निम्नानुसार रही :

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री एम. वी. नायर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	5	5
श्री टी. वाय. प्रभु, का.नि.	1	1
श्री एस. रामन, का. नि.	5	5
श्री एस. सी. कालिया, का. नि.	3	3
श्री के. वी. ईप्पन, भारत सरकार नामिती	5	4
श्री के. एस. श्रीनिवासन, चार्टर्ड एकाउटेंट संवर्ग में गैर-सरकारी निदेशक	2	2
प्रो. एम. एस. श्रीराम, शेयरधारक निदेशक	5	4

4.7 निदेशक मंडल की बैंक की ग्राहक सेवा समिति (सीएससीबी)

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निदेशक मंडल की

ग्राहक सेवा समिति का गठन किया गया है. समिति का गठन भारतीय रिज़र्व बैंक, डीबीओडी के दिनांक 14 अगस्त 2004 के परिपत्र के संदर्भ में किया गया है.

4.7.1 संघटन

समिति में आठ सदस्य निम्नानुसार हैं :

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / कार्यपालक निदेशक
- शेयरधारकों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो निदेशक
- भारत सरकार द्वारा नामित एक निदेशक
- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित एक निदेशक
- एक अतिरिक्त निदेशक
- विशेष आमंत्रित के रूप में ग्राहकों के दो प्रतिनिधि

4.7.2 कार्य

यह समिति निम्नलिखित कार्य करती है :

- सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु सुझाव देना.
- मौजूदा नीतियों एवं कार्यपद्धतियों को युक्तियुक्त बनाने तथा सरलीकरण की दृष्टि से उनके कार्यान्वयन की समीक्षा करना तथा निरंतर आधार पर परिवर्तनों को लागू करने हेतु समुचित प्रोत्साहनों का सुझाव देना.
- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गठित सार्वजनिक सेवा पर प्रक्रिया और कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा समिति (सीपीपीएपीएस) की सिफ़ारिशों के अनुपालन सहित बैंक की तदर्थ समिति के कार्यों का पर्यवेक्षण.

4.7.3 सीएससीबी में उपस्थिति

वर्ष 2009-10 के दौरान इस समिति की 3 बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें उपस्थिति के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान सम्पन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री एम वी नायर , अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	3	3
श्री एस. रामन, का. नि.	3	3
श्री एस. सी. कालिया, का. नि.	2	2
श्री के शिवरामन, भारिबैं नामिती निदेशक	3	3
प्रो.एम एस श्रीराम, शेयरधारक निदेशक	3	3
श्री देवाशीष घोष, अधिकारी संवर्ग निदेशक	1	1
श्री एन. शंकर, वर्कमैन कर्मचारी निदेशक	3	3
श्रीमती रानी सतीश, गैर सरकारी निदेशक	1	1
डॉ गुलफ़ाम मुज़िबी, गैर सरकारी निदेशक	2	1
श्री अशोक सिंह, गैर सरकारी निदेशक	1	1

4.8 निदेशकों की पारिश्रमिक निर्धारण समिति (आरसीबी) :

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामलों के विभाग (बैंकिंग प्रभाग) ने अपने संप्रेषण एफ नं. 20/1/2005-बीओ.I दिनांक 09 मार्च, 2007 द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के पूर्णकालिक निदेशकों को कार्य निष्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन की एक योजना की घोषणा की है. भारत सरकार के संप्रेषण के अनुसार बोर्ड की एक उप-समिति बनाई गई है जिसे ''पारिश्रमिक समिति'' कहा गया है.

4.8.1 संघटन :

- सरकार द्वारा नामित निदेशक
- भारिबैं द्वारा नामित निदेशक
- दो अन्य निदेशक

4.8.2 कार्य :

भारत सरकार के उपरोक्त दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों को दिए जाने वाले कार्यनिष्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहनों का निर्धारण करना.

4.8.3 आरसीबी में उपस्थिति

वर्ष 2009-10 के दौरान इस समिति की 1 बैठक आयोजित की गई, जिसमें उपस्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार हैं :

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान सम्पन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री के. वी. ईप्पन, भारत सरकार नामित	1	1
श्री के शिवरामन, भारिबै. नामित	1	1
प्रो.एम एस श्रीराम, शेयरधारक निदेशक	1	1
श्री अरुण कुमार नंदा, शेयरधारक निदेशक	1	1

4.9 बोर्ड की नामांकन समिति (एनसीबी):

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 (वर्ष 2006 में संशोधित किए अनुसार) की धारा 9 की उप-धाराएं (3एए) एवं (3एबी) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड के निदेशकों के रूप में चयनित किए गए व्यक्तियों द्वारा पूरे किए जाने के लिए विशिष्ट ''योग्य एवं उपयुक्त'' मानदंड निर्धारित किए हैं. भारिबैं ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड में चयनित निदेशकों के लिए ''योग्य एवं उपयुक्त'' मानदंडों पर परिपत्र डीबीओडी सं.बीसी नं.47/29.39.001/2007-08 दिनांक 01 नवंबर, 2007 जारी किया है.

बैंकों से अपेक्षा है कि वे अधिनियम की धारा 9 (3) (i) के अंतर्गत वर्तमान चयनित निदेशकों की योग्य एवं उपयुक्त स्थिति के निर्धारण के लिए ड्यू डिलिजेंस की प्रक्रिया करने के लिए नामांकन समिति का गठन करें. तदनुसार, बैंक ने निदेशकों की नामांकन समिति का गठन किया गया है.

4.9.1 संघटन :

- भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक
- भारिबैं द्वारा नामित निदेशक
- गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक

4.9.2 कार्य :

- ड्यू डिलीजेंस के कार्य की जिम्मेदारी लेना और चयनित निदेशक की ''योग्य एवं उपयुक्त'' स्थिति की जांच करना.
- यह देखना कि क्या किसी मानदंड यथा (i) शैक्षिक योग्यता (ii) विशेषज्ञता का अनुभव एवं क्षेत्र (iii) ट्रेक रिकॉर्ड एवं ईमानदारी का गैर-अनुपालन वर्तमान चयनित निदेशक / प्रस्तावित उम्मीदवार को बैंक के बोर्ड में निदेशक के रूप में अपने कर्त्तव्यों को निभाने में रुकावट तो पैदा नहीं करता है. इसके अतिरिक्त, किसी प्राधिकार / नियामक एजेंसी से उम्मीदवार के बारे में प्रतिकूल सूचना या दिवालियापन अथवा किसी बैंक या किसी वित्तीय संस्था से किसी ऋण में चूक की सूचना उम्मीदवार को बैंक के बोर्ड में निदेशक होने के लिए अयोग्य एवं अनुपयुक्त कर देगी.
- हस्ताक्षरित घोषणा के आधार पर, नामांकन समिति उम्मीदवार को स्वीकार करने या अन्यथा का निर्णय करे और आवश्यक समझे जाने पर उपयुक्त प्राधिकारी / व्यक्तियों से संदर्भ (हवाले) प्राप्त करें ताकि इन अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके.

4.9.3 एनसीबी में उपस्थिति :

समिति की वर्ष 2009-10 के दौरान दो बैठकें संपन्न हुईं, जिसमें उपस्थिति निम्नानुसार रही :

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान सम्पन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री के. वी. ईप्पन, सरकारी नामिती	2	2
श्री के. शिवरामन, भारिबैं नामिती	2	2
श्रीमती रानी सतीश	2	2

4.10 निदेशकों की पदोन्नति समिति (डीपीसी)

4.10.1 संघटन :

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
- भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक
- भारिबैं. नामित निदेशक

4.10.2 कार्य

यह समिति उच्च कार्यपालक ग्रेड स्केल VII में पदोन्नति के लिए अभ्यर्थियों का चयन करने के साथ-साथ उच्च प्रबंधन ग्रेड स्केल VII में चयन / अनुमोदन न होने पर अधिकारियों द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर विचार करती है और उच्च कार्यपालक ग्रेड में अधिकारियों की सेवाएं जारी रखने संबंधी मामलों पर निर्णय लेती है.

4.10.3 डीपीसी में उपस्थिति

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान सम्पन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री एम. वी. नायर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	1	1
श्री के. वी. ईपन, भारत सरकार नामिती	1	1
श्री के. शिवरामन, भारिबैं. नामिती	1	1

4.11 निदेशकों की पदोन्नति समिति - सतर्कता / गैर-सतर्कता

4.11.1 संघटन

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
- भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक
- भारिबैं. नामित निदेशक

इसके अतिरिक्त, कार्यपालक निदेशक भी इन बैठकों में विशेष आमंत्रित के रूप में उपस्थित रहते हैं.

4.11.2 कार्य

यह समिति तिमाही आधार पर सतर्कता, गैर-सतर्कता संबंधी अनुशासनात्मक मामलों और विभागीय जांचों की समीक्षा करती है.

4.11.3 डीपीसी - सतर्कता/गैर-सतर्कता में उपस्थिति

समिति की वर्ष 2009-10 के दौरान 4 बैठकें संपन्न हुईं, जिनमें उपस्थिति निम्नानुसार रही

निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान सम्पन्न बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
श्री एम. वी. नायर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	4	4
श्री के. वी. ईप्पन, भारत सरकार नामिती	4	3
श्री के. शिवरामन, भारिबैं. नामिती	4	4

5. साधारण सभा की बैठकें :

पिछले 3 वर्षों के दौरान आयोजित शेयरधारकों की साधारण बैठकों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

बैठक का स्वरूप	दिनांक एवं समय	स्थान
पांचवीं वार्षिक सामान्य बैठक	22 जून, 2007 शाम 4.00 बजे	रामा वाटुमल ऑडिटोरियम, के सी कॉलेज, दिनशा वाच्छा रोड, चर्चगेट, मुम्बई-400 020.
छठी वार्षिक सामान्य बैठक	25 जून, 2008 शाम 4.00 बजे	रामा वाटुमल ऑडिटोरियम, के सी कॉलेज, दिनशा वाच्छा रोड, चर्चगेट, मुम्बई-400 020.
शेयरधारक निदेशकों के चुनाव के लिए असाधारण सामान्य बैठक	22 जून, 2009 प्रातः 10.30 बजे	रामा वाटुमल ऑडिटोरियम, के सी कॉलेज, दिनशा वाच्छा रोड, चर्चगेट, मुम्बई-400 020.
सातवीं वार्षिक सामान्य बैठक	22 जून, 2009 शाम 4.00 बजे	रामा वाटुमल ऑडिटोरियम, के सी कॉलेज, दिनशा वाच्छा रोड, चर्चगेट, मुम्बई-400 020.

उपर्युक्त साधारण बैठकों में कोई विशेष संकल्प नहीं पारित किया गया.

6. प्रकटन :

बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का

अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 द्वारा नियंत्रित है. सेबी ने स्पष्ट किया है कि उन सूचीबद्ध प्रतिष्ठानों पर, जो कंपनी नहीं हैं परंतु अन्य अधिनियमों के अंतर्गत निगमित कार्पोरेट निकाय (अर्थात् प्राइवेट और सरकारी क्षेत्र के बैंक, वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनियां आदि) हैं, सूची समझौते का खंड 49 उस सीमा तक ही लागू होगा कि वह उनके संबंधित अधिनियमों और संबंधित नियामक प्राधिकारियों द्वारा जारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन न करता हो. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए यह घोषणा की जाती है कि बैंक सूचीकरण समझौते के खंड 49 की सभी प्रयोज्य अनिवार्य अपेक्षाओं का पालन करता है. उक्त खंड के अंतर्गत गैर-अनिवार्य अपेक्षाओं से संबंधित अनुपालन की जानकारी भी इस रिपोर्ट में दी गई है. खंड द्वारा निर्धारित अन्य प्रकटन अपेक्षाएं निम्नानुसार हैं :

i. **निदेशकों का पारिश्रमिक :**

गैर-कार्यपालक निदेशकों को यात्रा व्यय और विराम व्ययों सहित पारिश्रमिक का निर्धारण भारिबैं की सलाह पर केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 के खंड 17 की शर्तों के अनुसार किया जाता है.

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यपालक निदेशकों को भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार पारिश्रमिक का भुगतान और यात्रा व्ययों एवं विराम व्ययों की प्रतिपूर्ति की जाती है. पूर्णकालिक कार्यपालकों की नियुक्ति के अन्य नियम एवं शर्तें राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 के खंड 8 के अनुसार हैं, जिनके विस्तृत विवरण लेखों की टिप्पणियों में दिए गए हैं

ii **महत्वपूर्ण लेनदेन एवं आर्थिक सम्बन्धों का प्रकटन :**

बैंकिंग कारोबार की सामान्य प्रक्रिया के अतिरिक्त, बैंक ने बड़े स्तर पर बैंक के हितों की संभाव्य प्रतिकूलता को ध्यान में रखते हुए अपने प्रवर्तकों, निदेशकों अथवा प्रबंधन, अपनी सहायक कंपनियों या रिश्तेदारों आदि के साथ ऐसा कोई महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं किया है, जिसका टकराव बैंक के हितों से होता हो. वर्ष के दौरान गैर-कार्यपालक निदेशक और बैंक के बीच कोई आर्थिक संबंध या लेनदेन नहीं हुआ.

बैंक में यह प्रथा रही है कि जब मामला निदेशकों या उनके रिश्तेदारों/फर्मों/कम्पनियों से संबंधित चर्चा का हो, तब संबंधित निदेशक बोर्ड के विचार-विमर्श और बोर्ड की अन्य उप समितियों में भाग नहीं लेते हैं.

iii **सार्वजनिक निर्गमों, राइट निर्गमों, अधिमानी निर्गमों आदि के आगम :**

आलोच्य वर्ष के दौरान बैंक ने इक्विटी शेयरों के सार्वजनिक निर्गमों, राइट निर्गमों, अधिमानी निर्गमों आदि से अपनी इक्विटी पूंजी को नहीं बढ़ाया है. तथापि, बैंक ने समय-समय पर प्रॉमीसरी नोट्स (टियर I एवं टियर II) के स्वरूप में अपरिवर्तनीय बांड जारी किए हैं. संबंधित विवरण रिपोर्ट के पैरा 8.2 में दिए गए हैं. इन निधियों को प्राप्त करने का मूल उद्देश्य पूंजी पर्याप्तता अनुपात को मजबूत करने के लिए टियर-II पूंजी को बढ़ाना और बैंक के दीर्घकालीन स्रोतों को उन्नत करना तथा उनका उपयोग उक्त प्रयोजन के लिए किया गया.

iv **दंड एवं आक्षेप :**

आलोच्य वर्ष के दौरान बैंक पर किसी भी स्टॉक एक्सचेज, सेबी या अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले पर कोई अर्थदंड या आक्षेप नहीं लगाया गया है.

v) **गुप्त सूचना नीति**

बैंक ने गुप्त सूचना नीति लागू की है. लेखापरीक्षा समिति उक्त नीति के कार्य की आवधिक रूप से समीक्षा करती है. इसके अतिरिक्त, यह निर्दिष्ट किया जाता है कि कोई भी कर्मचारी लेखापरीक्षा समिति से संपर्क कर सकता है.

vi) **प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण**

इसे वार्षिक रिपोर्ट में अलग से दिया गया है.

7. संप्रेषण के साधन

बैंक के तिमाही, छमाही और वार्षिक वित्तीय परिणाम फायनांशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी), फ्री प्रेस जर्नल (अंग्रेजी), नवभारत (हिंदी), नवशक्ति (मराठी) सहित अग्रणी समाचार पत्रों में प्रकाशित किए गए हैं. ये परिणाम बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in पर भी दर्शाये जाते हैं. इसी प्रकार बैंक द्वारा जारी प्रेस वि%ाप्ति, संबंधित प्रस्तुति, शेयरधारकों का पैटर्न, तिमाही एवं वार्षिक रिपोर्ट आदि भी बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है.

इसके साथ ही, बैंक के सूचना विवरण एवं रिपोर्ट corpfiling@irisindia.net पर भी उपलब्ध हैं.

8. शेयरधारकों की सूचना

8.1 बैंक एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है, जिसका प्रधान कार्यालय मुंबई में है. 31 मार्च 2010 को देश के विभिन्न भागों में बैंक के पास 2805 (एक ओवरसीज़ शाखा सहित) शाखाओं का नेटवर्क था.

8.2 बैंक का शेयर मुम्बई शेयर बाजार और राष्ट्रीय शेयर बाज़ार में सूचीबद्ध हैं तथा उनके स्टॉक स्क्रिप कोड निम्न प्रकार हैं :-

शेयर बाजार, मुम्बई (बीएसई)	532477
राष्ट्रीय शेयर बाजार (एनएसई)	UNIONBANK-EQ

वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए वार्षिक सूचीबद्धता शुल्क का भुगतान शेयर बाजारों को 30.4.2010 के पूर्व कर दिया गया है.

बैंक ने समय-समय पर प्रोमीसरी नोट (टियर I एवं II पूंजी) के रूप में गैर परिवर्तनीय-बांड जारी किए हैं. 31 मार्च 2010 को तत्संबंधित ब्यौरा निम्नानुसार है:

श्रृंखला	मात्रा (रु.करोड़ में)	आबंटन की तारीख	परिपक्वता तिथि	कूपन दर % (प्र.व.)	आईएसआईएन नं.
V	400	07.03.2003	07.04.2010	6.90	आईएनई 692A09050
VI	250	03.09.2003	03.05.2013	5.95	आईएनई 692A09068
VII	450	08.02.2005	08.05.2015	7.15	आईएनई 692A09076
VIII- फ्लोटिंग्स	200	23.09.2005	23.04.2012	बेंच+ 55 बीपीएस	आईएनई 692A09092
VIII- नियत	600	23.09.2005	23.04.2015	7.45	आईएनई 692A09084
IX	200	19.05.2006	19.05.2016	8.33	आईएनई 692A09100
X- प्रथम खंड	300	10.10.2006	स्थाई	10 वर्ष तक 9.45 10 वर्ष के उपरांत 9.95	आईएनई 692A09118
X- द्वितीय खंड अपर टियर -II	750	16.10.2006	10 वर्ष पर मांग सहित 15 वर्ष	8.95 10 वर्ष के उपरांत 9.45	आईएनई 692A09126
XI लोअर टियर -II प्रथम खंड	400	12.12.2007	12 .04.2018	9.35	आईएनई 692A09134
XI अपर टियर -I प्रथम खंड	200	12.12.2007	स्थाई	10 वर्ष तक 9.90 10 वर्ष के उपरांत 10.40	आईएनई 692A09142
XII स्थाई	200	09.09.2008	स्थाई	10 वर्ष तक 11.15 10 वर्ष के उपरांत 11.65, यदि मांग विकल्प का उपयोग न किया गया हो	आईएनई 692A09159
XII लोअर टियर II	400	17.09.2008	17.09.2018	10.95	आईएनई 692A09167
XII लोअर टियर II	200	23.12.2008	23.12.2018	9.50	आईएनई 692A09175
XII लोअर टियर II	200	30.12.2008	30.12.2018	8.60	आईएनई 692A09183
XII स्थाई	140	30.03.2009	स्थाई	10 वर्ष तक 9.10, 10 वर्ष के उपरांत 9.60, यदि मांग विकल्प का उपयोग न किया गया हो	आईएनई 692A09191
XIV- ए अपर टियर II	200	16.06.2009	स्थाई	10 वर्ष तक 8.85% 10 वर्ष के उपरांत 9.35%, यदि मांग विकल्प का उपयोग न किया गया हो	आईएनई 692A09209
XIV-बी अपर टियर II	500	25.06.2009	15 वर्ष 25.06.2024	10 वर्ष तक 8.65% 10 वर्ष के उपरांत 9.15%, यदि मांग विकल्प का उपयोग न किया गया हो	आईएनई 692A09217
XIV-सी अपर टियरII	500	27.01.2010	15 वर्ष 27.01.2025	10 वर्ष तक 8.55% 10 वर्ष के उपरांत 9.05%, यदि मांग विकल्प का उपयोग न किया गया हो	आईएनई 692A09225
कुल	**6090**				

ये सभी बांड राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध हैं और बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज को 2010-11 के लिए वार्षिक सूचीबद्धता शुल्क का भुगतान कर दिया है.

8.3 लाभांश

बैंक के निदेशक मंडल ने 06.05.2010 को आयोजित बैठक में वित्तीय वर्ष के लिए 55% अर्थात् रु. 5.50 प्रति शेयर लाभांश की संस्तुति की है.

8.4 वार्षिक साधारण बैठक और वित्तीय कैलेंडर के ब्यौरे

8.4.1 वार्षिक साधारण बैठक के विवरण

लेखों और लाभांश पर विचार विमर्श के लिए बोर्ड की बैठक	6 मई, 2010
वार्षिक साधारण बैठक की तिथि, समय और स्थान	दि.02 जुलाई, 2010 को अपराह्न 4.00 बजे रामा वाटुमल ऑडिटोरियम, के.सी.कॉलेज, दिनशा वाच्छा रोड, चर्चगेट, मुंबई-400 020.
वार्षिक रिपोर्ट एवं वार्षिक साधारण बैठक के नोटिस का प्रेषण	05 जून, 2010 को या उसके पूर्व
बहियों के बंद रहने की तिथि	अंतिम लाभांश का भुगतान करने के लिए 26 जून, 2010 से 02 जुलाई, 2010 (दोनों दिनों को मिलाकर)
लाभांश के भुगतान की तिथि	9 जुलाई, 2010 को या उससे पूर्व

8.4.2 वित्तीय कैलेंडर

वित्तीय वर्ष 2010-11 के वित्तीय परिणामों की घोषणा की संभावित तिथियां निम्नलिखित हैं :

वित्तीय परिणाम	घोषणा की संभावित तिथि
30 जून, 2010 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम	22 जुलाई, 2010
30 सितंबर, 2010 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम	22 अक्तूबर, 2010
31 दिसंबर, 2010 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम	22 जनवरी, 2011
31 मार्च, 2011 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम	06 मई, 2011

8.5 शेयर अंतरण प्रणाली और निवेशकों की शिकायतों का निवारण

बैंक यह सुनिश्चित करता है कि सभी शेयरों का अंतरण उनको प्रस्तुत करने की तिथि से 1 माह के अंदर कर दिया जाए. बैंक ने शेयरों के अंतरण और उनसे संबंधित मामलों पर विचार के लिए बोर्ड की शेयर अंतरण समिति बनाई है.

शेयर अंतरण और निवेशकों संबंधी अन्य समस्त गतिविधियों पर कार्रवाई रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट डाटामेटिक्स फायनांशियल सर्विसेज लि. मुंबई के कार्यालय में संपादित की जाती हैं. शेयरधारक अपने अंतरण विलेख और अन्य दस्तावेज तथा शिकायतें रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट को निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं. बैंक ने अपने प्रधान कार्यालय, मुंबई में भी निवेशक सेवाएं प्रभाग स्थापित किया है. शेयरधारक अपनी शिकायतों के लिए निवेशक सेवाएं प्रभाग से संपर्क कर सकते हैं. सूचीबद्धता करार के खण्ड 47 (एफ) के अनुसार नामित ई-मेल आई डी investorservices@unionbankofindia.com है.

रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट
डाटामैटिक्स फायनांशियल सर्विसेस लि.
प्लॉट नं ए - 16 एवं 17 पार्ट बी,
क्रॉस लेन, एमआईडीसी,
अंधेरी पूर्व,
मुंबई - 400 093.
फोन -(022) 66712151-60
फैक्स -(022) 66712230
ई-मेलः ubiinvestors@dfssl.com

निवेशक सेवाएं प्रभाग
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
बारहवीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय,
239 विधान भवन मार्ग,
नरीमन पॉइंट,
मुंबई - 400 021.
फोन -(022) 2289 6643/36
फैक्स -(022) 22025238
ई-मेलः investorservices@unionbankofindia.com

बैंक ने अपने वेबसाइट पर निवेशक सेवाएं जैसे ब्यौरे के परिवर्तन, डुप्लीकेट शेयर/लाभांश वारंट के अंतरण/प्रेषण/जारी करने के संबंध में अक्सर पूछे गए प्रश्नों की सूची दी है. इस कार्यप्रणाली और प्रलेखीकरण को आसानी से समझने के लिए इसको देखा जा सकता है.

8.5.1 अन्य सूचनाएं

शेयरधारकों की समस्याओं का समय से जवाब देने के अलावा, बैंक अपनी तरफ से पत्राचार और अन्य उपायों के माध्यम से निवेशकों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखता है.

इस साल भेजे गए पत्रों में निम्नलिखित मुद्दों पर जोर दिया गया :

i. छमाही कार्यनिष्पादन

ii. अदत्त लाभांशों का दावा करने और बैंक विवरण / लाभांश मेंडेट फॉर्म को अद्यतन करने पर.

1.2 शेयरों का अमूर्तीकरण

बैंक के शेयरों का क्रय-विक्रय अनिवार्यतः डीमैट रूप में ही होता है. बैंक ने दोनों डिपोजिटरियों यथा नैशनल सिक्यूरिटीज डिपोजिटरीज लि.(एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) से बैंक के शेयरों को डीमैट करने का करार किया है. बैंक के इक्विटी शेयरों के लिए आबंटित ISIN कोड, INE 692 A01016 है. अतः यह अनुरोध है कि भौतिक रूप में धारित शेयर धारक अपने हित में अपने शेयरों को डीमैट कराएं, इससे वे शेयर प्रमाणपत्र की अभिरक्षा और शेयर प्रमाणपत्र के खो जाने / खराब हो जाने सरीखी समस्याओं से बच जाएंगे. इसके अलावा यह उन्हें तुरंत तरलता (नकदीकरण) भी प्रदान करेगा, क्योंकि बैंक के शेयर का व्यापार केवल डीमैट के रूप में ही किया जा सकता है. इससे लाभांश भुगतान भी तेजी और आसानी से हो सकेगा. 31.03.2010 को शेयरधारकों द्वारा डीमैट एवं भौतिक रूप में रखे गए शेयरों का विवरण निम्नानुसार है :

:

	शेयर धारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %
भौतिक	73,837	1,67,76,795	3.32
डीमैट			
एनएसडीएल	79,909	19,47,12,323	38.55
सीडीएसएल *	53,786	29,36,28,782	58.13
कुल	**2,07,532**	**50,51,17,900**	**100.00**

* भारत सरकार द्वारा धारित 28,00,00,000 शेयर शामिल हैं.

इसके अतिरिक्त, सेबी द्वारा जारी परिपत्र के अनुसरण में व्यवसायरत चार्टर्ड एकाउन्टेंट/कंपनी सेक्रेटरी ने भी तिमाही आधार पर सेक्रेटरियल ऑडिट किया. सेक्रेटरियल ऑडिट के दौरान सदस्यों की बही के अद्यतनीकरण / रखरखाव में अथवा डीमैट अनुरोध की प्रासेसिंग में कोई विसंगति नहीं पायी गयी और भौतिक प्रणाली तथा डीमैट प्रणाली में रखी गई पूंजी का निर्गमित पूंजी से मिलान होता है.

8.7 इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सेवा / यूनियन बैंक के खाते में सीधे जमा

सेबी ने सभी सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा निवेशकों को उन स्थानों पर नेशनल इलैक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सर्विस (एनईसीएस) के जरिये लाभांश के वितरण के लिए डिपोजिटरी द्वारा प्रस्तुत बैंक खातों के ब्यौरों का प्रयोग करना अनिवार्य कर दिया है, जहां ईसीएस सेवा उपलब्ध हो. नेशनल इलैक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सर्विस न होने पर बैंक निवेशकों को लाभांश वितरण का भुगतान लिखतों के माध्यम से करेगा एवं उपलब्ध होने पर बैंक खाते का विवरण भी मुद्रित करेगा.

उपरोक्त के अलावा, बैंक ने लाभांश की रकम जमा करने के लिए निम्नलिखित तरीका अपनाया है :

ऐसे शेयरधारकों के खाते में सीधे जमा के द्वारा लाभांश का भुगतान करना, जिनके खाते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हैं.

लाभांश मैन्डेट फार्म हमारी वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in पर भी उपलब्ध है और इस वार्षिक रिपोर्ट में भी संलग्न किया गया है.

8.8 बाजार मूल्य, शेयर बाजार में क्रय-विक्रय किए गये शेयरों की मात्रा

माह	**बीएसई**			**एनएसई**			**बीएसई सेंसेक्स**	
	उच्चतम (रु.)	**न्यूनतम (रु.)**	**मात्रा (संख्या)**	**उच्चतम (रु.)**	**न्यूनतम (रु.)**	**मात्रा (संख्या)**	**उच्चतम**	**न्यूनतम**
अप्रैल 09	175.70	142.90	3521013	175.80	140.90	18370571	11492.10	9546.29
मई 09	222.00	156.70	9576664	222.00	151.00	43267104	14930.54	11621.30
जून 09	248.50	204.00	4190576	249.30	190.55	29518267	15600.30	14016.95
जुलाई 09	264.90	218.00	5088411	265.70	217.65	25394570	15732.81	13219.99
अगस्त 09	237.00	201.10	3210535	237.00	200.10	14900477	16002.46	14684.45
सितम्बर 09	252.70	211.30	4513336	252.45	210.65	15365198	17142.52	15356.72
अक्तुबर 09	281.75	232.50	4825379	281.90	232.30	22380243	17493.17	15805.20
नवम्बर 09	291.40	240.00	2622572	291.50	239.50	14059129	17290.48	15330.56
दिसम्बर 09	289.25	255.00	2193741	289.50	255.00	13148806	17530.94	16577.78
जनवरी 10	275.90	247.95	1900857	276.00	247.80	12063697	17790.33	15982.08
फरवरी 10	264.50	237.00	1697603	264.85	236.80	10425348	16669.25	15651.99
मार्च 10	299.70	252.35	2343987	300.00	253.70	16073698	17793.01	16438.45
31/3/2010 को अन्तिम मूल्य	292.95			292.30				
बाजार पूंजीकरण	14797.43 crore			14764.60 crore				

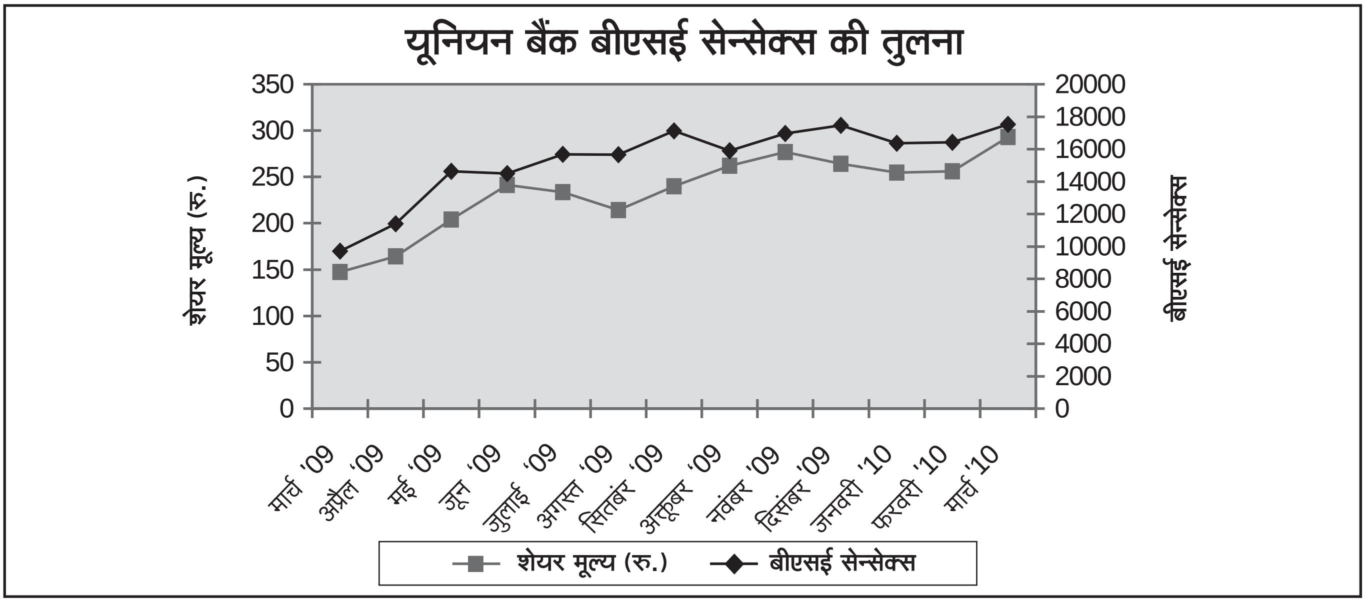

8.9 शेयरधारिता का वितरण

सरकार की शेयरधारिता 28 करोड़ शेयरों की है, जो रु. 505.12 करोड़ की कुल जारी पूंजी में रू. 280.00 करोड़ है. दिनांक 31.3.2009 तथा 31.3.2010 **को शेयरधारिता का वितरण निम्न प्रकार है :-**

	यथा 31/03/2009				यथा 31/3/2010			
शेयरधारिता	**शेयरधारकों की संख्या**	**कुल का %**	**शेयरों की संख्या**	**कुल का %**	**शेयरधारकों की संख्या**	**कुल का %**	**शेयरों की संख्या**	**कुल का %**
500 तक	202332	89.22	31273184	6.19	185331	89.30	28611927	5.66
501 से 1000	19513	8.60	12654580	2.51	17733	8.54	11497917	2.28
1001 से 2000	3324	1.47	4528241	0.90	2992	1.44	4065467	0.81
2001 से 3000	632	0.28	1570262	0.31	556	0.27	1370111	0.27
3001 से 4000	232	0.10	819838	0.16	182	0.09	642871	0.13
4001 से 5000	104	0.05	484583	0.09	99	0.05	456295	0.09
5001 से 10000	223	0.10	1595969	0.32	206	0.10	1485166	0.29
10001 एवं ऊपर	408	0.18	452191243	89.52	433	0.21	456988146	90.47
कुल	226768	100.00	505117900	100.00	207532	100.00	505117900	100.00

बैंक के शेयर का अंकित मूल्य रू.10/- है. बैंक ने किसी अन्य प्रकार के शेयर यथा अधिमान शेयर, परिवर्तनीय डिबेंचर आदि जारी नहीं किए हैं.

8.10 शेयरधारिता का पैटर्न

दिनांक 31.3.2009 तथा 31.03.2010 को बैंक की शेयरधारिता का पैटर्न निम्नानुसार रहा :-

	यथा 31/3/2009		यथा 31/3/2010	
शेयरधारक की श्रेणी	**धारित शेयरों की संख्या**	**कुल का %**	**धारित शेयरों की संख्या**	**कुल का %**
भारत सरकार	28,00,00,000	55.43	28,00,00,000	55.43
अनिवासी (एफआईआई/ओसीबी/ एनआरआई)	7,13,52,568	14.13	8,81,69,325	17.46
बैंक/वित्तीय संस्थान/बीमा कं.	1,70,02,526	3.37	1,98,10,523	3.92
म्युच्युअल फंड / यूटीआई	6,33,65,363	12.54	4,42,74,751	8.76
देशी कंपनियां/निजी निगमित निकाय/ट्रस्ट	1,81,68,356	3.60	2,32,58,361	4.61
निवासी भारतीय	5,52,29,087	10.93	4,96,04,940	9.82
कुल	**50,51,17,900**	**100.00**	**50,51,17,900**	**100.00**

बैंक के 10 शीर्ष शेयरधारकों की सूची

31.03.2010 को शीर्ष 10 शेयरधारकों के नाम इसप्रकार हैं :

क्र.	नाम	शेयरों की संख्या	पूंजी का %
1.	भारत के राष्ट्रपति	28,00,00,000	55.43
2.	भारतीय जीवन बीमा निगम	1,64,31,866	3.25
3.	एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	1,18,97,624	2.36
4.	भारतीय जीवन बीमा निगम मनी प्लस	1,01,21,458	2.00
5.	वैरिएबल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स फंडIII- मिड कैप पोर्टफोलियो	76,99,690	1.52
6.	मेरिन लिंच कैपिटल मार्केट्स एस्पाना एस.ए.एस.वी.	76,63,929	1.52
7.	एफआईडी फंड्स (मारीशस) लि.	54,29,026	1.08
8.	भारतीय जीवन बीमा निगम - प्रॉफिटप्लस	41,29,038	0.82
9.	आईसीआईसीआई प्रूडेन्शियल लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	39,11,643	0.77
10.	सलोने रोबिन्सन एलएलपी खाता एसआर ग्लोबल (मॉरिशस) लि.(क्लास बी - एशिया)	38,00,000	0.75
	कुल	**35,10,84,274**	**69.50**

8.11 अदावाकृत/ अदत्त लाभांश

अदत्त लाभांश खाते में लाभांश अंतरित किये जाने की तिथि से 7 वर्ष तक लाभांश की रकम का दावा न किये जाने पर वह रकम निवेशक शिक्षण एवं संरक्षण निधि में अंतरित कर दी जायेगी. इसके बाद खाते में अंतरित उस रकम के लिये बैंक अथवा उक्त निधि के सापेक्ष कोई दावा नहीं किया जा सकेगा. अब तक घोषित लाभांशों तथा विभिन्न लाभांश खातों के सापेक्ष दावा करने की अंतिम तिथि की सूची निम्नानुसार दी गई हैः

लाभांश की अवधि	घोषित लाभांश का प्रतिशत	दावा करने की अंतिम तिथि
लाभांश - 2002-03 के लिए	21%	15.10.2013
अंतरिम लाभांश - 2003-04	20%	15.10.2013
अंतिम लाभांश - 2003-04	15%	15.10.2013
अंतरिम लाभांश - 2004-05	20%	15.10.2013
अंतिम लाभांश - 2004-05	15%	15.10.2013
लाभांश - 2005-06 के लिए	35%	15.10.2013
अंतरिम लाभांश - 2006-07	15%	01.02.2014
अंतिम लाभांश - 2006-07	20%	27.07.2014
लाभांश 2007-08 के लिए	40%	08.08.2015
लाभांश 2008-09 के लिए	50%	02.08.2016

जिन शेयरधारकों ने अभी तक उपर्युक्त लाभांश प्राप्त नहीं किये हों अथवा उनके दावे न किये हों, उनसे अनुरोध है कि यथाशीघ्र अपना दावा बैंक के निवेशक सेवाएं प्रभाग या रजिस्ट्रार को शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें. इससे संबंधित क्षतिपूर्ति बांड का प्रारूप बैंक की वेबसाइट (www.unionbankofindia.co.in) पर भी उपलब्ध है.

8.12 अदावाकृत शेयर

सूचीकरण करार में हाल ही में हुए संशोधनों अर्थात् खंड 5 ए जुड़ने अर्थात् अदावाकृत शेयरों के लिए एकसमान पद्धति, के अंतर्गत बैंक ने सेबी द्वारा अनुदेशित पद्धति का कार्य पूर्ण करने के बाद मार्च 2010 में एक डीमैट उचंत (सस्पेंस) खाता खोला है. बैंक द्वारा आवेदकों को वर्ष 2006 में बैंक के एफपीओ के समय आवंटित शेयर, जो किन्हीं तकनीकी कारणों से उनके संबंधित डीमैट खातों में जमा न किए गए हों, इस खाते में नियंत्रित किए गए हैं. इससे पहले ये शेयर बैंक तथा बैंक के रजिस्ट्रार व अंतरण एजेंट मेसर्ज़ डाटामैटिक्स फायनांशियल सर्विसेज़ लि के साथ संयुक्त रूप से बैंक के नाम से खोले गए एसक्रो खाते में नियंत्रित किए जाते थे. इस खाते में पड़े शेयरों के विस्तृत विवरण इस प्रकार हैं :

	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या
एस्क्रो खाते में 01.04.2009 को शेष	275	35,956
वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान अंतरण हेतु संपर्क करने वाले शेयरधारक	14	2,923
वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान जिन शेयरधारकों को शेयर अंतरित किए गए	14	2,923
31.03.2010 को डीमैट सस्पेंस खाते में शेष	261	33,033

ऊपर बताए गए 33,033 शेयरों पर वोटिंग अधिकार तब तक अवरुद्ध किए गए हैं जब तक इन शेयरों के सही मालिक इनका दावा नहीं करते हैं.

9. सूचीबद्ध करार की गैर-अधिदेशात्मक अपेक्षाओं के अनुपालन की स्थितिः

क्रमांक	गैर-अधिदेशात्मक अपेक्षाएं	अनुपालन की स्थिति
1[ए]	एक गैर-कार्यपालक अध्यक्ष कंपनी के व्यय पर अध्यक्ष कार्यालय के रखरखाव और अपने कर्तव्यपालन के संबंध में किए गए व्ययों की प्रतिपूर्ति का अधिकारी होगा.	निदेशक मंडल के अध्यक्ष भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक कार्यपालक निदेशक हैं. अतः यह वाक्य खंड लागू नहीं होता है; क्योंकि यह एक गैर-कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा कार्यालय के रखरखाव से संबंधित है.
1[बी]	कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल कुल मिलाकर 9 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता.	राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 के खंड 9 के अंतर्गत चुने गये निदेशकों का कार्यकाल 3 वर्ष है और उनको 3 वर्ष के एक और कार्यकाल के लिए चुना जा सकता है. किंतु ऐसा कोई निदेशक 6 वर्ष से अधिक अवधि तक निदेशक नहीं रहेगा जबकि इस खंड में अनुमत अवधि 9 वर्ष है. अतः इसका अनुपालन हुआ है.
2	पारिश्रमिक समिति	भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग) के पत्र क्र. एफ सं.20/1/2005-बीओ.1 दिनांक 09 मार्च, 2007 के अनुसार बैंक द्वारा एक पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया है; जो बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों को देय कार्यनिष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन राशि का निर्धारण करती है. इस समिति में सभी चारों गैर-कार्यपालक निदेशक हैं. अतः इसका अनुपालन हुआ है.
3	शेयरधारकों के अधिकार; विगत छः माह की प्रमुख घटनाओं के सारांश सहित वित्तीय कार्यनिष्पादन की अर्धवार्षिक घोषणा प्रत्येक शेयर धारक को भेजी जाए.	अनुपालन किया गया है.
4	लेखापरीक्षा में कमियां; कंपनी बिना कमियों वाले वित्तीय विवरणों की दिशा में अग्रसर होना चाहिए.	समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई लेखापरीक्षा कमी (आपत्ति) नहीं रही. अतः इसका अनुपालन हुआ है.
5	बोर्ड के सदस्यों को प्रशिक्षण	बैंक बोर्ड के सदस्यों को नवीनतम प्रगति से अवगत कराने हेतु विभिन्न आंतरिक प्रस्तुतियों के जरिये नवीनतम जानकारी दे रहा है. उनके बेहतर कार्य-निष्पादन हेतु बैंक द्वारा इस प्रकार की प्रतिष्ठित संस्थाओं की पहचान की जा रही है, जहां बोर्ड के सदस्य संबंधित मामलों पर वरिष्ठ संकाय सदस्यों तथा उद्योग जगत के व्यक्तियों के साथ विचार-विमर्श कर सकें. अतः इस अपेक्षा को पूरा किया गया है.
6	बोर्ड के गैर-कार्यपालक सदस्यों के मूल्यांकन की पद्धति	निदेशक मंडल का गठन बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है. अतः यह वाक्यखंड लागू नहीं होता है.
7	गुप्त सूचना नीति (Whistle Blower Policy)	बैंक में जानकारी गुप्त रूप से दिये जाने की नीति लागू है तथा लेखा परीक्षा समिति द्वारा वार्षिक आधार पर इसकी कार्यप्रणाली की समीक्षा की जाती है. अतः इसका अनुपालन हुआ है.

10. आचार संहिता की घोषणा

बोर्ड द्वारा निदेशक मंडल के सभी सदस्यों तथा बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता का निर्धारण किया गया है तथा बैंक की वेबसाइट पर इसे प्रदर्शित भी किया गया है. निदेशक मंडल के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा वर्ष 2009-10 के लिए संहिता के अनुपालन की पुष्टि की गई है.

कृते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

[एम.वी. नायर]
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : मुंबई
दिनांक : 31 मई 2010.

प्रति

निदेशक मंडल
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
मुंबई.

संदर्भ :- लिस्टिंग- करार के खण्ड 49 के तहत प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि

[ए] हमने वर्ष (2009-10) के वित्तीय विवरणों एवं नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार :

(i) इन विवरणों में कोई गलत बयानी या कोई भूल-चूक या ऐसा कोई विवरण नही है; जिससे भ्रामक स्थिति पैदा हो.

(ii) ये विवरण बैंक के कार्यों का एक वास्तविक और उचित चित्र प्रस्तुत करते हैं और इनमें मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों एवं विनियमों का अनुपालन किया गया हैं.

[बी] हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार बैंक द्वारा वर्ष के दौरान ऐसे किसी लेन-देन की प्रविष्टि नहीं की गई है, जो धोखाधड़ीपूर्ण या अवैध हों या जिससे बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन होता हो.

[सी] हम वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और उसके अनुपालन का दायित्व स्वीकार करते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रामाणिकता का मूल्यांकन किया है तथा हमने लेखापरीक्षकों एवं लेखापरीक्षा समिति को आंतरिक नियंत्रण को तैयार करने अथवा उसे व्यवहार में लाने में आने वाली हमें ज्ञात कमियों, जो कोई हों, और उन कमियों को सुधारने के लिए किये गये या प्रस्तावित उपायों की जानकारी दी है.

[डी] हमने लेखापरीक्षकों एवं लेखापरीक्षा समिति को निम्नलिखित की सूचना दी हैः

(i) वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग के आंतरिक नियंत्रण में हुए मुख्य परिवर्तन.

(ii) वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में हुए व्यापक परिवर्तन और उनका वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में उल्लेख किया गया है, और

(iii) हमें ज्ञात धोखाधड़ी के सभी प्रमुख मामले, जिनमें यदि प्रबंधन या ऐसा कोई कर्मचारी जुड़ा है; जिसकी वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका है.

कृते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

[एन.एस. महेता]	**[एम.वी. नायर]**
महाप्रबंधक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : मुंबई.
दिनांक : 6 मई 2010

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सदस्यों के लिए

हमने स्टॉक एक्सचेंज के साथ उक्त बैंक के सूचीकरण करार के वाक्यखंड 49 में निर्धारित किए अनुसार 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कार्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की स्थिति की जांच की है..

कॉर्पोरेट नियंत्रण संबंधी शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन का दायित्व है. हमारी जांच कार्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक द्वारा अपनायी गयी पद्धतियों और उनके कार्यान्वयन तक सीमित है. यह न तो लेखापरीक्षा है और न ही बैंक के वित्तीय विवरणों के बारे में हमारा अभिमत है.

हम अपनी राय एवं सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए स्पष्टीकरणों के आधार पर प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने उपर्युक्त सूचीकरण करार में निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी शर्तों का अनुपालन किया है.

हमारा कथन है कि शेयरधारक/ निवेशक शिकायत समिति द्वारा रखे गये रिकॉर्ड के अनुसार बैंक के विरुद्ध किसी भी निवेशक की शिकायत एक माह से अधिक अवधि के लिए लम्बित नहीं है.

हमारा यह भी कथन है कि उक्त अनुपालन का अभिप्राय बैंक की भविष्य की व्यवहार्यता के प्रति कोई आश्वासन नहीं है और न ही यह बैंक के कार्यकलापों के संचालन में प्रबंधन की कुशलता या प्रभावशीलता के विषय में कोई आश्वासन है.

कृते चंदाभाई एंड जसुभाई
चार्टर्ड अकाउंटेंट

(अंबेश ए.दवे)
भागीदार (सदस्य क्र.49289)
फर्म पंजीयन क्र.101647 डब्ल्यू

कृते जी.डी.आपटे एंड कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट

(चेतन आर.सप्रे)
भागीदार(सदस्य क्र.116952)
फर्म पंजीयन क्र.100515 डब्ल्यू

कृते जगन्नाथन एंड सर्वेश्वरन
चार्टर्ड अकाउंटेंट

(पी एस नरसिंहन)
भागीदार(सदस्य क्र.20936)
फर्म पंजीयन क्र.001204 एस

कृते अरुण कुमार अग्रवाल एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट

(अरुण अग्रवाल)
भागीदार (सदस्य क्र.082899)
फर्म पंजीयन क्र.003917 एन

कृते जे.एल.सेनगुप्ता एंड कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट

(एस.आर.अनंतकृष्णन)
भागीदार(सदस्य क्र.18073)
फर्म पंजीयन क्र.307092 ई

कृते ओमप्रकाश एस.चपलोत एंड कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट

(महावीर चपलोत)
भागीदार (सदस्य क्र.403633)
फर्म पंजीयन क्र.000127सी

स्थान : मुंबई.
दिनांक : 06 मई, 2010.

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सदस्यगण,

1. हमने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के 31 मार्च, 2010 तक के संलग्न तुलन-पत्र तथा उसी तारीख को समाप्त अवधि के संलग्न लाभ-हानि खाते एवं नकदी प्रवाह विवरण का लेखा परीक्षण किया है, जिसमें हमारे द्वारा लेखापरीक्षित 19 शाखाएं, 1 ट्रेजरी शाखा, 18 क्षेत्रीय कार्यालय तथा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 2176 शाखाएं एवं 34 सेवा शाखाएं तथा 1 विदेशी शाखा सम्मिलित है, 609 अलेखापरीक्षित शाखाएं और 84 कार्यालय/ केन्द्र, जिनकी विवरणियां शाखा प्रबंधक द्वारा प्रमाणित की गई हैं. हमारे द्वारा तथा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं का चयन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक को दिए गए निर्देशों के अनुसार किया गया है. इन अलेखापरीक्षित शाखाओं का अग्रिम कुल अग्रिम का 1.09%, जमाराशि का 4.61%, ब्याज आय का 0.55% और ब्याज व्यय का 3.15% है. इन वित्तीय विवरणों के लिए बैंक प्रबंधन जिम्मेदार है. हमारा दायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर अपना मत प्रकट करना है.

2. हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखापरीक्षा मानदंडों के अनुसार की है. इन मानकों की अपेक्षा है कि हम लेखापरीक्षा यह युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए करते हैं कि ये वित्तीय विवरण किसी सारवान सूचना से रहित नहीं हैं. लेखापरीक्षा में नमूना आधार पर धनराशियों और वित्तीय विवरणों के प्रकटन के समर्थन में साक्ष्यों का परीक्षण और लेखापरीक्षा में प्रयुक्त किए गए लेखांकन सिद्धांतों का आकलन और प्रबंधन द्वारा लगाए गए मुख्य अनुमान तथा वित्तीय विवरणों का समग्र मूल्यांकन भी शामिल है. हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे मत का युक्तियुक्त आधार है.

3. ऊपर पैराग्राफ (1) में निर्दिष्ट लेखापरीक्षा की सीमाओं के अधीन और बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 द्वारा अपेक्षित तथा उसमें प्रकटन की सीमाओं की अपेक्षा के अधीन और निम्नलिखित के अधीन हम रिपोर्ट करते हैं किः

   (ए) तुलन पत्र और लाभ हानि खाता बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के 'ए' और 'बी' फार्मों में तैयार किए गए हैं.

   (बी) हमारे मत से और हमें दी गई और भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार रखी गईं बैंक की बहियों में दर्शाई गई सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर :

      (i) तुलन पत्र और उसके साथ पठित उसके नोट और प्रमुख लेखा नीतियां आवश्यक विवरणों के आधार पर सही और पूर्ण तुलन पत्र हैं और इसे उचित ढ़ंग से तैयार किया गया है ताकि यथा 31 मार्च 2010 बैंक के कार्यकलापों का सही और उचित चित्र सामने आ सके.

      (ii) लाभ व हानि लेखा और उसके साथ पठित उसके नोट और प्रमुख लेखा नीतियां 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ का सही शेष दर्शाती हैं.

      (iii) नकदी प्रवाह विवरण, 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह की सही और उचित स्थिति दर्शाता है.

   (सी) हमने सभी जानकारियां और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे लेखापरीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषजनक पाया.

   (डी) बैंक के लेनदेन जो हमारी जानकारी में आए हैं वे बैंक के अधिकारों के अंतर्गत किए गए हैं.

   (ई) बैंक के कार्यालय और शाखाओं से प्राप्त प्रविवरण कुछ शाखाओं के मामले में अग्रिमों के वर्गीकरणों सहित कुछ ब्यौरे अपूर्ण पाने के अपवाद के साथ हमारे लेखापरीक्षा के उद्देश्य से सामान्यतया पर्याप्त पाए गए और ऐसे मामलों में नियंत्रक कार्यालयों में उपलब्ध सूचना विश्वसनीय मानी गई है.

कृते चंदाभाई एंड जसुभाई
चार्टर्ड अकाउंटेंट

(अंबेश ए.दवे)
भागीदार (सदस्य क्र.49289)
फर्म पंजीयन क्र.101647 डब्ल्यू

कृते जी.डी.आपटे एंड कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट

(चेतन आर.सप्रे)
भागीदार(सदस्य क्र.116952)
फर्म पंजीयन क्र.100515 डब्ल्यू

कृते जगन्नाथन एंड सर्वेश्वरन
चार्टर्ड अकाउंटेंट

(पी एस नरसिम्हन)
भागीदार(सदस्य क्र.20936)
फर्म पंजीयन क्र.001204 एस

कृते अरुण कुमार अग्रवाल एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट

(अरुण अग्रवाल)
भागीदार (सदस्य क्र.082899)
फर्म पंजीयन क्र.003917 एन

कृते जे.एल.सेनगुप्ता एंड कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट

(एस.आर.अनंतकृष्णन)
भागीदार(सदस्य क्र.18073)
फर्म पंजीयन क्र.307092 ई

कृते ओमप्रकाश एस.चपलोत एंड कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट

(महावीर चपलोत)
भागीदार (सदस्य क्र.403633)
फर्म पंजीयन क्र.000127सी

31 मार्च, 2010 का तुलन पत्र

राशि हजार रुपयों में

	अनुसूची	31.03.2010 को	31.03.2009 को
पूंजी और दायित्व			
पूंजी	01	**5,05,11,79**	5,05,11,79
आरक्षित निधियां	02	**99,18,66,29**	82,35,23,66
जमाराशियां	03	**17,00,39,74,14**	13,87,02,83,25
उधार	04	**92,15,30,64**	38,84,89,53
अन्य देनदारियां और प्रावधान	05	**54,83,01,44**	96,47,42,92
जोड़		**19,51,61,84,30**	16,09,75,51,15
आस्तियां			
नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक में जमाशेष	06	**1,24,68,24,43**	89,92,04,83
बैंकों में जमाशेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धन	07	**33,08,44,96**	69,92,88,12
निवेश	08	**5,44,03,52,71**	4,29,96,96,37
अग्रिम	09	**11,93,15,29,86**	9,65,34,23,21
अचल आस्तियां	10	**23,05,43,82**	23,35,15,97
अन्य आस्तियां	11	**33,60,88,52**	31,24,22,65
जोड़		**19,51,61,84,30**	16,09,75,51,15
अनुषंगी दायित्व	12	**7,23,38,05,14**	8,11,47,09,92
संग्रहण के लिए बिल		**45,65,80,31**	32,31,72,07
उल्लेखनीय लेखा नीतियां	17		
खातों से संबंधित नोट	18		

उक्त अनुसूचियां तुलनपत्र का एक अभिन्न अंग हैं

एस. के. गुप्ता
उप महा प्रबंधक

एन. एस. महेता
महा प्रबंधक

एस. रामन
कार्यपालक निदेशक

एस. सी. कालिया
कार्यपालक निदेशक

एम.वी. नायर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

के. वी. ईप्पन
निदेशक

के. शिवरामन
निदेशक

बी. एम. शर्मा
निदेशक

एन. शंकर
निदेशक

अशोक सिंह
निदेशक

डॉ. गुलफ़ाम मुज़िबी
निदेशक

प्रो. एम. एस. श्रीराम
निदेशक

अरुण कुमार नंदा
निदेशक

एस. रवि
निदेशक

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते चंदाभाई एंड जसुभाई
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(अंबेश ए. दवे)
भागीदार (49289)

कृते जी. डी. आपटे एंड कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(चेतन आर. सप्रे)
भागीदार (116952)

कृते जगन्नाथ एंड सर्वेश्वरन
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(पी. एस. नरसिम्हन)
भागीदार (20936)

कृते अरुण के. अग्रवाल एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(अरुण अग्रवाल)
भागीदार (082899)

कृते जे. एल. सेनगुप्ता एंड कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(एस. आर. अनंतकृष्णन)
भागीदार (18073)

कृते ओम प्रकाश एस. चपलोत एंड कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(महावीर चपलोत)
भागीदार (403633)

स्थान : मुंबई
दिनांक : 6 मई, 2010

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष का लाभ व हानि लेखा

राशि हजार रुपयों में

	अनुसूची	31.03.2010 को समाप्त वर्ष	31.03.2009 को समाप्त वर्ष
i **आय**			
अर्जित ब्याज	13	**1,33,02,67,91**	1,18,89,37,87
अन्य आय	14	**19,74,74,01**	14,82,55,14
		1,52,77,41,92	1,33,71,93,01
ii. **व्यय**			
व्यय किया गया ब्याज	15	**91,10,26,74**	80,75,81,31
परिचालन व्यय	16	**25,07,84,75**	22,14,11,46
प्रावधान और आकस्मिक व्यय		**15,84,38,56**	13,55,44,96
जोड़		**1,32,02,50,05**	1,16,45,37,73
iii. **वर्ष का शुद्ध लाभ**		**20,74,91,87**	17,26,55,28
जोड़ें : आगे लाया गया लाभ		**83,40**	64,95
जोड़		**20,75,75,27**	17,27,20,23
iv. **विनियोजन**			
कानूनी आरक्षित को अंतरण		**6,25,00,00**	5,18,00,00
पूंजी आरक्षित को अंतरण		**1,00,09,05**	2,17,08,28
राजस्व और अन्य			
आरक्षित निधियों को अंतरण		**5,72,00,00**	2,59,00,00
प्रस्तावित लाभांश		**2,77,81,49**	2,52,55,89
लाभांश कर		**47,21,46**	42,92,24
विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित में अंतरण		**0**	80,42
विशेष आरक्षित में अंतरण {धारा 36 (1) (viii)}		**4,52,00,00**	4,36,00,00
लाभ व हानि लेखे में शेष		**1,63,27**	83,40
जोड़		**20,75,75,27**	17,27,20,23
प्रति शेयर अर्जन (बेसिक एंड डायल्यूटेड)		**41.08**	34,18

उक्त अनुसूचियां तुलनपत्र का एक अभिन्न अंग हैं

एस. के. गुप्ता उप महा प्रबंधक	**एन. एस. महेता** महा प्रबंधक	**एस. रामन** कार्यपालक निदेशक	**एस. सी. कालिया** कार्यपालक निदेशक	**एम.वी. नायर** अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
के. वी. ईप्पन निदेशक	**के. शिवरामन** निदेशक	**बी. एम. शर्मा** निदेशक	**एन. शंकर** निदेशक	**अशोक सिंह** निदेशक
डॉ. गुलफ़ाम मुज़िबी निदेशक	**प्रो. एम. एस. श्रीराम** निदेशक	**अरुण कुमार नंदा** निदेशक	**एस. रवि** निदेशक	

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते चंदाभाई एंड जसुभाई चार्टर्ड अकाउंटेंट **(अंबेश ए. दवे)** भागीदार (49289)	**कृते जी. डी. आपटे एंड कं.** चार्टर्ड अकाउंटेंट **(चेतन आर. सप्रे)** भागीदार (116952)	**कृते जगन्नाथ एंड सर्वेश्वरन** चार्टर्ड अकाउंटेंट **(पी. एस. नरसिम्हन)** भागीदार (20936)
कृते अरुण के. अग्रवाल एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट **(अरुण अग्रवाल)** भागीदार (082899)	**कृते जे. एल. सेनगुप्ता एंड कं.** चार्टर्ड अकाउंटेंट **(एस. आर. अनंतकृष्णन)** भागीदार (18073)	**कृते ओम प्रकाश एस. चपलोत एंड कं.** चार्टर्ड अकाउंटेंट **(महावीर चपलोत)** भागीदार (403633)

स्थान : मुंबई
दिनांक : 6 मई, 2010

31 मार्च , 2010 के तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि हजार रुपयों में)

		31. 03. 2010 के अनुसार		31. 03. 2009 के अनुसार
अनुसूची 1 - पूंजी :				
I. प्राधिकृत पूंजी प्रति रू.10 के 300,00,00,000 के ईक्विटी पिछले वर्ष 150,00,00,000 के ईक्विटी शेयर		**30,00,00,00**		15,00,00,00
II. निर्गमित, अभिदत्त व प्रदत्त :				
i. 28,00,00,000 ईक्विटी शेयर प्रत्येक 10 रूपये, केन्द्रीय सरकार द्वारा धारित		**280,00,00**		2,80,00,00
ii. 22,51,17,900 ईक्विटी शेयर प्रत्येक 10 रूपये, जनता द्वारा धारित		**2,25,11,79**		2,25,11,79
जोड़		**5,05,11,79**		5,05,11,79
अनुसूची 2 - आरक्षित निधिया और अधिशेष :				
I. **कानूनी आरक्षित :**				
पिछले तुलन - पत्र के अनुसार	**26,48,00,00**		21,30,00,00	
वर्ष के दौरान वृद्धि	**6,25,00,00**	**32,73,00,00**	5,18,00,00	26,48,00,00
II. **पूंजी आरक्षित :**				
पिछले तुलन - पत्र के अनुसार	**5,04,22,93**		2,87,14,65	
वर्ष के दौरान वृद्धि	**1,00,09,05**	**6,04,31,98**	2,17,08,28	5,04,22,93
III. **शेयर प्रीमियम :**				
पिछले तुलन - पत्र के अनुसार	**5,32,35,57**		5,32,35,57	
वर्ष के दौरान वृद्धि	**0**	**5,32,35,57**	0	5,32,35,57
IV. **पुनर्मूल्यांकन आरक्षित :**				
पिछले तुलन - पत्र के अनुसार	**16,85,97,86**		17,24,39,50	
वर्ष के दौरान कमी	**70,00,99**	**16,15,96,87**	38,41,64	16,85,97,86
VI. **राजस्व और अन्य आरक्षित निधियां :**				
i. राजस्व और अन्य आरक्षित				
पिछले तुलन - पत्र के अनुसार	**18,43,00,00**		15,84,00,00	
वर्ष के दौरान वृद्धि	**5,72,00,00**		2,59,00,00	
	24,15,00,00		18,43,00,00	
ii. विशेष आरक्षित (धारा 36(1) (VIII.)				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	**10,20,00,00**		5,84,00,00	
वर्ष के दौरान वृद्धि	**4,52,00,00**		4,36,00,00	
जोड़	**14,72,00,00**		10,20,00,00	
iii. विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधियां				
पिछले तुलन - पत्र के अनुसार	**83,90**		3,48	
वर्ष के दौरान वृद्धि	**3,54,69**		80,42	
वर्ष के दौरान कमी	**4,38,59**	**38,91,38,59**	83,90	28,63,83,90
VI. **लाभ एवं हानि लेखा में शेष**				
लाभ एवं हानि लेखा में शेष		**1,63,27**		83,40
जोड़		**99,18,66,29**		82,35,23,66

31 मार्च, 2010 के तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि हजार रुपयों में)

		31. 03. 2010 के अनुसार		31. 03. 2009 के अनुसार
अनुसूची - 3 जमाराशियां :				
I. मांग जमा :				
i. बैंकों से	10,71,32,85		7,82,96,69	
ii. अन्य से	1,51,57,89,33	1,62,29,22,18	1,23,83,45,08	1,31,66,41,77
II. बचत बैंक जमाराशियां :		3,77,27,75,32		2,85,44,75,51
III. मीयादी जमाराशियां :				
i. बैंकों से	44,72,78,02		37,17,03,66	
ii. अन्य से	11,16,09,98,62	11,60,82,76,64	9,32,74,62,31	9,69,91,65,97
जोड़		17,00,39,74,14		13,87,02,83,25
भारत में स्थित शाखाओं में जमाराशियां		16,96,69,95,94		13,84,16,00,91
भारत से बाहर स्थित शाखाओं में जमाराशियां		3,69,78,20		2,86,82,34
जोड़		17,00,39,74,14		13,87,02,83,25
अनुसूची - 4 - उधार :				
ए- उधार-पूंजी लिखत				
i. शाश्वत बांड	10,40,00,00		8,40,00,00	
ii. अपर टियर II बांड	17,50,00,00		7,50,00,00	
iii टियर II बांड	33,00,00,00		33,00,00,00	
बी- भारत में उधार :				
i. अन्य संस्थाओं एवं अभिकरणों से	1,83,89,12	62,73,89,12	6,51,84,65	55,41,84,65
सी- भारत से बाहर उधार		29,41,41,52		32,33,04,88
जोड़		92,15,30,64		87,74,89,53
उक्त ए, बी और सी में शामिल प्रतिभूत उधार		2,82,10		3,03,89,73
अनुसूची 5 - अन्य देयताएं और प्रावधान :				
I. देय बिल		17,96,90,08		17,26,63,79
II. उपचित ब्याज		5,25,68,56		5,36,76,79
III. अन्य (प्रावधानों और नोस्ट्रो खातों में लंबित मदों सहित)		31,60,42,80		24,94,02,34
जोड़		54,83,01,44		47,57,42,92
अनुसूची 6 - नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाशेष				
I. धारित नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट सम्मिलित हैं)		3,92,61,47		4,21,01,69
II. भारतीय रिजर्व बैंक के साथ जमाशेष चालू खाते में		1,20,75,62,96		85,71,03,14
जोड़		1,24,68,24,43		89,92,04,83
अनुसूची 7 - बैंकों में जमाशेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धन				
I. भारत में बैंकों के पास जमाशेष				
ए) चालू खातों में	3,85,63,10		4,49,34,76	
बी) अन्य जमा खातों में	7,07,50,00		5,42,50,00	
II. मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य धन				
- बैंकों के साथ	5,75,00,00		9,36,00,00	
I. - अन्य संस्थाओं के साथ	75,00,00		6,13,15,59	
	8,99,43,55	26,42,56,65	0	25,41,00,35
II. भारत के बाहर				
i. चालू खातों में	82,91,77		1,17,65,84	
ii. अन्य जमा खातों में	5,82,96,54	6,65,88,31	43,34,21,93	44,51,87,77
जोड़		33,08,44,96		69,92,88,12

31 मार्च, 2010 के तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि हज़ार रुपयों में)

		31. 03. 2010 के अनुसार		31. 03. 2009 के अनुसार
अनुसूची 8 - निवेश :				
I. **भारत में निवेश :**				
i. सरकारी प्रतिभूतियों में		**4,26,52,85,46**		3,48,57,41,89
ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में		**1,76,30,99**		2,87,63,54
iii. शेयर		**6,82,25,67**		3,89,59,35
iv. डिबेंचर और बांड		**34,95,01,08**		36,51,17,12
v. सहायक एवं संयुक्त उद्यम		**67,63,19**		19,15,64
vi. अन्य				
- वाणिज्यिक पत्र	**4,15,54,97**		2,42,34,00	
- जमाराशि प्रमाणपत्र	**45,93,20,39**		20,29,99,52	
- पारस्परिक निधि	**4,05,22,66**		3,89.58,11	
- आर आई डी एफ	**19,04,77,69**		11,20,57,47	
- आर्सिल की प्रतिभूति रसीद	**5,88,55**	**73,24,64,26**	9,29,84	37,91,78,94
जोड़		**5,43,98,70,65**		4,29,96,76,48
II. **भारत के बाहर निवेश :**				
i. संयुक्त उपक्रम		**4,62,17**		0
ii शेयर		**19,89**		19,89
जोड़		**4,82,06**		19,89
योग		**5,44,03,52,71**		4,29,96,96,37
III. i. **भारत में निवेश :**				
सकल मूल्य		**5,44,78,19,52**		4,31,93,59,70
मूल्यह्रास के लिए प्रावधान		**79,48,87**		1,96,83,22
शुद्ध मूल्य		**5,43,98,70,65**		4,29,96,76,48
ii. **भारत के बाहर निवेश :**				
सकल मूल्य / शुद्ध मूल्य		**4,82,06**		19,89
जोड़		**5,44,03,52,71**		4,29,96,96,37
अनुसूची 9 - अग्रिम :				
I. i. खरीदे और भुनाए गए बिल		**47,61,93,40**		44,56,49,98
ii. नकद साख, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिदेय ऋण		**6,23,71,18,00**		5,28,40,08,76
iii. मीयादी ऋण		**5,21,82,18,46**		3,92,37,64,47
जोड़		**11,93,15,29,86**		9,65,34,23,21
II. i. मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण के पेटे अग्रिमों सहित)		**8,84,39,17,52**		7,37,62,35,13
ii. बैंक / सरकारी प्रत्याभूतियों द्वारा संरक्षित		**41,05,41,85**		27,97,32,79
iii. अप्रतिभूत		**2,67,70,70,49**		1,99,74,55,29
जोड़		**11,93,15,29,86**		9,65,34,23,21
ए. **भारत में अग्रिम :**				
i. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र		**4,18,09,72,10**		3,19,80,40,57
ii. सार्वजनिक क्षेत्र		**70,79,63,28**		1,32,58,68,17
iii. बैंक		**26,12,18,72**		11,31,80,31
iv. अन्य		**6,48,37,14,82**		4,88,57,98,32
जोड़ - ए		**11,63,38,68,92**		9,52,28,87,37

31 मार्च, 2010 के तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि हजार रुपयों में)

		31. 03. 2010 के अनुसार		31. 03. 2009 के अनुसार
बी. भारत से बाहर अग्रिम				
i. बैंकों से देय		0		6,47,76,96
ii. अन्य से देय				
ए) खरीदे एवं भुनाए गए बिल		1,42,45,53		47,24,29
बी) सिंडिकेट ऋण		28,23,77,64		1,57,24,36
सी) अन्य		10,37,77		4,53,10,23
जोड़ बी		29,76,60,94		13,05,35,84
जोड़ (ए+बी)		11,93,15,29,86		9,65,34,23,21
अनुसूची 10 - अचल आस्तियां :				
ए. मूर्त आस्तियां				
i. परिसर :				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार लागत/मूल्यांकन पर	21,12,18,30		20,34,35,41	
वर्ष के दौरान वृद्धि	2,72,54		77,82,89	
	21,14,90,84		21,12,18,30	
घटाएं : आज की तारीख तक मूल्यह्रास	3,34,81,30	17,80,09,54	2,55,86,44	18,56,31,86
ii. प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार लागत पर	7,85,65		4,57,13	
वर्ष के दौरान वृद्धि	3,31,51		80,20,91	
वर्ष के दौरान कमी	1,20,93	9,96,23	76,92,39	7,85,65
iii. भूमि				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार लागत पर	13,52,04		13,52,04	
	13,52,04		13,52,04	
घटाएं : आज की तारीख तक मूल्यह्रास	2,15,09	11,36,95	2,07,58	11,44,46
iv. अन्य अचल आस्तियां : (फर्नीचर फिक्सचर सहित)				
ए) पट्टे पर दी गई आस्तियां :				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार लागत पर	31,04,77		33,01,72	
वर्ष के दौरान कमी	0		1,96,95	
	31,04,77		31,04,77	
घटाएं : आज की तारीख तक मूल्यह्रास	31,04,77		31,04,77	
बी) अन्य :				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार लागत/मूल्यांकन पर	10,37,70,97		8,82,53,67	
वर्ष के दौरान वृद्धि	1,95,34,16		2,10,83,24	
	12,33,05,13		10,93,36,91	
वर्ष के दौरान कमी	13,04,98		55,65,94	
	12,20,00,15		10,37,70,97	
घटाएं : आज की तारीख तक मूल्यह्रास	7,33,49,15		6,04,36,33	
	4,86,51,00	4,86,51,00	4,33,34,64	4,33,34,64
बी) अमूर्त आस्तियां				
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार लागत पर	72,12,65		43,97,72	
वर्ष के दौरान वृद्धि	4,32,99		28,14,93	
	76,45,64		72,12,65	
आज की तारीख तक परिशोधन जोड़	58,95,54	17,50,10	45,93,29	26,19,36
जोड़		23,05,43,82		23,35,15,97

31 मार्च, 2010 के तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि हजार रुपयों में)

			31. 03. 2010 के अनुसार		31. 03. 2009 के अनुसार
अनुसूची 11 - अन्य आस्तियां :					
I.	अन्तर कार्यालयीन समायोजन (निवल)		**7,63,80,26**		4,34,49,15
II.	उपचित ब्याज		**10,36,88,12**		9,10,24,48
III.	संदत्त / स्त्रोत पर काटा गया कर (प्रावधानों के समायोजन के बाद)		**4,26,14,36**		2,72,98,09
IV.	लेखन सामग्री और स्टैंप		**10,04,33**		13,33,55
V.	दावों के समाधान से अर्जित गैर बैंककारी आस्तियां		**3,90**		3,90
VI.	आस्थगित कर आस्तियां		**32,38,48**		64,10,49
V.	अन्य		**10,91,59,07**		14,29,02,99
	जोड़		**33,60,88,52**		31,24,22,65
अनुसूची 12 -- अनुषंगी दायित्व :					
I.	बैंक के विरुद्ध दावे, जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है.		**8,40,16,54**		4,49,34,68
II.	अंशतः संदत्त निवेशों के लिए देयताएं		**59,20**		59,20
III.	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएं		**5,14,14,08,52**		5,41,36,63,10
IV.	संघटकों की ओर से दी गयी गारंटियां				
	i. भारत में	**1,10,21,30,40**		81,70,01,51	
	ii. भारत के बाहर	**1,95,25,42**	**1,12,16,55,82**	1,79,73,03	83,49,74,54
V.	स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं		**86,61,54,85**		1,78,98,50,98
VI.	अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है				
	i. अपील के अधीन विवादास्पद कर मांग	**1,98,00,00**		3,11,00,00	
	ii. अन्य	**7,10,21**	**2,05,10,21**	1,27,42	3,12,27,42
	जोड़		**7,23,38,05,14**		8,11,47,09,92

लाभ व हानि लेखा की अनुसूचियां

(राशि हजार रुपयों में)

		31. 03. 2010 के अनुसार	31. 03. 2010 के अनुसार
अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज :			
I.	अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / बट्टा	**96,96,35,35**	88,93,36,32
II.	निवेशों पर आय	**34,82,30,36**	28,30,85,82
III.	भारतीय रिजर्व बैंक के जमाशेषों और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज	**55,33,26**	68,00,81
IV.	अन्य	**68,68,94**	97,14,92
	जोड़	**1,33,02,67,91**	1,18,89,37,87

लाभ व हानि लेखा की अनुसूचियां

(राशि हजार रुपयों में)

		31. 03. 2010 के अनुसार	31. 03. 2010 के अनुसार
अनुसूची 14 - अन्य आय :			
I.	कमीशन, विनिमय और दलाली	**3,51,76,46**	3,13,27,44
II.	निवेशों के विक्रय पर लाभ - निवल	**5,72,78,31**	3,21,47,05
III.	भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ - निवल	**-64,12**	9,23,83
IV.	विनिमय संव्यवहारों पर लाभ - निवल	**3,22,67,58**	3,38,58,11
V.	विविध आय	**7,28,15,78**	4,99,98,71
	जोड़	**19,74,74,01**	14,82,55,14
अनुसूची 15 - व्यय किया गया ब्याज :			
I.	जमाराशियों पर ब्याज	**85,27,76,59**	73,89,51,99
II.	भारतीय रिजर्व बैंक/अंतर बैंक उधारों पर ब्याज	**1,01,02,48**	3,29,80,73
III.	अन्य	**4,81,47,66**	3,56,48,59
	जोड़	**91,10,26,73**	80,75,81,31
अनुसूची 16 - परिचालन व्यय :			
I.	कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	**13,54,49,88**	11,51,88,22
II.	किराया, कर और रोशनी	**2,05,48,82**	1,74,04,76
III.	मुद्रण और लेखन सामग्री	**32,14,07**	27,42,52
IV.	विज्ञापन और प्रचार	**38,98,42**	1,32,62,98
V.	बैंक की सम्पत्ति पर मूल्यह्रास	**1,60,14,28**	1,36,58,13
VI.	निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय	**90,69**	1,04,46
VII.	प्रबंध / कार्यपालक निदेशक को पारिश्रमिक	**48,94**	48,01
VIII.	लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों सहित)	**27,45,38**	21,49,66
IX.	विधि प्रभार	**11,19,71**	11,47,11
X.	डाक खर्च, तार और टेलीफान आदि	**58,23,03**	39,38,97
XI	मरम्मत और अनुरक्षण	**50,12,53**	38,76,16
XII	बीमा	**1,61,26,13**	1,30,23,25
XIII.	अन्य व्यय	**4,06,92,87**	3,48,67,23
	जोड़	**25,07,84,75**	22,14,11,46

वर्ष 2009-2010 के लेखा की अनुसूचियां

अनुसूची 17-प्रमुख लेखा नीतियांः

1. परंपरागत लेखा प्रणालीः

संलग्न वित्तीय विवरण, जब तक कुछ अन्यथा न कहा गया हो, लाभ अर्जन करने वाले कारोबार सिद्धांत और परंपरागत लागत के आधार पर तथा सांविधिक प्रावधानों तथा भारत में प्रचलित सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन पद्धतियों के अनुरुप तैयार किए गए हैं.

2. राजस्व की पहचानः

i) अन्यथा उल्लेखित न हो तब तक, आय और व्यय की गणना सामान्यतः उपचय आधार पर की गई है.

ii) गैर निष्पादित अग्रिमों(एनपीए) पर आय की पहचान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार वसूली की गई सीमा तक की गई है. वर्ष के दौरान एनपीए के रुप में वर्गीकृत अग्रिमों के मामलों में विगत वर्ष लेखों में शामिल की गई तथा वसूली के लिए शेष रही आय को अमान्य किया गया है.

iii) अर्जित कमीशन, विनिमय एवं ब्रोकरेज, सुरक्षित जमा लॉकरों का किराया और बॉयोमैट्रिक्स कार्ड पर कमीशन वसूली आधार पर ही लेखांकित किए गए हैं.

3. निवेश :

i) बैंक का निवेश पोर्ट फोलियो भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुरुप तीन श्रेणियों :

ए) परिपक्वता तक धारित (एचटीएम),

बी) बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) और

सी) व्यापार के लिए धारित (एचएफटी) में वर्गीकृत किया गया है.

ii) मूल्यांकन के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित सिद्धांत अपनाए गए हैं :-

ए) i) 'परिपक्वता तक धारित' में निवेश की गई प्रतिभूतियां - अधिग्रहण लागत पर. अंकित मूल्य से अधिक अधिग्रहण लागत, परिपक्वता की शेष अवधि पर परिशोधित है.

ii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश संवहन लागत के आधार पर मूल्यांकित किया गया है.

बी) 'बिक्री के लिए उपलब्ध' एवं 'व्यापार के लिए धारित' श्रेणी में धारित प्रतिभूतियांः

क्र.	लिखत	मूल्यांकन मानदंड
i)	भारत सरकार की प्रतिभूतियां	फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन द्वारा प्रसारित भावों के अनुसार बाजार मूल्य पर .
ii)	राज्य विकास ऋण केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा गारटीकृत प्रतिभूतियां, पी एस यू बांड.	फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एवं डेरिवेटिव एसोसिएशन (एफ आई एम एम डी ए) के अनुसार आय वक्र के ऊपर उचित अतिरिक्त स्प्रेड पर .
iii)	इक्विटी शेयर	यदि उपलब्ध हो तो बाज़ार मूल्य पर अन्यथा अद्यतन तुलन पत्र के अनुसार बही मूल्य पर, (बशर्ते कि अद्यतन तुलन-पत्र एक वर्ष से अधिक पुराना हों). दोनों नहीं होने पर रू.1/- प्रति कपनी के अनुसार.
iv)	अधिमानी शेयर	यदि उल्लिखित हो तो, बाजार मूल्य पर या एफआईएमएमडीए के दिशानिर्देशानुसार समुचित परिपक्वता आधार के लाभ पर लेकिन शोधन मूल्य से अधिक नहीं.
v)	डिबेंचर	एफआईएमएमडीए के दिशानिर्देशानुसार, यदि उल्लिखित हो तो बाजार मूल्य पर या समुचित परिपक्वता आधार के लाभ पर.
vi)	म्युचुअल फंड	यदि उल्लिखित हो तो, बाज़ार मूल्य पर या अन्यथा पुनर्खरीद मूल्य या शुद्ध आस्ति मूल्य पर.
vii)	राजकोषीय बिल/ वाणिज्यिक पत्र/जमा प्रमाणपत्र	संवहन लागत पर.
viii)	जोखिम पूंजी निधियां	घोषित एनएवी पर अथवा लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार विश्लेषित एनएवी पर जो कि 18 माह से अधिक पुरानी न हो यदि एनएवी/ लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण लगातार 18 माह से अधिक के उपलब्ध न हो तो रू.1/-प्रति वीसीएफ पर.
ix)	प्रतिभूति रसीदें	प्रतिभूतिकरण कंपनियों द्वारा घोषित एनएवी पर.
x)	विदेशी शाखा	निवेश स्थानीय कानून के अनुसार श्रेणीबद्ध एवं मूल्यांकित किए गए हैं.

सी) i) 'व्यापार के लिए धारित' श्रेणी में धारित की गई प्रतिभूतियां एफ आई एम एम डी ए द्वारा प्रसारित सरकारी प्रतिभूतियों के बाज़ार भाव पर आधारित बाज़ार मूल्य पर

ii) भारतीय रिज़र्व बैंक के विद्यमान दिशानिर्देश के अनुसार अंतर बैंक रेपो / रिवर्स रेपो लेनदेन की गणना की गई है.

iii) बिक्री के लिए उपलब्ध / व्यापार के लिए धारित श्रेणी का मूल्यांकन श्रेणीवार और शेयरवार किया गया है और शुद्ध मूल्यह्रास, यदि कोई है, लाभ हानि खाते में प्रभारित किया गया है जब कि निवल मूल्य वृद्धि का छोड़ दिया गया है.

iv) प्रतिभूतियों का एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में परिवर्तन अधिग्रहण लागत/बहीमूल्य / अंतरण की तारीख को बाजार मूल्य के न्यूनतम स्तर पर किया गया है. ऐसे अंतरण पर मूल्यह्रास, यदि कोई है, तो उसका पूर्ण रूप से प्रावधान किया जाता है.

v) गैर निष्पादक निवेश की पहचान की गयी है और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुरूप मूल्यह्रास / प्रावधान किया गया है.

vi) किसी भी श्रेणी में निवेशों की बिक्री पर लाभ / हानि को लाभ व हानि खाते में लेखांकित किया गया है. हालांकि, 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के निवेश की बिक्री से लाभ होने की दशा में, बराबर राशि (यदि कोई कर है तो उसकी राशि सांविधिक आरक्षित को अंतरित राशि घटाकर) पूंजी आरक्षित खाते में विनियोजित की गई है.

vii) प्रतिभूतियों पर कमीशन दलाली, खंडित अवधि का ब्याज आदि लाभ एवं हानि लेखे में नामे/जमा लिखा गया है.

डी डेरिवेटिव संविदा

i) वित्तीय विवरण में जिन आस्तियों या देयताओं को बाज़ार मूल्य या लागत या बाज़ार मूल्य से कम पर दिखाया गया हो, के नामित स्वैप के सिवाय ब्याज वाली आस्ति या देयताओं को संरक्षित करनेवाले ब्याज दर स्वैप उपचित आधार पर लेखांकित किए गए है. स्वैप की समाप्ति पर लाभ या हानि को स्वैप की शेष संविदा अवधि अथवा आस्ति या देयता की शेष अवधि, जो भी कम हो, के अनुसार निधारित किया गया है.

ii) ट्रेडिंग स्वैप संव्यवहार वित्तीय विवरण में दर्ज परिवर्तनों के साथ मार्क-टू-मार्केट आधार पर संपन्न किए जाते हैं :

iii) विकल्प संविदाओं के मामले में फेडाई द्वारा समय समय पर आय की पहचान, प्रीमियम और बट्टे के बारे में जारी दिशानिर्देशों का पालन किया गया है.

4. अग्रिम :

i) सभी अग्रिमों को 4 श्रेणियों (ए) मानक, (बी) अवमानक, (सी) संदिग्ध तथा (डी) हानिकारक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा ऐसे अग्रिमों पर हानि के लिए आवश्यक प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विद्यमान विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार सुनिश्चित किया गया है मानक अग्रिमों के कुछ संवर्ग यथा उपभोक्ता वस्तुओं के लिए ऋण, शैक्षिक ऋण, क्रेडिट कार्ड के जरिए ऋण और अन्य वैयक्तिक ऋणों के लिए की सांविधिक अपेक्षा से 2% अधिक राशि का प्रावधान किया गया है. .

ii) अग्रिम की राशि प्रावधानों तथा विविध खातों में रखे गए अप्राप्त ब्याज और गैर-निष्पादित आस्तियों से संबंधित सीजीटीएफ / ईसीजीसी से प्राप्त दावे की राशि कम करके बताई गई है. मानक अग्रिमों पर प्रावधान ' अन्य देयताएं एवं प्रावधान ' में किया गया है.

5. अस्थिर(फ्लोटिंग) प्रावधान :

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक में विद्यमान फ्लोटिंग प्रावधान के अलावा अग्रिमों के फ्लोटिंग प्रावधानों के रूप में प्रतिवर्ष कुल एनपीए का न्यूनतम 1% उस समय तक अलग रखने की अनुमोदित नीति है, जब तक कि कुल एनपीए का कवरेज 100% तक नहीं हो जाता.

6. अचल आस्तियां :

i) अचल आस्तियां परंपरागत लागत पर उल्लिखित की गई हैं, जब कि भूमि और भवन पुनर्मूल्यांकित रकम पर उल्लिखित है.

ii) सॉफ्टवेयर सिस्टम को अमूर्त आस्तियों के रूप में पूंजीकृत किया गया है.

iii) अचल आस्तियों के मूल्यह्रास का प्रावधान ह्रासित शेष प्रणाली के अनुसार प्रबंधन द्वारा उचित समझी गयी निम्नांकित दर पर किया गया :-

आस्तियों का प्रकार		मूल्य ह्रास की दर
i)	परिसर	5%
ii)	अन्य अचल आस्तियां	
	- फर्नीचर और फिटिंग्स	10%
	- इलेक्ट्रिक फिटिंग और उपस्कर, कार्यालय उपकरण, एसडीवी/लॉकर्स/स्ट्रांग रूम आदि	15%
	- परिवहन वाहन	20%
	- यू. पी. एस.	33.33%
iii)	आस्तियों के पुनर्मूल्याकन के परिणामस्वरूप जोड़ी गयी राशि पर	संबंधित आस्ति के आर्थिक अवशिष्ट जीवन के आधार पर

iv) कम्प्यूटरों एवं सॉफ्टवेयर सिस्टम पर मूल्यह्रास 33.33% की दर से सीधी रेखा प्रणाली के आधार पर लगाया गया है.

v) 30 सितंबर तक आस्तियों के वृद्धि पर मूल्यह्रास पूर्ण दर से और उसके बाद हुए वृद्धि पर आधे दर से लगाया गया है.

vi) भूमि और भवन का मूल्य अलग-अलग पता न लगा पाने पर परिसर पर मूल्यह्रास संमिश्र लागत पर लगाया गया है.

vii) वर्ष के दौरान बेची/निपटान की गईं आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान नहीं किया गया है.

viii) पट्टे पर ली गयी भूमि का पट्टे की अवधि पर परिशोधन किया गया है.

7. विदेशी विनिमय वाले लेनदेन :

विदेशी मुद्रा स्थिति का पुनर्मूल्यांकन तथा इनसे हुई लाभ - हानियों का लेखांकन

i) वर्ष की समाप्ति पर फेडाई द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर मौद्रिक आस्तियों एवं देयताओं का पुनर्मूल्यन किया गया है और परिणामी लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में लिया गया है.

ii) आय एवं व्यय मदों को लेनदेन की तारीख पर विद्यमान विनिमय दरों पर अभिलिखित किया गया है.

iii) वायदा विदेशी मुद्रा संविदाओं को वायदा की तारीख पर विद्यमान विनिमय दर पर अभिलिखित किया गया है. फेडाई द्वारा विनिर्दिष्ट परिपक्वताओं और मध्यवर्ती परिपक्वताओं के संविदा के लिए इंटरपोलेटेड दर के अनुसार बकाया वायदा विनिमय संविदाओं का पुनर्मूल्यांकन किया गया है और परिणामी लाभ-हानि को लाभ एवं हानि खाते में दर्शाया गया है.

iv) गारंटी, स्वीकरण, परांकन एवं अन्य बाध्यताओं के कारण आकस्मिक देयताएं वर्ष के अंत में फेडाई द्वारा अधिसूचित विनिमय दर के आधार पर दर्शायी गयी हैं.

v) भारत से बाहर बैंक के प्रतिनिधि कार्यालयों को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार एकीकृत परिचालन इकाई माना गया है.

8. गैर-एकीकृत विदेशी परिचालन के संबंध में लेखांकन :

अपतटीय बैंकिंग इकाइयों (ओबीयू) एवं विदेशी शाखा का वर्गीकरण गैर--

एकीकृत विदेशी परिचालन के रूप में किया गया है.

ए) अपतटीय बैंकिंग इकाई (ओबीयू)

i) आस्तियों एवं देयताओं (मौद्रिक एवं गैर - मौद्रिक तथा आकस्मिक देयताओं सहित) को फेडाई द्वारा वर्ष की समाप्ति पर अधिसूचित बंद दरों पर दर्शाया गया है.

ii) आय एवं व्ययों को संबंधित तिमाही की समाप्ति पर फेडाई द्वारा संबंधित तिमाही औसत बंद दर पर परिवर्तित किया गया है.

iii) सभी परिणामी विनिमय अंतरों को एक अलग खाते 'विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित'में संचित रखा गया है.

बी) विदेशी शाखा

i) आय पहचान : आय एवं व्यय की पहचान / लेखांकन संबंधित देशों के स्थानीय कानूनों के अनुसार की गयी है.

ii) आस्ति वर्गीकरण और ऋण हानि का प्रावधान : आस्ति वर्गीकरण और ऋण हानि के प्रावधान स्थानीय अपेक्षाओं या भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों, जो सुसंगत हों, के अनुसार किया गया है.

iii) अचल आस्तियां और मूल्यह्रास

ए) अचल आस्तियों का लेखांकन परंपरागत लागत पर किया गया है.

बी) विदेशी शाखा की अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान संबंधित देशों में लागू कानूनों के अनुसार किया गया है.

iv) विदेशी शाखाओं के लिए आस्ति और देयताओं तथा आय एवं व्ययों का परिवर्तन ऊपर उल्लेखित अनुच्छेद 8(ए) (i,ii,iii) के अनुसार किया गया है.

9. कर्मचारी लाभ :

ग्रेच्युटी निधि एवं पेंशन निधि को वार्षिक अंशदान तथा अवकाश नकदीकरण का प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है और भविष्य निधि में अंशदान को लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया गया है. वर्ष के दौरान शुद्ध बीमांकिक लाभों एवं हानियों की पहचान की गयी है.

10. कर निर्धारण

चालू एवं आस्थगित दोनों करों के लिए करों का प्रावधान किया जाता है. कर योग्य आय पर वर्तमान कर दर एवं कर नियमों के अनुसार प्रावधान किया जाता है. समय अंतराल के कारण उत्पन्न आस्तियों एवं आस्थगित कर देयताओं जिन्हें आगामी अवधियों में रिवर्स किया जाना है, की पहचान तुलन पत्र की तारीख तक लागू की गयी कर दरों एवं बनाए जा चुके कर नियमों के अनुसार की गयी है. आस्थगित कर आस्तियों का निर्धारण तब तक नहीं किया जाता है जब तक कि यह 'समुचित निश्चितता' न हो कि ऐसी पर्याप्त भावी कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके पेटे ऐसे आस्थगित कर आस्तियों की उगाही की जाएगी. अनवशोषित मूल्यह्रास और कर-हानियों को अग्रेषित करने की स्थिति में 'वास्तविक निश्चितता' उपलब्ध होने पर ही आस्थगित कर आस्तियों का अभिनिर्धारण किया जाता है.

11. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां :

पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप सृजित वर्तमान देयताओं के लिए परिमाणन के प्राक्कलन के ठोस स्तर वाले प्रावधानों का अभिनिर्धारण किया जाता है. यह संभव है कि संसाधनों का बहिर्वाह होगा तथा देयता की रकम का वास्तविक अनुमान किया जा सकेगा. वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों की न तो पहचान की गयी है न ही उन्हें उद्घाटित किया गया है. आकस्मिक देयताओं का प्रावधान नहीं किया गया है तथा टिप्पणियों के माध्यम से उन्हें उद्घाटित किया गया है.

<u>अनुसूची 18 - लेखों पर नोट्स</u>

1. बहियों का मिलान, अंतर शाखा/बैंक लेनदेनों का समाधान :

i) कुछ मामलों को छोड़कर विदेशी और अन्य बैंकों के साथ शेष की पुष्टि /समाधान सामान्यतया प्राप्त किया गया है/जाता है.

ii) उचंत खाता, विविध जमा, समाशोधन समायोजन, बैंक समाधान विवरण और विभिन्न अंतर-शाखा /कार्यालय खातों में बकाया प्रविष्टियों के समायोजन का काम जारी है. शाखाओं द्वारा रखे जाने वाले केन्द्रीय कार्यालय लेखा का समाधान 31 मार्च 2010 तक पूरा कर लिया गया है.

iii) उपर्युक्त 1 और 2 में यदि कोई अंतिम समाधान लंबित है तो प्रबंधन के विचार से उसका लेखों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.

2. निवेश :

I. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, रु.100.09 करोड़ की राशि (पिछले वर्ष के लिए रु.217.08 करोड़) को ''परिपक्वता के लिए धारित'' श्रेणी की प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ के बराबर राशि ''पूंजी आरक्षित निधि खाता'' में अंतरित की गई है.

II. ''परिपक्वता के लिए धारित'' श्रेणी के संबंध में महत्वपूर्ण लेखा नीति क्र. 3(ii) (ए), में उल्लेख के अनुसार वर्ष के दौरान परिशोधित प्रतिभूतियों के अंकित मूल्य पर अर्जन लागत का आधिक्य रु.96.21 करोड़ (पिछले वर्ष रु.111.55 करोड़) रहा है.

III. शेयर, परिवर्तनीय डिबेंचर्स तथा इक्विटी संबद्ध म्युचुअल फंड / वेंचर्स कैपिटल फंड की यूनिटों में किया गया निवेश और शेयर के पेटे अग्रिम कुल रु.1289.39 करोड़ रहा (पिछले वर्ष रु.938.68 करोड़ था).

3. अचल आस्तियां :

बैंक द्वारा धारित रु.6.84 करोड़ (विगत वर्ष में रु.7.20 करोड़) ह्रासित मूल्य की 5 अचल संपत्तियों के विषय में दस्तावेजीकरण औपचारिकताएं पूरी की जानी हैं, जिनके विषय में कार्रवाई की गई है. भूमि और भवन का पुनर्मूल्यांकन उचित बाजार मूल्य पर एक अनुमोदित मूल्यांकक द्वारा दिनांक 31.03.1995 को किया गया था, जिसे 30 नवंबर 2007 को अनुमोदित मूल्यांककों द्वारा उचित बाजार मूल्य पर फिर से पुनर्मूल्यांकित किया गया था. इन पुनर्मूल्यांकनों से हुई मूल्य में वृद्धि अर्थात् दिनांक 31.03.1995 के अनुसार रु.456.59 करोड़ की रकम और 30.11.2007 के अनुसार रु1290.68 करोड़ की रकम को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित में जमा किया गया है और उस पर आरोपित रु.69.94 करोड़ के मूल्यह्रास (पिछले वर्ष रु.38.42 करोड़) को उसमें से घटाया गया है.

4. आयकर :

बैंक मानता है कि इसके खातों में आयकर के लिए किया गया प्रावधान पर्याप्त है.

5. टियर I तथा टियर II पूंजी के रूप में अर्जित निधि :

वर्ष के दौरान बैंक ने टियर I एवं टियर II पूंजी के लिए रु.200 करोड़ के शाश्वत बांड और रु.1000 करोड़ के अपर टियर II बांड के माध्यम से अतिरिक्त फंड जुटाए (पिछले साल शाश्वत बांड रु.340 करोड़ और गौड़ बांड रु.800 करोड़ थे) और यह राशि तुलनपत्र की अनुसूची 4 में ''उधार'' के अंतर्गत दिखायी गयी है.

6. मानक अग्रिमों पर प्रावधान :

डेरीवेटिव्स पर ऋण जोखिम एक्सपोज़र 0.40% की दर से रु.516.06 करोड़ (पिछले वर्ष रु.495.11 करोड़) रहा. कुछ विशिष्ट संवर्ग के मानक अग्रिमों, जैसे उपभोक्ता वस्तुओं के लिए ऋण, शिक्षा ऋण, क्रेडिट कार्ड के ज़रिए ऋण तथा अन्य वैयक्तिक ऋणों के लिए सांविधिक अपेक्षाओं से अधिक 2% अतिरिक्त प्रावधान रु.52.38 करोड़ (पिछले वर्ष रु.39.61 करोड़) किया गया है.

7. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अतिरिक्त प्रकटन इस प्रकार है :

7.1 पूंजी (रु. करोड़ में)

		31.03.2010	31.03.2009
i)	सीआरएआर (%)	12.51	13.27
ii)	सीआरएआर - टियर I कैपिटल (%)	7.91	8.19
iii)	सीआरएआर - टियर II कैपिटल (%)	4.60	5.08
iv)	भारत सरकार के शेयर होल्डिंग का प्रतिशत	55.43	55.43
v)	आईपीडीआई निर्गम के द्वारा अर्जित राशि	200	340
vi)	अपर टियर II लिखतों के निर्गम द्वारा अर्जित राशि	1000	-

7.2 निवेश (रु. करोड़ में)

	विवरण	31.03.2010	31.03.2009
1	निवेश का मूल्य		
i)	निवेश का सकल मूल्य	54,478.39	43,193.80
	(क) भारत में	54,478.19	43,193.60
	(ख) भारत के बाहर	0.20	0.20
ii)	मूल्य ह्रास हेतु प्रावधान	79.49	196.83
	(क) भारत में	79.49	196.83
	(ख) भारत के बाहर	-	-
iii)	निवेश का निवल मूल्य	54,398.90	42,996.97
	(क) भारत में	54,398.70	42,996.77
	(ख) भारत के बाहर	0.20	0.20
2	निवेश पर मूल्य ह्रास के पेटे किए गए प्रावधान का संचरण		
i)	आरंभिक शेष	196.83	238.33
ii)	जोड़ें : वर्ष के दौरान प्रावधान	0.50	4.05
iii)	घटायें : वर्ष के दौरान राइट-ऑफ / राइट बैक किया गया आधिक्य प्रावधान	117.84	45.55
iv)	अंतिम शेष	79.49	196.83

7.2.1 रेपो संव्यवहार (रु. करोड़ में)

		वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान औसत दैनिक बकाया	यथा 31.03.2010
ए	रेपो के अधीन बेची गई प्रतिभूतियां				
i)	सरकारी प्रतिभूतियां	-	-	-	-
ii)	कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	-	-	-	-
बी	रेपो के अधीन क्रय की गई प्रतिभूतियां				
i)	सरकारी प्रतिभूतियां	-	746.93	8.19	-
ii)	कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	-	-	-	-

7.2.2 गैर एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो

i. गैर एसएलआर निवेशों के घटक जारीकर्ता (रु. करोड़ में)

क्र.	जारीकर्ता	राशि	निजी आवंटन की मात्रा	निवेश स्तर ग्रेड से नीचे प्रतिभूतियां	बिना रेटिंग वाली प्रतिभूतियां	गैर सूचीबद्ध प्रतिभूतियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i)	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	622.60	310.32	-	1.83	26.83
ii)	वित्तीय संस्थाएं	3,488.19	2,873.97	-	52.77	122.77
iii)	बैंक	5,347.22	635.76	-	-	7.00
iv)	निजी कार्पोरेट	1,656.08	962.85	-	13.70	27.23
v)	सहायक कंपनियां/ संयुक्त उपक्रम	48.48	-	-	-	-
vi)	अन्य	430.73	309.87	5.89	0.20	0.20
vii)	मूल्यह्रास के पेटे धारित प्रावधान	(42.70)	-	-	-	-
	योग	11,550.60	5,092.77	5.89	68.50	184.03

	31.03.2010	31.03.2009
शेयर	682.26	389.59
ऋण पत्र एवं बांड	3,495.01	3651.17
सहायक कंपनियां एवं संयुक्त उपक्रम	48.48	-
अन्य	7,324.85	3791.98
योग	11,550.60	7832.74

* घोषित की गई गैर बिना रेटिंग वाली एवं गैर सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में केवल उन्हीं प्रतिभूतियों को शामिल किया गया है, जिनकी रेटिंग व सूचीयन भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार वांछित है.

ii) **गैर-निष्पादक गैर-एसएलआर निवेश :** (रु. करोड़ में)

विवरण	31.03.2010	31.03.2009
आरंभिक शेष	5.54	0.79
वर्ष के दौरान 1 अप्रैल से वृद्धि	0.50	4.75
वर्ष के दौरान उपर्युक्त अवधि में कमी	0.11	-
अंतिम शेष	5.93	5.54
धारित कुल प्रावधान	5.93	5.54

7.3 डेरिवेटिव्स

7.3.1 वायदा दर अनुबंध / ब्याज दर स्वैप (रु. करोड़ में)

		31.03.2010	31.03.2009
i)	स्वैप लेनदेन की कल्पित मूल राशि	699.00	2264.40
ii)	संबंधित पक्षों द्वारा समझौते के अनुसार अपने दायित्वों की पूर्ति न किए जाने के फलस्वरुप हो सकने वाली हानि	14.70	25.67
iii)	स्वैप प्रक्रिया अपनाने हेतु बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति	शून्य	शून्य
iv)	स्वैप से आयी क्रेडिट जोखिम का संकेन्द्रण	बैंकिंग उद्योग	बैंकिंग उद्योग
v)	स्वैप बही का उचित मूल्य	1.90	0.22

नोट :

I) टियर II बांड्स, मियादी ऋणों एवं मियादी जमाराशियों की हेजिंग के लिए भारतीय रुपयों में ब्याज दर स्वैप किया गया है.

II) बैंक ने वर्ष के दौरान ट्रेडिंग के लिए कोई ब्याज दर स्वैप नहीं किया है.

III) स्वैप हेज लेनदेन के लिए सभी अंडरलाइंग्स उपचय के आधार पर हैं.

7.3.2 एक्सचेंज के माध्यम से ट्रेड किए गए ब्याज दर डेरिवेटिव :

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	राशि
i)	वर्ष के दौरान (लिखत वार) किए गए ब्याज दर डेरिवेटिव के एक्सचेंज के माध्यम से कारोबार की कल्पित मूल राशि	983.02
ii)	31 मार्च 2010 को (लिखतवार) किए गए ब्याज दर डेरिवेटिव को एक्सचेंज के माध्यम से कारोबार की बकाया कल्पित मूल राशि	4.02
iii)	(लिखतवार) किए गए ब्याज दर डेरिवेटिव के एक्सचेंज के माध्यम से कारोबार की बकाया और ''अधिक प्रभावित'' न हुई कल्पित मूल राशि	शून्य
iv)	(लिखतवार) किए गए ब्याज दर डेरिवेटिव के एक्सचेंज के माध्यम से कारोबार की बकाया और ''अधिक प्रभावित'' न हुआ मार्क टू मार्केट मूल्य	शून्य

7.3.3 डेरिवेटिव्स में जोखिम एक्सपोज़र का प्रकटीकरण

क. गुणात्मक प्रकटीकरणः

ट्रेज़री शाखा में परिचालन को तीन कार्यात्मक क्षेत्रों यथा - फ्रंट आफिस, मिड आफिस एवं बैक आफिस में अलग-अलग रखा गया है, जिन्हें आवश्यक मूलभूत संरचना एवं प्रशिक्षित अधिकारियों से सुसज्जित किया गया है और उनकी जिम्मेदारियां भी स्पष्टतः निर्धारित की गई हैं.

बैंक की ट्रेज़री नीति में वित्तीय डेरिवेटिव लिखतों के प्रकार, उपयोग का स्कोप, अनुमोदन प्रक्रियाके साथ ही साथ आरंभिक राशि सीमा, अनुमोदन लिखतों में ट्रेडिंग के लिए ''डील साइज़ लिमिट'' और ''स्टॉप लॉस लिमिट'' जैसी लिमिटों का भी उल्लेख है. डेरिवेटिव लिमिट मंजूर करते समय, सक्षम प्राधिकारी संपार्श्विक/उचित समझे जाने वाले मार्जिन की शर्त लगा सकते हैं. डेरिवेटिव सीमाओं की समीक्षा अन्य ऋण सीमाओं के साथ आवधिक आधार पर की जाती है.

मिड आफिस ट्रेडिंग बुक में लेनदेनों तथा आधिक्यों का अनुश्रवण करता है और यदि कोई आधिक्य है तो आवश्यक कार्रवाई के लिए उसे जोखिम प्रबंधन प्रभाग के ध्यान में लाता है. मिड आफिस मार्क टू मार्केट के जरिए, दैनिक आधार पर ट्रेडिंग बुक में लेनदेनों के लिए वित्तीय जोखिमों को आंकता है और मार्क टू मार्केट की दैनिक स्थिति जोखिम प्रबंधन प्रभाग को रिपोर्ट करता है, जो बाद में आस्ति एवं देयता प्रबंधन पर निदेशक मंडल की समिति को जोखिम प्रोफाइल की जानकारी देता है.

बैंक सुनिश्चित करता है कि कार्पोरेट ग्राहकों के साथ लेनदेन केवल अंतर्निहित ऋण-सीमा की मात्रा का निर्धारण करने के बाद किए जाते हैं और ग्राहक औचित्य एवं अनुकूलता के लिए ट्रेज़री पालिसी में निर्धारित अनुमोदन प्रक्रिया के अनुसार अनुमोदित किए जाते हैं तथा आवश्यक दस्तावेज और आईएसडीए करारनामा आदि निष्पादित किए जाते हैं. बैंक ने ऋण निवेश (एक्सपोज़र) के अनुश्रवण के लिए करंट ऋण निवेश पद्धति अपनाई है.

बैंक अपने तुलन पत्र एक्सपोज़रों को हेज करने के लिए वित्तीय डेरिवेटिव्स लेनदेनों का भी प्रयोग करता है. बैंक की ट्रेज़री नीति में एक्सपोज़रों की हेजिंग करने के लिए अनुमोदन प्रक्रिया बताई गई है. हेज लेनदेनों को नियमित आधार पर अनुश्रवण किया जाता है और इन लेनदेनों पर पीवी 01 एवं वीएआर मार्क टू मार्केट आधार पर परिकलित नोशनल लाभ या हानि प्रत्येक माह आल्को को रिपोर्ट किया जाता है.

गैर हेज एवं हेज लेनदेनों को अलग से रिकार्ड किया जाता है. हेज लेनदेनों की उपचय आधार पर गणना की जाती है. सभी ट्रेडिंग संविदा मार्क टू मार्केट किए जाते हैं और आय व्यय विवरण में परिणामी लाभ या हानि रिकार्ड की जाती है.

ऑप्शन कांट्रैक्ट के मामले में आय की पहचान, प्रीमियम एवं छूट के लिए समय -समय पर फेडाई द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है.

रु.929.96 करोड़ के आनुमानिक मूल्य के ग्राहक संबंधी डेरिवेटिव लेनदेन समान रकम एवं अवधि के लिए बैंक-टू-बैंक आधार पर काउंटर पार्टी बैंकों के साथ सुरक्षित है और बैंक को कोई बाजार जोखिम नहीं है.

बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुमति से 3 करेंसी फयूचर एक्सचेंजों जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई), बांबे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) और एमसीएक्स - एस एक्स स्टॉक एक्सचेंज (एमसीएक्स - एस एक्स) का ट्रेडिंग एवं क्लीयरिंग सदस्य है. बैंक ने इन बाजारों (एक्सचेंजों) में वायदा मुद्रा में स्वामित्व ट्रेडिंग के साथ ही साथ ग्राहक की ओर से ट्रेडिंग प्रारंभ की है. बैंक ने फ्रंट, मिड एवं बैक आफिस परिचालनों के लिए आवश्यक मूलभूत संरचना तैयार की है. इन बाजारों (स्टॉक एक्सचेंजों) के साथ दैनिक लेनदेन (मार्क-टू-मार्केट) और मार्जिन दायित्व, नियामक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुरुप निपटाए जाते हैं.

वर्ष के दौरान, बैंक ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर ब्याज दर फ्यूचर में स्वामित्व ट्रेडिंग आरंभ की है. बैंक के पास फ्रंट, मिड एवं बैक आफिस लेनदेनों के लिए आवश्यक मूलभूत संरचना है. दैनिक मार्क-टू-मार्केट (एमटीएम) एवं मार्जिन देयताएं नियामकों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार एक्सचेंजों के साथ निपटाए जाते हैं.

ख. मात्रात्मक प्रकटन : (रु. करोड़ में)

		31.03.2010		31.03.2009	
क्र.	**विवरण**	**करेंसी डेरिवेटिव्स**	**ब्याज दर डेरिवेटिव्स**	**करेंसी डेरिवेटिव्स**	**ब्याज दर डेरिवेटिव्स**
i)	डेरिवेटिव (कल्पित मूल राशि)				
क	हेजिंग के लिए	224.50	100.00	1620.36	250.00
ख	ट्रेडिंग के लिए	1777.34	603.02	4576.65	2014.40
ii)	मार्क-टू-मार्केट स्थितियां (1)				
क	आस्तियां (+)	6.46	0.29	9.14	
ख	देयताएं (-)				(-)0.52
iii)	ऋण एक्सपोज़र (2)	198.99	21.92	471.55	49.42
iv)	ब्याज में 1% परिवर्तन का संभाव्य परिणाम (100*PV01)				
क	हेजिंग डेरिवेटिव	0.06	7.96	2.77	5.54
ख	ट्रेडिंग डेरिवेटिव पर	0.12	0.00	0.13	0.04
v)	वर्ष के दौरान पाया गया 100*पीवी01का अधिकतम एवं न्यूनतम स्तर				
1	अधिकतम				
	क. हेजिंग पर	2.88	7.96	14.74	6.08
	ख. ट्रेडिंग पर	0.12	0.76	0.15	2.02
2	न्यूनतम				
	क. हेजिंग पर	0.00	1.12	2.77	4.88
	ख. ट्रेडिंग पर	0.00	0.00	0.13	0.01

7.4 आस्ति गुणवत्ताः

7.4. गैर निष्पादक आस्तियांः (रु. करोड़ में)

		31.03.2010	31.03.2009
i)	निवल अग्रिम में शुद्ध एनपीए (%)	0.81	0.34
ii)	एनपीए का संचरण (सकल)		
	(ए) दिनांक 1 अप्रैल को आरंभिक शेष	1923.35	1656.60
	(बी) वर्ष के दौरान वृद्धि (नए एनपीए)	1785.23	1176.66
	उप-योग (ए)	3708.58	2833.26
	(सी) घटायें :- अपग्रेडेशन वसूली (अपग्रेडेड खातों में हुई वसूली को छोड़कर) राइट-ऑफ	 123.16 401.29 513.24	 138.27 406.01 365.63
	उप-योग (बी)	1037.69	909.91
	(डी) अंतिम शेष (ए-बी)	2670.89	1923.35
iii)	एनपीए का संचरण (निवल) (ए) आरंभिक शेष (बी) अंतिम शेष	 325.94 965.33	 127.57 325.94
iv)	एनपीए के प्रावधानों का संचरण (मानक आस्तियों पर प्रावधानों को छोड़कर)		
	(ए) प्रारंभिक शेष	1548.88	1511.02
	(बी) वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	698.92	546.48
	(सी)राइट-ऑफ /अतिरिक्त प्रावधानों का राइट बैक	604.46	508.62
	(डी) अंतिम शेष	1643.34	1548.88

7.4.2 पुनर्गठित खातों का विवरण : (रु. करोड़ में)

		सी डी आर प्रक्रिया	एमएसएमई ऋण पुनर्संरचना	अन्य
पुनर्गठित मानक खाते	उधारकर्ताओं की संख्या	6	1732	4149
	बकाया राशि	176.19	324.55	2210.24
	छोड़ी गई रकम (उचित मूल्य में ह्रास)	19.43	3.99	26.91
पुनर्गठित अवमानक खाते	उधारकर्ताओं की संख्या	-	4	83
	बकाया राशि	-	0.83	1.08
	छोड़ी गई रकम (उचित मूल्य में ह्रास)	-	0.04	0.05

		सी डी आर प्रक्रिया	एमएसएमई ऋण पुनर्संरचना	अन्य
पुनर्गठित संदिग्ध खाते	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-
	बकाया राशि	-	-	-
	छोड़ी गई रकम (उचित मूल्य में ह्रास)	-	-	-
योग	उधारकर्ताओं की संख्या	6	1736	4232
	बकाया राशि	176.19	325.38	2211.32
	छोड़ी गई रकम (उचित मूल्य में ह्रास)	19.43	4.03	26.96

7.4.3 आस्ति पुर्नगठन के लिए प्रतिभूतिकरण / पुर्नगठन कंपनी को बेची गईं वित्तीय आस्तियों का विवरण

(रु. करोड़ में)

		31.03.2010	31.03.2009
i)	खातों की संख्या	2	62
ii)	एससी / आरसी कं. को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधानों में से घटाकर)	0.00	0.00
iii)	कुल प्रतिफल	26.79+	51.00*
iv)	विगत वर्षों में अंतरित खातों में वसूल किया गया कुल प्रतिफल	शून्य	शून्य
v)	निवल बही मूल्य पर कुल आय/ हानि	26.79	51.00

+ रु. 16.54 करोड़ संवर्ग बी की प्रतिभूति रसीद एवं रु.10.25 करोड़ नकद प्राप्तियों के माध्यम से.

* रु. 10.50 करोड़ संवर्ग बी की प्रतिभूति रसीद एवं रु.40.50 करोड़ नकद प्राप्तियों के माध्यम से.

7.4.4 खरीदी / बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों के विवरण

ए. खरीदी गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों के विवरण

(रु. करोड़ में)

	विवरण	31.03.2010	31.03.2009
1	ए. वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों की संख्या बी. समग्र बकाया	शून्य शून्य	शून्य शून्य
2	ए. वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या बी. समग्र प्राप्त प्रतिफल	शून्य शून्य	शून्य शून्य

बी. बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों के विवरण

(रु. करोड़ में)

	विवरण	31.03.2010	31.03.2009
1	बेचे गए खातों की संख्या	शून्य	शून्य
2	समग्र बकाया	शून्य	शून्य
3	समग्र प्राप्तियां	शून्य	शून्य

7.4.5 मानक आस्तियों पर प्रावधानः

(रु. करोड़ में)

मद	31.03.2010	31.03.2009
मानक आस्तियों पर प्रावधान	20.95	80.11

डेरिवेटिव्स पर ऋण जोखिम एक्सपोज़र हेतु प्रावधान के लिए रु.4.39 करोड़ (पिछले वर्ष रु.6.61 करोड़) शामिल हैं.

7.5 कारोबार अनुपात

(रु. करोड़ में)

		31.03.2010	31.03.2009
i)	कार्यकारी निधियों की तुलना में ब्याज आय (प्रतिशत)	8.04	8.78
ii)	कार्यकारी निधियों की तुलना में गैर ब्याज आय (प्रतिशत)	1.19	1.09
iii)	कार्यकारी निधियों की तुलना में परिचालन लाभ (प्रतिशत)	2.21	2.28
iv)	आस्तियों पर प्रतिफल	1.25	1.27
v)	प्रति कर्मचारी कारोबार (जमाराशि एवं अग्रिम) (लाख रुपयों में)	853	694
vi)	प्रति कर्मचारी लाभ (लाख रुपयों में)	7.47	6.28

7.6 आस्ति देयता प्रबंधन

आस्ति एवं देयताओं का परिपक्वता पैटर्न यथा 31.03.2010 (रु. करोड़ में)

	जमाराशियां	अग्रिम	निवेश	उधार	विदेशी मुद्रा आस्ति	विदेशी मुद्रा देयताएं
1 दिन	1130.60	2133.63	1.50	671.68	386.36	1382.38
2-7 दिन	7368.50	2797.62	1633.67	463.97	685.67	118.06
8-14 दिन	1775.81	2837.78	73.79	9.27	117.39	38.30
15 से 28 दिन	1532.59	4031.75	697.56	49.38	302.82	116.50
29 दिन से 3 माह	12169.00	15597.84	1106.90	595.87	1650.28	854.49
3 माह से अधिक 6 माह तक	9776.38	6511.74	4775.25	713.31	2107.24	1008.67
6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	33000.85	16326.95	4166.38	292.69	898.68	1109.73
1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	41182.57	42170.20	1953.72	698.38	390.14	725.51
3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	7351.73	9706.72	4771.14	480.01	447.61	261.80
5 वर्ष से अधिक	54751.70	17201.06	35223.61	5240.74	462.53	91.79
योग	170039.73	119315.30	54403.52	9215.31	7448.72	5707.23

7.7 एक्सपोज़र

7.7.1 रीयल इस्टेट क्षेत्र में एक्सपोज़र

(रु. करोड़ में)

		श्रेणी	31.03.2010	31.03.2009
क)		प्रत्यक्ष एक्सपोज़र		
	i)	आवासीय बंधक-आवासीय संपत्ति के बंधक द्वारा उधार पूर्णतः प्रतिभूत अथवा जो उधारकर्ता द्वारा कब्जे में स्थित या आने वाली या किराए पर दी गयी-जिसमें से रु.30.00 लाख तक के वैयक्तिक गृह निर्माण ऋण जो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में सम्मिलित किए जाने के पात्र हैं.	9599.66 6967.01	8556.82 5987.90
	ii)	वाणिज्यिक रीयल इस्टेट-वाणिज्यिक रीयल इस्टेट पर बंधक द्वारा प्रतिभूत उधार (कार्यालय भवन, रिटेल स्पेस, बहुद्देश्यीय वाणिज्यिक परिसर,बहु परिवार आवासीय भवन, किराए पर दिए गए बहु वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक अथवा गोदाम की जगह, होटल, भूमि अर्जन, विकास तथा निर्माण आदि) निवेश में गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमाएं शामिल हैं :	2838.70	3189.63
	iii)	बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) में निवेश तथा अन्य प्रतिभूत एक्सपोज़र - क. आवासीय ख. वाणिज्यिक रीयल इस्टेट.	11.12 11.12 -	16.31 16.31 -
ख)		अप्रत्यक्ष एक्सपोजर राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) तथा गृह निर्माण वित्त कंपनियों (एचएफसी) में निधि आधारित तथा गैर निधि आधारित एक्सपोज़र	4093.78	5253.96
		रीयल इस्टेट क्षेत्र में कुल एक्सपोज़र	**16543.26**	**17016.72**

7.7.2 पूंजी बाजार में एक्सपोज़र

(रु. करोड़ में)

	विवरण	31.03.2010	31.03.2009
i)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांड्स, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों जिनकी आधारभूत निधि का निवेश केवल कार्पोरेट ऋण में न किया गया हो, में सीधा निवेश	772.55	549.07
ii)	शेयरों / बांड्स / डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों या शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बांडस, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड की इकाइयों के पेटे अग्रिम	6.88	6.10
iii)	अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम, जहां शेयरों, परिवर्तनीय बांड्स या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की इकाइयों को प्राथमिक प्रतिभूति के रुप में लिया गया है.	6.56	6.29

	विवरण	31.03.2010	31.03.2009
iv)	शेयरों या परिवर्तनीय बांड्स या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की इकाइयों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा सुरक्षित अन्य प्रयोजनों के अग्रिम, जहां शेयरों/परिवर्तनीय बांड्स/परिवर्तनीय डिबेचरों/इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की इकाइयों को छोड़कर अन्य मूल प्रतिभूति अग्रिमों को पूर्णतः सुरक्षित नहीं करती है.	2.10	2.18
v)	स्टॉक ब्रोकरों को सुरक्षित एवं असुरक्षित अग्रिम और स्टॉक ब्रोकरों एवं मार्केट मेकर्स की ओर से जारी गारंटियां संसाधन एकत्रित किये जाने की प्रत्याशा में प्रवर्तकों को अपना अंशदान पूरा करने के लिए	788.01	617.57
vi)	नई कंपनियों द्वारा संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में कंपनियों को शेयरों/बांडों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के पेटे स्वीकृत ऋण या बेजमानती ऋण.	-	-
vii)	संभावित इक्विटी प्रवाहों / निर्गमों के पेटे कंपनियों को पूरक (ब्रिज) ऋण	-	-
viii)	शेयरों या परिवर्तनीय बांड्स या परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की इकाइयों के मूल निर्गम के संबंध में बैंकों द्वारा हामीदारी	-	-
ix)	मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ब्रोकरों को वित्तपोषण	50.00	50.00
x)	जोखिम पूंजी निधियों के सभी एक्सपोजर (पंजीकृत एवं अपंजीकृत दोंनो) इक्विटी के समान माने जाएगें और इसलिए उन्हें अनुपालन हेतु पूंजी बाजार निवेश सीमाओं (प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोंनो) के साथ हिसाब में लिया जाएगा.	516.84	389.61
	पूंजी बाजार में कुल एक्सपोजर	2142.94	1620.82

7.7.3 जोखिम संवर्गवार कंट्री एक्सपोज़र (रु. करोड़ में)

जोखिम संवर्ग	एक्सपोज़र (निवल) यथा 31.03.2010	प्रावधान यथा 31.03.2010	एक्सपोज़र (निवल) यथा 31.03.2009	प्रावधान यथा 31.03.2009
नगण्य	1699.04	-	2701.23	-
अल्प	937.16	-	1075.58	-
अल्प सामान्य	112.33	-	51.61	-
सामान्य	5.54	-	15.18	-
सामान्य उच्च	4.26	-	7.23	-
उच्च	1.26	-	0.25	-
अत्यधिक	0	-	0	-
योग	**2759.59**	**-**	**3851.08**	**-**

7.7.4 बैंक द्वारा एकल उधारकर्ता को सीमा से अधिक एक्सपोज़र का विवरण. (रु. करोड़ में)

क्र. सं.	उधारकर्ता का नाम	एक्सपोज़र की सीमा (रु.)	कुल एक्सपोज़र (रु.)	पूंजी निधि का % एक्सपोज़र	31.03.10 की स्थिति	पूंजी निधि के % की स्थिति
1	इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि.	# पूंजीगत निधि का 25% अर्थात् 3164.50	2175.00	17.18	शून्य	शून्य
2	मेटल स्क्रैप ट्रेडिग कार्पोरेशन लि. (एमएसटीसी)	*पूंजीगत निधि का 20% अर्थात् 2531.60	2050.00	16.20	494.08	3.90
3	हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कार्पोरेशन लि.	*पूंजीगत निधि का 20% अर्थात् 2531.60	1980.00	15.64	1615.00	12.76

एकल एक्सपोज़र की उच्चतम सीमा 15% है, परंतु भारत सरकार द्वारा जिन ऑयल कंपनियों को ऑयल बांड जारी किए गए हैं और जो एसएलआर प्रतिभूतियों में नहीं आते हैं, उनके लिए एक्सपोज़र की अधिकतम सीमा 25% है.

* एकल एक्सपोज़र की उच्चतम सीमा 15% है. तथापि, भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुमति के अनुसार बोर्ड के अनुमोदन से 5% अतिरिक्त एक्सपोज़र किया गया है.

7.7.5 ऐसे समूह उधारकर्ता का ब्यौरा, जहां बैंक ने ऋण सीमा का अधिक्रमण किया है : (रु. करोड़ में)

क्र. सं.	उधारकर्ता का नाम	एक्सपोज़र की सीमा (रु.)	कुल एक्सपोज़र (रु.)	पूंजी निधि का % एक्सपोज़र	बोर्ड की मंजूरी का ब्यौरा	31.03.10 की स्थिति	पूंजी निधि के % की स्थिति
शून्य							

समूह एक्सपोज़र की उच्चतम सीमा - 40%

आधारभूत सुविधाओं के लिए समूह एक्सपोज़र की उच्चतम सीमा 50% है.

बोर्ड के अनुमोदन से 5% अतिरिक्त एक्सपोज़र किया जा सकता है.

7.7.6 गैर-जमानती अग्रिम (रु. करोड़ में)

		31.03.2010
1	ऐसे अग्रिमों की कुल राशि, जिनके लिए अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकार इत्यादि जैसी अमूर्त आस्तियों पर प्रभार निर्मित किया गया है.	1888.71
2	इन अमूर्त संपार्श्विक आस्तियों का अनुमानित मूल्य	2644.10

8. विविध

8.1 वर्ष के दौरान आयकर के लिए किए गए प्रावधान की रकम (रु. करोड़ में)

	31.03.2010	31.03.2009
आयकर के लिए प्रावधान (फ्रिंज बेनिफिट कर तथा आस्थगित कर देयता को छोड़कर)	758.00	618.00

विदेशी शाखा का रु.10.00 करोड़ (पिछले वर्ष रु.6.18 करोड़) का कर शामिल है.

8.2 भारिबैं द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटीकरण : शून्य

9. लेखा मानकों के अनुसार प्रकटन अपेक्षाएं, जिसमें भारिबैं ने ''खाते के नोट'' के लिए प्रकटन मदों के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए गए हैं:

9.1 लेखा मानक 5 - वर्ष के दौरान निवल लाभ या हानि, पिछली अवधि की मदें एवं लेखानीतियों में परिवर्तन पिछली अवधि की कोई ऐसी महत्वपूर्ण आय / व्यय नहीं थी, जिसका प्रकटन लेखा मानक - 5 के अनुसार आवश्यक था.

9.2 लेखा मानक -9 आय पहचान

नकदी आधार पर की गई आय मदों की पहचान में ऐसा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं था, इसलिए लेखा मानक -5 के अधीन कोई प्रकटन नहीं किया गया.

9.3 लेखा मानक 15 - कर्मचारी लाभ :

बैंक ने 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए कर्मचारी लाभों का समायोजन इंस्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी मानकों एवं बीमांकक की मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार किया है. प्रकटन इस प्रकार हैं :

(रु. करोड़ में)

		ग्रैच्युटी	पेंशन
i)	**मुख्य बीमांकक पूर्वानुमान का उपयोग**		
	पिछली डिस्काउंट दर	8.00%	8.00%
	पिछली प्लान आस्तियों पर प्रतिलाभ की दर	8.00%	8.00%
	पिछली वेतन वृद्धि	4.00%	4.00%
	पिछली एट्रीशन दर	2.00%	2.00%
	चालू डिस्काउंट दर	8.00%	8.00%
	चालू प्लान आस्तियों पर प्रतिलाभ दर	8.00%	8.00%
	चालू वेतन वृद्धि	4.00%	4.00%
	चालू एट्रीशन दर	2.00%	2.00%

		ग्रैच्युटी	पेंशन
ii)	**लाभ देयताओं में परिवर्तन दर्शाने वाली सारणीः**		
	वर्ष के आरंभ में देयता	653.14	1,220.31
	ब्याज लागत	52.00	95.58
	चालू सेवा लागत पिछली	24.13	24.23
	सेवा लागत (निहित लाभ)	-	-
	देयता अंतरण आवक	-	-
	देयता अंतरण जावक	-	-
	प्रदत्त लाभ	(29.88)	(99.58)
	बीमांकिक (अर्जन) / देयताओं पर हानि	(182.11)	118.58
	वर्ष के अंत में देयताएं	518.27	1,359.12
iii)	**योजना आस्तियों के उचित मूल्य की सारणीः**		
	वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	740.89	977.10
	योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिलाभ	58.08	90.33
	अंशदान अन्य कंपनी से अंतरण	-	201.78
	अन्य कंपनी को अंतरण	-	-
	प्रदत्त लाभ	(29.88)	(99.58)
	प्लान आस्तियों पर बीमांकिक अर्जन / (हानि)	(1.73)	(11.52)
	वर्ष के अंत में प्लान आस्तियों का उचित मूल्य	767.36	1,158.11
	अभिज्ञात किया जाने वाला कुम बीमांकिक अर्जन / (हानि)	180.38	(130.10)
iv)	**संक्रमणकालीन देयता की पहचान :**		
	प्रारंभिक संक्रमणकालीन देयता	-	-
	वर्ष के दौरान पहचानी गयी संक्रमणकालीन देयता	-	-
	अंत में संक्रमणकालीन देयता	-	-
v)	**प्लान आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ :**		
	प्लान आस्तियों पर संभावित प्रतिलाभ	58.08	90.33
	प्लान आस्तियों पर बीमांकिक लाभ / (हानि)	(1.73)	(11.52)
	प्लान आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ	56.35	78.81
vi)	**तुलन-पत्र में पहचानी गई रकम :**		
	वर्ष के अंत में देयता	518.27	1,359.12
	वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	767.36	1,158.11
	अंतर	249.09	(201.01)
	न पहचानी गई पूर्व सेवा लागत	-	-
	न पहचानी गई संक्रमण देयता	-	-
	तुलन-पत्र में पहचानी गई रकम	249.09	(201.01)
vii)	**आय विवरण में पहचाने गए व्यय**		
	वर्तमान सेवा लागत	24.13	24.23
	ब्याज लागत	52.99	95.58
	प्लान आस्तियों पर संभावित प्रतिलाभ	(58.08)	(90.33)
	पहचानी गई पूर्व सेवा लागत (अनिहित लाभ)	-	-
	पहचानी गई पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ)	-	-
	संक्रमण देयता की पहचान	-	-
	बीमांकिक लाभ या हानि	(180.38)	130.10
	लाभ हानि खाते में पहचाने गए लाभ	(161.34)	159.58

		ग्रैच्युटी	पेंशन
viii)	**तुलन पत्र समाधानः**		
	प्रारंभिक शुद्ध देयता (पिछले वर्ष तुलन-पत्र में चिन्हित निवल राशि)	(82.75)	243.21
	उपर्युक्त अनुसार व्यय	(161.34)	159.58
	अन्य कंपनियों से अंतरित (शुद्ध)	-	-
	अन्य कंपनियों को अंतरित (शुद्ध)	-	-
	नियोक्ता का अंशदान	-	(201.78)
	तुलन-पत्र में चिन्हित राशि	(249.09)	201.01
ix)	**अन्य विवरण :** ग्रैच्युटी सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिन के वेतन की दर पर देय है, बशर्ते कि अधिकतम राशि रु.350000.00 या बैंक की स्कीम के अनुसार हो.		
	घटना के वर्ष में समायोजित बीमांकित लाभ / हानि.		
	वेतन वृद्धि बैंक द्वारा बताए अनुसार समायोजित की गई है, जो पदोन्नति, कर्मचारियों की मांग एवं पूर्ति को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग उद्योग में लागू प्रैक्टिस के अनुसार है.		
	सदस्यों की संख्या	29,387	14,497
	वेतन प्रति माह	68.58	27.34
	अगले वर्ष के लिए अंशदान	-	62.34
x)	**आस्तियों का संवर्गः**		
	भारत सरकार आस्तियां	-	-
	कार्पोरेट बांड	-	-
	विशेष जमा योजना	-	-
	राज्य सरकार	-	-
	संपत्ति	-	-
	अन्य	767.36	1,158.11
	बीमाकर्ता प्रबंधित निधियां	-	-
	कुल	767.36	1,158.11
xi)	**अनुभव समायोजन**		
	योजनागत देयताएं (लाभ) / हानि	(136.76)	118.58
	योजनागत आस्तियां (हानि) / लाभ	(1.73)	(11.52)

वर्ष के दौरान विभिन्न दीर्घावधि कर्मचारी लाभ के लिए किए गए प्रावघानों के ब्यौरे निम्नानुसार हैंः (रु. करोड़ में)

क्र. सं.	अन्य दीर्घकालिक लाभ	राशि
1	पेंशन	159.58
2	अवकाश नकदीकरण	50.96
3	सिल्वर जुबली	0.01
4	पुनर्वास	0.88
5	अवकाश यात्रा रियायत	1.04
6	बीमारी अवकाश	3.45

कर्मचारी लाभ एएस15 (संशोधित) 2005 के कार्यान्वयन पर दिशानिर्देश के अनुसार नियोक्ता द्वारा स्थापित भविष्य निधि समाहित लाभ, जिस पर ब्याज कमी का प्रावधान आवश्यक है, को परिभाषित लाभ योजनाओं के रुप में माना जाए. बीमांकिक पूर्वानुमान करने वाले मामलों के परिप्रेक्ष्य में देयता निर्धारण के लंबित रहते हुए, इससे संबंधित प्रभाव को सुनिश्चित नहीं किया गया है. तदनुसार इस संबंध में अन्य संबंधित प्रकटन नहीं किए गए हैं तथा रु.30.55 करोड़ (पिछले वर्ष रु.31.51 करोड़) को भविष्य निधि योजना के व्यय के रुप में प्रावधान में शामिल किया गया है और इसे परिचालन व्यय के अंतर्गत कर्मचारियों के लिए प्रावधान और भुगतान में शामिल किया गया है. .

9.4 लेखा मानक 17 - क्षेत्रवार रिपोर्टिंग (रु. करोड़ में)

	व्यवसाय के क्षेत्र	31.03.2010 को समाप्त तिमाही (लेखापरीक्षित)	31.03.2009 को समाप्त तिमाही (लेखापरीक्षित)	31.03.2010 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)	31.03.2009 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)
(ए)	क्षेत्रवार राजस्व				
1	ट्रेज़री परिचालन	1,074.05	1,063.64	4,300.07	3,426.96
2	रिटेल बैंकिंग परिचालन	1,269.72	1,201.94	4,759.37	4,356.34
3	कार्पोरेट / थोक बैंकिंग	1,674.74	1,500.24	6,115.06	5,395.76
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	35.69	26.92	102.92	89.59
5	गैर-निर्धारित	-	55.98	-	103.28
	योग	**4,054.20**	**3,848.72**	**15,277.42**	**13,371.93**
(बी)	क्षेत्रवार परिणाम				
1	ट्रेज़री परिचालन	311.68	342.46	823.52	899.05
2	रिटेल बैंकिंग परिचालन	122.75	373.93	890.23	1,346.48
3	कार्पोरेट / थोक बैंकिंग	351.46	(29.98)	1,058.09	551.27
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	21.61	26.65	61.08	88.69
5	गैर-निर्धारित*	-	(85.00)	-	(540.94)
	योग	**807.50**	**628.06**	**2,832.92**	**2,344.55**
(सी)	आय कर	214.00	163.00	758.00	618.00
(डी)	निवल लाभ	593.50	465.06	2,074.92	1,726.55
(ई)	क्षेत्रवार संपत्तियां				
1	ट्रेज़री परिचालन	69,499.20	56,617.35	69,499.20	56,617.35
2	रिटेल बैंकिंग परिचालन	49,096.16	40,758.88	49,096.16	40,758.88
3	कार्पोरेट / थोक बैंकिंग	73,983.48	60,858.88	73,983.48	60,858.88
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	-	-	-	-
5	गैर-निर्धारित	2,583.00	2,740.40	2,583.00	2,740.40
	योग	**195,161.84**	**160,975.51**	**195,161.84**	**160,975.51**
(एफ)	क्षेत्रवार देयताएं				
1	ट्रेज़री परिचालन	63,606.33	54,039.61	63,606.33	54,039.61
2	रिटेल बैंकिंग परिचालन	48,029.71	38,906.11	48,029.71	38,906.11
3	कार्पोरेट / थोक बैंकिंग	72,376.47	58,087.30	72,376.47	58,087.30
4	अन्य बैंकिंग परिचालन	-	-	-	-
5	गैर-निर्धारित	725.55	1,202.13	725.55	1,202.13
6	पूंजी, आरक्षित एवं आधिक्य	10,423.78	8,740.36	10,423.78	8,740.36
	योग	**195,161.84**	**160,975.51**	**195,161.84**	**160,975.51**
1.	बैंक की हांगकांग में केवल एक विदेशी शाखा है. चूंकि विदेशी शाखा का राजस्व कुल राजस्व के 10% से अधिक नहीं है, इसलिए बैंक का केवल एक ही रिपोर्ट करने योग्य क्षेत्र है.				
2.	जहां भी क्षेत्रवार खर्च, क्षेत्र परिसंपत्तियां और देयताएं प्रत्यक्ष रुप से विभाज्य नहीं हैं, वहां उपयुक्त मान्यताओं के आधार पर सूच्य क्षेत्र में दर्शायी गयी हैं.				

* ब्रांड बिल्डिंग लागत, बकाया वेतन हेतु तदर्थ प्रावधान इत्यादि पर विचार करने के बाद.

9.5 लेखा मानक 18 - संबंधित पार्टियों का प्रकटन.

9.5.1 लेखा मानक 18 के अनुसार बैंक ने संबंधित पार्टी प्रकटन के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों को प्रमुख प्रबंधन अधिकारी के रुप में चिन्हित किया हैः

i. श्री एम. वी. नायर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

ii. श्री टी. वाई प्रभु, कार्यपालक निदेशक (26.08.2009 तक)

iii. श्री एस. सी. कालिया, कार्यपालक निदेशक (23.11.2009 से)

iv. श्री एस. रामन, कार्यपालक निदेशक

(रु. लाख में)

	2009 - 10	2008 - 09
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को भुगतान किया गया पारिश्रमिक	27.27	19.76
कार्यपालक निदेशकों को भुगतान किया गया पारिश्रमिक	31.07	28.25
योग	**58.34**	**48.01**

9.5.2. बैंक स्टार यूनियन दाई-ची लाइफ इंश्युरेंस कंपनी लिमिटेड के जीवन बीमा उत्पादों के वितरण का काम करता है, जिसमें उसने 31.03.2010 को रु.57.50 करोड़ का अंशदान करके रणनीतिक निवेश के रुप में 23% शेयरधारिता हासिल की है. (पिछले वर्ष रु.2.30 करोड़) वर्ष के दौरान बैंक ने उनके बीमा उत्पादों की बिक्री से रु.1748.63 लाख (पिछले वर्ष रु.383.68 लाख) का कमीशन अर्जित किया.

9.5.3. बैंक के पास यूनियन केबीसी एसेट मैनेजमेंट कं. प्रा. लि. नामक सहायक कंपनी की 51% शेयरधारिता है. बैंक ने दिनांक 26.03.2010 को एएमसी में रु.48.45 करोड़ और ट्रस्टी कं. अर्थात् केबीसी ट्रस्टी कं. प्रा. लि. में रु.2.25 लाख का निवेश किया है. कंपनी को भारिबैं. एवं सेबी से सैद्धान्तिक अनुमोदन प्राप्त हो चुका है, लेकिन इसे अपनी व्यापारिक गतिविधियां आरंभ करनी है.

6.6 लेखा मानक 20 - प्रति शेयर अर्जन

बैंक के प्रति शेयर अर्जन संबंधित लेखामानक 20 के अनुसार ''प्रति इक्विटी शेयर'' पर मूल अर्जन की रिपोर्ट की है. प्रति शेयर अर्जन वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों के भारित औसत संख्या से कर भुगतान के बाद शुद्ध लाभ को विभाजित कर बेसिक अर्जन की गणना की गई है.

			31.03.2010	31.03.2009
I	बेसिक एवं डाइल्यूटेड ईपीएस	रु.	41.08	34.18
ii	इक्विटी शेयर धारकों को कर के बाद उपलब्ध निवल लाभ (रु. करोड़ में)		2074.92	1726.55
iii	इक्विटी शेयरों की औसत संख्या (संख्या करोड़ में)	सं.	50.51	50.51
iv	प्रति शेयर न्यूनतम मूल्य	रु.	10.00	10.00

6.7 समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस) लेखामानक 21ः

सहायक कंपनी ने प्रतिवर्ष 30 सितंबर को लेखाबंदी का निर्णय लिया है. चालू वर्ष पहला वर्ष होने के कारण सहायक कंपनी ने अभी तक अपनी लेखाबहियों को बंद नहीं किया है.

9.8 लेखा मानक 22 - आय पर कर की गणना :

बैंक ने लेखाबंदी मानक 22 (आय पर कर की गणना) के अनुपालन में आयकर की गणना की है. तदनुसार, 31.03.2010 को आस्थगित कर आस्तियों एवं देयताओं की पहचान की गई है. आस्थगित कर आस्ति और आस्थगित कर देयता के प्रमुख घटक निम्न प्रकार हैं : (रु. करोड़ में)

		31.03.2010	31.03.2009
	आस्थगित कर आस्ति		
1	निवेश पर प्रीमियम का परिशोधन	224.90	197.48
2	कर्मचारी लाभ	151.95	163.15
3	वेतन बकाया	-	65.60
4	अचल संपत्तियों पर मूल्य ह्रास	3.13	-
	योग	**379.98**	**426.23**
	आस्थगित कर देयता		
1	प्रतिभूतियों के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	26.41	66.62
2	अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास	-	16.51
3	प्रतिभूतियों पर उपचित ब्याज	321.19	279.00
	योग	**347.60**	**362.13**
	शुद्ध आस्थगित कर देयता		**-**
	शुद्ध आस्थगित कर आस्ति	**32.38**	**64.10**

9.9 लेखा मानक 28

प्रबंधन की राय में वर्ष के दौरान उन आस्तियों के अनर्जक होने के कोई संकेत नहीं हैं, जिन पर लेखा मानक 28 लागू होता हो.

9.10 आकस्मिक देयताओं का उल्लेख अनुसूची -12 के क्र. (i) से (vi) में उल्लेख किया गया है, जो क्रमशः न्यायालय के निर्णय / विवाचन / न्यायालय के बाहर समझौते के आधार पर मांगी गई रकम, संविदागत दायित्व, संबंधित पक्षों द्वारा की गयी मांग एवं परिस्थितियों तथा अपीलों के निस्तारण पर निर्भर है.

10. प्रावधान एवं आकस्मिकताएं :

(लाभ हानि खाता शीर्ष के अंतर्गत ''प्रावधान एवं आकस्मिकताओं'' का ब्रेक-अप) (रु. करोड़ में)

	2009-10	2008-09
निवेश पर मूल्य ह्रास हेतु प्रावधान / (रिवर्सल)	(117.34)	(39.00)
एनपीए के लिए प्रावधान	698.92	546.48
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	20.95	80.11
आयकर के लिए प्रावधान आस्थगित कर देयता (डीटीएल)	758.00	618.00
फ्रिंज बेनिफिट कर (एफबीटी) के लिए प्रावधान	0.00	12.00
- अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताएंः	-	-
- शिफ्टिंग हानि	46.76	14.14
- अग्रिमों का पुनर्गठन	95.21	94.49
अन्य	81.89	29.23
योग	**1584.39**	**1355.45**

11. फ्लोटिंग प्रावधान (रु. करोड़ में)

	विवरण	2009-10	2008-09
i)	फ्लोटिंग प्रावधान में प्रारंभिक शेष	539.50	508.00
ii)	लेखा वर्ष के दौरान किए गए फ्लोटिंग प्रावधान	157.50	115.71
iii)	लेखावर्ष के दौरान समायोजित की गई राशि	0	84.21
iv)	फ्लोटिंग प्रावधान खाते में अंतिम शेष	697.00	539.50

12. आरक्षित से आहरण

वर्ष के दौरान बैंक ने आरक्षित से कोई आहरण नहीं किया है.

13. शिकायतों का प्रकटन

13.ए. ग्राहक शिकायतें

(क)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	191
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	11229
(ग)	वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	9889
(घ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	1531

13.बी बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णय

(क)	वर्ष के आरंभ में कार्यान्वित न किए गए निर्णयों की संख्या	0
(ख)	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णयों की संख्या	8
(ग)	वर्ष के दौरान कार्यान्वित अधिनिर्णयों की संख्या	8
(घ)	वर्ष के अंत में कार्यान्वित न किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	0

14. जारी किए गए लेटर ऑफ कम्फर्ट का प्रकटन (रु. करोड़ में)

पूर्व वर्षों में जारी लेटर ऑफ कम्फर्ट और 01.04.2009 को बकाया	1207.72
जोड़ा : वर्ष के दौरान जारी लेटर ऑफ कम्फर्ट	4052.25
घटाया : वर्ष के दौरान कालातीत लेटर ऑफ कम्फर्ट	3968.57
दिनांक 31.03.2010 को बकाया लेटर ऑफ कम्फर्ट	1291.40

15. जमाराशियों, अग्रिमों एक्सपोज़र एवं एनपीए का केन्द्रीकरण

15. ए. जमाराशियों का केन्द्रीकरण

(रु. करोड़ में)

20 सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशि	24236
बैंक की कुल जमाराशियों में 20 सबसे बड़े जमाकर्ताओं से प्राप्त जमाराशियों का प्रतिशत	14%

15.बी. अग्रिमों का केन्द्रीकरण

(रु. करोड़ में)

20 सबसे बड़े अग्रिम खातों को दिए गए कुल अग्रिम	21175.12
बैंक के कुल अग्रिमों में 20 सबसे बड़े ऋणियों को दिए गए अग्रिमों का प्रतिशत	17.46

15.सी. एक्सपोज़र का केन्द्रीकरण

(रु. करोड़ में)

20 सबसे बड़े ऋणियों / ग्राहकों को कुल एक्सपोज़र	27581.67
बैंक के कुल ऋणियों / ग्राहकों के एक्सपोज़र में 20 बड़े ऋणियों / ग्राहकों के एक्सपोज़र का प्रतिशत	11.46

15.डी. एन पी ए का केन्द्रीकरण

(रु. करोड़ में)

4 बड़े एनपीए खातों में कुल एक्सपोज़र	177.05

15.ई. सेक्टरवार एनपीए

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	सेक्टर	उस सेक्टर के कुल अग्रिमों में एनपीए का प्रतिशत (31.03.2010)
1	कृषि एवं तत्संबंधी गतिविधियां	2.16
2	उद्योग(माइक्रो एवं छोटे, मध्यम एवं बड़े)	2.90
3	सेवाएं	3.15
4	वैयक्तिक ऋण	3.14

15.एफ. ओवरसीज़ आस्तियां, एनपीए एवं आय

(रु. करोड़ में)

विवरण	2009-10
कुल आस्तियां	3110.43
कुल एनपीए	7.02
कुल आय	102.03

15 जी. तुलनपत्र के अलावा एसपीवी

(रु. करोड़ में)

एसपीवी प्रायोजक का नाम	
घरेलू	ओवरसीज़
शून्य	

16. बैंक एश्युरेंस कारोबार का प्रकटन

(रु. लाख में)

क्र. सं.	आय का स्वरुप	
1	जीवन बीमा एवं गैर जीवन बीमा पालिसियों की बिक्री से आय	2527.56
2	म्युचुअल फंडों की बिक्री से आय	131.88
3	अन्य (स्पष्ट करें)	-

17. प्रावधान कवरेज अनुपात

31.03.2010 को प्रावधान कवरेज अनुपात 74.02% रहा.

18. वेतन संशोधन

कर्मचारी लागत / लाभ में संशोधन के संबंध में अनुमानित देयताओं के पेटे वर्ष के दौरान रु.167 करोड़ के प्रावधान सहित कुल रु.370 करोड़ का प्रावधान किया गया है.

19. भारतीय रि.जर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने कृषि ऋण छूट और ऋण राहत योजना, 2008 कार्यान्वित की है और रु.744.47 करोड़ की राशि माफ की है, जिसके लिए बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के पास पहला दावा अक्तूबर 2008 में किया था, जिसके पेटे बैंक को रु.482.00 करोड़ की राशि प्राप्त हो चुकी है.

कृषि ऋण राहत योजना (ओटीएस) के संबंध में, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, पात्र उधारकर्ताओं द्वारा देय राशि को मानक आस्ति माना गया है.

20. पिछले वर्ष के आंकड़े यथावश्यक रुप से पुनर्समूहित / पुनर्व्यवस्थित किए गए हैं.

अनुसूची 1 से 18 के हस्ताक्षरकर्ता

एस. के. गुप्ता
उप महा प्रबंधक

एन. एस. महेता
महा प्रबंधक

एस. रामन
कार्यपालक निदेशक

एस. सी. कालिया
कार्यपालक निदेशक

एम. वी. नायर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

के. वी. ईप्पन
निदेशक

के. शिवरामन
निदेशक

बी. एम. शर्मा
निदेशक

एन. शंकर
निदेशक

अशोक सिंह
निदेशक

डा. गुलफ़ाम मुज़िबी
निदेशक

प्रो. एम. एस. श्रीराम
निदेशक

अरुण कुमार नंदा
निदेशक

एस. रवि
निदेशक

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट संलग्न है.

कृते चंदाभाई एंड जसुभाई
चार्टर्ड अकाउंटेंट

(अंबेश ए. दवे)
भागीदार (49289)

कृते जी. डी. आपटे एंड कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट

चेतन आर. सप्रे
भागीदार (116952)

कृते जगन्नाथ एंड सर्वेश्वरन
चार्टर्ड अकाउंटेंट

पी. एस. नरसिम्हन
भागीदार (20936)

कृते अरुण के. अग्रवाल एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट

(अरुण अग्रवाल)
भागीदार (082899)

कृते जे. एल. सेनगुप्ता एंड कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट

(एस. आर. अनंतकृष्णन)
भागीदार (18073)

कृते ओम प्रकाश एस. चपलोट एंड कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट

(महावीर चपलोत)
भागीदार (403633)

स्थान : मुंबई
दिनांक : 6 मई, 2010

31.03.2010 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(रु. लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2010 को समाप्त वर्ष	31.03.2009 को समाप्त वर्ष
ए.	परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह	**(50,507)**	559,913
बी.	निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह	**(20,043)**	(30,976)
सी.	वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह	**49,726**	59,772
		(20,824)	588,709
डी.	वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समकक्ष	**1,598,493**	1,009,784
ई.	वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समकक्ष	**1,577,669**	1,598,493
एफ.	**वर्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह (ए+बी+सी)या (ई-डी)**	**(20,824)**	588,709
	ब्रेक अप विवरण		
ए.	**परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह**		
	वर्ष के दौरान अग्रिम निवेशों आदि से प्राप्त ब्याज	**1,317,604**	1,196,093
	अन्य आय	**197,829**	148,255
	घटायेंः जमाराशियों, उधारों आदि पर दिया गया ब्याज (गौण ऋण को छोड़कर)	**(871,409)**	(784,554)
	प्रावधानों और आकस्मिकताओं सहित परिचालन व्यय	**(409,224)**	(356,956)
	आस्थगित कर समायोजन		
	जोड़ेंः मूल्यह्रास के लिये समायोजन		
i.	**परिचालन से प्राप्त नकद लाभ**		
ii.	आस्तियों/देयताओं के परिचालन से नकदी प्रवाह		
	{देयताओं में वृद्धि (कमी)}		
	जमाराशि	**3,133,692**	3,484,418
	उधार	**(75,959)**	(87,559)
	अन्य देयताएं आदि (पिछले वर्षों में किये गये अधिक प्रावधानों के पुनर्लेकन सहित)	**70,712**	57,781
	आस्तियों में कमी/(वृद्धि)		
	अग्रिम	**(2,278,107)**	(2,226,732)
	निवेश	**(1,140,657)**	(917,433)
	अन्य	**(11,002)**	40,832
	परिचालन गत आस्तियों एवं देयताओं से नकदी प्रवाह	**(301,321)**	351,307
	परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह	**(50,507)**	559,913
बी.	**निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह**		
	अचल आस्तियों का विक्रय /निपटान	**528**	8,726
	अचल आस्तियों की खरीद	**(20,571)**	(39,702)
	निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह	**(20,043)**	(30,976)
सी.	**वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह**		
	लाभांश 2007-08		(20,205)
	लाभांश कर 2007-08		(3,434)
	लाभांश 2008-09	**(25,256)**	
	लाभांश कर 2008-09	**(4,292)**	

31.03.2010 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(रु. लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2010 को समाप्त वर्ष	31.03.2009 को समाप्त वर्ष
	गौण ऋण टियर II पूंजी के आगम		80,000
	टियर II पूंजी पर ब्याज	**(40,726)**	(30,589)
	अधीनस्थ अपर टियर II पूंजी	**100,000**	0
	शाश्वत बांड	**20,000**	34,000
	वित्तपोषण गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह	**49,726**	59,772
डी.	**वर्ष के आरभ में नकदी व नकदी समकक्ष**		
	नकदी और रिजर्व बैंक के पास जमा शेष (विदेशी मुद्रा सहित)	**899,205**	945,474
	बैंकों के पास जमा और मांग पर देय जमा	**699,288**	64,310
	वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समकक्ष	**1,598,493**	1,009,784
ई.	**वर्ष के अंत में नकदी व नकदी समकक्ष**		
	नकदी और रिजर्व बैंक के पास जमा शेष	**1,246,824**	899,205
	बैंकों के पास जमा और मांग पर देय जमा	**330,845**	699,288
	वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समकक्ष	**1,577,669**	1,598,493

(एस रामन)
कार्यपालक निदेशक

(एस सी कालिया)
कार्यपालक निदेशक

(एम वी नायर)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र

हम, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लेखापरीक्षकों ने 31.3.2010 को समाप्त वर्ष के लिये बैंक के उपर्युक्त नकदी प्रवाह विवरण का सत्यापन किया है. यह विवरण स्टॉक एक्सचेंज के लिस्टिंग करार के खंड 320 की अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किया गया है और सदस्यों को दिनांक 6 मई 2010 की हमारी रिपोर्ट में सम्मिलित बैंक के लाभ एवं हानि खाते तथा तुलन पत्र पर आधारित और उसके अनुरूप है

कृते चंदाभाई एंड जसुभाई
चार्टर्ड अकाउंटेंट

(अंबेश ए. दवे)
भागीदार (49289)

कृते जी. डी. आपटे एंड कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट

(चेतन आर. सप्रे)
भागीदार (116952)

कृते जगन्नाथ एंड सर्वेश्वरन
चार्टर्ड अकाउंटेंट

(पी. एस. नरसिम्हन)
भागीदार (20936)

कृते अरुण के. अग्रवाल एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट

(अरुण अग्रवाल)
भागीदार (082899)

कृते जे. एल. सेनगुप्ता एंड कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट

(एस. आर. अनंतकृष्णन)
भागीदार (18073)

कृते ओम प्रकाश एस. चपलोत एंड कं.
चार्टर्ड अकाउंटेंट

(महावीर चपलोत)
भागीदार (403633)

स्थान : मुंबई
दिनांक : 6 मई, 2010

जोखिम प्रबंधन

नये पूंजी पर्याप्तता संरचना दिशानिर्देश के अंतर्गत प्रकटन

- बासल II (स्तंभ 3)मार्च 2010

इस रिपोर्ट के प्रकटन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (पूर्णतः) से संबंधित हैं. बैंक का जोखिम भारित आस्तियों के सापेक्ष पूंजी अनुपात (सीआरएआर) निम्नानुसार है :

सीआरएआर %	12.51%
सीआरएआर-टियर I पूंजी %	7.91%
सीआरएआर - टियर II पूंजी %	4.60%

तालिका डीएफ-1

1. प्रयुक्ति की परिधि

गुणात्मक प्रकटन

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भारत के प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक है. सहायक कारोबार के रूप में यूनियन केबीसी असेट मैनेजमेंट कंपनी में 51% प्रतिशत हिस्सेदारी है. कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक और सेबी से सिद्धांततः अनुमोदन मिल चुका है लेकिन व्यावसायिक गतिविधि अभी आरंभ नहीं हुई हैं. सहायक कंपनी ने अपनी लेखाबंदी प्रतिवर्ष 30 सितंबर को करने का निर्णय किया है अतः इस साल की लेखाबंदी नहीं की है.

बैंक ने 2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)- काशी गोमती संयुत ग्रामीण बैंक, वाराणसी तथा रीवा सीधी ग्रामीण बैंक प्रायोजित किए हैं. इन आरआरबी में बैंक ने रु.19.15 करोड़ का निवेश किया है. दोनों ही आरआरबी लाभ कमा रहे हैं और संतोषजनक ढंग से कार्यरत हैं. इन दोनों आरआरबी में कोई भी पूंजी अभाव नहीं है. इन आरआरबी के वित्तीय आंकड़ों को बैंक के तुलन पत्र में समाहित नहीं किया गया है.

मात्रात्मक प्रकटन

बैंक ने बीमा के लिए संयुक्त उपक्रम करार किया है, जिसकी जानकारी नीचे दी गयी है तथा इस संयुक्त उपक्रम में किए गए निवेश को बैंक की पूंजी निधि में से घटाया नहीं गया है; किंतु जोखिम भारित निवेश के तौर पर लिया गया है, क्योंकि यह निवेश कंपनी की चुकता पूंजी के 30% से कम है.

- स्टार यूनियन दाइची (एसयूडी) जीवन बीमा कंपनी, चुकता पूंजी में 23% अंशदान के साथ (बैंक ऑफ इंडिया 51% तथा दाइची म्यूचुअल जीवन बीमा, जापान - 26%).

स्टार यूनियन दाइची (एसयूडी) जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड का ब्यौरा

कंपनी का नाम :	**स्टार यूनियन दाइची (एसयूडी) जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड**
समामेलन का देश :	भारत
स्वामित्व हित का अनुपात :	23%
वोट देने की शक्ति का अनुपात :	25% (अर्थात 2 वोट)
एसयूडी जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड की अधिकृत पूंजी	रु. 250.00 करोड़
चुकता पूंजी :	रु.250.00 करोड़
चुकता पूंजी में यूनियन बैंक का हिस्सा (23%) :	रु. 57.50 करोड़

बैंक ने म्यूचुअल फंड कारोबार के लिए भी यूनियन केबीसी असेट मैनेजमेंट कं.बेल्जियम के साथ संयुक्त उपक्रम करार किया है. इस कंपनी में निवेश की गयी राशि पूंजी निधि से (टियर I से 50 प्रतिशत और टियर II से 50%) घटा दी गयी है चूंकि निवेश की राशि कंपनी की चुकता पूंजी के 30% से अधिक है.

इसके अंतर्गत एक संपदा प्रबंधन कंपनी और एक ट्रस्टी कंपनी का गठन किया गया है. इन कंपनियों के विवरण इस प्रकार हैं :

यूनियन केबीसी असेट प्रबंधन कंपनी के ब्यौरे

कंपनी का नाम :	**यूनियन केबीसी असेट प्रबंधन कं प्रा. लि.**
समामेलन का देश :	भारत
स्वामित्व हित का अनुपात :	51%
वोट देने की शक्ति का अनुपात :	50% (अर्थात 2 वोट)
यूनियन केबीसी असेट प्रबंधन कं प्रा लिकी अधिकृत पूंजी	रु. 100.00 करोड़
चुकता पूंजी :	रु.95.00 करोड़
चुकता पूंजी में यूनियन बैंक का हिस्सा (51%):	रु. 48.45 करोड़

यूनियन केबीसी ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि. के ब्यौरे

कंपनी का नाम :	**यूनियन केबीसी ट्रस्टी कंपनी प्रा. लिमिटेड**
समामेलन का देश :	भारत
स्वामित्व हित का अनुपात :	51%
वोट देने की शक्ति का अनुपात :	50% (अर्थात 1 वोट)
यूनियन केबीसी ट्रस्टी कंपनी प्रा. लिमिटेड की अधिकृत पूंजी	रु. 5 लाख
यूनियन केबीसी ट्रस्टी कंपनी प्रा. लिमिटेड कीचुकता पूंजी	रु.5 लाख
चुकता पूंजी में यूनियन बैंक का हिस्सा (51%) :	रु. 2.55 लाख

तालिका डीएफ-2

2.पूंजी संरचना

गुणात्मक प्रकटन

2.1 अंश पूंजीः

2.1.1. बैंक की अधिकृत अंश पूंजी रु.3000.00 करोड़ है. 31 मार्च 2010 को बैंक की निर्गमित, अभिदत्त एवं चुकता पूंजी रु. 505.12 करोड़ है, जिसमें शामिल प्रत्येक रु.10/- मूल्य वाले शेयरों की संख्या 50,51,17,900 है. 55.43% शेयरधारिता, जिसमें दिनांक 31.03.2010 को शामिल शेयरों की संख्या 28,00,00,000 है, भारत सरकार के पास है. बैंक के शेयर राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) तथा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) में सूचीबद्ध हैं.

2.2 ऋण पूंजी लिखत :

2.2.1. बैंक ने नमोन्वेषी शाश्वत बांड (टियर 1 पूंजी) तथा टियर 2 पूंजी में शामिल किए जाने हेतु पात्र अन्य बांड भी जारी किए हैं. बांडों की कुछ महत्वपूर्ण शर्तें इस प्रकार हैंः

ए. वचन पत्र के रूप में शाश्वत गैर-जमानती अपरिवर्तनीय अधीनस्थ बांड (टियर 1 बांड)

श्रेणी	आबंटन की तिथि	बांड की रकम (करोड़ रु. में)	कूपन दर	अवधि	कॉल ऑप्शन	पुट ऑप्शन
X- प्रथम ट्रांस	10.10.2006	300	10 वर्ष तक 9.45 10वें वर्ष से स्टेप अप 9.95	शाश्वत	10 वे वर्ष के अंत में कॉल	कोई नहीं
XI-द्वितीय ट्रांस	12.12.2007	200	10 वर्ष तक 9.90 10वें वर्ष से स्टेप अप 10.40	शाश्वत	10 वे वर्ष के अंत में कॉल	कोई नहीं
XII- शाश्वत	09.09.2008	200	10 वर्ष तक 11.15% 10वें वर्ष से स्टेप अप 11.65%, यदि कॉल ऑप्शन का प्रयोग न किया गया हो.	शाश्वत	10 वे वर्ष के अंत में कॉल	कोई नहीं
XII- शाश्वत	30.03.2009	140	10 वर्ष तक 9.10% 10वें वर्ष से स्टेप अप 9.60%, यदि कॉल ऑप्शन का प्रयोग न हो.	शाश्वत	10 वे वर्ष के अंत में कॉल	कोई नहीं
XIV-Aशाश्वत	16.06.2009	200	10 वर्ष तक 8.85% 10वें वर्ष से स्टेप अप 9.35%, यदि कॉल ऑप्शन का प्रयोग न हो.	शाश्वत	10 वे वर्ष के अंत में कॉल	कोई नहीं
कुल		**1040**				

बी. वचन पत्र के रूप में गैर-जमानती, शोध्य अपरिवर्तनीय अधीनस्थ बांड (अपर टियर II बांड) 10वें वर्ष में कॉल ऑप्शन के साथ

श्रेणी	आबंटन की तिथि	बांड की रकम (करोड़ रु.में)	कूपन दर(प्र.व)	परिपक्वता	कॉल ऑप्शन	पुट ऑप्शन
X- द्वितीय ट्रांस अपर टियर 2	16.10.2006	750	08.95% 10वें वर्ष से स्टेप अप 09.45%, यदि कॉल ऑप्शन का प्रयोग न हो.	16.10.2021	10वें वर्ष के अंत में कॉल	कोई नहीं
XIV-B- अपर टियर 2	25.06.2009	500	08.65% 10 वर्ष तक 10वें वर्ष से स्टेप अप 09.15%, यदि कॉल ऑप्शन का प्रयोग न हो.	25.06.2024	10वें वर्ष के अंत में कॉल	कोई नहीं
X- द्वितीय ट्रांस अपर टियर 2	27.01.2010	500	08.55% 10 वर्ष तक 10वें वर्ष से स्टेप अप 09.05%, यदि कॉल ऑप्शन का प्रयोग न हो.	27.01.2025	10वें वर्ष के अंत में कॉल	कोई नहीं
योग		**1750**				

सी. वचन पत्र के रूप में गैर-जमानती, शोध्य, अपरिवर्तनीय अधीनस्थ बांड (टीयर II बांड)

श्रेणी	आबंटन की तिथि	बांड की रकम (करोड़ रु. में)	कूपन दर	परिपक्वता	कॉल ऑप्शन	पुट ऑप्शन
V	07.03.2003	400	6.90	07.04.2010	कोई नहीं	कोई नहीं
VI	03.09.2003	250	5.95	03.05.2013	कोई नहीं	कोई नहीं
VII	08.02.2005	450	7.15	08.05.2015	कोई नहीं	कोई नहीं
VIII- फ्लोटिंग्स	23.09.2005	200	बेंचमार्क+55 बीपीएस	23.04.2012	कोई नहीं	कोई नहीं
VIII- स्थिर	23.09.2005	600	7.45	23.04.2015	कोई नहीं	कोई नहीं
IX	19.05.2006	200	8.33	19.05.2016	कोई नहीं	कोई नहीं
XI- लोअर टियर 2 - प्रथम ट्रांस	12.12.2007	400	9.35	12.04.2018	कोई नहीं	कोई नहीं
XII-लोअर टियर 2	17.09.2008	400	10.95	17.09.2018	कोई नहीं	कोई नहीं
XII- लोअर टियर 2	23.12.2008	200	9.50	23.12.2018	कोई नहीं	कोई नहीं
XII- लोअर टियर 2	30.12.2008	200	8.60	30.12.2018	कोई नहीं	कोई नहीं
कुल		**3300**				

डी. कुल सक्रिय बांड (रु. करोड़ में)

कुल सक्रिय बांड (ए+बी+सी)	6090

मात्रात्मक प्रकटन

2.3 बैंक की टियर 1 पूंजी में शामिल है : (रु. करोड़ में)

i)	चुकता अंश पूंजी	505
ii)	आरक्षित पूंजी (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित पूंजी को छोड़कर)	8299
iii)	नमोन्वेषी शाश्वत बांड	1040
iv)	अन्य पूंजी लिखत	--
कटौतियाँ		
v)	अनुषंगियों में निवेशित अंश (50%) (केबीसीः24 करोड़+आरआरबीः10 करोड़)	34
vi)	अमूर्त आस्तियाँ (आस्थगित कर आस्तियाँ (32 करोड़)+ कंप्यूटर सॉफ्टवेअर (18 करोड़)+तरल प्रतिभूतियां(63 करोड़)	113
टियर 1 पूंजी (i+ii+iii+iv-v-vi)		**9697**

2.4. टियर 2 पूंजी (कटौतियों के बाद) की राशि रु.5639 करोड़ है.

कुल टियर 2 पूंजी	**रु.5673 करोड़**
घटायें : अनुषंगी इकाइयो में इक्विटी निवेश (50%) (केबीसी 24 करोड़ + क्षेग्राबैं रु. 10 करोड़)	रु.34 करोड़
कटौतियों के बाद टियर 2 पूंजी	रु.5639 करोड़

2.4.1. अपर टियर 2 पूंजी में शामिल किये जाने हेतु पात्र ऋण पूंजीः (रु.करोड़ में)

कुल बकाया रकम	1750
जिसमें से चालू वर्ष के दौरान प्राप्त की गई रकम	1000
पूंजी कोष के रुप मे चिह्नित पात्र रकम	1750

2.4.2. लोअर टियर 2 पूंजी में शामिल किये जाने हेतु पात्र अधीनस्थ ऋणः (रु. करोड़ में)

कुल बकाया रकम	3300
जिसमें से चालू वर्ष के दौरान प्राप्त की गई रकम	-
पूंजी कोष के रुप मे चिह्नित पात्र रकम	2680

2.5 पूंजी में अन्य कोई कटौती नहीं है.

2.6 कुल पात्र पूंजी में शामिल हैं :

(रु. करोड़ में)

टियर I पूंजालृ	9697
टियर II पूंजी	5639
कुल पूंजी निधियां	**15336**

तालिका डीएफ-3

3. पूंजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटन

3.1. बैंक अंशधारकों, खासकर जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा हेतु अनावृति, कारोबार आदि के मूल्य में हानि की जोखिम से सुरक्षा के रूप में पूंजी रखता है.

3.2. वर्तमान एवं भावी कारोबार कार्यकलापों के आधार पर पूंजी आवश्यकताओं को निर्धारित करने के लिए बैंक में उचित प्रणाली कार्यरत है तथा निरंतर उसका अनुश्रवण किया जाता है. बैंक का मानना है कि पूंजी उपलब्धता संपूर्ण प्रक्रिया का केंद्रीय विषय है और इसकी गणना को नीति, रणनीति, कारोबार स्तर / संघटन, पर्यवेक्षी सरोकार एवं प्रकटन मुद्दों से जोड़ा जा सकता है. इस दिशा में बैंक ने आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आइ-सीएएपी) का एक अच्छा ढांचा तैयार किया है तथा स्तंभ 1 पूंजी गणना के अलावा बासल-II के स्तंभ 2 के अंतर्गत भी आवधिक अंतराल पर पूंजी गणना की जाती है. बैंक ने पूंजी पर्याप्तता पर प्रतिकूल दबाव परिदृश्यों के प्रभाव को आवधिक आधार पर मापने के लिए दबाव जांच नीति बनायी है.

3.3. रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप, बैंक ने नये पूंजी पर्याप्तता ढांचा - बासल-II को लागू करने के लिए निम्नलिखित अवधारणाओं को अपनाया है :

- ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत अवधारणा
- परिचालनात्मक जोखिम के लिए मूल सूचक अवधारणा
- बाजार जोखिम के लिए मानक अवधि अवधारणा

3.4. बैंक ने पूंजी आवश्यकताओं एवं तिमाही आधार पर उसकी समीक्षा करने की योजना बनाई है. बैंक ने 2011 तक पूंजी का मूल्यांकन किया है.

मात्रात्मक प्रकटन

3.5. दिनांक 31 मार्च, 2010 को ऋण, बाजार एवं परिचालन जोखिम और पूंजी पर्याप्तता अनुपात का सारांश इस प्रकार है :

(रु. करोड़ में)

ए. ऋण जोखिम के लिए पूंजी की आवश्यकता मानक - दृष्टिकोण के अध्यधीन संविभाग @ 9% - प्रतिभूतिकरण निवेश	 9084.24 ---
बी. बाजार जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकता मानक - अवधि दृष्टिकोण - ब्याज दर जोखिम विदेशी मुद्रा जोखिम (स्वर्ण सहित) - इक्विटी जोखिम	 438.18 12.15 151.48
सी. परिचालन जोखिम के लिए पूंजी की आवश्यकताएं - - मूल संकेतक दृष्टिकोण (आरडब्ल्यूए - 6974.77 करोड़ @ 9%)	627.73
डी. बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात (%)	12.51%
ई. टियर 1 सीआरएआर (%)	7.91%

सामान्य गुणात्मक प्रकटन

3.3 जोखिम प्रबंधन : उद्देश्य एवं संगठनात्मक संरचना

बैंक के पास एक विश्वसनीय एवं व्यापक जोखिम प्रबंधन संरचना है और बैंक

ने जोखिम प्रबंधन कार्यों को मजबूत बनाने के लिए कई पहल की हैं. बैंक जोखिम प्रबंधन के लिए एकीकृत दृष्टिकोण रखता है. जोखिम प्रबंधन नीतियां कारोबार की आवश्यकताओं के अनुरूप और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं. जोखिम प्रबंधन सिस्टम में विभिन्न प्रकार के जोखिम आते हैं, जैसे ऋण जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालन जोखिम.

बैंक ने अपनी हांगकांग शाखा के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित देश-विशेष जोखिम नीति भी बनाई है और यह हांगकांग की अर्थव्यवस्था के जोखिम आयामों एवं बैंक की जोखिम अभिलाषा के आधार पर तैयार की गई है.

बैंक का निदेशक बोर्ड बैंक के जोखिम प्रबंधन कार्यों का पर्यवेक्षण करता है. जोखिम प्रबंधन पर बैंक की निदेशकों की पर्यवेक्षी समिति विभिन्न जोखिम प्रबंधन कार्यों का निरीक्षण करने के लिए शीर्ष निकाय/ समिति है. बैंक के शीर्ष कार्यपालकों की अलग समितियां भी हैं, यथा ऋण जोखिम प्रबंधन समिति, आस्ति एवं देयता समिति (एएलसीओ) और परिचालन जोखिम समिति जो क्रमशः ऋण, बाजार एवं परिचालन जोखिम की देख-रेख करती हैं. इसके अतिरिक्त, बैंक की जोखिम प्रबंधन संगठनात्मक संरचना न केवल केन्द्रीय कार्यालय में अपितु क्षेत्रीय कार्यालयों/ क्षेत्र महा प्रबंधक कार्यालयों में भी है. बैंक की व्यापक जोखिम प्रबंधन संगठनात्मक संरचना नीचे प्रस्तुत की गई है :

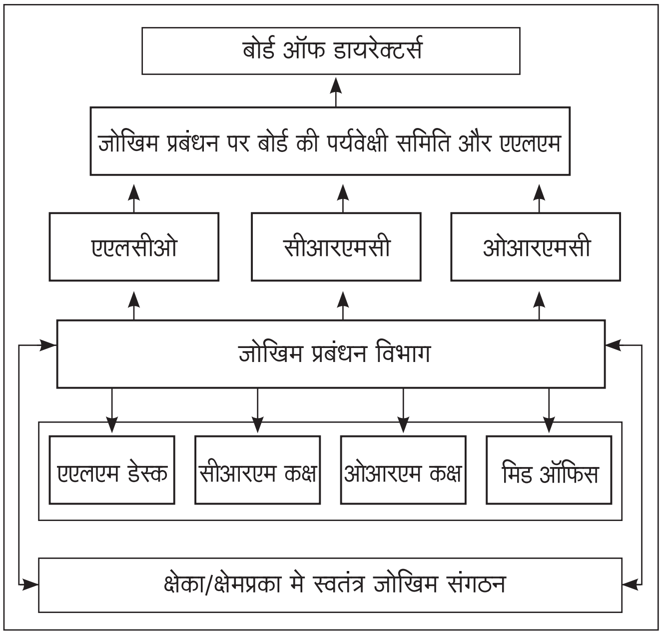

3.3.1.ऋण जोखिम

ऋण जोखिम नियंत्रण

- ऋण जोखिम में ब्याज एवं किस्तों का भुगतान देय तिथि पर न करने के कारण उधारकर्ता या काउंटर-पार्टी का अपनी वचनबद्धताओं का आदरण करने की अक्षमता शामिल है.
- बैंक उधार एवं निवेश कार्यों के जरिये ऋण जोखिम उठाता है.
- बैंक के पास सुनिर्धारित ऋण नीति, ऋण जोखिम प्रबंधन नीति, रीयल एस्टेट नीति और ऋण जोखिम न्यूनीकरण (सीआरएम) तकनीकें एवं सम्पार्श्विक प्रतिभूति प्रबंधन नीति हैं, जिनमें ऋण जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के सम्पूर्ण कार्य शामिल हैं. ऋण नीति एवं ऋण जोखिम प्रबंधन नीति में लक्ष्य-बाजार, जोखिम स्वीकरण/ अस्वीकरण, जोखिम संयम, विविधीकरण एवं संकेन्द्रन के वरीयता प्राप्त स्तर, ऋण जोखिम मूल्यांकन, अनुश्रवण एवं नियंत्रण तंत्र के बारे में दिया गया है.
- बैंक के पास ऋण जोखिम का प्रबंधन करने के लिए निरीक्षण तंत्र सहित एक उपयुक्त एवं स्वतंत्र संगठनात्मक संरचना है, जिसमें शीर्ष कार्यपालकों की ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) और ऋण जोखिम पर्यवेक्षण के लिए एक अलग जोखिम प्रबंधन विभाग भी है. इसके अलावा, एक अलग बोर्ड स्तरीय समिति अर्थात् जोखिम प्रबंधन एवं एएलएम की कार्यप्रणाली का निरीक्षण करने के लिए बोर्ड की पर्यवेक्षी समिति है.
- सीआरएमसी ऋण नीति, पद्धतियों से संबंधित मामले देखती है और बैंक-व्यापी आधार पर ऋण जोखिम के लिए नियंत्रण के उपाय करती है.

ऋण मंजूरी प्रक्रिया

- बैंक की ऋण नीति में ऋण मंजूरी प्रक्रिया पर विस्तृत दिशानिर्देश दिए गए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ निम्नलिखित शामिल है :
  - महत्वपूर्ण (संभावित क्षेत्र) और गैर-महत्वपूर्ण (गैर संभावित) क्षेत्र
  - ड्यू डिलीजेंस मानदंड
  - केवाइसी मानदंड
  - वित्त मूल्यांकन की विधियां
  - न्यूनतम ऋण मानक
  - टेक ओवर कोड मानदंड आदि

ऋण अनुश्रवण प्रणाली :

ऋण अनुश्रवण एक सतत प्रकिया है. बैंक के पास ऋण अनुश्रवण की एक अलग नीति है, जिसमें निम्नलिखित पर दिशानिर्देश दिए गए हैं :

- ईएएस/ एसएमए खातों की पहचान और समय पर कार्रवाई शुरु करने के लिए प्रेरक बिन्दु
- ऋण की गुणवत्ता के आधार पर उधार खातों की समीक्षा की समयावधि. न्यून क्रेडिट रेटिंग वाले उधारकर्ता बार-बार (आवर्ती) समीक्षा के अध्यधीन हैं.
- आवधिक अनुश्रवण रिपोर्टों का प्रस्तुतीकरण
- अनुश्रवण के लिए विभिन्न चरणबद्ध स्तर.

क्रेडिट रेटिंग ढांचा (फ्रेमवर्क)

- बैंक के पास ऋण प्रशासन एवं अनुमोदन प्रक्रिया के लागू होने वाले आंतरिक क्रेडिट रेटिंग/ स्कोरिंग मॉडल्स हैं. क्रेडिट रेटिंग ढांचा परिमाणात्मक एवं गुणात्मक पहलुओं का संयोग है. क्रेडिट रेटिंग ऋण की गुणवत्ता का चित्रण करती है और चूक की संभावना की भविष्यवाणी करती है.

- क्रेडिट रेटिंग मॉडल्स उधारकर्ताओं की क्रेडिट रेटिंग, गैर-एसएलआर निवेश, अन्तर बैंक एक्सपोजर और एनबीएफसी में एक्सपोजर निवेश के लिए सुसंगत हैं.
- क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल्स खुदरा ऋण स्कीमों के लिए उपयुक्त हैं.
- क्रेडिट रेटिंग का कार्य स्वतंत्रतापूर्वक किया जाता है और क्रेडिट रेटिंग की समीक्षा वार्षिक रुप से की जाती है तथा उच्च जोखिम के ऋणों के लिए अर्द्धवर्ष में की जाती है.
- मानक श्रेणी में 8 जोखिम मूल्यांकन स्तर (ग्रेड) हैं और क्रेडिट रेटिंग- 5 तक 'निवेश ग्रेड' निर्धारित किया गया है.
- बैंक उधारकर्ताओं के मूल्यांकनवार वितरण पर आभारी (obligor) आधार पर और संविभाग आधार पर आवधिक अंतरालों में विश्लेषण करता है और उसका अनुश्रवण करता है.

ऋण अनुमोदन ग्रिड प्रणाली

बैंक ने जोखिम प्रबंधन विभाग के प्रतिनिधित्व के साथ सभी ऋण निवेशों की जांच के लिए क्षेत्रीय कार्यालय/ क्षेत्र महाप्रबंधक कार्यालय और केन्द्रीय कार्यालय में व्यापक ऋण अनुमोदन ग्रिड प्रणाली स्थापित की है.

ऋण संकेन्द्रण जोखिम

- बैंक ने ऋण संविभाग के विविधीकरण के लिए अग्रिमों की विभिन्न श्रेणियों हेतु विवेकपूर्ण/ नियंत्रण सीमाएं निर्धारित की हैं.
- बैंक निवेश सीमाओं के पालन का अनुश्रवण तिमाही आधार पर करता है. बैंक के पास मासिक अनुश्रवण रिपोर्ट के जरिये बड़े निवेशों का अनुश्रवण करने का एक सुस्थापित सिस्टम भी है. बैंक का ऋण संविभाग किसी भी क्षेत्र में संकेन्द्रण को कम करने के लिए अच्छा लचीला है. बैंक के ऋण संविभाग विविधीकरण के वांछित स्तर से नीचे आने की स्थिति में जोखिम को व्यक्तिगत समूह निवेश/ उद्योग/ क्षेत्र आदि से शिफ्ट करने के लिए तत्काल उपाय किए जाते हैं.
- बैंक की ऋण जोखिम अभिलाषा विभिन्न प्रकार के निवेशों के लिए ऋण सीमाएं/ विवेकपूर्ण सीमाएं निर्धारित करके और जोखिम प्रबंधन नीतियों में विवेकपूर्ण सीमाएं निर्धारित करके वार्षिक बजटिंग प्रोसेस के जरिये निर्धारित की जाती है.

जोखिम प्रोफाइल

- बैंक तिमाही आधार पर क्रेडिट रिपोर्ट प्रोफाइल टेम्पलेट (आरपीटी) का अनुपालन भी करता है जिसके द्वारा यह निम्नलिखित आधार पर स्वाभाविक कारोबार जोखिम, आंतरिक नियंत्रण जोखिम और परिणामी शुद्ध ऋण जोखिम के स्तर एवं दिशा का मूल्यांकन करता है :
  - एकल उधारकर्ता/ समूह उधारकर्ताओं को ऋण सुविधा
  - बड़ी ऋण सीमाएं
  - संवेदनशील क्षेत्रों यथा पूंजी बाजार/ रीयल एस्टेट और एनबीएफसी को एक्सपोजर
  - अप्रतिभूत अग्रिम एवं गारंटियां
  - शीर्ष 20 उधारकर्ताओं को ऋण सुविधाएं
  - उद्योगों /क्षेत्रों को एक्सपोज़र
  - भौगोलिक क्षेत्र वार एक्सपोज़र

3.3.2 बाजार जोखिम

- बाजार जोखिम प्रबंधक ट्रेजरी नीति और एएलएम नीति में आता है.
- फ्रंट आफिस, बैक आफिस और मिड आफिस में स्पष्ट रुप से भेद किया गया है.
- मिड आफिस जोखिम प्रबंधन विभाग को सीधे रिपोर्ट करता है.
- घरेलू एवं विदेशी विनिमय परिचालनों के लिए विभिन्न ऋण सीमाएं यथा ओवरनाइट पोजीशन सीमा, डे-लाइट ओपन पोजीशन सीमा, वीएआर सीमा, डील साइज सीमा, स्टाप हानि सीमा, सकल गैप सीमा (आईजीएल), काउंटर सीमा आदि विद्यमान हैं.
- जोखिम पर मूल्य (वीएआर) एएफएस जी-सेक्टर और इक्विटी संविभाग में अनुश्रवित किया जाता हैं.

3.3.2.1 बैंक बही में ब्याज दर जोखिम

- बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ईक्विटी के बाजार मूल्य पर ब्याज दरों में 200 बीपीएस तक परिवर्तन के प्रभाव जानने के लिए आवधिक गैप विश्लेषण (डीजीए) करता हैं.

3.3.3 परिचालन जोखिम

- एक सु-निर्धारित बोर्ड अनुमोदित परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति विद्यमान है.
- वर्तमान में, परिचालन जोखिम का प्रबंधन आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, आंतरिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया के जरिये किया जाता है.
- न्यू प्रॉडक्ट अनुमोदन प्रक्रिया विद्यमान है.
- आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता और प्रभावोत्पादकता जानने के लिये धोखाधड़ियों का विश्लेषण परिचालन जोखिम के दृष्टिकोण से किया जाता है.
- बैंक की गतिविधियों एवं आय के चित्रण के दिशानिर्देश विद्यमान हैं.
- चूंकि आंतरिक परिचालन जोखिम हानि आंकड़ा बिन्दु सीमित संख्या में होते हैं, इसलिए बैंक सिद्धांततः आईबीए के बाह्य डाटा पूलिंग कार्य के साथ चलने पर सहमति दी है.

टेबल डीएफ - 4

गुणात्मक प्रकटन

4. ऋण जोखिम - सामान्य प्रकटन

4.1 **अतिदेय :** बैंक द्वारा निर्धारित देय तिथि पर किसी भी ऋण सुविधा के अंतर्गत बैंक को देय कोई भी रकम का भुगतान न किए जाने की स्थिति में वह 'अतिदेय' (ओवरड्यू) हो जाती है.

4.2 **अनर्जक आस्ति :** अनर्जक आस्ति एक ऐसा ऋण या अग्रिम है जिससे बैंक की आय का अर्जन नहीं होता. गैर-निष्पादित आस्ति में निम्नलिखित ऋण या अग्रिम शामिल हैं :

ए मीयादी ऋण के मामले में 90 दिन से अधिक अवधि के लिए मूलधन का ब्याज और/ या किस्त अतिदेय हो जाना.

बी. खाता ओवरड्राफ्ट/ नकद साख (ओडी/ सीसी) के संबंध में अनियमित हो जाता है यदि

- बकाया शेष, मंजूरी सीमा/ आहरण शक्ति से लगातार आधिक्य में रहने की स्थिति में
- ऐसे मामलों में जहां मूलधन परिचालन खाते में बकाया शेष मंजूर सीमा/ आहरण शक्ति से कम होता है, परन्तु बैलेंस

शीट की तारीख पर लगातार 90 दिन तक उसमें कोई जमा नहीं होता और जमा रकम उस अवधि के दौरान नामे किये गये ब्याज को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हो.

सी. खरीदे गए एवं भुनाए गए बिलों के मामले में बिल 90 दिन से अधिक अवधि तक अतिदेय होने की स्थिति में

डी फसल ऋण के मामले में

1. मूलधन या उस पर ब्याज की किस्त अल्प अवधि की फसलों के मामले में दो फसल सीजन के लिए अतिदेय रहने पर

2. लम्बी अवधि की फसल के मामले में मूलधन या उस पर ब्याज की किस्त एक फसल सीजन के लिए अतिदेय रहने पर.

ई. किसी तिमाही के दौरान प्रभारित ब्याज (मासिक ब्याज सहित) तिमाही के अंत से 90 दिन की अवधि में पूर्णतः प्राप्त न होने पर.

एफ. अन्य खातों के मामले में प्राप्त होने वाली कोई भी रकम 90 दिन से अधिक अवधि हेतु अतिदेय रहने पर.

4.3 ऋण जोखिम प्रबंधन नीति : बैंक के पास ऋण नीति के अतिरिक्त बोर्ड द्वारा अनुमोदित ऋण जोखिम प्रबंधन नीति है. ऋण नीति में कारोबार के मामले आते हैं, जबकि ऋण जोखिम प्रबंधन नीति में जोखिम के मामले आते हैं. ऋण जोखिम प्रबंधन नीति में निम्नलिखित पर दिशानिर्देश दिए गए हैं :-

- ऋण जोखिम मूल्यांकन ढांचा एवं मूल्य निर्धारण
- ऋण ग्रिड अवधारणा
- विवेकपूर्ण मानदण्ड/ विनियामक उच्चतम सीमा जैसे उद्योगवार ऋण जोखिम,संवेदनशील ऋण जोखिम(पूंजी बाजार/ स्थावर संपदा ऋण जोखिम),
- ऋण समीक्षा तंत्र,
- पोर्टफोलियो प्रबंधन,
- तुलन-पत्र बाह्य ऋण जोखिम,
- समस्यामूलक ऋण प्रबंधन,
- बासल II कार्यान्वयन, आदि.

मात्रात्मक प्रकटीकरण

4.4 पूर्ण सकल ऋण जोखिम निम्न हैंः

(रु.करोड़ में)

श्रेणी	**राशि**
निधि आधारित (ऋण 121249 करोड़+एचटीएम 37404 करोड़)	158653
गैर निधि आधारित	22589
कुल	**181242**

4.5 ऋण जोखिम का भौगोलिक क्षेत्रवार संवितरण

(रु.करोड़ में)

	समुद्रपारीय	**घरेलू**
निधि आधारित	2977	155676
गैर निधि आधारित	68	22521
कुल	**3045**	**178197**

4.6 एक्सपोजर (निधि आधारित) का उद्योगवार वितरण निम्नानुसार हैंः

(रु.करोड़ में)

			31.03.2010	
क्रमांक	**कोड**	**उद्योग**	**राशि (रु.करोड़ में)**	**5% से अधिक ऋण जोखिम**
1	1	कोयला	95	-
2	2	खनन	881	-
3	3	लोहा एवं इस्पात	4670	-
4	4	अन्य धातु व धातु उत्पाद	806	-
5	5	समस्त इंजीनियरिंग	1009	-
6	6	विद्युत	6369	5.25
7	7	सूती कपड़ा	1503	-
8	8	जूट कपड़ा	104	-
9	9	अन्य कपड़ा	2685	-
10	10	शक्कर	503	-
11	11	चाय	144	-
12	12	खाद्य प्रसंस्करण	1443	-
13	13	खाद्य तैल और वनस्पति	222	-
14	14	तंबाकू व तंबाकू उत्पाद	43	-
15	15	कागज व कागज उत्पाद	498	-
16	16	रबर व रबर उत्पाद	653	-
17	17	रसायन,रंगाई,पेंट,आदि	2342	-
		जिसमें से उर्वरक	26	-
		जिसमें से पेट्रो-रसायन	150	-
18	18	सीमेन्ट	580	-
19	19	चमड़ा व चमड़ा उत्पाद	186	-
20	20	रत्न एवं जेवरात	1810	-
21	21	निर्माण	2506	-
22	22	पेट्रोलियम	1741	-
23	23	ऑटोमोबाइल ट्रक सहित	899	-
24	24	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	1166	-
25	25	आधारभूत संरचना	6022	
26	26	एनबीएफसी व व्यापार	9019	7.44
27	27	अन्य उद्योग	3359	
		कुल	**51258**	**42.28**
28	28	अवशिष्ट अन्य अग्रिम	69991	57.72
		कुल योग	**121249**	**100.00**

एक्सपोजर (गैर-निधि आधारित) का उद्योग प्रकार वितरण निम्नानुसार हैः

(रु.करोड़ में)

			31.03.2010	
क्रमांक	कोड	उद्योग	राशि (रु.करोड़ में)	5% से अधिक ऋण जोखिम
1	1	कोयला	0.47	-
2	2	खनन	11.13	-
3	3	लोहा एवं इस्पात	1494.00	6.61
4	4	अन्य धातु व धातु उत्पाद	449.00	-
5	5	समस्त इंजीनियरिंग	522.00	-
6	6	विद्युत	149.00	-
7	7	सूती कपड़ा	41.80	-
8	8	जूट कपड़ा	5.17	-
9	9	अन्य कपड़ा	68.81	-
10	10	शक्कर	9.34	-
11	11	चाय	2.56	-
12	12	खाद्य प्रसंस्करण	157.34	-
13	13	खाद्य तेल और वनस्पति	42.13	-
14	14	तंबाकू व तंबाकू उत्पाद	3.84	-
15	15	कागज व कागज उत्पाद	71.20	-
16	16	रबर व रबर उत्पाद	84.04	-
17	17	रसायन, रंगाई, पेंट, आदि	377.96	-
		जिसमें से उर्वरक	9.57	-
		जिसमें से पेट्रो-रसायन	0	-
18	18	सीमेन्ट	8.70	-
19	19	चमड़ा व चमड़ा उत्पाद	285.07	-
20	20	रत्न एवं जेवरात	273.90	-
21	21	निर्माण	595.55	-
22	22	पेट्रोलियम	3.80	-
23	23	ऑटोमोबाइल ट्रक सहित	897.24	-
24	24	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	107.80	-
25	25	आधारभूत संरचना	875.49	-
26	26	एनबीएफसी व व्यापार	19.70	-
27	27	अन्य उद्योग	22.45	
		कुल	**6579.49**	**29.13**
28	28	अवशिष्ट अन्य अग्रिम	16009.18	70.87
		कुल योग	**22588.67**	**100.00**

4.7. आस्तियों का संविदागत परिपक्वता वर्गीकरण :

(रु.करोड़ में)

परिपक्वता पैटर्न	अग्रिम	निवेश (कुल)	विदेशी मुद्रा आस्तियां
आगामी दिवस	2133.63	1.50	386.36
2-7 दिन	2797.62	1633.67	685.67
8-14 दिन	2837.78	73.79	117.39
15-28 दिन	4031.75	697.56	302.82
29 दिन -3 माह	15597.84	1106.90	1650.28
>3 माह -6 माह	6511.74	4775.25	2107.24
>6 माह- 1 वर्ष	16326.95	4166.38	898.68
>1 वर्ष-3 वर्ष	42170.20	1953.72	390.14
>3 वर्ष-5वर्ष	9706.72	4771.14	447.61
>5 वर्ष	17201.06	35223.61	462.53
कुल	**119315.30**	**54403.52**	**7448.72**

4.8 कुल एनपीए निम्नानुसार हैं : (रु.करोड़ में)

श्रेणी	
अवमानक	1444
संदिग्ध-1	463
संदिग्ध-2	319
संदिग्ध-3	345
हानि	100
कुल एनपीए (सकल)	**2671**

4.9.निवल एनपीए की राशि रु.965 करोड़ है.

4.10 एनपीए अनुपात निम्नानुसार हैः

- कुल अग्रिमों का कुल एनपीए : 2.20%
- शुद्ध अग्रिमों का शुद्ध एनपीए : 0.81%

4.11. शुद्ध एनपीए का संचरण निम्नानुसार हैः (रु.करोड़ में)

1.वर्ष के प्रारंभ में प्रारंभिक शेष	1923
2.वर्ष के दौरान संवृद्धि	1785
3.वर्ष के दौरान कमी	1037
4.वर्ष के अंत में अंतिम शेष (i+ii-iii)	2671

4.12. एनपीए के लिए प्रावधान का संचरण निम्नानुसार हैः

(रु.करोड़ में)

1.वर्ष के आरंभ में प्रारंभिक शेष	1549
2.वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	699
3.वर्ष के दौरान किए गए अपलेखन /पुनरांकन	605
4.वर्ष के अंत में अंतिम शेष (i+ii-iii)	1643

4.13. गैर-निष्पादक निवेश की राशि रु 5.93 करोड़ है.

4.14. गैर-निष्पादक निवेश के लिए धारित प्रावधानों की राशि रु 5.93 करोड़ है.

4.15. निवेश पर ह्रास के लिए प्रावधान की गति निम्नानुसार हैः

(रु.करोड़ में)

1.वर्ष के आरंभ में प्रारंभिक शेष	197
2.वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	1
3.वर्ष के दौरान किए गए अपलेखन / पुनरांकन	118
4.वर्ष के अंत में अंतिम शेष (i+ii-iii)	80

तालिका डीएफ-5

गुणात्मक प्रकटन

5.ऋण जोखिम : मानकीकृत अवधारणा के अध्यधीन संविभाग के लिए प्रकटन

5.1 बैंक ने सभी पात्र ऋण जोखिमों के लिए भारिबैं द्वारा मान्य निम्नलिखित 4 घरेलू ऋण रेटिंग एजेंसियों को अनुमोदित किया है.

- क्रिसिल
- केयर
- फिच इंडिया
- इक्रा

5.1.1.बैंक ने भारिबैं द्वारा अभिनिर्धारित निम्नलिखित 3 अंतर्राष्ट्रीय साख रेटिंग एजेंसियों को भी अनुमोदित किया है

- स्टैंडर्ड एंड पूअर
- मूडीज
- फिच

5.2 लार्ज कार्पोरेट ऋणियों और सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को अनुमोदित वाह्य रेटिंग एजेंसियों से रेटिंग प्राप्त करने हेतु प्रेरित किया जा रहा है. इन क्षेत्र से उपलब्ध रेटिंग को मैपिंग पर भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार जोखिम भारित आस्तियों की गणना के प्रयोजन से मैप किया गया है.

मात्रात्मक प्रकटन

5.3 विभिन्न वर्गों में जोखिम शमन (मानकीकृत अवधारणा के अध्यधीन) के पश्चात् जोखिम राशि निम्नानुसार हैः

(रु.करोड़ में)

1.100% से कम जोखिम भार ऋण बकाया	35354.45
2. 100% जोखिम भार ऋण बकाया	87991.65
3. 100% से अधिक जोखिम भार ऋण बकाया	4096.03
कुल	**127442.13**

सारणी डीएफ-6

6.ऋण जोखिम शमन : मानकीकृत अवधारणा के लिए प्रकटन

गुणात्मक प्रकटन

6.1. बैंक ऋण जोखिम शमन (सीआरएम)तकनीक व संपार्श्विक प्रबंधन पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति रखता है, जो संपार्श्विक के चयन, संपार्श्विक में जोखिम, संपार्श्विक के मूल्यांकन और निरीक्षण, पात्र वित्तीय संपार्श्विक गारंटियों और भारिबैं द्वारा निर्धारित हेयरकट के दिशानिर्देशों को कवर करती है.

6.2. बैंक द्वारा लिए गए मुख्य प्रकार के संपार्श्विक निम्न हैं :

6.2.1. नये पूंजी पर्याप्तता ढांचे (एनसीएएफ) पर भारिबैं के दिशानिर्देश के अनुसार मानकीकृत अवधारणा के अंतर्गत ऋण जोखिम प्रशामकों के रुप में पहचाने गए पात्र वित्तीय संपार्श्विक,

- √ नकद या नकद समतुल्य (बैंक जमाराशियां/ एनएससी/ केवीपी/ एलआइसी पालिसी आदि)
- √ सोना
- √ केंद्रीय/ राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियां
- √ बीबीबी रेटेड कर्ज प्रतिभूतियां या अल्पावधि ऋण लिखत बेहतर/ पीआर 3/पी 3/एफ 3/ए 3

6.2.1.1.बैंक संपार्श्विकों के जोखिम शमन प्रभाव के कारण पात्र वित्तीय संपार्श्विकों की हेयरकट-समायोजित मूल्य के साथ काउंटर पार्टी को ऋण एक्सपोजर कम कर देता है.

6.2.2. चल और अचल आस्तियां/ भू संपत्ति आदि.

6.2.3.गारंटी में कार्पोरेट, बैंक और व्यक्तिगत गारंटी शामिल हैं. इसमें ईसीजीसी, सीजीएफटीआइ और राज्य/ केन्द्र सरकार आदि की अग्रिम गारंटियां भी सम्मिलित हैं.

मात्रात्मक प्रकटन

6.3. ऋण जोखिम हेतु मानकीकृत अवधारणा के अंतर्गत रु.11054.28 करोड़ के पात्र वित्तीय संपार्श्विकों को प्रभाव देने के बाद कुल ऋण जोखिम निवेश रु.130455.54 करोड़ है.

(करोड़ रुपयों में)

जोखिम पोर्टफोलियो	**प्रशामक**	**प्रतिशत अंश**
सरकार पर दावे	286.37	2.59%
बैंकों पर दावे	16.53	0.15%
सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर दावे	183.56	1.66%
प्राथमिक डीलरों पर दावे	0.13	0.00%
कंपनियों पर दावे	5651.50	51.13%
नियामक रिटेल पर दावे	4504.29	40.75%
आवासीय संपत्ति द्वारा प्रतिभूत दावे	14.06	0.13%
वाणिज्यिक रीयल इस्टेट द्वारा प्रतिभूत दावे	94.17	0.85%
अनर्जक आस्तियां	67.32	0.61%

जोखिम पोर्टफोलियो	प्रशामक	प्रतिशत अंश
वैयक्तिक ऋण और क्रेडिट कार्ड प्राप्यों सहित उपभोक्ता ऋण	12.04	0.11%
पूंजी मार्केट एक्सपोजर	167.21	1.51%
एनबीएफसी पर दावे	15.79	0.14%
स्टाफ अग्रिम	41.31	0.37%
कुल	**11054.28**	**100.00%**

6.4. ऋण जोखिम की मानकीकृत अवधारणा के अंतर्गत पात्र गारंटीकर्ताओं द्वारा कवर एक्सपोजर का विवरण निम्न प्रकार है.

(करोड़ रुपयों में)

गारंटीकर्ता का प्रकार	कवर एक्सपोजर	प्रतिशत योगदान
केंद्र सरकार द्वारा गारंटीकृत दावे	1.10	0.03%
राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत दावे	899.45	22.19%
ईसीजीसी पर दावे	3152.26	77.78%
सीजीटीएसआई पर दावे	0.17	0.00%
डीआईसीजीसी पर दावे	0.01	0.00%
कुल	**4052.99**	**100.00%**

तालिका डीएफ-7

7. प्रतिभूतिकरण : मानकीकृत अवधारणा हेतु प्रकटीकरण

7.1.वर्तमान में, प्रतिभूतिकरण में बैंक की भूमिका प्रतिभूति लिखतों में निवेशकर्ता की है. 31.03.2010 को बैंक का प्रतिभूति लिखतों में निवेश रु. 19.42 करोड़ है.

तालिका डीएफ-8

8. व्यापारिक बही में बाजार जोखिम :

गुणात्मक प्रकटन

बाजार जोखिम 'ऑन' अथवा 'ऑफ' तुलन पत्र की उस स्थिति का मूल्यांकन है, जो वस्तुओं/ आस्तियों के मूल्यों एवं विनिमय दरों के कारण इक्विटी एवं ब्याज दर बाजार में संचरण से प्रतिकूल प्रभाव को दर्शाती हैं.

ए) बाजार जोखिम के आकलन हेतु मानकीकृत अवधारणा द्वारा कवर किए गए पोर्टफोलियो निम्नानुसार हैंः
- व्यापार हेतु धारित (एचएफटी) के अंतर्गत धारित प्रतिभूतियां
- विक्रय हेतु उपलब्ध (एएफएस) के अंतर्गत धारित प्रतिभूतियां
- व्युत्पन्नों (डेरिवेटिव्स) में व्यापार स्थिति,
- ट्रेडिंग बुक एक्सपोजर की हेजिंग हेतु डेरिवेटिव
- दिन की समाप्ति पर विदेशी मुद्रा विनिमय स्थिति व दिन की समाप्ति पर गोल्ड स्थिति

शेष आस्तियां अर्थात् परिपक्वता पर धारित निवेश संविभाग एवं अग्रिमों को बैंकिंग बुक के रुप में माना गया है. बाजार जोखिम प्रबंधन के उद्देश्यों एवं नीतियों का संक्षिप्त ब्यौरा निम्नानुसार है :

(I) **रणनीतियां एवं प्रक्रियाएंः**

नीतियां

बैंक में एक सुनिर्धारित कोषागार नीति (जिसमें निवेश संविभाग, विदेशी विनिमय परिचालन एवं डेरिवेटिव परिचालन निहित हैं) तथा आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) नीति है, जो बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित है. इन नीतियों द्वारा सुनिश्चित किया जाता है कि प्रतिभूतियों, विदेशी विनिमयों एवं डेरिवेटिव्स के परिचालन सुदृढ़ एवं स्वीकार्य कारोबार नीतियों के अनुसार किये जा रहे हैं तथा वित्तीय लिखतों एवं वित्तीय बाजारों के लेनदेनों को नियंत्रित करने वाले कानूनों एवं नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार हैं. नीतियों की समीक्षा प्रतिवर्ष की जाती है और सरकार/ नियामक प्राधिकरण, आर्थिक परिवेश एवं कारोबार की अपेक्षाओं की स्थिति में नियमों एवं विनियमों में परिवर्तन कम अंतराल पर भी किये जाते हैं.

तरलता जोखिम :

जोखिम की माप, अनुश्रवण व प्रबंधन के लिए बैंक द्वारा नकदी प्रवाह अप्रोच एवं स्टॉक अप्रोच का प्रयोग किया जाता है. परिपक्वता अथवा नकदी प्रवाह अन्तर के माध्यम से तरलता जोखिम का पता लगाया जाता है. तरलता जोखिम की माप हेतु परिपक्वता सोपान एवं चयनित परिपक्वता तिथियों पर निधियों के संचयी आधिक्य अथवा कमी की गणना जिसे 'टाइम बॅकेट' के रुप में जाना जाता है, का प्रयोग मानक माध्यम के रुप में किया जाता है. अन्तरों के स्वीकार्य स्तर पर विवेकपूर्ण सीमाएं लागू हैं तथा पाक्षिक आधार पर इनका अनुश्रवण किया जाता है. स्टॉक अप्रोच के अंतर्गत अनेक अनुपात/ सीमाएं यथा मांग उधारी, अंतर बैंक देयता, थोक जमाराशि, प्रतिबद्धता अनुपात, तरल आस्ति सापेक्ष क्रय निधि अनुपात आदि लागू हैं. विपरीत स्थिति में विभिन्न स्तरों पर स्ट्रेस टेस्ट किये जाते हैं. दबाव की स्थितियों में तरलता/ निधि की आवश्यकता, निधि उगाही के स्रोत एवं लाभ-हानि इसके संभावित प्रभाव आदि की गणना तिमाही अंतराल पर की जाती है.

थोक जमाराशियों का अनुश्रवण दैनिक आधार पर किया जाता है. तरलता स्थिति के आकलन हेतु पाक्षिक आधार पर अल्पकालिक गतिशील तरलता विवरण तैयार किया जाता है एवं अनुश्रवण किया जाता है, जिसमें कारोबार विकास को भी ध्यान में रखा जाता है.

ब्याज दर जोखिम

अल्प काल अर्थात वित्त वर्ष की समाप्ति तक बैंक की शुद्ध ब्याज आय (एनआईआई) पर प्रभाव के आकलन हेतु बैंक द्वारा परंपरागत गैप विश्लेषण (टीजीए) की गणना की जाती है. बैंक के निवेश संविभाग का अनुश्रवण आवधिक विश्लेषण के आधार पर किया जाता है.जोखिम पर मूल्य (वीएआर) कार्यप्रणाली का प्रयोग एसएलआर एवं ईक्विटी के अंतर्गत दिनांकित प्रतिभूतियों के लिए किया जाता है. जोखिम पर मूल्य (वीएआर) के लिए विवेकपूर्ण सीमा निर्धारित की गयी है और इसका अनुश्रवण दैनिक आधार पर किया जाता है तथा उच्च प्रबंधन को रिपोर्टिंग की जाती है.

भारतीय रिज़र्व के दिशानिर्देशों के अनुसार इक्विटी के बाजार मूल्य पर ब्याज दर में परिवर्तन के दीर्घकालीन प्रभाव के आकलन हेतु आवधिक गैप विश्लेषण का भी प्रयोग बैंक द्वारा किया जाता है.

विदेशी विनिमय जोखिम

बैंक द्वारा अनेक एक्सपोजर सीमाएं जैसे अधिकतम डे-लाइट सीमा, ओवरनाइट सीमा, सकल गैप सीमा (एजीएल), स्टॉप हानि सीमा एवं डील साइज सीमा आदि निर्धारित की गयीं हैं. बैंक द्वारा विदेशी विनिमय की स्थिति के लिए वीएआर सीमा निर्धारित की गयी है, जिसका अनुश्रवण दैनिक आधार पर किया जाता है. डेरिवेटिव लेनदेनों का अनुश्रवण ओपन स्थितियों के लिए विवेकपूर्ण सीमा एवं बकाया डेरिवेटिव के लिए पीवी01 सीमा द्वारा किया जाता है.

इक्विटी मूल्य जोखिम

बैंक की कोषागार नीति के अंतर्गत इक्विटी ट्रेडिंग के लिए बुक साइज, डील साइज, धारण अवधि एवं स्टॉप हानि सीमा आदि के लिए सीमाएं निर्धारित हैं. इन सीमाओं का अनुश्रवण दैनिक आधार पर किया जाता है.

(बी) बाजार जोखिम प्रबंधन कार्य का संगठन एवं संरचना

बाजार जोखिम के प्रबंधन को कवर करने वाली नीतियों का अनुमोदन निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है. निदेशक मंडल की सहायता हेतु निम्नलिखित तीन स्तरों की व्यवस्था है -

- आस्ति देयता प्रबंधन एवं जोखिम प्रबंधन की पर्यवेक्षण समिति
- आस्ति देयता प्रबंधन समिति
- महाप्रबंधक (जोखिम प्रबंधन विभाग)

(सी) क्षेत्र

बाजार जोखिम के प्रबंधन, मापन एवं अनुश्रवण के लिए बैंक द्वारा अनेक सीमाएं यथा डे-लाइट सीमा, ओवरनाइट सीमा, डील साइज सीमा, सकल गैप सीमा (एजीएल), वैयक्तिक गैप सीमा, स्टॉप हानि सीमा, ट्रेडिंग बुक साइज, जारीकर्तावार सीमा, दर संवेदी सीमा, वीएआर सीमा आदि निर्धारित की गयी हैं.

इन सीमाओं का अनुश्रवण दैनिक आधार पर किया जाता है तथा उच्च प्रबंधन को समुचित रिपोर्टिंग की जाती है.

तरलता एवं बाजार जोखिम के लिए स्ट्रेस टेस्टिंग फ्रेमवर्क की समुचित व्यवस्था है तथा तिमाही आधार पर स्ट्रेस टेस्ट किये जाते हैं. परिणामों की चर्चा आल्को में की जाती है तथा इसे बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है.

(IV) **हेजिंग एवं जोखिम निवारण**

बैंक की ट्रेज़री नीति में बैंक की हेजिंग नीतियां दी गई हैं. बैंकिंग की बहियों के हेज संव्यवहारों की आवधिक अंतराल पर समीक्षा की जाती हैं.

परिमाणात्मक प्रकटन

बाजार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार की गणना हेतु बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानक आवधिक अवधारणा को अपनाया है. बाजार जोखिम के लिए पूंजीगत अपेक्षा निम्नानुसार हैः

(राशि करोड़ रु.में)

जोखिम श्रेणी	पूंजी प्रभार
ब्याज दर जोखिम	438.18
ईक्विटी स्थिति जोखिम	151.48
विदेशी विनिमय जोखिम	12.15
मानक आवधिक अवधारणा के अंतर्गत बाजार जोखिम हेतु कुल पूंजी प्रभार	601.81

तालिका डीएफ-9

9.परिचालनात्मक जोखिम

गुणात्मक प्रकटन

परिचालनात्मक जोखिम गवर्नेंस

- परिचालनात्मक जोखिम वह जोखिम है जो आंतरिक प्रक्रिया, जनबल एवं सिस्टम के अपर्याप्त या असफल होने के कारण अथवा बाहरी घटनाओं के कारण होता है.
- परिचालनात्मक जोखिम सभी कारोबार लाइनों एवं सभी स्तरों पर विद्यमान होता है.
- वर्तमान में परिचालनात्मक जोखिम का प्रबंधन अधिकांशतः आंतरिक नियंत्रण एवं लेखा परीक्षा व्यवस्था द्वारा किया जाता है.
- परिचालनात्मक जोखिम के नियंत्रण/ निवारण हेतु बैंक द्वारा निम्नलिखित उपाय किये गये हैं.
  - प्रत्यायोजित प्राधिकार व्यवस्था, जिसमें ऋण एवं व्यय को कवर किया गया है.
  - अनुदेश पुस्तिका एवं समय-समय पर परिपत्रों के माध्यम से अनुदेश जारी करना.
  - निरंतर प्रशिक्षण की व्यवस्था
  - निवारक सतर्कता
  - बीमा
  - जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा
  - आउटसोर्सिंग नीति
  - अनुपालन नीति
  - कारोबार निरंतरता नीति
- बैंक में परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन नीति लागू है, जिसमें निम्न शामिल हैः
  - संगठनात्मक संरचना
  - परिचालनात्मक जोखिम की पहचान, आकलन, अनुश्रवण एवं नियंत्रण.
  - परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूंजी प्रभार
  - रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क
  - परिचालनात्मक जोखिम हानि आंकड़ों के संग्रहण एवं रिपोर्टिंग संबंधी दिशानिर्देश.
  - आठ कारोबारी स्तरों की गतिविधियों की मैपिंग हेतु नीति.
- बैंक में परिचालनात्मक जोखिम के प्रबंधन हेतु पर्यवेक्षण मशीनरी सहित समुचित एवं स्वतंत्र संगठनात्मक संरचना की व्यवस्था है, जिसमें उच्च कार्यपालकों की परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) तथा परिचालनात्मक जोखिमों की देखरेख हेतु एक अलग जोखिम प्रबंधन विभाग भी कार्यरत है. इसके अतिरिक्त जोखिम प्रबंधन तथा एएलएम की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण हेतु बोर्ड स्तरीय समिति अर्थात बोर्ड की पर्यवेक्षण समिति भी कार्यरत है

- ओआरएमसी बैंक के नये उत्पादों के अनुमोदन, धोखाधड़ियों के विश्लेषण, परिचालनात्मक जोखिम हानि आंकड़ों के विश्लेषण, बैंक की गतिविधियों एवं आय की मैपिंग की कार्यप्रणाली के विश्लेषण आदि का कार्य आठ कारोबारी स्तरों पर करती है.
- परिचालनात्मक जोखिम हेतु पूंजी प्रभार के परिकलन हेतु बैंक द्वारा बेसिक इंडीकेटर अवधारणा अपनायी जाती है.
- भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुसार बैंक को बेसिक इंडीकेटर अवधारणा (बीआईए) के अंतर्गत परिचालनात्मक जोखिम हेतु 31.03.2010 से पूंजी की व्यवस्था करनी है. बेसिक इंडीकेटर अवधारणा के अनुसार प्रभार रु.627.73 करोड़ है.

जोखिम प्रोफाइलिंग

बैंक तिमाही आधार पर परिचालनात्मक जोखिम प्रोफाइल टेंपलेट संकलित करता है, जिसके द्वारा निहित जोखिम, आंतरिक नियंत्रण जोखिम तथा परिणामी शुद्ध परिचालनात्मक जोखिम की दशा एवं दिशा का आकलन तथा निम्नांकित के आधार पर किया जाता हैः

- जन जोखिम
- आउटसोर्सिंग जोखिम
- प्रोसेस जोखिम
- प्रौद्योगिकी जोखिम
- छवि जोखिम
- घटना जोखिम

टेबल डीएफ-10

10. बैंकिंग बुक में ब्याज दर जोखिम

(ए) गुणात्मक प्रकटन

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जिसमें बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन का बैंक की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है. इसके परिणामस्वरूप बैंक की आय (एनआईआई) एवं बैंक का नेटवर्थ (कैपिटल फंड) प्रभावित हो सकता है. बैंक के पास विभिन्न परिपक्वता अवधियों अथवा पुनर्मूल्यांकन तिथियों तथा विभिन्न बेंचमार्क दरों से संबद्ध आस्तियां, देयताएं और ऑफ तुलनपत्र मदें विद्यमान हैं. इससे ब्याज दर के स्तर में अप्रत्याशित परिवर्तन से जोखिम उत्पन्न होता है .

फ्रेमवर्क

बैंक में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में आस्ति देयता प्रबंधन समिति (ALCO) का गठन किया गया है. जो तरलता/ बाजार जोखिम की पहचान एवं विश्लेषण तथा बैंक की आस्ति देयता प्रबंधन नीति के लिए समुचित व्यवस्था एवं प्रक्रिया लागू करने हेतु उत्तरदायी है. आस्ति देयता प्रबंधन समिति को एक समर्पित 'एएलएम' तथा एक स्वतंत्र 'मिड ऑफिस' द्वारा सहायता प्रदान की जाती है. एएलएम एवं जोखिम प्रबंधन पर निदेशक मंडल की पर्यवेक्षण समिति द्वारा आस्ति देयता प्रबंधन के लिए सिस्टम के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण किया जाता है तथा आवधिक आधार पर इसकी समीक्षा की जाती है एवं मार्गदर्शन दिया जाता है.

परंपरागत गैप विश्लेषण (TGA) का प्रयोग दर संवेदी गैप (RSG)के माध्यम से ब्याज दर जोखिम के मापन एवं अनुश्रवण हेतु किया जाता है. शुद्ध ब्याज आय पर ब्याज दर में परिवर्तन के प्रभाव का आकलन किया जाता है. आय के दृष्टिकोण से ब्याज दर में परिवर्तन के प्रभाव को सीमित रखने हेतु 1 वर्ष तक की आरएसजी सीमा निर्धारित की गई है.

प्रत्येक महीने के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार को ब्याज दर संवेदी विवरण तैयार किया जाता है. आस्ति देयता प्रबंधन समिति द्वारा मासिक आधार पर इसकी समीक्षा की जाती है. आस्तियों एवं देयताओं की व्यापक श्रेणी अर्थात् जमा, अग्रिम, निवेश आदि में परिवर्तन के प्रभाव की गणना वित्तीय वर्ष के अंत तक की जातीी है.

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार बैंक की आस्तियों एवं देयताओं के आर्थिक मूल्य और इस प्रकार इक्विटी के बाजार मूल्य (MVE) पर ब्याज दरों में परिवर्तन के प्रभाव की जानकारी हेतु तिमाही आधार पर आवधिक गैप विश्लेषण (DGA) भी किया जाता है. इस प्रभाव की गणना आय रेखा में 200 बीपीएस समानान्तर शिफ्ट द्वारा की जातीी है.

(बी) मात्रात्मक प्रकटनः

ब्याज दर में एक परिवर्तन शिफ्ट की कल्पना द्वारा इक्विटी के आर्थिक मूल्य एवं आय पर प्रभाव को निम्नानुसार दर्शाया गया है.

पैरामीटर	प्रभाव
1. जोखिम आय (NII) : 0.5% परिवर्तन पर (राशि करोड़ रु.में)	161
2. इक्विटी का बाजार मूल्य : 200 बेसिस पॉइंट (राशि करोड़ रु.में)	1328
इक्विटी मूल्य में गिरावट (%)	8.66%

नियोजित पूंजी :

आस्ति खंड	31.03.2010	कुल आस्ति का %	आबंटित पूंजी
ट्रेजरी परिचालन	69499	35.61	5461
रिटेल बैंकिंग परिचालन	49096	25.16	3859
कारपोरेट/थोक बैंकिंग	73984	37.91	5814
अन्य आस्तियां	2583	1.32	202
कुल आस्तियां	195162	100.00	
कुल पूंजी	**15336**		**15336**

KEY FINANCIAL INDICATORS

S. No.	Particulars % (In Percentage)	31.03.2001	31.03.2002	31.03.2003	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2006	31.03.2007	31.03.2008	31.03.2009	31.03.2010
1	Interest Income Average Working Funds (AWF)	10.49	9.96	9.20	8.43	7.96	7.49	8.08	8.35	8.78	8.04
2	Interest Expenses AWF	7.06	6.65	6.00	5.19	4.65	4.46	5.03	5.76	5.96	5.51
3	Interest Spread AWF	3.43	3.31	3.20	3.24	3.31	3.03	3.05	2.59	2.82	2.53
4	Non-Interest Income AWF	1.08	1.24	1.76	1.55	1.23	0.63	0.75	1.20	1.09	1.19
5	Operating Expenses AWF	2.86	2.39	2.17	2.02	2.01	1.79	1.61	1.44	1.63	1.52
6	Cost Income Ratio	66.56	52.66	43.82	42.26	44.42	48.90	42.45	38.17	41.81	40.66
7	Gross (Operating) Profit AWF	1.44	2.16	2.79	2.77	2.52	1.87	2.19	2.34	2.28	2.21
8	Net Profit AWF	0.44	0.78	1.18	1.33	1.15	0.86	0.92	1.26	1.27	1.25
9	Return on Net Worth	8.41	14.90	21.53	27.36	22.90	16.55	17.88	24.70	24.79	23.69
10	Return on Terminal Assets	0.40	0.71	1.08	1.22	0.99	0.76	0.82	1.12	1.07	1.06
11	Return on Average Assets	0.42	0.75	1.16	1.32	1.10	0.84	0.92	1.26	1.27	1.25
12	Yield on Advances	12.10	10.95	10.02	9.03	8.33	8.18	8.98	10.12	11.06	9.94
13	Cost of Deposits	7.57	7.03	6.46	5.64	4.97	4.75	5.23	6.19	6.50	5.94
14	Dividend payout Ratio to Net Profit (including Corporate Dividend Tax)	24.52	14.33	19.72	25.51	25.32	30.78	24.20	17.04	17.11	15.66
15	Credit - Deposit Ratio	52.63	56.45	59.55	61.17	67.96	75.50	76.46	75.55	73.22	73.71
16	Credit + Non SLR Investment (excluding Investments in Subsidiaries) - Deposit Ratio	60.36	63.30	67.36	73.74	77.86	84.29	81.49	78.44	76.75	80.75
17	Capital Adequacy Ratio	10.86	11.07	12.41	12.32	12.09	11.41	12.80	12.51	13.27	12.51
	Tier I	6.19	6.16	6.86	6.47	6.07	7.32	7.79	7.45	8.18	7.91
	Tier II	4.67	4.91	5.55	5.85	6.02	4.09	5.01	5.06	5.09	4.60

KEY FINANCIAL INDICATORS

S. No.	Particulars	31.03.2001	31.03.2002	31.03.2003	31.03.2004	31.03.2005	31.03.2006	31.03.2007	31.03.2008	31.03.2009	31.03.2010
1	Employees (Number)	28044	25822	25706	25630	25645	25421	25969	25722	27510	27772
2	Branches (Number)	2053	2023	2020	2020	2051	2082	2206	2361	2558	2805
3	Business per Employee (Rs in Crore) *	1.83	2.15	2.50	2.86	3.46	4.36	5.09	6.20	6.94	8.53
4	Gross Profit per Employee (Rs in Lacs)	1.82	3.37	5.07	5.79	6.13	5.77	7.70	10.03	11.20	13.18
5	Net Profit per Employee (Rs in Lacs)	0.55	1.22	2.15	2.78	2.81	2.66	3.25	5.39	6.28	7.47
6	Business per branch (Rs in Crore) *	23.48	27.41	31.78	36.35	43.35	53.29	59.94	67.52	74.61	84.49
7	Gross Profit per branch (Rs in Crore)	0.25	0.43	0.65	0.73	0.77	0.70	0.91	1.09	1.20	1.30
8	Net Profit per branch (Rs in Crore)	0.08	0.16	0.27	0.35	0.35	0.32	0.38	0.59	0.68	0.74
9	Earnings per Share (in Rupees)	4.60	9.29	13.95	15.47	15.64	14.58	16.74	27.46	34.18	41.08
10	Book Value per Share (in Rupees)	39.42	39.03	40.70	55.71	67.18	80.77	93.60	111.19	137.87	173.38

Note : * Average Business

Definitions :

Average Working Funds (AWF)	:	Fortnightly average of total assets
Average Deposits	:	Fortnightly average of total deposits
Average Advances	:	Fortnightly average of total advances
Average Business	:	Total average deposits and average advances
Average Investments	:	Fortnigntly average of total investments
Interest Income AWF	:	Total interest income divided by AWF
Interest Expenses AWF	:	Total interest expenses divided by AWF
Interest Spread AWF	:	Total interest income minus Total interest expenses divided by AWF
Non Interest Income AWF	:	Total Non interest Income AWF
Operating Expenses	:	Total Expenses minus Interest Expenses
Operating Expenses AWF	:	Operating Expenses divided by AWF
Cost Income Ratio	:	Operating Expenses Non Interest Income plus interest spread
Gross Profit AWF	:	Operating Profit divided by AWF
Net Profit AWF	:	Net Profit divided by AWF
Return on Net Worth	:	Net Profit Net Worth (exculding revaluation reserves and intangible assets)
Return on Assets	:	Net Profit Total Assets
Return on Average Assets	:	Net Profit AWF
Yield on Advances	:	Interest earned on Advances Average Advances
Cost of Deposits	:	Interest paid on deposits divided by average deposits
Dividend Payout Ratio	:	Dividend including corporate Dividend Tax Net Profit (including Corporate dividend Tax)
Credit Deposit Ratio	:	Total Advances Customer Deposits (i.e. Total Deposits minus Inter Bank Deposits)
Credit + Non SLR Investments (excluding Investment in Subsidiaries) - Deposit Ratio	:	Total Advances + Non-SLR Investments minus Investment in subsidiaries Customer Deposits
Business per Employee	:	Average Deposits (excluding Bank Deposits) plus Average Advances Total No. of employees
Gross Profit per Employee	:	Gross Profit divided by total No. of employees
Net Profit per Employee	:	Net Profit Total No. of employees
Business per Branch	:	Average Deposits (excluding Bank Deposits) plus Average Adcances divided by No. of branches.
Gross Profit per Branch	:	Gross Profit No. of branches
Net Profit per Branch	:	Net Profit No. of branches
Earning per Share	:	Net Profit divided by equity multipiled by ten
Book Value per Share	:	Networth (excluding Revaluation Reserve and intangible assets) equity multiplied by ten.

NOTICE

NOTICE is hereby given that the Eighth Annual General Meeting of the shareholders of Union Bank of India will be held on Friday, 2nd July, 2010 at 4.00 p.m. at **Rama Watumull Auditorium,** K C College, Dinshaw Wacha Road, Churchgate, Mumbai – 400 020 to transact the following business:-

Item No. 1

To discuss, approve and adopt the Balance Sheet as at 31st March, 2010 and the Profit & Loss Account for the year ended on that date, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors Report on the Balance Sheet and Accounts.

Item No. 2

To declare dividend on Equity Shares for the financial year 2009-2010.

By Order of the Board of Directors

(M.V. Nair)
Chairman & Managing Director

Place : Mumbai
Dated : 18.05.2010

NOTES:

(i) APPOINTMENT OF PROXY

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE ANNUAL GENERAL MEETING IS ALSO ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF HERSELF AND SUCH A PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK. The Proxy form, in order to be effective, must be received at the Head Office of the Bank not less than FOUR DAYS before the date of the Annual General Meeting i.e., on or before the closing hours of the Bank i.e. 2.00 p.m., on Saturday, 26th June, 2010.

(ii) APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the Annual General Meeting as a duly authorized representative of a Company or any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank not less than FOUR DAYS before the date of the Annual General Meeting, i.e., on or before the closing hours of the Bank i.e. 2.00 p.m., Saturday, 26th June, 2010.

(iii) ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-Cum-Entry Pass is annexed to this Report. Shareholders Proxyholders Authorised Representatives are requested to affix their signatures at the space provided therein and surrender the Attendance Slip-cum-Entry Pass at the venue. Proxy Authorized Representative of a shareholder should state on the Attendance Slip-Cum-Entry Pass as "Proxy" or "Authorized Representative" as the case may be.

(iv) BOOK CLOSURE

The Register of the shareholders and the Share Transfer Register of the Bank will remain closed from Saturday, 26th June, 2010 to Friday, 2nd July, 2010 (both days inclusive), for the purpose of Annual General Meeting and for ascertaining the entitlement of dividend.

(v) PAYMENT OF DIVIDEND

Payment of dividend to shareholders as proposed by the Board of Directors shall be paid to those shareholders holding shares in physical form, whose names appear on the Register of Shareholders of the Bank as on 2nd July, 2010 and in respect of shares held in dematerialised form, the dividend will be paid on the basis of beneficial ownership as per details to be furnished by the depositories as at the end of business on 25th June, 2010 and the dividend warrants shall be mailed credited within 30 days from the date of Annual General Meeting.

(vi) TRANSFERS

Share certificates along with transfer deeds should be forwarded to the Registrar and Transfer Agent for transfer.

(vii) BANK MANDATE FOR DIVIDEND OR NATIONAL ELECTRONIC CLEARING SERVICE (NECS)/DIRECT CREDIT TO UNION BANK ACCOUNT:

a) The shareholders are required to furnish their Bank Account number, 9 digit MICR code as appearing on MICR cheque, the name of the Bank and the Branch where they would like to deposit the Dividend warrants for encashment. If the dividend amount is not credited directly to the account of shareholder the particulars of Bank Account will be printed on the cheque portion of Dividend warrants, besides the name of the shareholder so as to avoid fraudulent encashment of warrants. The above-mentioned details should be furnished by the first sole shareholder holding shares in physical form directly to the Registrar & Transfer Agent, quoting the folio number and to the Depository Participant by shareholders holding shares in demat form.

b) The bank is also offering the facility of -

i. National Electronic Clearing Service (NECS)

ii. Direct credit to Union Bank account holders.

This facility could be used by the shareholders instead of Bank Mandate system for receiving the credit of dividend. Option Form is annexed to this report and also available on the website of the Bank www.unionbankofindia.co.in.

(viii) UNCLAIMED DIVIDEND IF ANY

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants received dividend of previous periods, if any, are requested to contact the Share Transfer Agent of the Bank for issue of the duplicate dividend warrant. Requisite Indemnity Bond is available on the website of the Bank www.unionbankofindia.co.in.

As per Section 10B of the Banking Companies (Acquisitions and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Govt. under section 205C of the Companies Act, 1956, and thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof either to the Bank or to the IEPF.

(ix) CHANGE OF ADDRESS / BANK PARTICULARS / BANK ACCOUNT MANDATE

(a) For Shareholders holding shares in Physical Form:

Shareholders holding shares in physical form are requested to intimate changes, if any, in their registered address and or Bank particulars, to the Registrar and Transfer Agent of the Bank at the following address:

Datamatics Financial Services Ltd.,
Unit: Union Bank of India,
Plot No.A-16 &17, Part B, Crosslane, MIDC,
Andheri (E), MUMBAI- 400 093.

(b) For Shareholders holding shares in Demat Form:

Shareholders holding shares in dematerialised form are requested to intimate changes, if any, in their registered address and Bank Mandate details only to their depository participant(s).

(x) RECORDING OF CHANGE OF STATUS

Non-Resident Indian Shareholders are requested to inform the Share Transfer Agent of the Bank, Datamatics Financial Services Ltd., immediately of :

a) the change in the Residential status on return to India for permanent settlement.

b) the particulars of the Bank Account maintained in India with complete name, branch, account type, account number and address of the Bank with PIN, if not furnished earlier.

(xi) CONSOLIDATION OF FOLIOS

Shareholders who holds shares in physical form in multiple folios in identical names or oint name in the same order of names are requested to send the share certificates to the Share Transfer Agent of the Bank, Datamatics Financial Services Ltd., for consolidation into a single folio.

(xii) Shareholders Proxy holders representatives are requested to bring their copies of the Annual Report and notice to the Annual General Meeting.

(xiii) Shareholders seeking any information on the Accounts are requested to write to the Bank, which should reach the Bank atleast one week before the date of the Annual General Meeting so as to enable the Management to keep the information ready. Replies will be provided only at the Annual General Meeting.

By Order of the Board of Directors

(M. V. Nair)
Chairman & Managing Director

Place: Mumbai
Date : 18.05.2010

DIRECTORS' REPORT

DEAR SHAREHOLDER,

We are privileged in presenting the 91st Annual Report of the Bank together with audited Balance Sheet, Profit & loss Account, Cash flow Statement and the report on Business and Operation for the year ended March 31, 2010. The Corporate Governance Report also forms part of the Annual Report.

FINANCIAL PERFORMANCE HIGHLIGHT

Table 1: Brief Financial Highlights of the Bank

(Rs.in crore)

	FY2009	FY2010	% YOY
Total Business	236968	291289	22.9
- Deposits	138703	170040	22.6
- Advances	98265	121249	23.4
Total Income	13372	15277	14.2
- Interest Income	11889	13302	11.9
- Other Income	1483	1975	33.2
Total Expenses	10290	11618	12.9
- Interest Expense	8076	9110	12.8
- Operating Expense	2214	2508	13.3
Operating Profit	3082	3659	18.7
Provision	1355	1584	16.9
Net Profit	1727	2075	20.2
Dividend	50%	55%	500bps
Earnings Per Share (Rs.)	34.18	41.08	20.2
Cost to Income Ratio	41.81	40.66	-115bps

1. As on March 31, 2010, Total Business of the bank stood at Rs. 2.91 lakh crore as against Rs. 2.37 lakh crore as on March 31, 2009, an increase of 22.9%. The business growth was broad-based with contribution from retail and corporate customers, both on assets and liabilities side.

2. The Bank posted a total income and net profit of Rs. 15,277 crore and Rs. 2,075 crore respectively for the financial year ended March 31, 2010 as against Rs. 13372 crore and Rs. 1727 crore respectively in the previous year. The Earning per share (EPS) ratio showed improvement to Rs. 41.08 as against Rs. 34.18 in the previous year, while cost to income ratio declined to 40.66% as against 41.81% in the previous year.

DIVIDEND

1. Your Bank s policy of dividend is to suitably reward the shareholders coupled with ploughing back a part of the profit in order to maintain a healthy capital adequacy ratio for supporting future growth. Accordingly, your Directors are pleased to recommend for a dividend of 55% for the year ended March 31, 2010 as compared to dividend of 50% in the preceding year. The total outflow on account of dividend is Rs. 325 crore including dividend tax. This dividend shall be sub ect to approval of the Government of India.

AWARDS AND ACCOLADES

During the period under review, your Bank continued to receive awards and gain recognition from leading organizations. Some of them are as follows:

i. The Asian Banker ranked Union Bank, the 7th Strongest Bank in Asia-Pacific Region in 2009. The Bank was ranked at No. 3 amongst banks in India.

ii. Winner of Association of Business Communicators of India (ABCI) Gold Award for marketing and Brand Communications, 2010. The award is in recognition of the transformation process undertaken by the Bank.

iii. Bank was awarded the prestigious "Skoch Challenger Award" 2009 for excellence in capacity building through innovative concept of "Village Knowledge Centre" as part of financial inclusion initiatives.

iv. Your Bank is the recipient of National Awards for Excellence in lending to Micro Enterprises during the year 2008-09.

v. Bank also received numerous awards and recognition in IT space as well, some of them are as follows

a. IBA TFCI s Banking Technology Award 2009: Bank has participated in the prestigious Banking Technology Awards 2009 conducted by IBA-TFCI award and bagged best user of Business Intelligence award.

b. Bank completed a ma or IT security implementation and obtained ISO 27001 certificate for its data centre. Union Bank is one of the few banks in country to have this certification, which is a hallmark of IT security processes and their implementation by an organization.

vi. Your Bank was ranked at 275th most valuable global banking brand for calendar year 2009, up from 351st rank in 2008. The ranking is carried by Brand Finance Plc, an independent intangible asset valuation and brand strategy global firm. The brand value rating for Union Bank is A+ (A means strong) compared to BB (BB means Average) in previous year. Bank s brand value increased by 148% during the calendar year 2009.

FINANCIAL PERFORMANCE

A. BUSINESS

1. Your Bank s first phase of transformation process – Nav Nirman - started in the year 2006-07. Bank s focused approach towards enhanced customer service, efficient processes, network expansion and new products since then has resulted in healthy growth in top-line and bottom-line.

Chart 1: Deposits and Advances

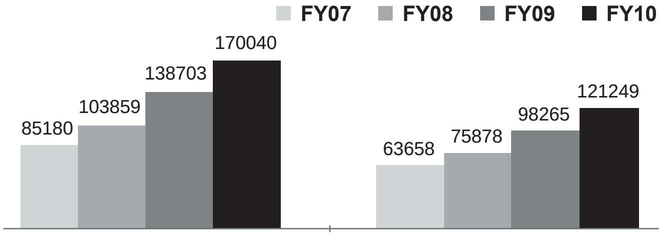

2. Bank s compound annual growth rate (CAGR) of business during the financial year 2006-07 to 2009-10 has been 25.1% deposits grew at a 26.0% CAGR and advances at 23.9% CAGR. Thus, Bank s market share in business of scheduled commercial banks (SCBs) has increased by 25 basis points (bps) between last reporting Friday of March 2007 (3.20%) and March 2010 (3.45%).

3. The growth of 29.4% in low cost Current and Saving Bank deposits (CASA) contributed on the liability side, and Total Deposits grew at 22.6% to Rs. 170040 crore as on March 31, 2010. CASA ratio, as a result, has moved up from 30.07% to 31.73%.

4. Bank s credit portfolio grew at 23.4% to Rs. 1,21,249 crore as on March 31, 2010. Thus, Bank s credit to deposits ratio increased by 49bps to 73.71% as on March 31, 2010 from 73.22% during the previous year.

5. Bank s Overseas branch (Hong Kong) mobilized deposits of Rs. 369.78 crore and has a credit portfolio of Rs. 2976.61 crore as on March 31, 2010.

B. PROFITABILITY

1. Your Bank s total income grew by 14.25% to Rs. 15277 crore as on March 31, 2010 from Rs. 13372 crore in the previous year. Total expenses grew at a lesser rate of 12.91% to Rs. 11618 crore as on March 31, 2010 from Rs. 10290 crore in the previous year.

2. During the year, lower credit demand and higher liquidity in the system impacted yield on investment as well as yield on advances. The yield on advances stood at 9.94% as against 11.06% in the previous year. This has resulted in modest interest income growth of 11.88% to Rs. 13302 crore as on March 31, 2010 as against Rs. 11889 crore in the previous year. The interest on advances grew at 9.03% to Rs. 9696 crore from Rs. 8893 reported during last year. The interest on investment saw a growth of 23.0% to Rs. 3482 crore at a yield of 6.32%.

3. Bank has leveraged technology to lower transaction costs and invested in capacity building for future earnings. Bank s total expenses was contained at Rs. 11618 crore as compared to Rs. 10290 crore during the previous year, resulting in an increase of 12.91%. The focus on low-cost deposits resulted in reduction in cost of deposits by 56 bps. The interest expenses increased by 12.8% compared to 26.96% during the previous year.

4. Net interest income increased to Rs. 4192 crore from Rs. 3813 crore in the previous year, a growth of 9.94%.

5. The Bank s Nav Nirman transformation has also supported fee based income growth. The non interest income saw growth of 33.18% to post Rs. 1975 crore compared to Rs. 1483 crore during the previous year. Core fee based income (excluding income from treasury, forex and recovery in written-off accounts) grew by 32.74% to Rs. 896 crore as against Rs. 675 crore in the previous year. Treasury Income also saw a growth of 78.18% to Rs. 572.78 crore as compared to Rs. 321.4 crore in the previous year.

Table 2: Non Interest Income (Rs.in crore)

	FY07	FY08	FY09	FY10	%CAGR
Core Fee Based Income	279	505	675	896	46.80
Treasury Income	199	510	517	730	53.56
Income from forex transaction	108	128	143	166	15.92
Recovery in Written Off Accounts	101	177	148	183	21.01
Total Non Interest Income	687	1320	1483	1975	42.19

6. The operating expenses stood at Rs. 2508 crore compared to Rs. 2214 crore, relatively a lower growth of 13.28% compared to 38.98% growth in previous year.

7. The operating profit of the Bank registered a growth of 18.72% to Rs. 3659 crore from Rs. 3082 crore in the previous year.

8. The allocation for provisions and contingencies was Rs.1584 crore during 2009-10 compared to Rs.1355 crore in the previous year. The provision for non-performing assets increased from Rs.546 crore in the previous year to Rs.699 crore, including floating provision of Rs. 158 crore in order to strengthen the Balance sheet.

9. RBI mandates that bank should maintain a minimum provision coverage ratio of 70% effective September 2010. As per the revised norm of RBI, the provision coverage ratio stood at 74.02%. During the year, the provision for standard assets stood at Rs.21 crore (including Rs.13 crore over & above regulatory requirements for unsecured personal loans) and provision for Tax stood at Rs. 758 crore.

Chart 2: Operating and Net Profit

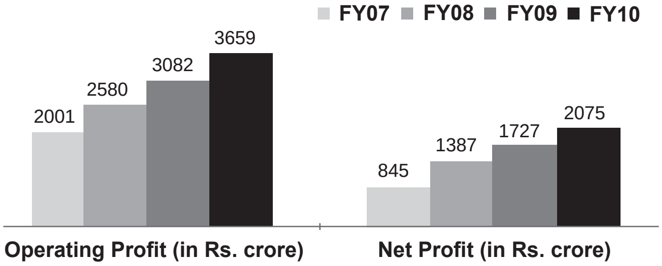

9. Profit after tax net profit increased to Rs. 2075 crore compared to Rs. 1727 crore achieved during last year. Buoyancy in the core business operations supported by a healthy growth in Non-Interest Income helped Bank achieve a 20.15% growth in net profit. Bank s operating profit and net profit CAGR during the financial year 2006-07 to 2009-10 is at 22.3% and 34.9% respectively.

C. SPREAD ANALYSIS

1. Amidst mild economic recovery, lower credit demand and high liquidity, Bank reduced its benchmark prime lending rate (BPLR) twice during the year, a total reduction of 75bps, which reduced yield on advances and yield on fund. Further, hike in cash reserve ratio (CRR) by 50 bps during February 2010 accentuated pressure on yield. The yield on funds decreased to 8.04% from 8.78% registered during last fiscal.
2. Your Bank s average working fund increased to Rs.1,65,519 crore from Rs.1,35,452 crore. Bank s focus on low cost deposits helped reduce the cost of deposits, and hence the cost of fund. The cost of fund during the year reduced from 5.96% as on March 31, 2009 to 5.51% as on March 31, 2010 marking a decrease of 45bps.
3. Thereby, the Net Interest Margin (NIM) saw a decline of 53bps to register 2.71% for the financial year 2009-10 from 3.24% recorded in previous fiscal. The decline in NIM is reflective of trend in credit growth during the year, which remained subdued during the first two quarters. The overall credit growth was lower than the previous year. However, due to prudent funds management, the NIM of your Bank has consistently improved on a sequential basis: from 2.32% in Q1, to 2.42% in Q2, 2.77% in Q3 and 3.39% in Q4.

RATING & CAPITAL RAISING

1. Your Bank received good rating for its Tier 1- Perpetual Bond, Upper Tier II Bond, Lower Tier II Bond. CRISIL has assigned its rating of 'AAA Stable . The ratings continue to reflect Union Bank s healthy market position, comfortable resource profile, adequate earnings profile, and the support it is likely to receive from its ma ority owner, the Government of India (GOI), in the event of distress. Bank has also received 'BBB- A-3 - Stable outlook for counter party credit rating by Standard & Poor's (S&P).
2. ICRA has upgraded the rating assigned Lower Tier II bonds of the Bank from LAA+ to LAAA with stable outlook. ICRA has also upgraded the rating assigned to Hybrid Tier I bonds programme of the Bank from LAA to LAA+ with stable outlook.
3. Bank raised capital through Tier I & Tier II bonds worth Rs. 1200 crore during the financial year 2009-10.

CAPITAL ADEQUACY RATIO

Your Bank s total Capital Adequacy ratio (CAR), calculated in line with Basel II framework, stood at 12.51%, well above the regulatory benchmark of 9%. Bank s Tier-I CAR was 7.91%.

Table 3: Capital Adequacy Ratio (Rs.in crore)

	FY09	FY10
Total Risk Weighted Assets	95245	122598
Capital Fund	12639	15336
Tier 1 Capital	7794	9697
CAR - Basel II	13.27%	12.51%
Tier 1	8.19%	7.91%
Tier 2	5.08%	4.60%

SHAREHOLDERS' RETURN

Your Bank s Net-worth improved by 25.76% to Rs. 8758 crore from Rs. 6964 crore as reported during last year. The book value per share increased to Rs. 173.38 from Rs. 137.87. The return on equity stood at 23.69% and earning per share increased to Rs. 41.08 from Rs. 34.18 reported during last year. The earning per share grew at CAGR of 34.9% during FY07 to FY10.

Chart 3: Shareholders' Return

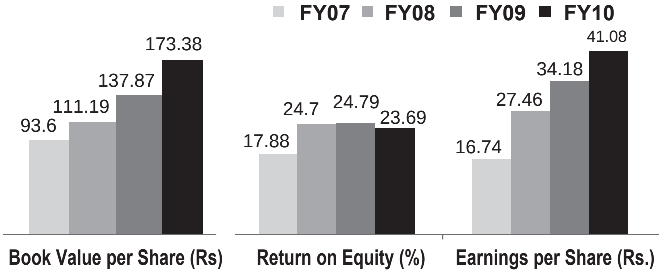

EFFICIENCY & PROFITABILITY RATIOS

1. Efficient utilization of assets is reflected through higher than industry average and stable Return on Average Assets and reduction in cost to income ratios. The return on average assets is maintained at a healthy rate of 1.25% as on March 31, 2010. Cost to Income ratio has decreased by 115bps to 40.66% as compared to 41.81% reported during last year, even though Bank continued to invest in capacity building for future earnings including investment in delivery channels and human resources. Operating Expenses to Average Working Fund has also

reduced to 1.52% from 1.63% recorded during last year.

Chart 4: Efficiency & Profitability Ratios

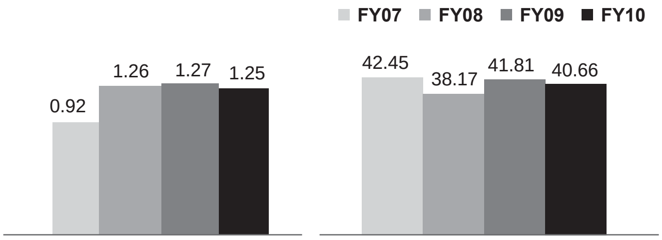

2. The following ratios reflect the productivity per employee and branch each ratio shows significant improvement over a period of three years.

Table 4: Productivity Ratios (Rs. in crore)

	FY07	FY08	FY09	FY10	%CAGR
Average Business Per Employee	509	620	694	853	18.8
Gross Profit Per Employee	7.7	10.03	11.2	13.18	19.6
Average Business Per Branch	5994	6752	7461	8449	12.1
Gross Profit per Branch	91	109	120	130	12.6

Note: Average Business excludes Average Bank deposits

REACH

1. Your Bank opened 247 new branches & 536 ATMs during the year, taking the total to 2805 branches and 2327 ATMs as on March 31, 2010. The total outlets including extension counters and services branches stood at 2910.

2. As part of its global expansion initiatives, the Bank opened two representative offices during 2009-10 – in Sydney (Australia) & Bei ing (China). The representative office in London was opened on April 1, 2010. The Bank already has representative Offices in Shanghai (China) and Abu Dhabi (UAE). The Bank also has a full-fledged branch in Hong Kong. Bank has received approval from RBI for opening of branches at Shanghai (China) and Antwerp (Belgium) and representative offices at Johannesburg (South Africa) and Toronto (Canada).

DIRECTORS

During the year, the following changes took place in the Board of Directors

1. In the Extra Ordinary General Meeting of the Shareholders held on June 22, 2009 to fill up three vacancies of shareholder Directors, Prof. M.S. Sriram was re-elected for another term of three years. Shri Arun Kumar Nanda and Shri S. Ravi were elected for a period of three years in place of Shri R.R. Nair and Prof. N.L. Sarda.

2. Shri S.C. Kalia was appointed Executive Director in place of Shri T.Y. Prabhu by the Government of India and oined Bank on November 21, 2009.

3. Shri K.S. Sreenivasan, part-time non-official Director under Chartered Accountant Category completed his term on October 10, 2009. In his place, Shri B.M. Sharma, Chartered Accountant Director was nominated by the Government under sub-section 3(g) of section 9 of Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 2970 1980 w.e.f. April 16, 2010.

4. The term of office of the following Directors also came to end during the year under review and appointment for the vacancy thereof by the Government is awaited.

    1. Shri Debasis Ghosh, Officer Employee Director completed his term on September 25, 2009.

    2. Smt. Rani Satish, part-time non-official Director completed her term on January 1, 2010.

While welcoming all the new Directors, the Board places on record the valuable services rendered by Shri R.R. Nair, Prof. N.L. Sarda, Shri T.Y. Prabhu, Shri K.S. Sreenivasan, Shri Debasis Ghosh & Smt. Rani Satish.

DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2010

1. The applicable accounting standards have been followed and there are no material departures from prescribed accounting standards.

2. The accounting policies framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India, were consistently applied

3. Reasonable and prudent udgment and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of Bank at the end of the financial year and of the profit of Bank for the year ended on March 31, 2010.

4. Proper and sufficient care was taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws governing banks in India and

5. The accounts have been prepared on a going concern basis.

CORPORATE GOVERNANCE

The Board of the Bank is committed to adopt good Corporate Governance practices in letter and spirit. A detailed report on Corporate Governance is given in a separate Section of this Annual Report. Bank was shortlisted amongst Top 25 corporate by the Institute of Company Secretaries of India for National Award for excellence in Corporate Governance. The Corporate Governance report for year 2009-10 has no audit qualifications.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

1. Your Bank believes in Corporate Social Responsibility by contributing to Society. In this endeavor, Bank has earmarked 1% of its profit for social pro ects which can

facilitate visible change in the society and environment in which the Bank operates.

2. In discharging corporate social responsibility, Bank is making a conscious effort to address some of the socio-economic deprivations by identifying new villages and extending banking services to these villages to provide quality of life. Your Bank has expanded its branchless banking operations using biometric smart card technology to 2.42 million rural urban beneficiaries across 2527 locations in 26 districts across the country Covering wage-seekers under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS), pensioners under Social Security Pension schemes, the milk pourers under NDDB and the hawkers. Your bank is providing all the basic banking services – Saving Bank account, Micro Credit, Micro Insurance and Remittance.

3. The Bank s Union Adarsh Gram (UAG) Yo ana implemented in 103 villages is showing results in transforming them into model villages by integrated visible development and by empowering the rural populace to lead quality life.

4. Financial literacy is the key to building entrepreneurial capabilities amongst the rural populace. We have opened 201 Village Knowledge Centers (VKCs), 13 Rural Self Employment Training Institute (R-SETIs), 90 Union Mitr centers and 1 Financial Literacy & Credit Counseling Centers (FLCC) to impart knowledge using information technology. These tools broadly provide Financial Education, Credit counseling and Debt management on one-on-one basis and also vocational training for income generating activities.

5. Bank has established Union Bank Social Foundation Trust to carry out its CSR activities. Through this foundation Bank has established chair-professorships at ma or educational institutions enabling them to undertake research for the betterment of mankind.

6. Bank donated Rs.6 lakh to Cochin Child Foundation – for assistance of under privileged children, Rs.11 lakh to Ramakrishna Mission, Nagpur for building Vivekananda Vidyarthi Bhavan, Rs.20 lakh to Bhagwan Mahaveer Viklang Sahayata Samiti, Jaipur for providing Artificial Limbs to 3000 physically challenged people.

7. The Bank has given Rs. 50 lakh each to the state of Karnataka and Andhra Pradesh for supporting the flood victims in the two states.

8. Bank Board has approved adoption of 50 schools in its Lead Districts to fulfill the educational needs of the children and an outlay of Rs.1.5 crore is allotted for this purpose.

9. Union Bank Social Foundation Trust had disbursed Rs.67.77 lakh as grants to its Union Adarsh Grams for carrying out various infrastructural developmental activities for up-liftment of the lifestyle of the villagers.

ACKNOWLEDGEMENT

The Board expresses its gratitude to the Government of India, Reserve Bank of India, Securities & Exchange Board of India, Insurance Regulatory and Development Authority and Central Vigilance Commission for the valuable guidance and support received from them. The Board also thanks the financial institutions and correspondent banks for their co-operation and support. The Board acknowledges the unstinted support of its customers, shareholders and other stakeholders. The Board wishes to place on record its appreciation of the dedicated services and contribution made by members of staff for the overall performance of Bank.

For and on behalf of the Board of Directors,

Place: Mumbai — **(M. V. Nair)**
Dated: May 31, 2010 — Chairman & Managing Director

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

MACROECONOMIC SCENARIO

A. GLOBAL MACROECONOMIC SCENARIO

1. In the beginning of the Calendar Year 2009, global economy was in a contraction phase inflicted by a massive financial crisis and acute loss of confidence. The outlook for world output was severely hit as reflected in a half percent contraction in World Output in 2009. The turnaround in growth of World Output was contingent upon policy support required to increase aggregate demand and simultaneously heal the financial sector.

2. The pace of contraction in output declined in the second quarter of 2009 however it improved significantly in the third quarter and picked up momentum in the fourth quarter of 2009. As a result of wide-ranging public intervention policies supporting demand and lowering uncertainty, global recovery evolved better than expected, with activity recovering at varying speeds— tepidly in many advanced economies but solidly in most emerging and developing economies. The World Economic Output is expected to grow by 4.25% in 2010.

3. The overall risks have increased because of large public debt in advanced economies. There has been eruption of fiscal fragilities, particularly with episodes of Dubai World debt standstill and sovereign debt of Greece & other East European countries that pose serious threat to the financial stability with risk of contagious spread. Given prospects for relatively weak growth in the advanced economies, the challenge for emerging economies is to absorb rising inflows and nurture domestic demand.

B. INDIAN MACROECONOMIC SCENARIO

1. Gross Domestic Product (GDP): India has been one of fastest emerging economies to record faster than expected recovery in growth. As per the revised estimate by Central Statistical Organisation (CSO), GDP growth rate has been recorded at 7.4% in FY 2009-10 compared to 6.7% in the previous year, as per 2004-05 prices.

2. As per the revised estimates, growth in agriculture & allied activities has been recorded at 0.2% in FY 2009-10 compared to 1.6% in the previous year. This has been mainly on account of adverse impact of deficient monsoon on agricultural output. Growth in industrial sector has been broad based at 9.3% in FY 2009-10 in comparison to 3.9% in the previous year. GDP growth rate in the current fiscal has been driven mainly by the robust performance of the industrial sector. Index of industrial production has been recorded at 10.4% in FY 2009-10 compared to 2.8% in the previous year. As per the revised estimates, service sector has recorded a growth rate of 8.5% in FY 2009-10 compared to growth rate of 9.8% in the previous year.

C. PRICES

1. Wholesale Price Index (WPI) based measure of headline inflation was very much subdued during the first half of the year with inflation hovering in the negative zone during 3 months period of June to August 2009 on account of strong base effect of the significant increase in administered prices of petroleum products in June 2008. The second half of the year was characterized by build-up of inflationary pressure with headline inflation well above RBI s pro ection of 8.5% for March 2010 in the last 3 months of the year.

2. WPI inflation started increasing with food prices but spread to other sector subsequently. Indications of generalization of inflation started from November 2009. The increases in prices of food products contributed around 47% of the build up in WPI during 2009-10.

3. Increases in administered prices of coal, reversal of excise and customs duty on petrol and diesel also partly contributed to the increase in WPI inflation during the last quarter of the year.

4. Consumer Price Index (CPI) based measures of inflation remained at an elevated level in double digits during most part of the year.

D. EXTERNAL SECTOR

1. As a result of fragile recovery in the advanced economies, performance of the external sector has been moderate in 2009-10 fiscal.

2. Exports have been valued at USD176.6 billion in FY 2009-10 recording a y-o-y decline of 4.7%, in comparison to USD 185.3 billion in the previous fiscal. Imports have been valued at USD 278.7 billion in FY 2009-10 recording a y-o-y decline of 8.2%, in comparison to USD 303.7 billion.

3. Accordingly, trade deficits reduced to USD102 billion in FY 2009-10 from USD118 billion in the previous year.

FINANCIAL MARKET

A. LIQUIDITY SCENARIO

1. Liquidity conditions reflected the calibrated policy response of Reserve Bank to the evolving macroeconomic and financial market environment.

2. The overall liquidity condition have remained comfortable during 2009-10, as reflected from reverse repo operations and money market rates. However, the extent of surplus liquidity came down during the last quarter due to monetary measures and advance tax payments by the corporate.

3. The surplus liquidity in the domestic markets during first half was partly induced by unwinding of the market

stabilization schemes (MSS) balances and open market operations (OMO). The total liquidity released during 2009-10 through unwinding of MSS and auction based OMO purchases amounted to Rs. 1,42,827 crore.

4. The persistent surplus liquidity kept the money market interest rates around the lower band of LAF corridor (Liquidity Ad ustment Facilities) throughout the year.

B. EQUITY MARKETS

1. Equity markets in India outperformed many emerging markets economies (EMEs) during FY 2009-10. This has been mainly on account of revival of capital flows in India due to a multiplicity of factors such as stronger signs of global recovery, reduction in risk perception towards EMEs and continuation of low policy rates in advanced economies.

2. Stock prices exhibited a continuous upward momentum during the first half of the year. Some occasional corrections in stock prices were seen during the last two quarters in the wake of Dubai World default and the Greek sovereign debt concerns. The proposals in the Union Budget also led to some gain in stock prices.

3. During the year FY 2009-10, the BSE Sensex and the NSE Nifty both registered gains of 81% and 74% respectively, over previous year.

4. Foreign Institutional Investors (FIIs) were net buyers to the tune of USD 23.7 billion in the Indian equity market during FY 2009-10 in comparison to net sales of USD 10.4 billion in the previous year. However, mutual funds net sales amounted to Rs. 10,512 crore during FY 2009-10 in comparison to net purchases of Rs. 6,985 crore in the previous year.

C. DEBT MARKET

1. The comfortable liquidity conditions, large government borrowing programme, MSS unwinding, call rate remaining low and around the lower bound of the LAF corridor and rising pressure on medium to long-term government bond yield were the main features of debt market during FY 2009-10.

2. Central Government s gross borrowing was to the tune of Rs. 4,51,000 crore in FY 2009-10 with a weighted average maturity of 11.2 years and weighted average yield of 7.23%.

3. The average monthly yield on 10-year government securities hardened from 6.55% in April 2009 to 7.94% in March 2010. The slow pick up in credit demand, ample liquidity into the system and MSS unwinding came to aid the huge government borrowing programme during FY 2009-10.

4. With surplus liquidity, Certificate of Deposit (CD) issuances remained substantially higher during 2009-10 than that in the previous year and interest rates on CD also remained stable with some uptick in the last quarter. The commercial paper (CP) market also picked up as corporate increasingly took recourse to CPs.

D. FOREX MARKET

1. Strong capital inflows and positive growth outlook for the economy contributed to Indian rupee generally showing strengthening trend against the US dollar, although marked by intermittent depreciation pressures. Forward premia also exhibited declining trend generally during 2009-10 with sporadic hardening.

2. Indian rupee appreciated against the US dollar by 11.4% in FY 2009-10 compared to depreciation of 27.5% in the previous year.

BANKING INDUSTRY OVERVIEW

1. The first financial stability report by RBI summarizes the status of commercial banks in India. According to the report, Indian banking system is healthy, well capitalized and resilient, credit quality continues to remain robust, and share of low cost current and savings account deposits in total deposits is high. It further states that even if all restructured accounts were to become Non Performing Assets (NPAs), the stress would not be significant.

2. The financial year 2009-10 started with continuation of the expansionary monetary policy RBI lowered repo & reverse repo by 25 bps each in its Annual Policy for 2009-10 announced in April '09. However with improvements in the economic conditions, RBI started exiting from the non-conventional measures including a hike of 100 bps in SLR to 25% in its Q2 review. The exit from the direct measure of CRR happened in Q3 Review with a hike of 75 bps.

3. Aggregate deposits of Scheduled Commercial Banks (SCBs) stood at Rs. 44,86,574 crore as on last reporting Friday of FY 2009-10, an increase of 6,52,464 crore, recording a y-o-y growth of 17%. Bank credit of SCBs stood at Rs. 32,40,399 crore, an increase of Rs. 4,64,849 crore, recording a y-o-y growth of 16.7%.

4. Investment in SLR securities by SCBs stood at Rs. 13,82,684 crore as on last reporting Friday of FY 2009-10, an increase of 2,16,273 crore, recording a y-o-y growth of 17.5%.

5. Credit-deposit ratio of SCBs stood at 72.2% as on last reporting Friday of FY 2009-10. Due to ample liquidity and low policy rates, banks softened their deposit rates between March and December 2009 but increased by 25-50bps in last quarter of FY2009-10.

VISION & NAV NIRMAN INITIATIVES

1. Your Bank has taken a transformation initiative during 2006-07 these initiatives were termed as “Nav Nirman”. The transformation process through the Nav Nirman initiatives has witnessed a ma or change in the way we do business. The sales & service concept, centralization

through Union Loan Points for retail assets creation, and a dedicated Sarals for faster loan processing, on the loan side and services centralization in other areas have enabled the new thrust to the way the branch conducts business. The business verticals have brought in focused efforts in key business areas. The first wave of transformation was completed during the financial year 2009-10.

2. Based on these capacities that have been built in the first phase of the Nav Nirman initiatives, the Bank has set a new vision in terms of customer experience - "to become the bank of first choice in chosen areas by building beneficial and lasting relationships with customers through a process of continuous improvement". In keeping with this, Bank identified thrust areas in the next phase of initiatives, which will substantially transform the customer experience with the Bank. The ob ectives of the key thrust areas are to become customer centric organization, to offer comprehensive range of products, to be a top value creator for shareholder, to be trusted brand, and to be leader in area of Financial Inclusion.

3. This year, Nav Nirman II – new wave of transformative series will take shape. In this direction, Bank will focus on key areas where customer service excellence and HR transformation will be given prime focus among other initiatives.

   a. Customer Service Excellence: Here, Bank will focus on consistent experience across all channels of delivery customer touch points and strengthen the concept of relationship banking.

   b. HR Transformation: Human capital is a key enabler. Your Bank will be revisiting the HR policies and practices, designing framework for organizational and role specific competencies, succession planning, and HR & training audit.

   c. Rapid Branch expansion: Bank has decided to open 500 branches every year for next five years. Bank also has tied up with the service provider to suggest enhancement in the model.

   d. Financial Inclusion: The concept is more about welfare maximization, and a prime focus of the Central Government. The inclusive growth is an opportunity, and if properly invested, long term benefit is huge. Your Bank is one of the few Banks which is pursuing financial inclusion aggressively. Bank has around 9000 villages with 100% banking habit and plans to add 2500 villages during the current financial year.

   e. Risk Management: Bank's aspiration for steady growth has to be complemented with a robust risk management structure. Hence, there is a need to continuously strengthen the risk functions by adopting best in class risk management practices.

   f. Wealth Management: Bank is evaluating a tie-up with an internationally reputed player to offer the best in class wealth management products and services.

BUSINESS SEGMENT UPDATE

RESOURCES

1. Towards Resource mobilization, your Bank focused on CASA and Retail Term Deposits, while expanding its customer-base. The Bank registered a growth of 22.59% in Total Deposits during the year under review. As of March 31, 2010, the Total Deposits stood at Rs.1,70,040 crore, compared to Rs.1,38,703 crore as on March 31, 2009, resulting in an absolute increase of Rs.31,337 crore.

2. TERMINAL DEPOSITS

Current and Savings Account (CASA) deposits have grown by 29.36% from Rs.41,711 crore as on March 31, 2009 to Rs.53,957 crore as of March 31, 2010. The CASA share stood at 31.73% of the Total Deposits, an improvement by 166 basis points (bps). Current Deposits of Bank increased by 23.26% to Rs.16,229 crore. A special mention is to be made on the growth of Savings Bank Deposits, which increased by 32.17% to Rs.37, 728 crore, resulting in an accretion of Rs.9,183 crore. Bank s Core Retail deposits increased by 28.78% to post Rs. 1,59, 817crore from Rs. 1,24,103 crore reported during last year.

Table 5: Terminal Deposits segmentation (Rs. in crore)

	FY09	FY10	%YOY	Share-FY09	Share-FY10	Share Gain
SB Deposits	28545	37728	32.17	20.58%	22.19%	161bps
Current Deposits	13166	16229	23.26	9.49%	9.54%	5bps
CASA Deposits	41711	53957	29.36	30.07%	31.73%	166bps
Term Deposits	96992	116083	19.68	69.93%	68.27%	-166bps

Note: Share represents share in Total Deposits

3. AVERAGE DEPOSITS

The average deposits for the bank stood at Rs. 143637 crore as against Rs. 113736 crore reported during last year, resulting in average deposits growth of 26.29%. Bank s focused approach on CASA and retail deposits has helped reduce the cost of deposits by 56bps to 5.94% compared to 6.50% recorded during last year.

4. Bank has a team of Customer Relationship Managers, Resource Marketing Officers and Relationship Officers focused on building and nurturing customer relationships. As a result, Bank added 33 lakh new SB Accounts and 86,000 new Current Accounts mobilizing over Rs.8,500 crore during the year through these new CASA accounts. The Household Sector continued to show preference for Bank deposits, due to the traditional considerations of

safety, security and liquidity. Bank kept itself abreast of the market opportunities and continued to focus on Retail Deposits and tapping of long-term Household savings. The share of Retail Deposits, as a percentage to Term Deposits, increased from 50% to 54%, an increase of 4%. During the year, Bank launched specific Term Deposit Schemes like "555 Days" Thus, consistent and focused strategy on CASA and Retail Deposits resulted in yielding excellent growth, in a cost-effective manner.

CREDIT MANAGEMENT

1. The credit growth during the first half of financial year 2009-10 remained subdued and started to pick up in latter half. Bank s advances portfolio grew at 23.4% to Rs. 1,21,249 crore from Rs. 98,265 crore reported last year. The food credit stood at Rs. 2047 crore and non food credit grew at 23.8% to Rs. 1,19,202 as on March 31, 2009.

2. Bank is focused on lending to productive sectors of the economy and other needy sectors in line with ob ectives of the Government. Towards this, Bank follows a prudent credit appraisal and lending policy. Credit Portfolio is well diversified and spread across small, medium and large enterprises, agriculture, and retail sectors. The advances portfolio for the financial year end 2009 and 2010 is given below:

Table 6: Advances Portfolio (Rs. in crore)

	FY09	FY10	%YOY
Large Corporate Advances	35,336	40,618	14.95
MSME Advances	16149	22685	40.47
Agriculture Advances	13519	18464	36.58
Retail Advances	10092	13506	33.83

Note that the MSME loan book for FY10 includes retail trade loans as per RBI s new guidelines.

RETAIL BANKING

1. Your Bank s retail lending portfolio has seen a growth of 33.83% in the year 2009 -10. The loan portfolio grew from Rs. 10,092 crore as on March 31, 2009 to Rs. 13506 crore as on March 31, 2010. The share of retail loans in the total advances was 11.62% as of 31st March 2010.

Table 7: Retail Banking Advances Portfolio (Rs. in crore)

	FY 09	FY 10	% YOY	% Share
Retail Advances	10092	13506	33.8	-
- Home Loan	6621	8115	22.6	60.1
- Vehicle Loan	1011	1189	17.6	8.8
- Education Loan	982	1301	32.5	9.6
- Other Retail Loan	1478	2901	96.3	21.5

Note : % share denotes composition of retail lending portfolio for FY10

2. The 40 Union Loan Points (ULP) – the bank's centres of excellence for providing retail lending services within assured turn-around time (TAT) - have been doing well. The ULPs have shown an excellent growth of 71.29% during FY 2009-10. The bank looks forward to continue this success story by setting up more ULPs in the coming financial year.

3. In order to deliver a robust credit growth under the retail lending segment, different product enhancement initiatives and marketing strategies were adopted. These include revising the home loan product (Union Home) by introducing customer friendly quantum eligibility norms and enhanced repayment tenure norms. Now the bank's home loan product offers the best features in the market.

4. Special education loan schemes were designed for students of premier educational institutes like IIT, IIM, ISB etc. and were promoted extensively. The education loans segment has shown an impressive 41% CAGR over the last 3 years.

5. Under Union Miles (vehicle loan), a special car loan product has been designed offering concessional rate of interest for existing home loan borrowers of the bank. The bank has entered into tie-ups with reputed car manufacturers like Maruti Suzuki India Ltd., Tata Motors India Ltd and Hyundai Motors India Ltd.

6. Special personal loan (Union Comfort) schemes for employees of reputed organizations, special scheme for Earnest Money Deposit for allotment of plots by Urban Development authorities, an attractive Union Reverse Mortgage scheme with option of availing a lump sum payout along with periodical payouts were the other initiatives taken during the year.

LARGE CORPORATE

1. Bank has envisaged its transformation from a traditional banking organization to a sales oriented Financial Service Organization. Corporate Banking is identified as one of the growth drivers and hence Bank created a separate vertical that started functioning from June 2008.

2. This financial year 2009-10 marks the first full year of functioning as a separate specialized vertical. Bank has dedicated 9 Industrial Finance Branches (IFBs) and 2 Overseas Branches (OSBs) catering to corporate clients. Bank also has a separate Syndication and Advisory Services cell and offers services like loan syndication, M&A and debt restructuring. The performance of Large Corporate Vertical is as under

Table 8: Corporate Banking Income Source (Rs. in crore)

	FY09	FY10	%YOY
Total Advances	35,336	40,618	14.95
Non Interest Income	151	226	49.66
Syndication Fees	9.75	35.9	268
Yield	10.1%	9.1%	

3. During the year, the credit off take in the banking industry in general and to corporate in particular was low due to yet recovering economy coupled with abundant liquidity. However, Bank focused on reducing the average TAT (for credit appraisal) which came down to 19 days. The Non interest Income from this vertical improved from Rs. 151 crore to Rs. 226 crore i.e. growth of about 50%.

4. During this year, Bank has created two new Industry desks, taking the total to 11. Specialized industry research desks provide significant inputs on industry sectors and prospective corporate clients. 27 Customer Relationship Managers have been appointed at branches to have a 360 degree view of the corporate clients. The thrust is on increasing share in Non Fund Based limits so that the non-interest income would improve considerably. The CRM concept (Customer Relationship Management) will be further intensified during the year so that it works in real sense to improve the relationship value.

MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES (MSME)

1. Your Bank s MSME portfolio recorded a growth of 40.47% to Rs. 22685 crore from Rs. 16149 crore reported during last year. The growth in MSME loan book is also due to definitional change. The retail trade loans are now part of MSME, as per the new guidelines of RBI. The share of the MSME lending constituted 18.71% of the total of the advances compared to 16.60% in the previous year.

2. The MSME Credit Growth has been driven by the concentration on assured TAT, Credit Delivery at affordable prices, customized products, and enhancing the base of MSME clientele.

3. The bank has established 250 dedicated business banking branches (BBBs) and 16 SME SARALs (Central Processing Centers) for speedy Appraisal and Sanction of MSME Loans.

RURAL & AGRICULTURE BUSINESS

A. PRIORITY SECTOR

Your Bank has been actively involved in pursuing the national policies for rural development and empowerment of rural populace through its wide network of rural and semi-urban branches. Priority Sector Advances registered a growth of 23.81% and stood at Rs.44993 crore as on March 31, 2010 constituting 46.40% of the Ad usted Net Bank Credit (ANBC), as against the mandatory stipulation of 40% by the RBI.

B. AGRICULTURE

Agriculture is one of the thrust areas in the Lending Policy of Bank. The total agricultural advances increased from Rs.13519 crore to Rs. 18464 crore as on March 31, 2010 recording a growth of Rs. 4945 crore (36.58%). The share of agricultural advances to ANBC was 16.01% as on March 31, 2010. The increase in Direct Agricultural advances reached a level of Rs. 11162 crore, up by Rs. 2207 crore. Total disbursements of Rs. 6491 crore were made under Special Agriculture Credit Plan (SACP) against the target of Rs.6000 crore, recording an achievement of 108.18%. During the year, additional 115071 Kisan Credit Cards were issued with credit facilities of over Rs. 700 crore.

C. MICRO & SMALL ENTERPRISES

Total advances to Micro & Small Enterprises stood at Rs. 15790 crore as on March 31, 2010 as against Rs. 9434 crore in the previous year registering a growth of 67.37%. This also reflects the change in definition introduced by the RBI, according to which loan to retail trade sector are part of Micro and Small Enterprises.

D. TERTIARY SECTOR

The outstanding under Tertiary sector as of March 31, 2010 stood at Rs. 10739 crore as against Rs. 13388 crore as of March 31, 2009 due to exclusion of Retail Trade Advances of Rs. 3000 crore from Tertiary Sector which is included in Small Enterprises Sector.

E. SPECIFIC LENDING

1. With a view to encourage entrepreneurs among the women and to make them self-sufficient, Bank is providing credit to women entrepreneurs. Outstanding loans to women beneficiaries have improved from Rs. 4035 crore to Rs. 5066 crore thereby surpassing the stipulated benchmark by GOI RBI of 5% of ANBC.

2. The assistance to Weaker Section improved from Rs. 6428 crore to Rs. 9449 crore – a growth of 47%. Advances to SC ST increased from Rs. 1220 crore (268668 beneficiaries) as of March 31, 2009 to Rs. 1427 crore (253096 beneficiaries) as of March 31, 2010.

F. LENDING TO MINORITY COMMUNITIES

1. In line with Government of India directives on ‘Welfare of Minorities', the assistance to Minority Communities has improved from Rs. 3216.20 crore to Rs. 4624.64 crore covering 297431 beneficiaries during 2009-10. The share of these advances to total priority sector advances stood at 10.35% as on March 31 2010.

G. SELF HELP GROUPS (SHGs)

1. Micro-financing through SHG formation and credit linkage is a cost effective way to take Banking system to the poor. This also opens up new business opportunities. During the year, 15653 groups have been formed and 14837 groups have been linked with financial assistance of Rs. 175.63 crore.

2. The progress in formation of Self Help Groups is mentioned below:

Table 9: Self Help Groups Overview

Year end, Mar 31	2009	2010	Absolute YOY	% YOY
Groups formed (No.)	122507	138160	15653	12.8
Groups financed (No.)	86525	101362	14837	17.1
Amt. Financed (Rs. in crore)	830.74	1006.37	175.63	21.1
w w Women SHGs (No.)	75719	87828	12109	16.0
Amt. (Rs. in crore)	742.27	886.91	144.64	19.5

3. With a view to make SHG programme more attractive, Bank has introduced "Janashree Bima Yo ana" of LIC of India for the members of Women SHGs wherein they will get a cover of Rs. 50,000 - by paying a nominal premium of Rs. 200 - to be equally shared by SHG members and GOI.

4. Bank has started issuing biometric cards to SHGs which enables SHGs to avail banking facilities at their doorsteps.

H. LEAD BANK SCHEME

Bank has the lead responsibility covering 14 districts spread over 4 States viz. Azamgarh, Jaunpur, Varanasi, Ghazipur, Maunath Bhan an, Bhadohi and Chandauli in Uttar Pradesh, Rewa, Sidhi and Singrauli in Madhya Pradesh, Ernakulam and Idukki in Kerala and Khagaria and Samastipur in Bihar. Bank has representation of 413 branches in these districts. Bank's deposits and advances in these districts increased to Rs. 16461 crore and Rs. 4937 crore, during the year ended March 2010 as against Rs. 14128 crore and Rs. 4137 crore as of March 2009, respectively.

I. REGIONAL RURAL BANKS (RRBs)

1. Bank has 2 RRBs sponsored by it, viz. Kashi Gomti Samyut Gramin Bank (KGSGB), Varanasi, in Uttar Pradesh and Rewa Sidhi Gramin Bank (RSGB), in Madhya Pradesh. Both the RRBs are profit making.

2. Bank was the pioneer in implementing Core Banking Solution across all its branches. Bank rolled out 100% CBS in all branches of both the sponsored RRBs with a view to implement Financial Inclusion and to provide better customer service using technology platform.

J. OTHER INITIATIVES

1. Your Bank is the 1st Bank to achieve the distinction of implementing Core Banking Solution (CBS) in all the branches of its sponsored Regional Rural Banks (RRBs) viz. Kashi Gomti Samyut Gramin Bank (KGSGB), Varanasi (Uttar Pradesh) and Rewa Sidhi Gramin Bank (RSGB) in Madhya Pradesh. This will facilitate implementation of Financial Inclusion and provide better customer service using technology platform. Thus, all customers of these RRBs will en oy all the benefits hitherto available only to customers of Commercial Banks. This is part of Bank s mission to provide tech-savvy banking products and services to the rural customers comparable to those en oyed in the metro and urban centers.

2. In order to have a systematic coverage of the unreached, a three year roadmap Financial Inclusion Plan 2010-13 has been drawn for implementation. All the basic banking facilities will be extended to the unbanked and marginally banked populace adopting user friendly technology models through branches as also branchless banking units with outsourced partners in a sustainable manner.

3. Financial and livelihood counseling are important for increasing viability of credit. To provide free financial literacy education and credit counseling services, Bank has opened a Financial Literacy and Credit Counselling Centres (FLCC) at Varanasi. Bank will open FLCC in a phased manner in the remaining 9 Lead Districts.

FINANCIAL INCLUSION

1. Financial Inclusion continues to be core of banking activities. Bank expanded the usage of technology, through Biometric smart card based banking services to the doorstep of the poorer sections of financially excluded. At the end of the financial year, Bank has covered more than 2.42 million rural urban poor in the States of Andhra Pradesh, Uttar Pradesh, Maharashtra, Madhya Pradesh, Tamil Nadu, Kerala and West Bengal by providing them with No-Frill Saving Accounts. Bank also provided micro credit and micro insurance products to inculcate savings habit in them and promote economic activity. The Bank provided Bio-metric card based remittance facilities in select corridors between Mumbai and Eastern Uttar Pradesh.

2. The Bank has taken following initiatives for expanding Financial Inclusion coverage:

   i. Taken up the assignment of making payment of wages under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS) and payment of pension under Social Security in Andhra Pradesh, Madhya Pradesh and Kerala. The Bank has enrolled 20,33,597 beneficiaries across the country at the end of year.

   ii. Opened 15,86,942 "No-Frills" accounts (includes branch-less banking) during the year, (previous year: 28,27,475 accounts) ensuring a cumulative number of "No Frills" accounts opened up to March 2010 to 4414417.

   iii. Set up 201 VKCs throughout the country as core centers for rural development activities and imparting knowledge to the farmers about new developments in methods of cultivation technologies, proper use of fertilizers, pesticides and likes, for better yield and higher income.

   iv. Established 90 Union Mitr Centres as a part of Bank s Corporate Social Responsibility initiative to create financial awareness. Union Mitr Centres provide free of cost financial education services and debt counseling to all strata of the society especially the rural population.

   v. Bank has facilitated to make more and more villages under its command area of operation as 100% Banking Habitat villages to provide Banking services to each and every household in the villages. During the year, 8,955 villages have been made 100% banking habit villages. In four lead districts, Bank has achieved 100% Financial Inclusion, viz.

Ernakulam, Idukki, Azamgarh and Jaunpur as of March 2010.

vi. Bank has 13 R-SETI in the Lead Districts viz. Ernakulam, Idukki, Varanasi, Mau, Azamgarh, Ghazipur, Jaunpur, Bhadohi, Chandauli, Samastipur, Khagaria, Rewa and Sidhi districts. The main ob ective of these institutes is to train youths in rural and semi-urban areas to take up self-employment ventures, to conduct various vocational and human resource development training programmes and to provide consultancy services etc.

CREDIT MONITORING

The Bank has a dedicated department for credit monitoring. The monitoring system involves tracking EAS SMA accounts (Early Alert System Special Mentioned Accounts) and proactively taking the corrective steps. Presently, this division is closely monitoring the restructured accounts, the details of which are given in Table 10.

ASSET QUALITY MANAGEMENT

1. Due to recessionary trends witnessed world over, Indian economy was also affected and its growth slowed down. As a result, Bank had to restructure many accounts in the previous year. Though Indian economy has started showing symptoms of revival, it may take some time to start robust growth. Due to sluggish market conditions, number of restructured accounts could not adhere to restructuring terms and turned Non Performing Assets (NPA). The above scenario had its impact on asset quality of the Bank and Bank s Gross NPA increased from Rs. 1923 crore as of March 2009 to Rs. 2671 crore as of March 2010. In percentage terms, Gross NPA increased from 1.96% to 2.20%. Similarly, Net NPA also increased from Rs. 326 crore as of March 2009 to Rs. 965 crore as of March 31, 2010. In percentage terms, it increased to 0.81% as compared to 0.34% in the previous year.

Table 11: The movement of Non-Performing Assets

(Rs. in crore)

	FY 09	FY 10
Opening Gross NPA	1657	1923
Fresh Slippage	1177	1785
LESS:		
- Upgradation	138	123
- Recovery	406	401
- Write-off	366	513
Gross NPA (Closing)	1923	2671
Net NPA		
- Opening	126	326
- Closing	326	965

2. The Cash recovery and upgradation are Rs. 524 crore as compared to Rs. 545 crore in the previous year. Percentage of recovery upgradation to opening NPA level is 27.24%, which is exclusive of ADRDWS (Agricultural Debt Relief and Debt Waiver Scheme) recovery is in line with the previous year performance. Bank has made highest ever recovery of Rs. 183 crore in written-off accounts.

3. Bank issued notices under Securitization & Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act (SARFAESIA), 2002 to 3690 defaulting borrowers involving dues of Rs.800 crore. One Time Settlement (OTS) was approved in 726 cases, resulting in a recovery of Rs.127 crore. Further, assets worth Rs. 263 crore were seized in 1007 cases and the Bank has recovered an amount of Rs.87 crore. Under OTS Schemes, the Bank could settle more than 58800 cases with settlement amount of Rs. 348 crore, of which Rs. 185 crore has already been recovered.

Table 10: Re-structured Accounts Portfolio

Nature of Advances (in Rs. crore)	Till Mar 2009		During FY10		Total	
	No. of Accounts	Amounts	No. of Accounts	Amounts	No. of Accounts	Amounts
MSME	28272	647.42	1736	186.54	30008	833.96
- Micro Enterprises	20620	249.18	590	18.22	21210	267.4
- Small Enterprises	7571	242.91	1132	128.1	8703	371.01
- Medium Enterprises	81	155.33	14	40.22	95	195.55
Large Corporate	39	680.25	35	1172.19	74	1852.44
Agriculture	15987	113.71	10	17.64	15997	131.35
Retail Loans	38162	721.25	836	47.73	38998	768.98
Others	30808	796.71	3357	571.8	34165	1368.51
Total	**113268**	**2959.34**	**5974**	**1995.9**	**119242**	**4955.24**

4. Bank has 10 Asset Recovery Branches across the country for providing focused attention to high value NPAs. This has given thrust to the recovery efforts. During the year, these branches could recover Rs. 113 crore of which Rs. 55 crore was in written off accounts.

5. Bank had formulated a special scheme for settlement of low value NPAs with outstanding of less than Rs. 1 lakh. During the year Bank had settled 52650 cases with settlement amount of Rs. 75 crore. Bank conducted 2728 recovery camps at various centers throughout the country, where 39178 cases were settled and Rs. 121 crore were recovered. Forum of Lok Adalat was also utilized as an effective tool for recovery. During the year, Bank had settled 4261 cases involving Rs.19 crore.

6. Big borrowal accounts in NPA category are reviewed at regular intervals by Controlling Offices at different levels. NPA position of the Bank is also reviewed at quarterly intervals by the Management Committee of Board of Directors. During the year the bank sold two (2) prudentially written off accounts for Rs. 26.79 crore.

TREASURY

1. Financial turmoil in the developed world and global recessionary pressures necessitated a series of measures by RBI to reassure the markets with adequate liquidity for easy flow of funds across sectors. Huge liquidity against a backdrop of falling yields put pressure on the Treasury for profitable deployment of surplus funds. Rupee exhibited a tendency to strengthen against ma or currencies on the back of recovery in the economy and inflows by FIIs & direct investment flows.

A. INVESTMENTS

1. The total investment portfolio of the Bank stood at Rs. 54,483 crore as on March 31, 2010 against Rs. 43,194 crore as on March 31, 2009. This comprised of investments made in Government Securities, State Development Loans and Other Approved Securities for maintenance of Statutory Liquidity Ratio (SLR) and non-SLR investments like Equity Shares, Corporate Debentures, Public Sector Undertaking Bonds (PSU Bond), Commercial Papers (CPs), Certificate of deposits (CDs), Subsidiaries & Joint Ventures. The yield on investment portfolio was 6.32% for the year ended March 31, 2010 against 7.24% for the previous year. The return on Investment portfolio comprising of interest income and profit on sale of investment, net of amortization was 7.36% during the year against 8.07% in the previous year.

2. The Treasury endeavors to manage liquidity and maximize return on funds through efficient allocation of surplus resources. Besides compliance with the statutory requirements, the Treasury takes proprietary position in government securities, bonds, debentures, equity and also deploys funds in foreign exchange markets. Bank s total profit from the Treasury operations in domestic and forex markets aggregated to Rs. 729.90 crore during the year against Rs. 517.48 crore in the previous year.

3. Bank extends hedging facilities to the customers through Derivative Transactions in addition to its Proprietary Trading in derivatives. The transactions are undertaken within the framework of RBI guidelines. The treasury has commenced proprietary trading in Interest Rate Futures on NSE on day of its inception and is geared to undertake transactions in new exchange-traded products like currency options as and when introduced.

4. The Bank was one of the most active banks to trade in currency futures market and operates on both NSE and MCX-SX exchange platforms. In addition to proprietary trading, the Bank is offering products to its customers.

INTERNATIONAL BANKING

1. The deepening of world recession has had profound impact on world trade. The world trade declined to USD 5.8 trillion in the first half of 2009 compared to USD 8.2 trillion in the corresponding period of 2008. Indian exporters managed to battle the global economic crisis to close the 2009-10 fiscal with shipments worth USD 176.5 billion, a bare 4.7% lower than the previous year. The foreign exchange turnover of the bank increased by 17.13% and reached a level of Rs. 86,657 crore as of March 31, 2010 as compared to Rs. 73,984 crore registered pervious year.

2. Bank is having correspondent relationship with 320 leading International Banks at all ma or international centers. The Bank has Rupee Drawing Arrangement (RDA) with 22 international Banks and 20 Exchange houses as of March 31, 2010. The online remittance product for immediate credit to the account of the customers has seen wider acceptance.

3. The Export credit of the Bank has registered a negative growth of 7.01%. The Export credit declined to Rs. 6,273 crore as of March 31, 2010 from Rs. 6,746 crore as of March 31, 2009, the decline is in line with Industry trend due to deceleration of export.

A. OVERSEAS OPERATIONS

1. In line with the Bank s vision to be a global player with presence in the overseas market, Bank has drawn its plan for overseas expansion in a phased manner. The Bank has its overseas Branch in Hong Kong operational since May 7, 2008. The Branch carries out normal commercial banking operations like acceptance of deposits, trade finance, External Commercial Borrowing (ECBs) and syndicated loans. Deposits reached a level of USD 82 million as of March 31, 2010 up from USD 56.05 million as of March 31, 2009 registering a growth of 46.30%. Advances reached a level of USD 664.00 million as of March 31, 2010 up from USD 257.35 million as of March 31, 2009 registering a growth of 158%. The operating profits reached USD 12.92 million as of March 31, 2010 up from USD 3 million as of March 31, 2009 registering a growth of 330%.

2. During the year 2009-10, Bank has opened representative

offices at Sydney (Australia) & Bei ing (China). The representative office in London (UK) was opened on April 1, 2010. Besides this, Bank has representative offices in Shanghai (China) and Abu Dhabi (UAE).

3. Bank has received approval from Reserve Bank of India for opening of branches at Shanghai (China) and Antwerp (Belgium) and representative offices at Johannesburg (South Africa) and Toronto (Canada).

TRANSACTION BANKING

Bank is focused on improving the efficiency in payment and settlement system. Towards this, Bank has invested in tech-savvy products and is offering choice of service channels to the customers. From 6% in FY 08, the share of transaction through electronic channels has increased to 35% as of FY10.

A. ALTERNATE DELIVERY CHANNELS

During the financial year 2009-10, bank has continued to emphasize on offering more channel choices to customers and make banking more convenient to the customers. As a part of this endeavor bank has taken various initiatives in different areas as detailed below:

1. Debit Cards

Bank issued about 2 million debit cards during the year. The Bank has also entered into a tie up with MasterCard to issue debit cards in four different variants so as to increase customer choice and also improve customer focus offering the benefits that are more relevant to different customer segments.

Chart 5: Card Base and ATM transaction overview

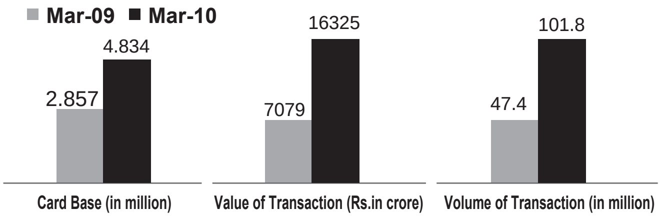

2. Internet and mobile banking

i. Bank has also strengthened its other electronic banking channels like internet and mobile banking. Enhancing customer friendliness and security of these electronic channels has been the primary theme during the year. Introduction of self user creation and beneficiary registration for third party fund transfer are few initiatives taken by Bank in this direction. Initiatives like these would play a ma or role in attracting customers to these secured low cost channels in future.

ii. Following the RBI guidelines, the bank has also launched a simplified SMS based mobile banking platform for low ticket fund transfers and m-commerce transactions. This played a ma or role in increasing the popularity of the mobile banking among Bank s customer base.

3. Electronic Remittance Products

i. Paperless banking and increasing electronic transactions has been one more ob ective of bank and Bank has focused on popularizing the usage of remittance products like NEFT (National Electronic Funds Transfer) and RTGS (Real time gross settlement systems). As a result Bank s market share in high value electronic remittance has increased to 4%.

ii. Overall bank transactions through alternate channels have increased from 21% in March 2009 to 35% in the March 2010 allowing more customers to use convenient channels of their choice.

Chart 6: Alternate Channel

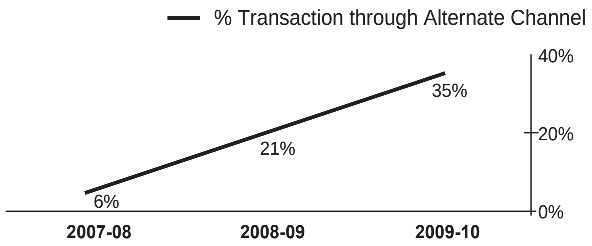

4. Acquiring Products

i. This year bank has also forayed into acquiring business and started merchant enrollments across the country for installation of Point of Sale (POS) terminals accepting both VISA and MasterCard cards. The response of merchants more importantly in Tier II and Tier III cities suggest that Bank will be able to deploy more than 50000 POS terminals by March 2011.

ii. Bank is also proud about the fact that we are the first bank to implement and launch Cash at POS service as per the RBI guidelines. This service is mainly to facilitate the low ticket cash withdrawals for the customers in unbanked areas at their nearest merchant using their debit card at a nominal fee. Given a rich card base, the acquiring products will help bank to garner significant fee based and commission based income in future.

B. CURRENCY CHEST

1. Bank is adhering completely to RBI Clean Note Policy by circulating clean, unstapled good quality notes to the public. To achieve this, Bank has procured High Speed Note Sorting Machines. These machines are also being provided to 250 branches having average cash receipts of Rs.50 lakh and above, well ahead of RBI guidelines.

2. Bank is ensuring efficient cash management through in-house capabilities as well as selective outsourcing of professional cash handling services by a reputed agency. This has also enabled introduction of doorstep banking services to customers. The facilities at Currency Chest

have been upgraded by providing hygiene factors like masks, aprons, gloves, air purifiers, portable oxygen bottles besides Air Conditioners.

3. Bank opened one more Currency Chest at Azamgarh during the year. Bank was able to maintain its Cash to Deposit ratio within the industry benchmark. Fee based income from Currency Chest increased to Rs.36.73 crore from Rs.5.07 crore reported during last year.

C. CASH MANAGEMENT SERVICES (CMS)

1. CMS of Bank helps the corporate customers manage their collection as well as payments at a high speed with nominal cost. Customers can collect all cheques at a single point and realize funds. Similarly CMS helps customers manage their bulk payments from a single point.

2. CMS is a thrust area of the bank and bank has recruited specialized officers and opened 13 branches at difference centres so far.CMS collection products marketed by bank are:
   i. Union Speed – Local cheques (micro high value)
   ii. Union Speed – outstation
   iii. Union Speed – outstation (local)
   iv. Centralized debit credit

   Bank has started marketing CMS payment products which are remote pay order, demand draft, drawing arrangement, cheque writing and bulk payments.

3. CMS is now live on new web based software which is operational for all collection products.

4. The advantages of CMS to the Corporate Customers are faster realization of instruments, better funds management, optimum utilization of funds, lower-cost of services transaction, collection of funds at sources of origin, faster and easier transfer of funds to locations of choice, centralized control of receivables and disbursals, cash forecasting and scheduling and reduction in cash balance.

D. TRADE & CHANNEL FINANCE, MERCHANT BANKING

1. Bank had devised specialized schemes and had entered into MoUs with a few Auto Ma ors for extending finance to its dealers and to retail buyers. Bank was also one of the first few banks to make available ASBA Phase II (Application Supported by Blocked Amount) facility which has been introduced by SEBI on 1st January,2010.

2. Bank is laying more emphasis to convert the transactions to alternate delivery channels to reduce transaction costs and maximize customer satisfaction.

E. THIRD PARTY PRODUCT DISTRIBUTION

1. Third Party Products Distribution Department was conceived with an ob ective to build Bank s Image as a "Financial Super Market" and offer value added products services to its customers like Life insurance, Non-life insurance, Mutual Fund, Stamp Vending etc.

2. During FY-2009-10 Bank earned a commission income of Rs. 25.28 crore through distribution of insurance products (both Life and Non-life insurance), compared to last year s income of Rs. 20.98 crore.

3. Bank's JV Mutual Fund company "Union KBC Asset Management Company" has received in-principle approval from SEBI, during 2009-10. The product of this Company is likely to be launched in the 3rd quarter of FY 2010-11.

INFORMATION TECHNOLOGY

1. Your Bank has taken a number of initiatives in technology implementations technology adoption through Core Banking Solution (CBS) and other supporting systems such as Lending Automation Solution (LAS), Lead Management System (LMS), vibrant Alternate Delivery Channels, Integrated MIS, use of business intelligence tools for management reports & dashboards. Increase in the technological intensity not only helped in product development but was crucial in containing the operating costs and achieve higher productivity.

2. Some of the Milestone achieved during the year under review are as follows
   i. Bank has completed implementation of LAS across all its branches. The roll out started in October 2008 and was completed in September 2009. LAS usage is made compulsory in 30 Regions of the Bank and will be extended to all regions in 2010.
   ii. To meet the increasing transaction volumes, capacity of Data Centre servers were upgraded from 30 lakh transactions day to 45 lakh transactions day. Present transaction load is about 33 lakh transactions day. Data Centre has been operating 24x7x365 without any downtime. During the year storage capacity of Data Centre was also increased from 5 terabyte to 10 terabyte.
   iii. With the focus on extending customer service through various delivery channels, Bank has launched one more service channel to the Retail customers by way of Call centre. It is a single location customer service solution which hosts in-bound as well as out bound services. The call centre has been integrated with various back-end systems of Bank in order to provide services across Retail Banking segment.

   The following information is offered through the call centre
   a. SB & CD Deposits, Retail Assets and all Product Information
   b. Debit Card
   c. Credit Card & Internet Banking
   d. U-mobile
   e. Outbound Calling(KYC)
   f. SMS Banking
   g. Web Chat Service
   h. Regional Language Support
   i. Outbound Calling – Leads

Call centre is receiving about 6000 calls a day and the usage is gradually increasing.

iv. Bank rolled out 536 new ATMs during the year, taking the number of ATMs to 2327. These ATMs can be used both by VISA and MasterCard Cardholders of all Banks. Bank s customers have access to 57000+ ATMs across the country given bilateral and multilateral sharing agreement with other banks. The new ATMs deployed in the year have advanced features like video surveillance and burglar alarms.

v. On Internet Banking front, Bank has released many new products features during the year:

   a. Self User Creation
   b. EMI payments
   c. Viewing of TDS payments
   d. Online ASBA
   e. Tax collections for Central State Govt. & Local bodies

   Bank is also tying up with many billers making the Internet banking more vibrant. To ensure safe fund transfers through internet banking, beneficiary registration feature is added for third party fund transfers. More than 4,66,000 customers are using the Internet Banking facility provided by the Bank.

vi. Usage of Umobile (mobile payment solution) and SMS alerts has improved considerably with over 8 lakh subscribers for SMS alerts and about 1 lakh subscribers for mobile payments. Bank is continuously increasing the usability of alternate delivery channels by adding many value additions. Some of the features of SMS mobile banking include

   a. Maturity date of deposits
   b. EMI payment alerts
   c. SMS based mobile transactions upto Rs.1,000
   d. Mobile Banking transactions upto Rs.50,000 - a day
   e. Account information mini statement etc.

Chart 7: ATM Reach and Alternate Channel User

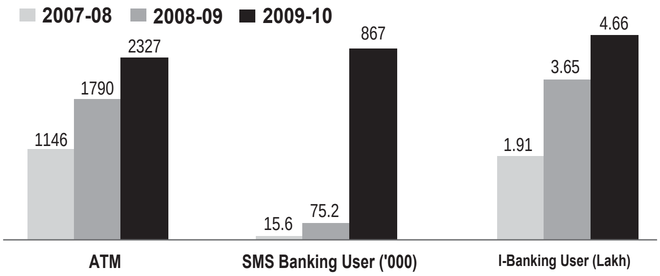

vii. Bank has developed many products during the year on CBS platform to support business verticals and improve efficiency of operations.

Important value added products developed on Core Banking platform are:

a. Core Banking ASBA II - the first Bank to launch the product
b. Cheque Book request Automation - Now cheque book request are entered in CBS by branches and processed centrally
c. Digital Authority cheque facility implemented for Treasury Branch
d. Mandatory Report (MNDTRPT) for ma or Exceptions of previous working day
e. Menu for School Fee Collection
f. Shifting of ATM accounts to respective Branches to facilitate better reconciliation & control
g. Clearing Controls and abolition of Local Branch
h. Brought all CO Departments on CBS platform
i. Centralized TPM reversal as a new feature for Annual Closing
. Bulk account opening facility for NRI branches
k. Daily SMS to regional onal Heads on business details

Following Business Intelligence are developed to provide key information to management in the form of reports & dash boards:

a. Daily reports to all branches on key business parameters
b. Reports for functional departments
c. Key performance indicator information to ROs FGMOs
d. Exception reports
e. Dashboards for top management

To strengthen bank s end user security, centralized patch management, antivirus deployment and network admission control (NAC) system have been implemented during the year.

RISK MANAGEMENT

1. Your Bank has a proactive approach towards risk management risk philosophy involves developing and maintaining a healthy portfolio within its risk appetite and regulatory framework. The Risk Management framework is specifically designed to identify key risk areas, measure, monitor, and manage them efficiently in order to deliver enhanced shareholder value by achieving an appropriate trade off between risk and returns. Bank constantly endeavors to ensure that business function partners with the Risk Management function to derive value and the capital is used most effectively.

2. The Risk Management Architecture of Bank comprises an Independent Risk Management Organizational structure (both at the Corporate and Field level), Risk Management Policies, Risk Measurement Tools and Risk

Monitoring and Management Systems. By posting Risk Officers at the field, Bank is a pioneer in inculcating a risk culture throughout the organization. Risk profiling of Bank for various risk areas and for Regional Offices is being done on a quarterly basis.

3. The Board of Directors of the Bank is primarily responsible for laying down risk parameters and establishing an integrated risk management and control system. Bank s Board approves Risk Management policies and also sets out limits taking into account the risk appetite of Bank and the skills available for managing the risks. Board of Directors are supported by a Sub-Committee of the Board known as Supervisory Committee of the Board on Risk Management and Asset Liability Management (ALM), which in turn is supported by the Credit Risk Management Committee(CRMC), Asset Liability Committee (ALCO) and Operational Risk Management Committee (ORMC). These Committees are Committees of Executives headed by Chairman and Managing Director (CMD) and Executive Director (ED) of Bank.

A. CREDIT RISK

1. The credit risk mechanism consists of policies and practices that ensure credit risk is measured, and monitored at account level and portfolio level. The Credit Risk Management policy along with Real Estate Lending Policy and Collateral Management Policy address the Credit Risk related to lending. Credit Approving Authority, Prudential Exposure Limits, Risk Rating System, Risk Based Pricing, Portfolio Management are the various instruments for management of Credit Risk.

2. Bank has standardized and well-defined approval processes for all credit proposals to minimize the credit risk associated with them. Bank has set up Credit Approval Grids at Regional Offices Field General Manager s Offices and Central Office. Bank has also developed credit rating models for exposure above Rs.2 lakh and scoring model for Retail lending schemes. Entire credit portfolio of the bank is sub ect to internal credit rating. It has credit rating migration and default probability data for the last 8 years.

3. Bank has implemented a LAS which seamlessly integrates the entire Credit Management Process and provides an assured turnaround time for disposal of loan applications on one hand and standardized processes on the other hand. It also covers Loan Monitoring and NPA Management.

4. Bank constantly strives to improve credit quality and maintain a risk profile that is diverse in terms of borrowers, products and industry types.

B. MARKET RISK

1. Asset Liability Management Policy and Treasury Policy aid the management of Market Risk in Banking and Trading books. Overall responsibility of managing the market risk lies with the Asset Liability Committee (ALCO). The Committee meets regularly and decides on the size, mix, tenor, pricing and composition of various assets and liabilities. It primarily does identification, measurement, monitoring and management of liquidity and interest rate risk. It uses tools such as Ratio analysis, Gap analysis reports – Structural liquidity, Dynamic Liquidity, Interest Rate Sensitivity etc, Value At Risk, Duration Gap Analysis etc for management of liquidity and interest rate risks. The fundamental focus is to add value both from the earnings perspective and from the economic value perspective. Bank has an independent mid office positioned in treasury and reporting to risk management. It ensures compliance in terms of exposure analysis, limits fixed and calculation of risk sensitive parameters like Value at Risk, PV01(Present Value of 1 basis point), Duration, Defeasance Period etc and their analysis.

C. OPERATIONAL RISK

1. Comprehensive systems and procedures, internal control system and audit are used as primary means for managing Operational Risk. Bank has in place a Board approved Operational Risk Management Policy based on Reserve Bank guidelines. All new products introduced by Bank pass through a New Product Approval Process to identify and address operational risk issues. Operational loss data has been captured for the last three years and mapped into 8 business lines and 7 loss events. Bank s income is also mapped into 8 business lines and Bank is in readiness to migrate to The Standardised Approach. It has also agreed to oin External Data Pooling initiative of IBA.

2. As a good Corporate Governance measure, Bank has formulated a Disclosure Policy to have greater transparency in its working. It has also developed a Business Continuity Plan (BCP) and implemented the same. BCP provides a blueprint detailing a wide range of responses under a disruptive environment to protect its staff, assets and interest of the customers. BCP contains steps to be adhered to both at the Preventive as well as Recovery phase when challenged with real life incidents.

D. IMPLEMENTATION OF BASEL-II:

1. Bank has implemented the New Capital Adequacy Framework as per the timelines prescribed by RBI. While Bank, to start with, has adopted Standardized Approach for Credit Risk, Standardized Duration method for market risk and Basic Indicator approach for Operational risk, the initiatives so far undertaken envisaged are geared towards enabling Bank to comply with the standards set out for more advanced capital measurement approaches in the Basel-II Accord.

2. Bank has taken various steps for migrating to advanced approaches. Introduction of Asset Class wise credit rating models with two-dimensional Obligor and Facility Rating, developing a data management framework, initiating process for appointing a Consultant for Integrated Risk Management are few of the steps in that direction.

3. For enhancing skills on risk management, Bank conducts in-house training program on risk management. Bank has an excellent training system in place and its own Union Bank School of Management vide which it attempts to develop the professional and managerial skills of its employees. Further, officers are also nominated for attending training programs on risk management in reputed external training institutes. Bank has also recruited qualified professionals from reputed business schools who would help in refining the risk management practices, measurement and management tools.

4. Bank has also developed a framework for quantifying the Pillar-II risks and has put in place a comprehensive Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) framework in line with RBI guidelines. Bank is also in the process of introducing a Risk Based Performance measurement system to assess the profitability of its business units, products and customers.

E. COMPLIANCE FUNCTION

1. In line with Reserve Bank guidelines and as part of its ongoing efforts to enhance sound practices, Bank has also set up a Compliance department. Efforts are on to create a robust compliance culture in Bank. Compliance Policy is framed and functional department wise compliance issues are identified. A reporting system has also been introduced to ensure compliance of regulatory and statutory compliance issues through

    1. Self certification
    2. Random testing   monitoring through Risk Officers

2. Comprehensive training programs on compliance are designed to create awareness among staff.

KYC-AML

Bank has taken various measures to strengthen KYC-AML (Know Your Customer – Anti Money Laundering) compliance. A new revised Account opening form with additional features for customer profiling and a KYC checklist has been developed. Interview & Customer Due Diligence form are revised to cover additional information. The KYC-AML software is being enhanced to cover additional features and reports. Special training sessions   workshops on KYC-AML are conducted and one session on KYC-AML is introduced in all internal trainings to sensitize all staff across the bank. The Bank has also appointed a Consultant for auditing the existing KYC-AML infrastructure, evaluating and suggesting improvements wherever required.

HUMAN CAPITAL

A. RECRUITMENT

1. During the year, Bank initiated a fresh Recruitment Process including Campus Recruitment, through which a total of 1063 Officers, in various Grades Scales were recruited, of which, 728 were under the Specialist segment. Further, 40 clerical staff were also inducted.

2. With a view to attract the best talents available in the country, bank ventured upon Campus Selections in a big way from prestigious institute like IIMs, IITs, besides reputed B-Schools and Agricultural Universities during the year, which has few parallels in the banking industry. A total of 421 candidates were selected from various campuses including 41 from IIMs.

Table 12: Human Capital Segmentation

Parameter	Officers	Clerks	Sub-staff	Total
Total Manpower	13149	8572	7698	29419
- Scheduled Castes	2561	1755	2918	7234
- Scheduled Tribes	766	381	607	1754
- Other Backward Classes	1485	940	1406	3831
- Persons with Disability	97	183	122	402
- Ex-Servicemen	74	285	1432	1791
- Women	1469	2492	899	4860

Note: Sub-staff includes 1647 PTS (part-time sweepers)

B. PROMOTIONS

In order to give Career Progression opportunity to eligible employees and to motivate the employees towards further excellence, Bank initiated a fresh Promotion process in all cadres towards the end of financial year 2009-10.

C. TECHNOLOGY

With the technology support provided through the UNION PARIVAAR PEOPLESOFT Package, the department could effect speedier and timely release of Employee Compensation, Staff Welfare Benefits, Terminal Benefits, Staff Advances, and Reimbursements leading to greater internal customer delight. Bank is committed to further technological upgradation for providing better staff services in the days to come.

D. INDUSTRIAL RELATIONS

The Industrial Relations Scenario in the Bank continued to be cordial on account of the constant dialogue held with the ma ority Trade Unions and resolving all the contentious issues. Cases involving Disciplinary Matters were disposed of speedily in the most udicious manner and with a Human face.

E. RESERVATION POLICY

The department continued to have regular dialogues with the various SC ST and OBC Welfare Associations in the bank and the platform was fully utilized to redress the grievances of the various reserved category employees including issues concerning policy matters.

F. STAFF WELFARE

During the Year under review, all out efforts were made to utilize the maximum permissible amount of Rs. 15.00 crore under the various employee-friendly Staff Welfare Scheme with an ob ective to meet the aspirations of the employees and in the process improve their involvement and efficiency.

G. HR INITIATIVES:

In the second wave of Nav Nirman programme, Bank has identified HR Transformation as one of the key thrust areas. A total revamp of HR Policies and practices is on the cards in this programme.

- i. The bank has enlisted the services of a HR consultant – M s. Hewitt & Associates (India) Pvt. Ltd who will be assisting the Bank in the HR Transformation process.
- ii. The consultants would be suggesting appropriate solutions and implementable strategies after identifying the gaps in the current system vis- -vis the best HR practices.
- iii. Besides the normal HR functions like, Recruitment, Promotions, Transfer, Job Description, Job Rotation, Training, Planning, HRD structure, HRIS, etc.

H. POLICY AMENDMENTS

1. To suit the changing Business environment and to provide the required impetus for the Bank in fulfilling its ob ectives enshrined in the VISION document, necessary Policy amendments were taken up during the year in respect of Promotions in Officer cadre, Promotions from Clerical to Officer cadre and Promotions from Substaff cadre to Clerical cadre.
2. A new Housekeeper Policy was formulated by the Bank vide which,
   - i. Sweepers are now redesignated as Housekeepers
   - ii. Stipendary Scale discontinued and all Stipendary Sweepers converted into 1 3 scale
   - iii. Blue coloured Uniform with Bank s LOGO superimposed on a white background provided to all Housekeepers
   - iv. Providing incentives to Housekeepers – Scheme of Cash Award of Rs.2000 - for Best Branch in each category in a Region & Rs. 5000 - for the Best Housekeeper was formulated.

New Schemes:

Formulated following schemes for the benefit of staff

- i. A new Scheme for reimbursement of Examination Fees & other connected costs on completion of prescribed IT Certification courses along with one time payment of Honorarium.
- ii. A new Scheme for extending Legal & Financial Support to Executives Officers Retired Officers against False Complaints.

Staff Benefits:

- i. Certain vital staff related benefits like Staff Housing Loan, Festival Advance, etc., were improved and made more attractive during the year.
- ii. Monetary ceiling of Furniture items provided to Officers increased while expanding the list of items.

I. OFFICIAL LANGUAGE – IMPLEMENTATION

1. The Bank has posted remarkable progress in the field of Official Language Implementation during the year.
2. As a result, the Bank has been ranked FIRST in the linguistic regions 'A' and 'B' under the prestigious "Reserve Bank of India Ra bhasha Shield Scheme" for the year 2008-09.
3. Besides, the Bank has also bagged "Protsahan Puraskar" under the most renowned "Indira Gandhi Ra bhasha Shield Scheme" of the Ministry Of Home Affairs (GOI) for the year 2007-08 and declared during 2009-10.
4. Further, during the period under review the Bank has bagged FIRST prize from the Gu arat State Level Bankers' Committee and 2 SECOND prizes, one each from the Maharashtra & Andhra Pradesh State Level Bankers' Committees.
5. Bank s 21 Regional Offices Branches have also won shield prizes from their respective Regional Official Language Implementation Offices (ROLIOs) and or Town Official Language Implementation Committees (TOLICs), for their splendid performance in the field of Official Language.
6. In view of bringing more awareness amongst the employees the Bank has published a Hindi Book on "Maanav Sansadhan- Vividh Aayam" during the year 2009-10.
7. To enhance product awareness “Online Tests” has been conducted amongst the Executives and other employees.

J. UNION DHARA

1. Bank's in-house ournal 'Union Dhara' continued to be an excellent means of communication between management and employees with ob ectives of creating oneness amongst the staff members and stimulating employees about their duties, loyalties and creativity.
2. During this year, Union Dhara, came out with innovative ideas concepts in contents on the center-spread, back cover page and news items. This way Union Dhara is contributing towards re-orientation of employees.
3. This year 'Union Dhara' clinched in all 10 prizes at different competitions, including 6 prizes from prestigious Association of Business Communicators of India (ABCI), and one each from Press Club of Trivandrum, Public Relation Council of India (PRCI), Akhil Bharatiya Ra bhasha Gruhapatrika (ABRG) and RBI.

K. SECURITY

1. During the year under review, Bank made concerted efforts to enhance the level of security by strengthening the Security Infrastructure, Imparting Training and carrying out extensive Security Inspections to improve the security standard of the branches. Security

arrangement in 1426 branches was inspected by the security officers.

2. As part of the thrust to add electronic surveillance, Closed Circuit Television systems were installed in 630 branches and in all the 2327 ATMs of the Bank.

KNOWLEDGE CAPITAL

1. A year in succession of repositioning and rebranding, this year had been a challenging one for the training system of Bank. To ensure that the promises made during the Rebranding Campaign were kept, a greater involvement by Bank s human resources was needed. The training initiatives during the year focused towards this direction and, at the same time, the growing needs of a rebranded institution and its staff members, were effectively addressed.

2. Organizational training need were identified and individual staff training needs were matched to attain the benefits of the Training System's effort in delivering quality training inputs. Training needs of every segment of staff members-Executives, Officers, Clerks and Sub-staff were taken care. During the year, all the training programmes were conducted at Staff College, Bangalore and seven Staff Training Centres-426 in all covering 8645 staff members. Additionally, 252 locational training programmes and workshops were held covering the needs of 8212 staff members. Training System has conducted 52 training programmes for 1173 Staff members of Regional Rural Banks, sponsored by our bank, on Core Banking Solution.

3. With a view to enable achievement of Brand Promise, a unique programme for Cashiers on detection of forged and counterfeit currency notes was conducted in association with RBI Officials. Besides, workshop on housekeeping, enhancing usage of IT solutions, lending automation solution and KYC & ALM guidelines were also conducted for various cadres.

4. 52 Programmes on Core Banking Solutions (CBS) were conducted for the RRBs sponsored by Bank. In all, 1,173 staff members of RRBs have been trained in CBS. Bank achieved the distinction of First Public Sector Bank to complete 100%CBS in the RRBs sponsored by it.

5. Leadership Development: The third batch of Management Education Program [MEP 2008] was successfully completed during the year under review. Professors of repute from leading institutes of management were associated with this one year programme. Bank s 24 Officers selected through a well-defined selection procedure, had an opportunity to sit for this programme, which commenced on 15 December 2008 and concluded on 15 November 2009. The activities of this programme are guided by a group of academia who meet at periodical intervals -Academic Council Meetings. The ma or pro ect studies were presented before the Top Management Group – Chairman and Managing Director, Executive Directors and General Managers. The participants of the first two batches have been given the "Programme Completion Certificates" in a oint meet arranged at Staff Training Centre in Mumbai on 8th March, 2010.

6. A udicious mix of both internal and external training is imparted to the staff for updating their skill-sets. In this connection, as many as 351 employees attended training at external training institutes in India and 31 employees attended overseas training.

INTERNAL AUDIT

1. The Bank has migrated totally to risk based internal audit with effect from April 1, 2009 for Branch Audits. The Bank has put in place a well defined Audit Policy duly approved by Audit Committee of Board of Directors and Inspection Manuals for various types of audit.

2. Regular Audit and IS audit of 2620 branches was conducted. In addition, audit of 82 Foreign Exchange Dealing branches, 35 Service Branches, 60 Currency Chests, 55 Management Audits of Regional Offices and 9 Management Audits of Field General Manager s Offices were also covered during 2009-10. The Audit Committee of the Board of Directors, which met 12 times during the year, perused the audit reports and made suggestions for improving operating efficiency and control systems. The Bank has covered 68.34% of Bank s business under concurrent audit by external firms of Chartered Accountants. Bank has taken steps to strengthen Concurrent Audit.

VIGILANCE

1. Bank has an elaborate and well-structured Vigilance system in place, in tune with the guidelines issued by the Central Vigilance Commission so as to act as a tool for safety of operations. Since 2007, Bank publishes a bi-monthly newsletter – Union Vigil, which captures the fraud prone areas, modus operandi adopted by the fraudsters and preventive vigilance measures to combat the menace of frauds.

2. To check occurrence of frauds, Preventive Vigilance visits are undertaken to the branches controlling offices, and field functionaries are sensitized about the pitfalls. 162 such visits were made to various offices of Bank during the year. Improvements in systems and procedures are suggested wherever warranted.

CUSTOMER SERVICE AND GRIEVANCE REDRESSAL MECHANISM

1. Your Bank is a member of Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI). Bank is implementing the codes prescribed by BCSBI including MSME. Bank has printed the standards on products and services and made available to all the customers at all branches in English, Hindi and Regional languages. The adoption of Banking

Codes and Standards Board of India places great responsibility on the Bank to meet customer expectation. Towards this, Bank strives to maintain transparency in all its product and services offerings and gives emphasis to customer education.

2. Bank has from time to time implemented various recommendations of Government of India, Reserve Bank of India and Indian Banks Association on customer service. Leveraging the technology, Bank has introduced Online Redressal of grievance system whereby customer grievances are redressed within the shortest possible time. Besides guidelines communicated by Ministry of Finance, Department of Administrative Reforms & Public Grievances (DARPG), Bank has implemented the system of attending to online public grievances received through Centralized Public Grievance Redressal and Monitoring system (CPGRAMS).

3. To be more customer centric, Bank conducts customer meet on a specified dates across all its branches on quarterly basis whereby customers are given an overview of the performance of the Bank as well as highlight of the product and services introduced and also feedback suggestion obtained from the customer is recorded online and acted upon.

4. As a customer service measure under e-Banking product, SMS alert facility has been put to extensive use for enabling customers to remain well informed on the status of the account maintenance and fulfillment of service requests. Besides, Bank has also introduced self-user creation facility, which facilitates online registration for internet banking to retail and individual customers. Many new features like fund transfer to other bank accounts bill payment, shopping etc are added to e-banking product. Bank has introduced a system of registering all loan applications and registration number is allotted to the applicants whereby the applicants can track the status of their loan application.

5. As one point reference, Call Centre has been established at Data Centre, Powai in Mumbai to provide 24x7 helpline services to customers like hot listing of cards, standing instructions, transfer of funds, enquiries on different loan and deposit products etc.

6. Bank is committed to TAT for delivery of specialized banking products services specifically with regard to issuance of multi city cheque books, clearing collection time and counter services. These are monitored to ensure delivery as per time norms.

7. The concept of Lobby Banking is a step towards effectively servicing the transaction needs of the customer and relationship value with the appropriate use of technology and infrastructure of a branch. It provides facilities like self-passbook printing, cheque drop box with acknowledgement and such other customer friendly features. Lobby banking facility is now operational at 23 branches. Efforts are continued to extend this facility at more centers.

8. Centralized pension payment for Central Civil Pensioners as well as Defence pensioners has been introduced to facilitate prompt and timely disbursement of pension.

9. Bank will remain alert and sensitive to customer complaints by using it as a tool for removing deficiencies in services at all level. In order to bring more transparency towards Bank s commitment to customers, the policies relating to Grievance Redressal mechanism and compensation are reviewed from time to time taking into account the increasing touch points where standard of customer service get impacted significantly. Hence all the delivery channels viz. ATMs, Mobile, Phone and Internet Banking are given due importance in redressing shortcomings based on customer feedbacks. Channels like Call Centre, Online Grievances are given added focus both in receiving as well as redressing customer grievances.

REACH

1. Rapid branch expansion is one of the key thrust areas of the Bank. During the year, Bank has added 247 new branches. The concentration of the branches are well distributed among metro, urban, semi-urban, and rural. Bank has a branch in Hong Kong and has five representative offices.

Chart 8: Branch Reach & Branch Mix

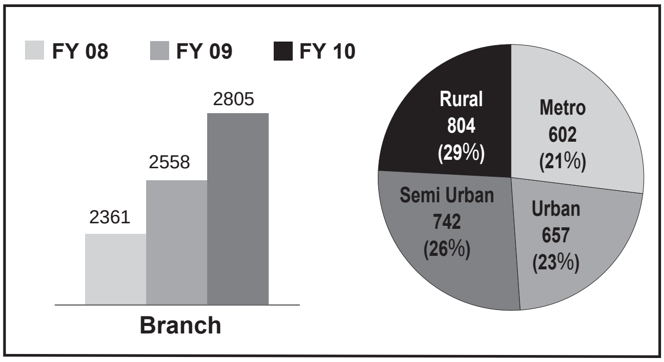

Chart 9: Geographical distribution of branches and its contribution towards business

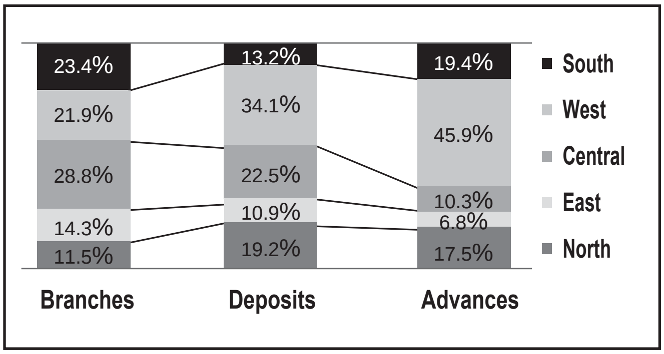

OPPORTUNITIES

1. Retail Segment: The demographic shift towards younger generation their rising disposable income and changing attitude with growing banking needs will augur well for sustainable growth. The low penetration of retail product compared to Asian peers reflects opportunity. This brings in opportunity for new market or new business and launching innovative product.

2. Rural Market: The larger fractions of people are dependent on rural economy that is also countercyclical in nature. The market under-penetrated.

3. Talent Pool: The pool of highly skilled and specialized human resource will add to productivity enhancement and improved quality

4. Technology: It comes with a package of assured quality, efficiency and higher customer satisfaction.

THREATS

1. The slower economic recovery rate, increasing public debt and depleting customer sentiment in the advance countries may render negative cues to overall financial system. The domestic economy also faces certain downside risks. The revival in growth of agriculture during 2010-11 hinges on the assumption of normal monsoon, which entails the usual uncertainties. Secondly, investment demand is still much below the rate of growth in the pre-global crisis period and the private consumption demand needs to gain significant momentum. The global economic recovery is still weak and thus has implications for sustaining the growth in Indian exports.

2. The growth also runs the risk of rising inflation, which may push costs through demand for higher wages and increase in input costs. The volatility in oil and food prices which commands a good fraction of WPI weight, may create unfavorable fluctuation in interest rate. The higher inflation and tight monetary policy may hamper the consumption. On demand side, revival in private consumption demand coupled with revival in growth of credit and money supply may also exert pressure on inflation.

OUTLOOK

1. There is a marked improvement in the business sentiment and prospects for further acceleration in economic activities appear stronger. The broad fiscal and monetary policies in India are focused towards achieving a fine balance between emerging growth indicators and build up of inflationary expectations. The proposals of Union Budget 2010-11 are growth inducive while a clear direction towards fiscal consolidation is laid down. This is supported by RBI s policy stance of enabling credit expansion at viable rates while preserving credit quality and supporting the economy to return to a high growth path. The early estimates suggest a normal monsoon during 2010-11 and industry and services sectors are expected to continue with the growth momentum. India s GDP growth for FY11 is pro ected at 8.0% with upward bias. Given the strength in macroeconomic fundamentals coupled with strong domestic demand, India is expected to remain an attractive foreign investment destination. The banking sector will be the key facilitator and beneficiary of India s growth.

2. Your Bank is geared to continue with the growth momentum, well supported by the efficient resource mobilization and its gainful deployment. The Nav Nirman initiatives are expected to further enhance the customers experience through best in class products and services offering value for money, committed turn-around time, accessibility (choice of channels) and transparency.

CORPORATE GOVERNANCE REPORT

1. BANK'S PHILOSOPHY ON CORPORATE GOVERNANCE

1.1 Union Bank of India has a tradition of good corporate governance practices. The Bank has laid emphasis on the cardinal values of fairness, transparency and accountability for performance at all levels, thereby enhancing the shareholders value and protecting the interest of the stakeholders.

1.2 The Bank considers itself as trustee of its shareholders and acknowledges its responsibility towards them for creation and safeguarding shareholders wealth. During the year under review, the Bank continued its pursuit of achieving these ob ectives through adoption and monitoring of corporate strategies, prudent business plans, monitoring of ma or risks of the Bank s business and pursuing policies and procedures to satisfy its legal and ethical responsibilities.

During the year, the bank had been selected as one of the Top 25 companies in India for Excellence in Corporate Governance practices by The Institute of Company Secretaries of India partnering with Ministry of Corporate Affairs, Govt. of India. The selection criteria for this award included best Board Systems and Procedures, Board Governance, Transparency and Disclosures, Stakeholder Value Enhancement, Corporate Social Responsibility, Creative and Contributive Capabilities of Top Management, Future Vision and other good corporate governance initiatives.

2. BOARD OF DIRECTORS

2.1 The composition of the Board of Directors is governed by the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. As on 31 03 2010, the Board comprised of three whole-time Directors viz. Chairman & Managing Director and two Executive Directors appointed by the Government of India besides eight Part-time Non-Executive Directors who are eminent personalities from various walks of life. Their rich and varied experience, guide the Bank in its progress and achievements in various spheres.

2.2 The responsibilities of the Board include formulation of policies, new initiatives, performance review and control and sanction of cases falling beyond the powers delegated to various functionaries in the Bank. The Board has constituted various sub-committees and delegated powers for different functional areas. The Board as well as its committees meet at periodical intervals.

3. BOARD/COMMITTEE MEETINGS AND PROCEEDINGS

3.1 Scheduling and Selection of Agenda Items

All Board Committee Members are given notice of the meetings in advance. The meetings are governed by structured agenda. The agenda alongwith the explanatory notes are distributed well in advance.

3.2 Availability of Information to the Members

All items in the agenda are supported by detailed background information to enable the members to make comprehensive review and take informed decisions.

3.3 Recording minutes of the proceedings

Minutes of the proceedings of each Board Committee meetings are recorded. In keeping with good corporate governance principles, the decisions on all agenda items are arrived by general consensus. The minutes of the proceedings of the meetings are entered in the minutes book.

3.4. Follow-up mechanism

The Bank has an effective mechanism for post meeting follow-up, review and reporting process for the actions taken on decisions of the Board and Committees. Action taken report on the decisions minutes of the previous meeting(s) is placed at the succeeding meeting of the Board Committee.

3.5 Compliance

The Board periodically reviews the compliance reports to ensure adherence to all applicable provisions of law, rules and guidelines.

3.6 Code of Corporate Governance

Keeping in view the best practices, the Board has framed a voluntary code of corporate governance. The code helps to inculcate a spirit of good corporate governance right from the top. It basically encompasses and documents the practices followed in the bank in conduct of its duties towards all the stakeholders like

- procedures for Board and its various Committees
- Compliance and monitoring procedures
- relation with shareholders and Customers
- disclosures to public at large
- corporate social responsibility and
- other miscellaneous issues viz, Code of conduct, insider trading, staff matters, vigilance etc.

3.7 Board Meetings

During the year under review 12 Board Meetings were held on the following dates: -

7th May, 2009	8th October, 2009
8th May, 2009	26th October, 2009
15th June, 2009	12th December, 2009
22nd June, 2009	27th January, 2010
23rd July, 2009	4th March, 2010
5th September, 2009	20th March, 2010

The details of attendance of each Director at the Board Meetings, number of other Board Committees, where he is a member or Chairman during the year, details of shareholding and directorship of other companies corporations are furnished hereunder: -

Details of Directors and meetings held during 2009-10

Name of the Director & Category	DOB/ Age (years)	Qualification	No. of Board meetings held during their tenure	Meetings attended	Member of Board Committees	Share holding	Other DirectorShip
Shri M.V. Nair CMD (Executive)	03.03.52 58 yrs	B.Sc.	12	12	MCM, SCR & ALM, DPC, DPC(V), STCB, SCMF, CSCB	Nil	2
Shri T.Y. Prabhu Executive Director (Executive)	30.12.50 59 yrs	B.Com, LLB, CAIIB.	5	5	MCM,ACB, SCR & ALM, SIGC, STCB, CSCB,SCMF	100	1
Shri S.Raman Executive Director (Executive)	07.09.52 57yrs	A Commerce Graduate (B.Com.) from Osmania University (with a Second Rank) followed by an M.A.in Economics from Nagpur University (with First Rank and a Gold Medal). He also holds a Diploma in Business Management and a Senior Diploma in German Language besides CAIIB from the Indian Institute of Bankers and ACIB from the Chartered Institute of Bankers, London.	12	12	MCM,ACB, SCR & ALM, SIGC, STCB, CSCB,SCMF	Nil	2
Shri S.C.Kalia $ Executive Director (Executive)	06.08.51 58 yrs	M.A. (Political Science) Gold Medalist, CAIIB	4	4	MCM,ACB, SCR & ALM, SIGC, STCB, CSCB,SCMF	Nil	1
Shri K.V. Eapen Govt. of India Nominee (Non-executive)	09.09.59 50 yrs	An IAS Officer of the Assam -Meghalaya cadre of 1984 batch and is presently Joint Secretary, (Banking Administration), Department of Financial Services, Government of India, New Delhi. An alumni of St. Stephen s College, University of Delhi, he has a Bachelor of Arts degree and a Post Graduate degree in Economics. He also holds a Post Graduate Diploma in Management from Management Development Institute, Gurgaon and an M.Sc. in Macro Economic Policy and Planning from the University of Bradford, United Kingdom.	12	7	ACB, DPC, DPC(V), SCR & ALM,SCMF, RCB,NCB	Nil	1
Shri K. Sivaraman RBI-Nominee (Non-executive)	19.05.42 68 yrs	M.Sc.(Statistics), CAIIB.	12	12	MCM,ACB, DPC,DPC(V), SCR&ALM, RCB, NCB, CSCB	Nil	Nil
Shri K. S. Sreenivasan # Chartered Accountant (Non-executive) @	26.07.55 54 yrs	B.Com., FCA , Dip. in Computer Applications & Dip. in Information Systems Audit (DISA).	6	6	MCM, ACB, SCR & ALM, SCMF	Nil	Nil
Shri Debasis Ghosh # Officer Employee (Non-executive)	25.12.59 50 yrs	B.Sc.(Hons), M.B.A, Diploma in Computer Science, P.G. Diploma in Marketing Mgmt, CAIIB, Diploma in Rural Development	6	6	MCM, CSCB	Nil	Nil

Name of the Director & Category	DOB/ Age (years)	Qualification	No. of Board meetings held during their tenure	Meetings attended	Member of Board Committees	Share holding	Other DirectorShip
Shri R.R. Nair Shareholder (Non-executive)	02.07.39 70 yrs	M.A., Masters Diploma in Personnel Mgmt from IIT,Diploma in Advance Personnel Mgmt. (UK)	3	1	MCM, ACB, SCMF,CSCB, RCB, SIGC	677	5
Prof. N.L. Sarda Shareholder (Non-executive)	02.05.48 61 yrs.	B.E., M.Tech., PhD.	3	2	MCM , ACB , SIGC, STCB	550	2
Prof. M.S.Sriram Shareholder (Non-executive)	16.05.62 47 yrs.	B.Com., Post Graduate Diploma in Rural Management Fellow (IIMB)	11	9	MCM, SCR & ALM, CSCB, RCB,SCMF, STCB	100	4
Smt. Rani Satish # Part-Time Non-Official (Non-executive)	31.10.48 61 yrs	Post Graduate in Political Science	9	7	MCM, STCB, NCB	Nil	Nil
Shri Ashok Singh Part-Time Non-Official	02.07.53 56 yrs	Graduate in the faculty of Science and a post graduate in Law from Lucknow University.	12	10	MCM, SIGC, SCR&ALM, CSCB	Nil	Nil
Shri N. Shankar Workmen Employee	20.05.58 51 yrs.	B.Sc., ICWA	12	12	MCM, CSCB, STCB	Nil	Nil
Dr. Gulfam Mu ibi Part-Time Non- Official (Non -executive)	27.04.45 64 years	Post Graduate (MA) with a gold medal from Ranchi University. Holds a Ph.D. and LLB degree from Ranchi University	12	12	MCM, CSCB	Nil	Nil
Shri Arun Kumar Nanda $ Shareholder (Non-executive)	13.03.49 61 yrs	B.Com (Hons), Degree in Law (LLB), Fellow Member of Institute of Chartered Accountants of India, Fellow Member of Institute of Company Secretaries of India	8	5	SIGC, RCB	200	18
Shri S. Ravi @ $ Shareholder (Non-executive)	12.07.59 50 yrs	B.Sc, M.Com & FCA Pursuing Ph.D. from the Centre of Management Studies, JMI	8	8	ACB, MCM	600	9

$ Shri Arun Kumar Nanda elected in EGM held on 22.06.2009.

Shri S.Ravi elected in EGM held on 22.06.2009.

Shri S.C. Kalia nominated on the Board w.e.f. 21.11.2009.

@ Chairman of ACB.

The Term as Director of Shri Debasis Ghosh ended on 25.09.2009.

The Term as Director of Shri K.S. Sreenivasan ended on 10.10.2009.

The Term as Director of Smt. Rani Satish ended on 01.01.2010.

MCM – Management Committee of Board
ACB – Audit Committee of Board
SCR&ALM – Supervisory Committee of Directors on Risk & Asset Liability Management
SIGC – Shareholders Investors Grievance Committee of the Board
DPC – Directors' Promotion Committee
DPC (V) – Directors Promotion Committee – Vigilance Non-Vigilance
STCB – Share Transfer Committee of the Board
SCMF – Special Committee of Board of Directors for monitoring cases of frauds of Rs.1 crore and above
CSCB – Customer Service Committee of the Board
RCB – Remuneration Committee of the Board
NCB – Nomination Committee of the Board

3.8 Committee Membership of Directors

Shri Arun Kumar Nanda, Director holds membership chairmanship of Audit Committee or Investor Grievance committees outside the Bank as under:

1. Mahindra & Mahindra Ltd. - Member, Share Transfer & Shareholders Investors Grievance Committee.
2. Mahindra Holidays & Resorts (India) Ltd. -Chairman –Share Allotment Transfer-cum-Investor Grievance Committee.
3. Owens Corning (India) Ltd. - Chairman, Audit committee
4. Mahindra Lifespace Developers Ltd. - Chairman, Investors Grievance & Shareholders Committee.
5. Mahindra Infrastructure Developers Ltd. - Member, Audit Committee.
6. Mahindra World City (Jaipur) Ltd. - Member, Audit Committee.
7. Mahindra Holdings Ltd. - Chairman, Audit Committee

3.9 Inter-se relationship of Directors

None of the Directors is related to each other.

3.10 A brief profile of the new directors inducted on the Board during the financial year 2009-10 is as under:-

Name	Age	Experience	Date of appointment	Expiry date of current term	Other Directorship
Shri Arun Kumar Nanda	60 years	Shri Arun Nanda is a qualified Chartered Accountant, Company Secretary and also a law graduate having more than 35 years experience. Shri Nanda had been Executive Director and President, Infrastructure Development in Mahindra and Mahindra Limited and is also Non Executive Director on the Board of other Mahindra group companies. He has vast experience in compliances, Corporate Governance, investments, strategic planning, identifying new business opportunities and corporate communications. He is the Chairman, Emeritus of the Indo-French Chamber of Commerce, a member of the governing Board of the Council of EU Chambers of Commerce in India, Deputy Chairman "Western Region of CII, Chairman of CII National Committee on Water and a member of the Governing Board of Bombay First." He has been conferred the award of " Chavalier de la Legion d Honneur" (Knight of the National Order of the Legion of Honour) by French President and he has also been awarded the "Real Estate Person of the Year" from GIREM Leadership Awards. He has also been awarded with the "CA Business Achiever Award - Corporate" at The Institute of Chartered Accountants of India Award 2009 and "Lifetime Achievement Award" for his outstanding contribution to the Hospitality Industry and the Service Sector by the Golden Star Awards 2010.	Elected in EGM held on 22.06.2009	21.06.2012	18

Name	Age	Experience	Date of appointment	Expiry date of current term	Other Directorship
Shri S. Ravi	49 years	Shri Ravi is practicing Chartered Accountant apart from being a Science graduate and Masters in Commerce. He had been on the Board of other Public Sector Banks both in the capacity of a Shareholder Director and as appointed by the Central Government under Chartered Accountant Category. He is also on the Board in number of other companies, ma or amongst them are Mahindra Ugine Steel Limited, Bharat Heavy Electricals Limited, IDBI Capital Markets Limited, IDBI Home Finance Limited, UTI Trustee Company P. Ltd., LIC Housing Finance Corporation Ltd., Maharishi Housing Development Corporation Ltd., S. Ravi Financial Management Services Pvt. Ltd., M s Ravi Ra an & Com Pvt. Ltd. He was awarded the Indira Gandhi Solidarity Award for scoring a string of inspiring achievements in chosen Field.	Elected in EGM held on 22.06.2009	21.06.2012	9
Shri S.C. Kalia	58 years	Sh. Kalia assumed charge as Executive Director of Union Bank of India w.e.f November 21, 2009. He was earlier the Executive Director of Vi aya Bank with effect from October 8, 2008. Prior to taking charge at Vi aya Bank, Shri Kalia was General Manager in charge of the Wholesale Banking portfolio at Bank of Baroda s Corporate Centre, Mumbai. A post-graduate gold medalist in Political Science, Shri Kalia has been a professional banker for over thirty five years in various capacities across the country and abroad. While serving Bank of Baroda, he headed its Agra and Bareilly Regions successfully. Widely traveled within and outside the country, Shri Kalia is known for his expertise, especially in credit related matters and international banking. On his promotion as Senior Manager in the year 1990, he was posted to the Bank s Group Control Office in London. He was also in-charge of credit and International Banking Business of Bank s onal Office – Western one in UP. Shri Kalia was the architect of Bank of Baroda s Joint Ventures – Baroda Pioneer Asset Management Company Ltd. and Baroda L & G Life Insurance Company. He was the Chief Executive of Bank s operations in Mauritius and the Board Member of the Supervisory Board of India Advantage Fund sponsored by ICICI Venture Fund. He was also in the Board of Bank of Baroda (Botswana) Ltd., Director on the Board of Directors and Audit Committee of the Board of Erstwhile Bareilly Corporation Bank Ltd., Nainital Bank Limited and Bank of Baroda (Hong Kong) Ltd. Shri Kalia was also the Chairman of Pratapgarh Kshetriya Gramin Bank. Shri Kalia is the recipient of several awards including Banker Shiromani Award and Uttarkashi Award. Shri Kalia is presently a Director on the Board of Union KBC Asset Management Company Ltd., a Joint Venture Company of Union Bank of India and KBC, Belgium.	21.11.2009	31.08.2011	1
Profile of Director inducted in the Board after March 31, 2010					
Shri B. M. Sharma	53 years	Shri B.M. Sharma has been appointed on the Board of the Bank vide notification dated 16th April, 2010 under the clause 9 (3)(g), Chartered Accountant Category of Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 1980. Shri B.M. Sharma is qualified Chartered Accountant practicing for more than 26 years. In addition, he is also qualified Information System Auditor. During his span of experience of over two decades he has handled Concurrent Audit and various other assignments of banks and has gained expertise in the field of Finance, Banking & Taxation.	16.04.2010	15.04.2013	Nil

Name	Age	Experience	Date of appointment	Expiry date of current term	Other Directorship
		Prior to his nomination to Union Bank, Shri Sharma had been on the Board of Vi aya Bank appointed by Central Government under Chartered Accountant Category. Shri Sharma was also a special invitee to Professional Development Committee of the Institute of Chartered Accountants of India during the year 2009. During his association with Professional Development Committee he has worked very closely in the fields of Public Sector Undertakings, Private Equity Financing and Regional Rural Banks.			

3.11 Annual General Meeting:

The Seventh Annual General Meeting of the Shareholders was held on 22nd June, 2009 where the following directors were present:

1.	Shri M. V. Nair	-	Chairman & Managing Director
2.	Shri T. Y. Prabhu	-	Executive Director
3.	Shri S. Raman	-	Executive Director
4.	Shri K. Sivaraman	-	Director
5.	Shri K. S. Sreenivasan	-	Director & Chairman of the Audit Committee
6.	Shri Debasis Ghosh	-	Director
7.	Shri N. Shankar	-	Director
8.	Shri Ashok Singh	-	Director & Chairman of Shareholder Investors' Grievance Committee
9.	Dr. Gulfam Mu ibi	-	Director

*Shri R. R. Nair, Prof. N. L. Sarda and Prof. M. S. Sriram were not eligible to attend the Annual General Meeting as their term was up to 18.06.2009.

Shri K. V. Eapen and Smt. Rani Satish could not attend the Annual General Meeting due to their other preoccupations.

4. COMMITTEES OF THE BOARD

4.1 Audit Committee of Board of Directors (ACB)

4.1.1 Composition:

Pursuant to the directives of Reserve Bank of India, Audit Committee of Board of Directors (ACB) has been constituted with six Directors viz. Executive Directors, Nominees of Govt. of India & Reserve Bank of India and two non-official non-executive directors of which one is a Chartered Accountant. Shri S. Ravi, Independent non-official director and a Chartered Accountant chairs the meetings of the Committee.

4.1.2 Functions

1. ACB provides direction as also oversees the operation of the total audit function in the Bank. Total audit function implies the organization, operationalization and quality control of internal audit and inspection within the Bank and follow-up on the statutory external audit of the Bank and inspection by RBI.

2. ACB reviews the internal inspection audit functions in the Bank i.e., the system, its quality and effectiveness in terms of follow-up. It reviews the inspection reports of specialized and extra-large branches and all branches with unsatisfactory ratings. It also specially focuses on the follow-up of:-

- Inter-branch ad ustment accounts
- Un-reconciled long outstanding entries in inter-Bank accounts and Nostro accounts
- Arrears in balancing of books at various branches
- Frauds
- All other ma or areas of housekeeping.

3. ACB obtains and reviews half-yearly reports from the Compliance Officers appointed in the bank in terms of other guidelines of RBI.

4. Regarding statutory audits, ACB follows up on all the issues raised in the Long Form Audit Reports. It interacts with the external auditors before and after the finalization of annual semi-annual financial accounts and on the audit reports.

5. Audit Committee reviews the accounting policies, related party transactions, Management Discussion and Analysis and Quarterly and Annual Financial Results of the Bank.

6. ACB annually reviews the mechanism for whistle blower as well.

4.1.3 Attendance of ACB Meetings

The Committee met 12 times during the year 2009-10 and attendance details are as follows:-

Name of the Director	No. of Meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri T.Y. Prabhu, ED	4	4
Shri S. Raman, ED	12	12
Shri S.C. Kalia, ED	6	6
Shri K.V. Eapen, Govt. Nominee	12	8
Shri K. Sivaraman, RBI Nominee	12	11
Shri K.S. Sreenivasan, Non Official Director, Chartered Accountant Category (Chairman ACB)	5	5
Shri R.R. Nair, Shareholder Director	1	1
Shri S. Ravi (Chairman ACB)	9	9
Prof. M.S. Sriram	7	7

4.2 Management Committee of the Board (MCB)

4.2.1. Composition:

Pursuant to the amendments made by Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) Banking Division vide Notification dated 19th February, 2007 to the Nationalised Bank s (Management & Miscellaneous Provisions Scheme) 1970 and further amendment upto 29th June 2007, the Management Committee now consists of Chairman & Managing Director, Executive Director s, RBI nominee Director, a Chartered Accountant nominated by the Central Government under Section 9(3)(g) who function as regular member of the Committee and three other Non-Executive Directors under Section 9(3)(e),(f),(h) & (i) nominated by the Board for a period of six months each on rotation basis. The Chairman & Managing Director is the Chairman of the meeting.

4.2.2. Functions

Pursuant to the directives of Ministry of Finance, Government of India, Management Committee of Board is constituted by the Board of Directors for considering various business matters viz. sanctioning of credit proposals, loan compromise write-off proposals, approval of capital and revenue expenditure, acquisition and hiring of premises, investments, donations etc.

4.2.3. Attendance of MCB Meetings

During the year 20 meetings of Management Committee were held and attendance details are as under: -

Name of the Director	No. of Meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri M. V. Nair, CMD	20	20
Shri T. Y. Prabhu, ED	8	8
Shri S. Raman, ED	20	20
Shri S. C. Kalia, ED	7	7
Shri K. Sivaraman, RBI Nominee	20	19
Shri K. S. Sreenivasan, Non-Official Director, CA Category	11	11
Shri R. R. Nair, Shareholder Director	4	1
Prof. N. L. Sarda, Shareholder Director	3	2
Prof. M. S. Sriram, Shareholder Director	10	9
Dr. Gulfam Mu ibi, Non -Official Director	10	8
Shri Debasis Ghosh, Officer Employee Director	6	5
Shri Ashok Singh, Part-time, Non-Official Director	10	9
Smt. Rani Satish, Part-time, Non-Official Director	4	4
Shri N. Shankar, Workmen Employee Director	7	7
Shri S. Ravi, Shareholder Director	5	4

4.3 Supervisory Committee of Directors on Risk & Asset Liability Management (SCR & ALM)

4.3.1. Composition:

The Committee consists of the following members of the Board of Directors: Chairman & Managing Director, Executive Directors, Nominees of Reserve Bank of India & Government of India and two Non-Executive Directors. The Chairman & Managing Director is the Chairman of the Committee.

4.3.2. Functions:

The Bank has constituted a Supervisory Committee of Directors on Risk and Asset Liability Management to supervise the functions of Risk and Asset Liability Management in the Bank. It is responsible for identifying, evaluating and monitoring the overall risks faced by the Bank.

4.3.3. Attendance of SCR & ALM Meeting

The Committee met 5 times during the year and attendance details are as under: -

Name of the Director	No. of Meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri M. V. Nair, CMD	5	5
Shri T. Y. Prabhu, ED	2	2
Shri S. Raman, ED	5	5
Shri S. C. Kalia , ED	2	2
Shri K. V. Eapen, Govt. Nominee	5	3
Shri K. Sivaraman, RBI Nominee	5	5
Shri K. S. Sreenivasan, Non-Official Director	3	3
Prof. M. S. Sriram, Shareholder Director	5	5
Shri Ashok Singh, Part-time Non-Official Director	5	4

4.4 Shareholders' / Investors' Grievance Committee of the Board (SIGC)

4.4.1 Composition:

The Shareholders Investors Grievance Committee consists of Executive Directors and two Non-executive Directors. The Chairman of the Committee is Shri Ashok Singh, an independent Non-executive director.

4.4.2 Functions:

Pursuant to clause 49 of the Listing Agreement, a Shareholders Investors Grievance Committee of the Board (SIGC) has been constituted by the Board to look into the redressal of shareholders and investors complaints regarding transfer of shares, non-receipt of refund orders, share certificates, dividends etc.

4.4.3 Attendance of SIGC

The Committee met 4 times during the year and attendance details are as under:-

Name of the Director	No. of Meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri T. Y. Prabhu, ED	1	1
Shri S. Raman, ED	4	4
Shri S. C. Kalia, ED	2	2
Prof. N. L. Sarda, Shareholder Director	1	1
Shri R. R. Nair, Shareholder Director	1	-
Shri Ashok Singh, Part-time Non-Official Director (Chairman of SIGC)	4	3
Shri Arun Kumar Nanda, Shareholder Director	3	3

A comparative chart showing number of complaints received, responded and pending for the financial year ended 31.03.2010 vis- -vis 31.03.2009 is as under: -

		For F.Y. ended 31.03.2010	For F.Y. ended 31.03.2009
a.	No. of shareholders complaints pending at the beginning of the year	-NIL-	-NIL-
b.	No. of shareholders complaints received during the year	1,646	1,950
c.	No. of shareholders complaints resolved during the year	1,646	1,950
d.	No. of shareholders complaints pending at the end of the year	-NIL-	-NIL-

Shri. Monika Kalia, Company Secretary has been designated as the Compliance Officer of the Bank for Investor Grievances.

4.5 Share Transfer Committee of the Board (STCB)

4.5.1 Composition:

The committee consists of Chairman & Managing Director and or Executive Directors and any two directors.

4.5.2 Functions:

With a view to effecting speedy transfer of shares, the Bank has constituted a Share Transfer Committee of Board with powers to confirm transfer, transmission, remat and issue of duplicate shares etc.

4.5.3 Attendance of STCB:

During the year, the Committee attended 21 times to the transfer, transmission, remat, and issue of duplicate shares etc.

4.6 Special Committee of Board of Directors for monitoring cases of Fraud of Rs.1.00 crore and above (SCMF)

Special Committee of the Board of Directors for monitoring cases of frauds of Rs. 1 crore and above is constituted as per the guidelines issued by Reserve Bank of India vide RBI 2004.15. DBS.FGV (F) No.1004 23.04.01A 2003-04 dated 14.01.04. At present the Audit Committee of Board of Directors (ACB) is required to oversee the internal inspection, statutory audit, inter branch inter bank accounts and ma or areas of housekeeping etc. The ACB is also required to focus attention on preventive aspects and follow –up action being initiated by the bank on frauds. However, this Special Committee focuses on Monitoring and following up of cases of frauds involving amounts of Rs.1 crore and above exclusively while ACB continues to monitor all the cases of frauds in general.

The functioning of the Special Committee of the Board is reviewed on a half-yearly basis and the reviews are put up to the Board of Directors.

4.6.1 Composition:

The Special Committee is constituted with following members of the Board of Directors.

- Chairman & Managing Director
- Two members from ACB
- Two other members from the Board excluding RBI nominee

4.6.2 Functions:

The ma or functions of the Special Committee would be to monitor and review all the cases of frauds of Rs. 1 crore and above so as to:

- Identify the systemic lacunae if any that facilitated perpetration of the fraud and put in place measures to plug the same.
- Identify the reasons for delay in detection, if any and or reporting to top management of the Bank and RBI.
- Monitor progress of CBI Police Investigation and recovery position.
- Ensure that the staff accountability is examined at all levels in all the cases of frauds and staff side action, if required, is completed quickly without loss of time.
- Review the efficacy of the remedial action taken to prevent recurrence of frauds, such as strengthening of internal controls.
- Put in place other measures as may be considered relevant to strengthen preventive measures against frauds.

4.6.3 Attendance of SCMF

The Committee has held 5 meetings during the year 2009-10 and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of Meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri M.V. Nair, CMD	5	5
Shri T.Y. Prabhu, ED	1	1
Shri S. Raman, ED	5	5
Shri S.C. Kalia, ED	3	3
Shri K. V. Eapen, Govt. Nominee Director	5	4
Shri K.S. Sreenivasan, Non-Official Director under CA Category	2	2
Prof. M.S. Sriram, Shareholder Director	5	4

4.7 Bank's Customer Service Committee of Board of Directors (CSCB)

Customer Service Committee of the Board is constituted as per the guidelines issued by Reserve Bank of India. It was constituted in terms of Reserve Bank of India, DBOD circular dated 14th August 2004.

4.7.1 Composition:

The Committee Comprises of eight members as under:

- Chairman & Managing Director Executive Directors
- Two Directors representing the interest of shareholders
- One Director nominated by Government of India
- One Director nominated by the Reserve Bank of India
- One additional Director
- Two representatives of Customers as special invitees

4.7.2 Functions

The Committee is undertaking the following tasks:

- To make suggestion on improving the quality of services.
- To review the implementation of the existing policies and procedures with a view to rationalize and simplify them and to suggest appropriate incentives to facilitate changes on an ongoing basis.
- To oversee the functioning of the Adhoc Committee of the Bank including compliance with recommendations of the Committee on Procedures and Performance Audit on Public Service (CPPAPS) set up by Reserve Bank of India.

4.7.3 Attendance of CSCB

The Committee met 3 times during the year 2009-10 and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of Meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri M.V. Nair, CMD	3	3
Shri S. Raman,ED	3	3
Shri S.C. Kalia, ED	2	2
Shri K Sivaraman, RBI Nominee Director	3	3
Prof. M.S. Sriram, Shareholder Director	3	3
Shri Debasis Ghosh, Officer Employee Director	1	1
Shri N.Shankar, Workmen Employee Director	3	3
Smt. Rani Satish, Non Official Director	1	1
Dr. Gulfam Mu ibi, Non Official Director	2	1
Shri Ashok Singh, Non Official Director	1	1

4.8 Remuneration Committee of Board (RCB)

Government of India (GOI) Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Banking Division) vide their communication F.No. 20 1 2005-BO.I dated 9th March 2007 has announced a scheme of Performance Linked Incentive to the whole-time Directors of Public Sector Banks (PSBs). As per GOI communication, a Sub-committee of the Board of Directors called "Remuneration Committee" has been formed.

4.8.1 Composition:

- Government Nominee Director
- RBI Nominee Director
- Two other Directors

4.8.2 Functions:

To decide upon the performance linked incentive to be paid to the whole-time Directors of the Banks in terms of the above mentioned GOI guidelines.

4.8.3 Attendance of RCB

The Committee met One time during the year 2009-10 and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of Meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri K.V. Eapen, Govt. Nominee	1	1
Shri K Sivaraman, RBI Nominee	1	1
Prof. M.S. Sriram, Shareholder Director	1	1
Shri Arun Kumar Nanda, Shareholder Director	1	1

4.9 Nomination Committee of Board (NCB)

In exercise of the powers conferred by sub-sections (3AA) and (3AB) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 1980 (as amended in 2006), the Reserve Bank of India has laid down specific 'Fit and Proper criteria to be fulfilled by the persons being elected as directors on the Boards of the Nationalised Banks. RBI has issued circular DBOD No.BCNo.47 29.39.001 2007-08 dated November 1, 2007 on 'Fit and Proper criteria for elected directors on the Boards of Nationalised Banks.

Banks are required to constitute Nomination Committee to undertake process of due diligence to determine the fit and proper status of existing elected directors under section 9 (3) (i) of the Act. Accordingly, the Bank has formed a Nomination Committee of the Board.

4.9.1 Composition:

- Government of India nominee Director
- RBI Nominee Director
- Non-Executive Director

4.9.2 Functions:

- To undertake the due diligence exercise afresh and examine the 'Fit and Proper status of the elected director.
- To ensure whether non-adherence to any of the criteria such as (i) Educational Qualification (ii) Experience and Field of expertise (iii) Track record and integrity, would hamper the existing elected director proposed candidate from discharging the duties as a director on the Board of the Bank. Further, the candidate coming to the adverse notice of any authority regulatory agency or insolvency or default of any loan from any Bank or any Financial Institution would make the candidate unfit and improper to be a director on the Board of the bank.
- Based on the signed declaration, Nomination Committee should decide on the acceptance or otherwise of the candidate and make references, where considered necessary to the appropriate authority persons, to ensure their compliance with the requirements indicated.

4.9.3 Attendance of NCB

The Committee met 2 times during the year 2009-10 and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of Meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri K.V. Eapen, Govt. Nominee	2	2
Shri K Sivaraman, RBI Nominee	2	2
Smt Rani Satish	2	2

4.10 Directors Promotion Committee (DPC)

4.10.1 Composition:

- Chairman and Managing Director
- Government of India nominee Director
- RBI Nominee Director

4.10.2 Functions:

The Committee considers candidates for promotions to Top Executive Grade Scale VII as well as representation of officers against non selection non approval to Top Executive Grade Scale VII, besides considering cases for continuation in service in respect of officers in Top Executive Grade.

4.10.3 Attendance of DPC

Name of the Director	No. of Meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri M. V. Nair, CMD	1	1
Shri K. V. Eapen, Govt. Nominee	1	1
Shri K. Sivaraman, RBI Nominee	1	1

4.11 Directors Promotion Committee – Vigilance/Non-vigilance

4.11.1 Composition:

- Chairman and Managing Director
- Government of India nominee Director
- RBI Nominee Director

In addition, the Executive Directors also participate as special invitees in these meetings.

4.11.2 Functions:

The Committee reviews Vigilance, Non-Vigilance disciplinary cases and departmental enquiries on a quarterly basis.

4.11.3 Attendance of DPC –Vigilance/Non-vigilance

The Committee has held 4 meetings during the year 2009-10 and attendance details are as under:

Name of the Director	No. of Meetings held during their tenure	No. of meetings attended
Shri M. V. Nair, CMD	4	4
Shri K. V. Eapen, Govt. Nominee	4	3
Shri K. Sivaraman, RBI Nominee	4	4

5. GENERAL BODY MEETINGS

The details of the General Body Meetings of the Shareholders held during last 3 years are given below:

Nature of Meeting	Date & Time	Venue
Fifth Annual General Meeting	22nd June, 2007 at 4.00 p.m.	Rama Watumull Auditorium, K C College, Dinshaw Wacha Road, Churchgate, Mumbai – 400 020.
Sixth Annual General Meeting	25th June, 2008 at 4.00 p.m.	Rama Watumull Auditorium, K C College, Dinshaw Wacha Road, Churchgate, Mumbai – 400 020.
Extra Ordinary General Meeting for election of Shareholder Directors	22nd June, 2009 at 10.30 a.m.	Rama Watumull Auditorium, K C College, Dinshaw Wacha Road, Churchgate, Mumbai – 400 020.
Seventh Annual General Meeting	22nd June, 2009 at 4.00 p.m.	Rama Watumull Auditorium, K C College, Dinshaw Wacha Road, Churchgate, Mumbai – 400 020.

No special resolutions were put through in the above said General Meetings.

6. DISCLOSURES

The Bank is governed by the Banking Regulations Act 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. SEBI has clarified that for listed entities which are not companies, but body corporates (e.g. private and public sector banks, financial institutions, insurance companies etc.) incorporated under other statutes, clause 49 of the listing agreement will apply only to the extent that it does not violate their respective statutes and guidelines issued by the relevant regulatory authorities. Keeping in view the above, it is stated that the Bank is complying with all the applicable mandatory requirements of Clause 49 of the Listing Agreement. Compliance with respect to non-mandatory requirements under the said clause is also given in this report. The other disclosure requirements stipulated by the clause are as under:

i. Remuneration of Directors

The remuneration including traveling and halting expenses to Non-Executive Directors is being paid as decided by the Central Government in consultation with RBI from time to time in terms of clause 17 of Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970.

The Chairman & Managing Director & Executive Directors are being paid remuneration and reimbursement of traveling & halting expenses as per the rules framed by Government of India in this regard. Other terms and conditions of the appointment of whole -time directors are as per clause 8 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. The details of the same are given in the notes to accounts.

ii. Disclosure of Material Transactions and Pecuniary Relationship

Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant transaction with its promoters, directors or the management, their subsidiaries or relatives etc. that may have potential conflict with the interests of the Bank at large. There was no pecuniary relationship or transactions of the non-executive director vis- -vis the bank during the year.

It is an established practice in the Bank that Directors do not take part in the deliberations of the Board and other Sub-Committees of the Board, when matters relating to them or to their relatives firms companies in which they are interested are discussed.

iii. Proceeds From Public issues, Right issues, Preferential issues etc.

During the year under review the Bank has not increased its equity capital by way of Public Right Issue or Preferential issue of Equity Shares. However, the Bank issued Non Convertible Bonds in the nature of Promissory Notes (Tier I & II capital) from time to time. The relevant details are mentioned in para 8.2 of the report. The funds were raised with the primary ob ective of augmenting Tier-II Capital for strengthening Capital Adequacy Ratio and for improving the long- term resources of the Bank and the same were utilised for the said purpose.

iv. Penalties or Strictures

No penalties or strictures were imposed on the Bank by any of the Stock Exchanges, SEBI or any Statutory Authority on any matter relating to Capital Markets during the last three years.

v. Whistle Blower Policy

The Bank has put in place the Whistle Blower Policy. The Audit Committee periodically reviews the functioning of the said policy. It is further stated that no employee has been denied access to the Audit Committee.

vi. Management Discussion and Analysis

The same has been given separately in the Annual Report.

7. MEANS OF COMMUNICATIONS

The quarterly, half-yearly and annual financial results of the Bank were published in leading newspapers including Financial Express (English), Free Press Journal (English), Navbharat (Hindi) and Navshakti (Marathi). The results are simultaneously displayed on the Bank s website- www.unionbankofindia.co.in. Similarly, the press releases issued by the Bank, related

presentations, shareholding pattern, quarterly and annual results etc. are also simultaneously placed on bank s website.

The Bank has been filing information statements and reports on corpfiling@irisindia.ne as well.

8. SHAREHOLDERS' INFORMATION

8.1 The Bank is a Scheduled Commercial Bank with its Head Office at Mumbai. The Bank has its presence in different parts of the country with a network of 2,805 (including one Branch at Overseas) Branches as on March 31, 2010.

8.2 The Bank s shares are listed on the Stock Exchange, Mumbai and the National Stock Exchange and its stock scrip code is as follows: -

The Stock Exchange Mumbai (BSE)	532477
The National Stock Exchange (NSE)	UNIONBANK-EQ

The annual listing fee for the financial year 2010-11 has been paid to the Stock Exchanges before 30.04.2010.

The Bank has issued Non Convertible Bonds in the nature of Promissory Notes (Tier I & II capital) from time to time. The relevant details thereof as on March 31, 2010 are as under:

SERIES	Size (Rs. in Cr)	Date of Allotment	Maturity Date	Coupon Rate % (p.a.)	ISIN NO.
V	400	07.03.2003	07.04.2010	6.90	INE692A09050
VI	250	03.09.2003	03.05.2013	5.95	INE692A09068
VII	450	08.02.2005	08.05.2015	7.15	INE692A09076
VIII-FLOATING	200	23.09.2005	23.04.2012	BENCH+ 55 BPS	INE692A09092
VIII-FIXED	600	23.09.2005	23.04.2015	7.45	INE692A09084
IX	200	19.05.2006	19.05.2016	8.33	INE692A09100
X-Ist TRANCHE	300	10.10.2006	PERPETUAL	9.45 UPTO 10YRS STEP UPTO 9.95 AFTER 10TH YR	INE692A09118
X-IInd TRANCHE UPPER TIER –II	750	16.10.2006	15YRS WITH CALL AT 10TH YR	8.95 WITH STEP UPTO 9.45 AFTER 10th YR	INE692A09126
XI – LOWER TIER – II, –Ist TRANCHE	400	12.12.2007	12.04.2018	9.35	INE692A09134
XI –UPPER TIER I, –1st TRANCHE	200	12.12.2007	PERPETUAL	9.90 UP TO 10 YRS STEP UP TO 10.40 FROM 10th YR	INE692A09142
XII PERPETUAL	200	09.09.2008	PERPETUAL	11.15% UP TO 10 YRS STEP UP TO 11.65 FROM 10TH YR, IF CALL OPTION NOT EXERCISED	INE692A09159
XII LOWER TIER II	400	17.09.2008	17.09.2018	10.95	INE692A09167
XII LOWER TIER II	200	23.12.2008	23.12.2018	9.50	INE692A09175
XII LOWER TIER II	200	30.12.2008	30.12.2018	8.60	INE692A09183
XII PERPETUAL	140	30.03.2009	PERPETUAL	9.10 UP TO 10 YRS STEP UP TO 9.60 FROM 10TH YR, IF CALL OPTION NOT EXCERISED	INE692A09191
XIV-A UPPER TIER II	200	16.06.2009	PERPETUAL	8.85% UP TO 10YRS STEP UP TO 9.35% FROM 10TH YR, IF CALL OPTION NOT EXCERSIED	INE692A09209
XIV-B UPPER TIER II	500	25.06.2009	15 YEARS 25.06.2024	8.65% UP TO 10YRS STEP UP TO 9.15% FROM 10TH YR, IF CALL OPTION NOT EXCERSIED	INE692A09217
XIV-C UPPER TIER II	500	27.01.2010	15 YEARS 27.01.2025	8.55% UP TO 10YRS STEP UP TO 9.05% FROM 10TH YR, IF CALL OPTION NOT EXCERSIED	INE692A09225
TOTAL	**6090**				

All these bonds are listed on National Stock Exchange of India Ltd and the Bank has paid the Annual listing fee for 2010-11 to the Stock Exchange before 30.04.2010.

8.3 Dividend

A dividend of 55% i.e. Rs.5.50 per share has been recommended by the Board of Directors for the financial year 2009-10 in their meeting held on 06.05.2010.

8.4 Particulars of AGM & Financial Calendar

8.4.1 Particulars of AGM

Board Meeting for considering Accounts and Dividend	6th May, 2010
Date, Time & Venue of AGM	2nd July, 2010 at 4.00 p.m. at **Rama Watumull Auditorium,** K C College, Dinshaw Wacha Road, Churchgate, Mumbai –400 020.
Posting of Notices of AGM and Annual Report	On or before 5th June, 2010
Dates of Book Closure	26th June, 2010 to 2nd July, 2010 (both days inclusive) for payment of dividend
Date of payment of dividend	On or before 9th July, 2010

8.4.2 Financial Calendar

Our tentative calendar for declaration of results for the financial year 2010-11 is given below:

Financial Results	Likely release of results
For the quarter ending June 30, 2010	July 22, 2010
For the quarter ending September 30, 2010	October 22, 2010
For the quarter ending December 31, 2010	January 22, 2011
For the year ending March 31, 2011	May 06, 2011

8.5 Share Transfer System and Redressal of Investors' Grievances

The Bank ensures that all transfer of shares are duly effected within the period of one month from the date of their lodgement with proper documents. The Bank has constituted the Share Transfer Committee of Board to consider the transfer of shares and other related matters.

Share Transfer and all other investor related activities are attended to and processed at the office of the Registrar & Transfer Agent, Datamatics Financial Services Ltd., Mumbai. The shareholders may lodge their transfer deeds and any other documents, grievances and complaints to the Registrar & Transfer Agent at the following address. The Bank has also established Investor Services Division at their Head Office, Mumbai. The shareholders may contact Company Secretary, Investor Services Division for any of their complaint grievances. investorservices@unionbankofindia.com is the designated e-mail ID in terms of clause 47 (f) of the listing agreement.

Registrar & Transfer Agent
Datamatics Financial Services Ltd.
Plot No.A-16&17,
Part B, Crosslane, MIDC,
Andheri (E),
Mumbai-400 093.
Tel-(022) 66712151-60
Fax-(022) 66712230
E-mail: ubiinvestors@dfssl.com

Investor Services Division
Union Bank of India
12th Floor, Central Office,
239, Vidhan Bhavan Marg,
Nariman Point,
Mumbai-400 021.
Tel-(022) 22896643 36
Fax-(022) 22025238
E-mail: investorservices@unionbankofindia.com

Also, the bank has placed a list of frequently asked questions about investor services like change of details, transfer transmission and issue of duplicate shares dividend warrants on its website, the same can be checked for easy understanding of procedures and documentation.

8.5.1 Other communications

In addition to timely responses to the queries of the shareholders, the bank proactively sends a half yearly communication to the shareholders to promote good investors relations:

The set of communication sent this year was focused on following areas:

i. Half-yearly performance
ii. Claiming unpaid dividends and updation of bank details Dividend Mandate Form

8.6 Dematerialisation of shares

The Bank s shares are traded compulsorily in Demat form only. The Bank has entered into agreements with both the Depositories viz. National Securities Depositories Ltd. (NSDL) and Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) for dematerialisation of the Bank s shares. The ISIN code allotted to the Bank s Equity Shares is **INE692 A01016.** Therefore, it is requested that the shareholders holding the shares in physical mode may get their shares dematerialized in their own interest as it will save them from safe custody of the share certificates which at times may lead to loss mutilation of share certificates. Besides, this would also provide them instant liquidity as the shares of the Bank can only be traded in demat form. This would also result in easy and faster collection of dividend payments.

Particulars of shares in Demat and Physical form held by the shareholders as of 31 03 2010 are as under:-

	No. of share holders	No. of shares	% shareholding
Physical	73,837	1,67,76,795	3.32
Demat			
NSDL	79,909	19,47,12,323	38.55
CDSL*	53,786	29,36,28,782	58.13
Total	**2,07,532**	**50,51,17,900**	**100.00**

*Includes 28,00,00,000 shares held by Govt. of India.

Further, in pursuance of the circular issued by SEBI, a practicing Chartered Accountant Company Secretary has also conducted Secretarial Audit on a quarterly basis. During the course of secretarial audit no discrepancy in updation maintenance of the Register of Members or processing of demat requests was found and the capital held in physical mode and demat mode tally with the issued capital.

8.7 National Electronic Clearing Service / Direct Credit to Union Bank Account

SEBI has made it mandatory for all the listed companies to use the Bank Account details furnished by the Depositories for distribution of dividend through National Electronic Clearing Service (NECS) to the investors, wherever NECS facility is available. In the absence of NECS facility, the Bank shall print the Bank Account details, if available, on payment instruments for distribution of dividend to the investors.

In addition to above, the Bank has also provided facility of credit of dividend amount by way of-

Direct Credit of dividend amount to the account of the shareholders having their account with Union Bank of India.

The dividend mandate form is available on the website of the Bank www.unionbankofindia.co.in and is also enclosed in this Annual Report as well.

8.8 Market Price, Volume of shares traded in Stock Exchanges

Months	BSE			NSE			BSE Sensex	
	High (Rs.)	Low (Rs.)	Volume (Nos.)	High (Rs.)	Low (Rs.)	Volume (Nos.)	High	Low
April '09	175.70	142.90	3521013	175.80	140.90	18370571	11492.10	9546.29
May '09	222.00	156.70	9576664	222.00	151.00	43267104	14930.54	11621.30
June '09	248.50	204.00	4190576	249.30	190.55	29518267	15600.30	14016.95
July '09	264.90	218.00	5088411	265.70	217.65	25394570	15732.81	13219.99
August '09	237.00	201.10	3210535	237.00	200.10	14900477	16002.46	14684.45
September'09	252.70	211.30	4513336	252.45	210.65	15365198	17142.52	15356.72
October '09	281.75	232.50	4825379	281.90	232.30	22380243	17493.17	15805.20
November '09	291.40	240.00	2622572	291.50	239.50	14059129	17290.48	15330.56
December '09	289.25	255.00	2193741	289.50	255.00	13148806	17530.94	16577.78
January '10	275.90	247.95	1900857	276.00	247.80	12063697	17790.33	15982.08
February '10	264.50	237.00	1697603	264.85	236.80	10425348	16669.25	15651.99
March '10	299.70	252.35	2343987	300.00	253.70	16073698	17793.01	16438.45
As on 31 3 2010 Closing price	292.95			292.30				
Market Capitalization	14797.43 crore			14764.60 crore				

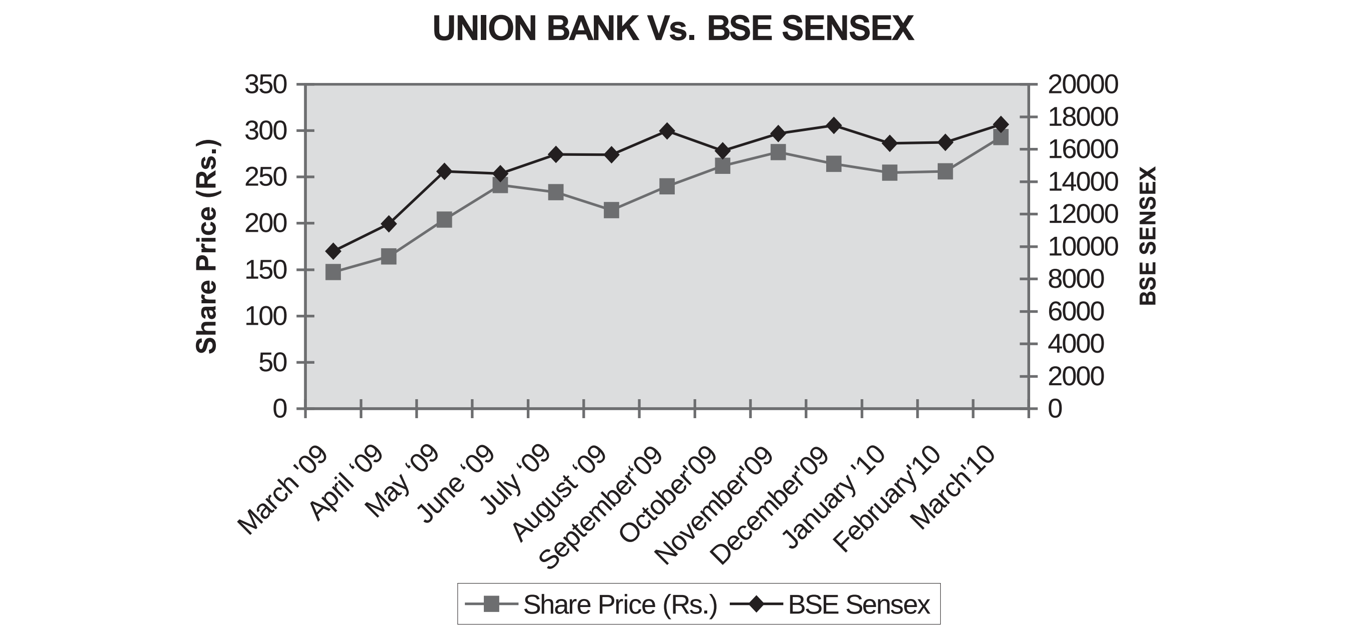

8.9 Distribution of Shareholding

The Government s shareholding in the Bank is 28 crore shares aggregating to Rs.280 crores in the total issued capital of Rs.505.12 crores. The distribution of shareholding as of 31 03 2009 and as of 31 3 2010 is as under

	As of 31/03/2009				As of 31/03/2010			
Shareholding	**No. of share-holders**	**% to total**	**No. of shares**	**% to total**	**No. of share-holders**	**% to total**	**No. of shares**	**% to total**
upto 500	202332	89.22	31273184	6.19	185331	89.30	28611927	5.66
501 to 1000	19513	8.60	12654580	2.51	17733	8.54	11497917	2.28
1001 to 2000	3324	1.47	4528241	0.90	2992	1.44	4065467	0.81
2001 to 3000	632	0.28	1570262	0.31	556	0.27	1370111	0.27
3001 to 4000	232	0.10	819838	0.16	182	0.09	642871	0.13
4001 to 5000	104	0.05	484583	0.09	99	0.05	456295	0.09
5001 to 10000	223	0.10	1595969	0.32	206	0.10	1485166	0.29
10001 & above	408	0.18	452191243	89.52	433	0.21	456988146	90.47
Total	226768	100.00	505117900	100.00	207532	100.00	505117900	100.00

The face value of Bank s share is Rs.10 -. The Bank has not issued any other type of shares such as preferential shares, convertible debentures, etc.

8.10 Shareholding pattern

The shareholding pattern of the Bank s shares as of 31 03 2009 and as of 31 03 2010 was as follows:-

	As of 31/03/2009		As of 31/03/2010	
Category of shareholder	**No. of shares held**	**% to total holding**	**No. of shares held**	**% to total holding**
Govt. of India	28,00,00,000	55.43	28,00,00,000	55.43
Non-Residents (FIIs OCBs NRIs)	7,13,52,568	14.13	8,81,69,325	17.46
Banks Financial Institutions Insurance Cos.	1,70,02,526	3.37	1,98,10,523	3.92
Mutual Funds UTI	6,33,65,363	12.54	4,42,74,751	8.76
Domestic Companies Private Corporate Bodies Trusts	1,81,68,356	3.60	2,32,58,361	4.61
Resident Individuals	5,52,29,087	10.93	4,96,04,940	9.82
Total	**50,51,17,900**	**100.00**	**50,51,17,900**	**100.00**

List of Top 10 Shareholders of the Bank:

The list of top 10 shareholders of the Bank as on 31.03.2010 is as follows:

Sr. No.	Name	No. of shares	% to Capital
1.	President of India	28,00,00,000	55.43
2.	Life Insurance Corporation of India	1,64,31,866	3.25
3.	HDFC Standard Life Insurance Company Limited	1,18,97,624	2.36
4.	LIC of India Money Plus	1,01,21,458	2.00
5.	Variable Insurance Products Fund III – Mid Cap Portfolio	76,99,690	1.52
6.	Merrill Lynch Capital Markets Espana S.A. S.V.	76,63,929	1.52
7.	FID Funds (Mauritius) Limited	54,29,026	1.08
8.	Life Insurance Corporation of India – Profitplus	41,29,038	0.82
9.	ICICI Prudential Life Insurance Company Ltd.	39,11,643	0.77
10.	Sloane Robinson LLP A C SR Global (Mauritius) Limited (Class B – Asia)	38,00,000	0.75
TOTAL		**35,10,84,274**	**69.50**

8.11 Unclaimed /Unpaid Dividend

The amount of dividend remaining unclaimed for a period of seven years from the date of transfer of dividend to the Unpaid Dividend Account shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund. Thereafter, no claim shall lie against the Bank or the said fund in respect of dividend amounts that have been transferred to the said fund. The list of dividends declared so far and the last date for making claim for various dividend accounts are given below:

Period of the Dividend	% of dividend declared	Last date for making claim
Dividend for 2002-03	21%	15.10.2013
Interim Dividend 2003-04	20%	15.10.2013
Final Dividend 2003-04	15%	15.10.2013
Interim Dividend 2004-05	20%	15.10.2013
Final Dividend 2004-05	15%	15.10.2013
Dividend for 2005-06	35%	15.10.2013
Interim Dividend 2006-07	15%	01.02.2014
Final Dividend 2006-07	20%	27.07.2014
Dividend for 2007-08	40%	08.08.2015
Dividend for 2008-09	50%	02.08.2016

The shareholders who have not received or claimed the above dividends till now are requested to make a claim at the earliest to the Registrars or the Investor Services Division of the Bank. A format of indemnity bond in this respect is available on the website of the bank **(www.unionbankofindia.co.in)**

8.12 Unclaimed Shares

As per recent amendments to listing agreements i.e. insertion of Clause 5A i.e. Uniform procedure for dealing with unclaimed shares, the Bank has opened a Demat Suspense Account in March 2010 after completion of procedure as instructed by SEBI. The shares allotted to the applicants at the time of Bank s FPO during 2006 but not credited to their respective demat account due to some technical reasons are controlled in this account. These shares were earlier controlled in Escrow Account opened in the name of the Bank ointly with Registrar and Transfer Agent of the Bank, M s. Datamatics Financial Services Ltd. The details of the shares lying in this account are as follows:

	No. of shareholders	No. of shares
Balance as of 01.04.2009 lying in Escrow Account	275	35,956
Shareholders approached for transfer during the financial year 2009-10	14	2,923
Shareholders to whom shares were transferred during the year 2009-10	14	2,923
Balance as on 31.03.2010 lying in Demat Suspense Account	261	33,033

The voting rights on above mentioned 33,033 shares shall remain frozen till the rightful owner of these shares claims the same.

9. Extent of Compliance with non-mandatory requirements of Listing Agreement

S.No.	Non-Mandatory Requirement	Extent of Compliance
1 (a)	**Board** A non-executive Chairman should be entitled to maintain a Chairman s Office at the company s expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his duties	The Chairman of the Board is an Executive Director appointed by Govt. of India, hence, the clause is **not applicable** as it relates to maintenance of office by a non-executive Chairman.
1 (b)	Independent Directors may have a tenure not exceeding, in the aggregate, a period of nine years, on the Board of a company.	In terms of clause 9 of Nationalised Bank (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the tenure of Elected Directors is fixed as three years with further re-election for another period of three years, provided that no such director shall hold office continuously for a period exceeding six years as against maximum number of nine years stipulated by the clause, hence the same is **complied with.**
2	**Remuneration Committee**	The Bank has formed a remuneration Committee in terms of Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Banking Division) letter no. F.No. 20 1 2005-BO.1 dated 9th March, 2007 to look into performance linked incentive payable to whole-time Directors of the Bank. The Committee comprises of four directors all of whom are non-executive directors. Hence **complied with.**
3	**Shareholder Rights** A half-yearly declaration of financial performance including summary of significant events in last six months, may be sent to each household of shareholders.	**Complied with.**
4	**Audit Qualification** Company may move towards a regime of unqualified financial statements.	There has been no audit qualification during the year under review, hence **complied with**.
5.	**Training of Board members**	The Bank has been updating the Board members on the latest developments through various in-house presentations. In order to enable them to function better, the Bank is also planning to identify reputed institutions where Board members can have interaction with senior faculty and industry persons on related issues. Hence, the requirement is **complied with**.
6	**Mechanism for evaluating non-executive Board Members**	Composition of Board of Directors is regulated by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970. Hence this clause is **not applicable.**
7	**Whistle Blower Policy**	The Bank has a Whistle Blower Policy in place and the functioning of the same is reviewed by the Audit Committee annually. Hence, **complied with.**

10. DECLARATION OF CODE OF CONDUCT

The Board has laid down a Code of Conduct for all the Board Members and Senior Management of the Bank and the same is posted on the website of the Bank. The Board Members and Senior Management have affirmed compliance with the Code of Conduct for the year 2009-10.

For **Union Bank of India**

(M.V. Nair)
Chairman and Managing Director

Place: Mumbai
Date: 31st May, 2010.

To

The Board of Directors
Union Bank of India
Mumbai.

Re: Certificate Under Clause 49 of the Listing Agreement

This is to certify that

(a) We have reviewed financial statements and the cash flow statement for the year (2009-10) and that to the best of our knowledge and belief:

(i) these statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading

(ii) these statements together present a true and fair view of the Bank s affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.

(b) There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.

(c) We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and we have evaluated the effectiveness of the internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of internal controls, if any, of which we were aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

(d) We have indicated to the auditors and the Audit committee -

(i) significant changes in internal control over financial reporting during the year

(ii) significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements and

(iii) instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

For Union Bank of India

(N S Mehta)	**(M.V. Nair)**
General Manager & CFO	Chairman & Managing Director

Place: Mumbai
Date: 6th May, 2010.

TO THE MEMBERS OF UNION BANK OF INDIA

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Union Bank of India for the year ended on 31st March, 2010 as stipulated in Clause - 49 of the Listing Agreement of the said Bank with Stock Exchanges.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the abovementioned Listing Agreement.

We state that no investor grievance is pending for a period exceeding one month against the Bank as per the records maintained by the shareholders Investors Grievances Committee.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For CHANDABHOY & JASSOOBHOY
CHARTERED ACCOUNTANTS

(AMBESH A. DAVE)
PARTNER (M. No. 49289)

For G. D. APTE & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

(CHETAN R. SAPRE)
PARTNER (M. No. 116952)

For JAGANNATHAN & SARABESWARAN
CHARTERED ACCOUNTANTS

(P S NARASIMHAN)
PARTNER (M. No. 20936)

For ARUN K. AGARWAL & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS

(ARUN AGARWAL)
PARTNER (M. No. 082899)

For J. L. SENGUPTA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

(S. R. ANANTHAKRISHNAN)
PARTNER (M. No. 18073)

For OM PRAKASH S. CHAPLOT & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

(MAHAVEER CHAPLOT)
PARTNER (M. No. 403633)

Place : MUMBAI
Date : 6th May, 2010.

AUDITORS' REPORT

To the Members

1. We have audited the attached Balance Sheet of Union Bank of India as at 31st March, 2010, the Profit and Loss Account and Cash Flow Statement annexed thereto for the year ended on that date, in which are incorporated the returns of 19 branches, 1 Treasury Branch, 18 Regional Offices audited by us and 2176 branches, 34 Service Branches and 1 Foreign Branch audited by other auditors, 609 unaudited branches and 84 offices centres, the returns of which are certified by the Branch Manager. The Branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India. These un-audited branches account for 1.09 % of advances, 4.61 % of deposits, 0.55 % of interest income and 3.15 % of interest expenses. These financial statements are the responsibility of the Bank's Management. Our responsibility is to express an opinion based on our audit.

2. We conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material mis-statement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the Management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

3. Sub ect to the limitations of the audit indicated in paragraph 1 above and as required by Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and sub ect to the limitations of disclosure required therein

   We report that

   (a) The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in Forms A' and B' respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

   (b) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and as shown by the books of the bank maintained in accordance with the generally accepted accounting principles in India:

      (i) The Balance Sheet read with the notes thereon and significant accounting policies is a full and fair Balance Sheet containing the necessary particulars, and is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the affairs of the Bank as at 31st March, 2010.

      (ii) The Profit and Loss Account read with the notes thereon and significant accounting policies shows a true balance of the Profit for the year ended 31st March, 2010.

      (iii) The Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended 31st March, 2010.

   (c) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory.

   (d) The transactions of the Bank which have come to our notice have been within the powers of the Bank.

   (e) The returns received from the offices and branches of the Bank have generally been found adequate for the purposes of our audit.

For CHANDABHOY & JASSOOBHOY
CHARTERED ACCOUNTANTS

(AMBESH A. DAVE)
PARTNER (M. No. 49289)
Firm Regn. No.: 101647W

For G. D. APTE & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

(CHETAN R. SAPRE)
PARTNER (M. No. 116952)
Firm Regn. No.: 100515W

For JAGANNATHAN & SARABESWARAN
CHARTERED ACCOUNTANTS

(P S NARASIMHAN)
PARTNER (M. No. 20936)
Firm Regn. No.: 001204S

For ARUN K. AGARWAL & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS

(ARUN AGARWAL)
PARTNER (M. No. 082899)
Firm Regn. No.: 003917N

For J. L. SENGUPTA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

(S. R. ANANTHAKRISHNAN)
PARTNER (M. No. 18073)
Firm Regn. No.: 307092E

For OM PRAKASH S. CHAPLOT & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

(MAHAVEER CHAPLOT)
PARTNER (M. No. 403633)
Firm Regn. No.: 000127C

Place : MUMBAI
Date : 6th May, 2010

BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2010

(000' Omitted)

	Schedule	As on 31.3.2010	As on 31.3.2009
Capital and Liabilities			
Capital	1	**5,05,11,79**	5,05,11,79
Reserves and Surplus	2	**99,18,66,29**	82,35,23,66
Deposits	3	**17,00,39,74,14**	13,87,02,83,25
Borrowings	4	**92,15,30,64**	87,74,89,53
Other Liabilities and Provisions	5	**54,83,01,44**	47,57,42,92
Total		**19,51,61,84,30**	16,09,75,51,15
Assets			
Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	**1,24,68,24,43**	89,92,04,83
Balances with Banks and money at call and short notice	7	**33,08,44,96**	69,92,88,12
Investments	8	**5,44,03,52,71**	4,29,96,96,37
Advances	9	**11,93,15,29,86**	9,65,34,23,21
Fixed Assets	10	**23,05,43,82**	23,35,15,97
Other Assets	11	**33,60,88,52**	31,24,22,65
Total		**19,51,61,84,30**	16,09,75,51,15
Contingent Liabilities	12	**7,23,38,05,14**	8,11,47,09,92
Bills for Collection		**45,65,80,31**	32,31,72,07
Significant accounting policies	17		
Notes on Accounts	18		

The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet

S. K. GUPTA
DY.GEN.MANAGER

N. S. MEHTA
GENERAL MANAGER

S. RAMAN
EXECUTIVE DIRECTOR

S. C. KALIA
EXECUTIVE DIRECTOR

M. V. NAIR
CHAIRMAN &
MANAGING DIRECTOR

K. V. EAPEN
DIRECTOR

K. SIVARAMAN
DIRECTOR

B. M. SHARMA
DIRECTOR

N. SHANKAR
DIRECTOR

ASHOK SINGH
DIRECTOR

DR. GULFAM MUJIBI
DIRECTOR

PROF. M. S. SRIRAM
DIRECTOR

ARUN KUMAR NANDA
DIRECTOR

S. RAVI
DIRECTOR

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE ATTACHED.

For CHANDABHOY & JASSOOBHOY
CHARTERED ACCOUNTANTS

(AMBESH A. DAVE)
PARTNER (M. No. 49289)

For G. D. APTE & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

(CHETAN R. SAPRE)
PARTNER (M. No. 116952)

For JAGANNATHAN & SARABESWARAN
CHARTERED ACCOUNTANTS

(P S NARASIMHAN)
PARTNER (M. No. 20936)

For ARUN K. AGARWAL & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS

(ARUN AGARWAL)
PARTNER (M. No. 082899)

For J. L. SENGUPTA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

(S. R. ANANTHAKRISHNAN)
PARTNER (M. No. 18073)

For OM PRAKASH S. CHAPLOT & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

(MAHAVEER CHAPLOT)
PARTNER (M. No. 403633)

Place : MUMBAI
Date : 6th May, 2010

PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2010

(000' Omitted)

		Schedule	Year Ended 31.3.2010	Year Ended 31.3.2009
i.	**Income**			
	Interest earned	**13**	**1,33,02,67,91**	1,18,89,37,87
	Other Income	**14**	**19,74,74,01**	14,82,55,14
	Total		**1,52,77,41,92**	1,33,71,93,01
ii.	**Expenditure**			
	Interest expended	**15**	**91,10,26,74**	80,75,81,31
	Operating expenses	**16**	**25,07,84,75**	22,14,11,46
	Provisions and contingencies		**15,84,38,56**	13,55,44,96
	Total		**1,32,02,50,05**	1,16,45,37,73
iii.	**Net Profit for the year**		**20,74,91,87**	17,26,55,28
	Add : Profit brought forward		**83,40**	64,95
	Total		**20,75,75,27**	17,27,20,23
iv.	**Appropriations**			
	Transfer to statutory reserve		**6,25,00,00**	5,18,00,00
	Transfer to capital reserve		**1,00,09,05**	2,17,08,28
	Transfer to revenue and other reserves		**5,72,00,00**	2,59,00,00
	Proposed dividend		**2,77,81,49**	2,52,55,89
	Dividend tax		**47,21,46**	42,92,24
	Transfer to foreign currency translation reserve		**0**	80,42
	Transfer to special reserve [sec36(i)(viii)]		**4,52,00,00**	4,36,00,00
	Balance in Profit and Loss Account		**1,63,27**	83,40
	Total		**20,75,75,27**	17,27,20,23
	Earnings per share (basic and diluted)(Rs.)		**41.08**	34.18

The Schedules referred to above form an integral part of the Profit and Loss Account

S. K. GUPTA DY.GEN.MANAGER	**N. S. MEHTA** GENERAL MANAGER	**S. RAMAN** EXECUTIVE DIRECTOR	**S. C. KALIA** EXECUTIVE DIRECTOR	**M. V. NAIR** CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR
K. V. EAPEN DIRECTOR	**K. SIVARAMAN** DIRECTOR	**B. M. SHARMA** DIRECTOR	**N. SHANKAR** DIRECTOR	**ASHOK SINGH** DIRECTOR
DR. GULFAM MUJIBI DIRECTOR	**PROF. M. S. SRIRAM** DIRECTOR	**ARUN KUMAR NANDA** DIRECTOR	**S. RAVI** DIRECTOR	

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE ATTACHED.

For CHANDABHOY & JASSOOBHOY CHARTERED ACCOUNTANTS	**For G. D. APTE & CO.** CHARTERED ACCOUNTANTS	**For JAGANNATHAN & SARABESWARAN** CHARTERED ACCOUNTANTS
(AMBESH A. DAVE) PARTNER (M. No. 49289)	**(CHETAN R. SAPRE)** PARTNER (M. No. 116952)	**(P S NARASIMHAN)** PARTNER (M. No. 20936)
For ARUN K. AGARWAL & ASSOCIATES CHARTERED ACCOUNTANTS	**For J. L. SENGUPTA & CO.** CHARTERED ACCOUNTANTS	**For OM PRAKASH S. CHAPLOT & CO.** CHARTERED ACCOUNTANTS
(ARUN AGARWAL) PARTNER (M. No. 082899)	**(S. R. ANANTHAKRISHNAN)** PARTNER (M. No. 18073)	**(MAHAVEER CHAPLOT)** PARTNER (M. No. 403633)

Place : MUMBAI
Date : 6th May, 2010

SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2010

(000 Omitted)

		As on 31.3.2010		As on 31.3.2009
SCHEDULE 1 - CAPITAL				
I. Authorised :				
300,00,00,000 Equity Shares of Rs.10 each		**30,00,00,00**		15,00,00,00
(P.Y.150,00,00,000 Equity Shares)				
II. Issued, Subscribed & Paid up :				
i. 28,00,00,000 Equity Shares of Rs.10 each, held by Central Government		**2,80,00,00**		2,80,00,00
ii. 22,51,17,900 Equity Shares of Rs.10 each, held by Public		**2,25,11,79**		2,25,11,79
TOTAL		**5,05,11,79**		5,05,11,79
SCHEDULE 2 - RESERVES & SURPLUS				
I. Statutory Reserve :				
As per last Balance Sheet	**26,48,00,00**		21,30,00,00	
Addition during the year	**6,25,00,00**	**32,73,00,00**	5,18,00,00	26,48,00,00
II. Capital Reserve :				
As per last Balance Sheet	**5,04,22,93**		2,87,14,65	
Addition during the year	**1,00,09,05**	**6,04,31,98**	2,17,08,28	5,04,22,93
III. Share Premium :				
As per last Balance Sheet	**5,32,35,57**		5,32,35,57	
Addition during the year	**0**	**5,32,35,57**	0	5,32,35,57
IV. Revaluation Reserve :				
As per last Balance Sheet	**16,85,97,86**		17,24,39,50	
Deduction during the year	**70,00,99**	**16,15,96,87**	38,41,64	16,85,97,86
V. Revenue and other Reserves :				
i) Revenue and other Reserves :				
As per last Balance Sheet	**18,43,00,00**		15,84,00,00	
Addition during the year	**5,72,00,00**		2,59,00,00	
	24,15,00,00		18,43,00,00	
ii) Special Reserve Sec 36(1)(viii)				
As per last Balance Sheet	**10,20,00,00**		5,84,00,00	
Addition during the year	**4,52,00,00**		4,36,00,00	
	14,72,00,00		10,20,00,00	
iii) Foreign Currency Translation Reserve				
As per last Balance Sheet	**83,90**		3,48	
Addition during the year	**3,54,69**		80,42	
	4,38,59	**38,91,38,59**	83,90	28,63,83,90
VI. Balance in Profit and Loss Account				
Balance in Profit and Loss Account		**1,63,27**		83,40
Total		**99,18,66,29**		82,35,23,66

SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2010

(000 Omitted)

		As on 31.3.2010		As on 31.3.2009
SCHEDULE 3 - DEPOSITS				
I. Demand Deposits				
i) From Banks	**10,71,32,85**		7,82,96,69	
ii) From Others	**1,51,57,89,33**	**1,62,29,22,18**	1,23,83,45,08	1,31,66,41,77
II. Savings Bank Deposits		**3,77,27,75,32**		2,85,44,75,51
III. Term Deposits				
i) From Banks	**44,72,78,02**		37,17,03,66	
ii) From Others	**11,16,09,98,62**	**11,60,82,76,64**	9,32,74,62,31	9,69,91,65,97
TOTAL		**17,00,39,74,14**		13,87,02,83,25
Deposits of branches in India		**16,96,69,95,94**		13,84,16,00,91
Deposits of branches outside India		**3,69,78,20**		2,86,82,34
TOTAL		**17,00,39,74,14**		13,87,02,83,25
SCHEDULE 4 - BORROWINGS :				
A) Borrowings : Capital Instruments				
I. Perpetual Bonds	**10,40,00,00**		8,40,00,00	
II. Upper Tier II Bonds	**17,50,00,00**		7,50,00,00	
III. Tier II Bonds	**33,00,00,00**		33,00,00,00	
B) Borrowings in India				
i. Other Banks	-		-	
ii. Other Institutions and agencies	**1,83,89,12**	**62,73,89,12**	6,51,84,65	55,41,84,65
C) Borrowings Outside India		**29,41,41,52**		32,33,04,88
TOTAL		**92,15,30,64**		87,74,89,53
Secured Borrowings included in A,B & C above		**2,82,10**		3,03,89,73
SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS :				
I. Bills payable		**17,96,90,08**		17,26,63,79
II. Interest Accrued		**5,25,68,56**		5,36,76,79
III. Others (including provisions)		**31,60,42,80**		24,94,02,34
TOTAL		**54,83,01,44**		47,57,42,92
SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA :				
I. Cash in hand (including foreign currency notes)		**3,92,61,47**		4,21,01,69
II. Balances with Reserve Bank of India In current Account		**1,20,75,62,96**		85,71,03,14
TOTAL		**1,24,68,24,43**		89,92,04,83
SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY CALL AND SHORT NOTICE :				
I. Balances with banks in India				
i) a) In Current Accounts	**3,85,63,10**		4,49,34,76	
b) In Other Deposit Accounts	**7,07,50,00**		5,42,50,00	
ii) Money at Call and short notice				
- with Banks	**5,75,00,00**		9,36,00,00	
- with Other Institutions	**75,00,00**		6,13,15,59	
- CBLO Lending	**8,99,43,55**	**26,42,56,65**	0	25,41,00,35
II. Outside India				
i) In Current Accounts	**82,91,77**		1,17,65,84	
ii) In other Deposit Accounts	**5,82,96,54**	**6,65,88,31**	43,34,21,93	44,51,87,77
TOTAL		**33,08,44,96**		69,92,88,12

SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2010

(000 Omitted)

			As on 31.3.2010		As on 31.3.2009
SCHEDULE 8 - INVESTMENTS :					
I.	**Investments in India**				
	i) Government Securities		**4,26,52,85,46**		3,48,57,41,89
	ii) Other approved securities		**1,76,30,99**		2,87,63,54
	iii) Shares		**6,82,25,67**		3,89,59,35
	iv) Debentures and Bonds		**34,95,01,08**		36,51,17,12
	v) Subsidiaries and oint ventures		**67,63,19**		19,15,64
	vi) Others				
	- Commercial Paper	**4,15,54,97**		2,42,34,00	
	- Certificates of Deposits	**45,93,20,39**		20,29,99,52	
	- Mutual Funds	**4,05,22,66**		3,89,58,11	
	- R I D F	**19,04,77,69**		11,20,57,47	
	- Security Receipt by ARCIL	**5,88,55**	**73,24,64,26**	9,29,84	37,91,78,94
	Total		**5,43,98,70,65**		4,29,96,76,48
II.	**Investments outside India**				
	i) Govt. Securities(Incl.Local Auth.)		**4,62,17**		0
	ii) Shares		19,89		19,89
	Total		**4,82,06**		19,89
	TOTAL		**5,44,03,52,71**		4,29,96,96,37
III.	**i) Investments in India**				
	Gross Value		**5,44,78,19,52**		4,31,93,59,70
	Provision for Depreciation		**79,48,87**		1,96,83,22
	Net Value		**5,43,98,70,65**		4,29,96,76,48
	ii) Investments outside India				
	Gross Value Net Value		**4,82,06**		19,89
	TOTAL		**5,44,03,52,71**		4,29,96,96,37
SCHEDULE 9 - ADVANCES					
I.	i) Bills purchased and discounted		**47,61,93,40**		44,56,49,98
	ii) Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand		**6,23,71,18,00**		5,28,40,08,76
	iii) Term Loans		**5,21,82,18,46**		3,92,37,64,47
	TOTAL		**11,93,15,29,86**		9,65,34,23,21
II.	i) Secured by tangible assets (includes Advance against Book Debts)		**8,84,39,17,52**		7,37,62,35,13
	ii) Covered by Bank Government Guarantees		**41,05,41,85**		27,97,32,79
	iii) Unsecured		**2,67,70,70,49**		1,99,74,55,29
	TOTAL		**11,93,15,29,86**		9,65,34,23,21
A.	**Advances in India**				
	i) Priority Sector		**4,18,09,72,10**		3,19,80,40,57
	ii) Public Sector		**70,79,63,28**		1,32,58,68,17
	iii) Banks		**26,12,18,72**		11,31,80,31
	iv) Others		**6,48,37,14,82**		4,88,57,98,32
	TOTAL -A		**11,63,38,68,92**		9,52,28,87,37
B.	**Advances Outside India**				
	i) Due From Banks		**0**		6,47,76,96
	ii) Due from Others				
	a) Bills Purchased and Discounted		**1,42,45,53**		47,24,29
	b) Syndicated loans		**28,23,77,64**		1,57,24,36
	c) Others		**10,37,77**		4,53,10,23
	TOTAL - B		**29,76,60,94**		13,05,35,84
	TOTAL - (A+B)		**11,93,15,29,86**		9,65,34,23,21

SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2010

(000 Omitted)

		As on 31.3.2010		As on 31.3.2009
SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS				
A. TANGIBLE ASSETS				
I. Premises				
At cost valuation as per last Balance Sheet	**21,12,18,30**		20,34,35,41	
Additions during the year	**2,72,54**		77,82,89	
	21,14,90,84		21,12,18,30	
Less: Depreciation to date	**3,34,81,30**	**17,80,09,54**	2,55,86,44	18,56,31,86
II. Capital Work in Progress				
At cost as per last Balance Sheet	**7,85,65**		4,57,13	
Additions during the year	**3,31,51**		80,20,91	
Deductions during the year	**1,20,93**	**9,96,23**	76,92,39	7,85,65
III. Land				
At cost as per last Balance Sheet	**13,52,04**		13,52,04	
	13,52,04		13,52,04	
Less : Depreciation to date	**2,15,09**	**11,36,95**	2,07,58	11,44,46
IV. Other Fixed Assets				
(including Furniture and Fixtures)				
a) Assets given on lease				
At cost as per last Balance Sheet	**31,04,77**		33,01,72	
Deductions during the year	**0**		1,96,95	
	31,04,77		31,04,77	
Less: Depreciation to date	**31,04,77**		31,04,77	
	00		00	
b) Others				
At cost valuation as per last Balance Sheet	**10,37,70,97**		8,82,53,67	
Additions during the year	**1,95,34,16**		2,10,83,24	
	12,33,05,13		10,93,36,91	
Deductions during the year	**13,04,98**		55,65,94	
	12,20,00,15		10,37,70,97	
Less: Depreciation to date	**7,33,49,15**		6,04,36,33	
	4,86,51,00	**4,86,51,00**	4,33,34,64	4,33,34,64
B. INTANGIBLE ASSETS				
Computer Software				
At cost as per last Balance Sheet	**72,12,65**		43,97,72	
Additions during the year	**4,32,99**		28,14,93	
	76,45,64		72,12,65	
Amortisation till date	**58,95,54**	**17,50,10**	45,93,29	26,19,36
TOTAL		**23,05,43,82**		23,35,15,97

SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2010

(000 Omitted)

			As on 31.3.2010		As on 31.3.2009
SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS					
I.	Inter-office ad ustments (net)		**7,63,80,26**		4,34,49,15
II.	Interest accrued		**10,36,88,12**		9,10,24,48
III.	Tax paid Tax deducted at source (net of provision)		**4,26,14,36**		2,72,98,09
IV.	Stationery and stamps		**10,04,33**		13,33,55
V.	Non-Banking assets acquired in satisfaction of claims		**3,90**		3,90
VI.	Deffered Tax Assets		**32,38,48**		64,10,49
VII.	Others		**10,91,59,07**		14,29,02,99
	TOTAL		**33,60,88,52**		31,24,22,65
SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES :					
I.	Claims against the bank not acknowledged as debts		**8,40,16,54**		4,49,34,68
II.	Liability for partly paid investments		**59,20**		59,20
III.	Liability on account of outstanding forward exchange contracts		**5,14,14,08,52**		5,41,36,63,10
IV.	Guarantees given on behalf of Constituents				
	i) In India	**1,10,21,30,40**		81,70,01,51	
	ii) Outside India	**1,95,25,42**	**1,12,16,55,82**	1,79,73,03	83,49,74,54
V.	Acceptances, endorsements and other obligations		**86,61,54,85**		1,78,98,50,98
VI.	Other items for which the bank is contingently liable				
	i) Disputed Tax demands under appeals	**1,98,00,00**		3,11,00,00	
	ii) Others	**7,10,21**	**2,05,10,21**	1,27,42	3,12,27,42
	TOTAL		**7,23,38,05,14**		8,11,47,09,92

SCHEDULES FORMING PART OF THE PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2010

(000 Omitted)

		Year Ended 31.3.2010	Year Ended As on 31.3.2009
SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED :			
I.	Interest discount on advances bills	**96,96,35,35**	88,93,36,32
II.	Income on investments	**34,82,30,36**	28,30,85,82
III.	Interest on balances with RBI & other inter bank funds	**55,33,26**	68,00,81
IV.	Others	**68,68,94**	97,14,92
	TOTAL	**1,33,02,67,91**	1,18,89,37,87

SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2010

(000 Omitted)

	Year Ended 31.3.2010	Year Ended As on 31.3.2009
SCHEDULE 14 - OTHER INCOME :		
I. Commission, Exchange and Brokerage	**3,51,76,46**	3,13,27,44
II. Profit on sale of investments - net	**5,72,78,31**	3,21,47,05
III. Profit on sale of land, buildings & other assets - net	**-64,12**	9,23,83
IV. Profit on exchange transactions - net	**3,22,67,58**	3,38,58,11
V. Miscellaneous Income	**7,28,15,78**	4,99,98,71
TOTAL	**19,74,74,01**	14,82,55,14
SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED :		
I. Interest on deposits	**85,27,76,59**	73,89,51,99
II. Interest on Reserve Bank of India Inter-bank borrowing	**1,01,02,48**	3,29,80,73
III. Others	**4,81,47,66**	3,56,48,59
TOTAL	**91,10,26,73**	80,75,81,31
SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES :		
I. Payments to and provisions for employees	**13,54,49,88**	11,51,88,22
II. Rent, taxes and lighting	**2,05,48,82**	1,74,04,76
III. Printing and stationery	**32,14,07**	27,42,52
IV. Advertisement and publicity	**38,98,42**	1,32,62,98
V. Depreciation on Bank's property	**1,60,14,28**	1,36,58,13
VI. Directors' fees, allowances and expenses	**90,69**	1,04,46
VII. Remuneration to Managing Executive Director	**48,94**	48,01
VIII. Auditors' fees and expenses (including branch auditors)	**27,45,38**	21,49,66
IX. Law Charges	**11,19,71**	11,47,11
X. Postage, Telegrams, Telephones, etc.	**58,23,03**	39,38,97
XI. Repairs and maintenance	**50,12,53**	38,76,16
XII. Insurance	**1,61,26,13**	1,30,23,25
XIII. Other expenditure	**4,06,92,87**	3,48,67,23
TOTAL	**25,07,84,75**	22,14,11,46

SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR 2009-2010

SCHEDULE 17 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES :

1. Accounting Convention

The accompanying financial statements are prepared by following going concern concept and on historical cost basis unless otherwise stated and conform to the statutory provisions and generally accepted accounting practices prevailing in India.

2. Revenue Recognition

i) Income and Expenditure is generally accounted for on accrual basis unless otherwise stated.

ii) Income on Non-performing Assets (NPAs) is recognised to the extent realised as per the prudential norms prescribed by the Reserve Bank of India. Income accounted for in the preceding year and remaining unrealized is derecognised in respect of assets classified as NPAs during the year.

iii) Commission, exchange and brokerage earned, rent on Safe Deposit Lockers and commission on bio matrix card are accounted for on realization basis.

3. Investments

i) The Investment portfolio of the Bank is classified in accordance with the Reserve Bank of India guidelines into three categories viz.:

a) Held to Maturity (HTM),

b) Available for Sale (AFS),

c) Held for Trading (HFT).

ii) As per Reserve Bank of India guidelines, the following principles have been adopted for the purpose of valuation:

a) i) Securities held in "Held to Maturity" category - at acquisition cost.

The excess of acquisition cost over the face value is amortised over the remaining period to maturity.

ii) Investments in Regional Rural Banks are valued at carrying cost.

b) Securities held in "Available for Sale" and “Held for Trading” category.

S. No.	Instrument	Valuation Norms
i.	Govt. of India Securities	At market price as per quotations put out by Fixed Income Money Market and Derivatives Association (FIMMDA).
ii.	State Development Loans, Securities guaranteed by Central State Government, PSU Bonds	At appropriate additional spread upon yield curve as per FIMMDA.
iii.	Equity Shares	As per market rates, if quoted, otherwise at Book value as per latest Balance Sheet (not more than 1 year old). In the absence of both at Rs. 1 - per company.
iv.	Preference Shares	At market price, if quoted, or on appropriate yield to maturity basis not exceeding redemption value as per FIMMDA guidelines.
v.	Debentures	At market price, if quoted, otherwise on appropriate yield to maturity basis as per FIMMDA guidelines.
vi.	Mutual Funds	At market price, if quoted, otherwise at Repurchase Price Net Asset Value.
vii.	Treasury Bills Certificate of Deposits Commercial Papers	At carrying cost.
viii.	Venture Capital Funds	At declared NAV or break-up NAV as per audited Balance Sheet which is not more than 18 months old. If NAV audited financial statements are not available for more than 18 months continuously, at Rs.1 - per VCF.
ix.	Security Receipts	At NAV as declared by Securitisation companies.
x	Foreign Branch	Investments are categorised and valued as per local laws.

c) i) Securities held in "Held for Trading" category - At market price based on quotations of Government Securities put out by FIMMDA.

ii) Inter bank REPO Reverse REPO transactions are accounted for in accordance with extant RBI guidelines.

iii) Investments in "Available for Sale Held for Trading" are valued category-wise and scrip-wise. Net depreciation, if any, in each category is charged to Profit and Loss Account while net appreciation, if any, is ignored.

iv) The shifting of Securities from one category to another category is carried out at lower of acquisition cost book value market value on the date of transfer. The depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

v) The non-performing investments are identified and depreciation provision is made as per RBI guidelines.

vi) Profit loss on sale of investments in any category is taken to the Profit and Loss Account. However, in case of profit on sale of investments in "Held to Maturity" category, an equivalent amount (net of taxes if any, and net of transfer to Statutory Reserves) is appropriated to the Capital Reserve Account.

vii) Commission, brokerage, broken period interest etc. on Securities are debited credited to Profit and Loss Account.

d. Derivative Contracts

i) The Interest Rate Swap which hedges interest bearing asset or liability are accounted for on accrual basis except the swap designated with an asset or liability that is carried at market value or lower of cost or market value in the financial statement. Gains or losses on the termination of swaps are recognised over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the asset liability.

ii) Trading swap transactions are marked to market with changes recorded in the financial statements.

iii) In the case of option contracts, guidelines issued by FEDAI from time to time for recognition of income, premium and discount are being followed.

4. Advances

i) All advances are classified under four categories, i.e. (a) Standard, (b) Sub-standard, (c) Doubtful and (d) Loss assets. Provisions required on such advances are made as per the extant prudential norms issued by the Reserve Bank of India. Certain category of standard advances such as loans for consumer durables, educational loans, loans through credit cards and other personal loans carries an additional provision of 2% over and above the statutory requirement.

ii) Advances are stated net of provisions and unrecovered interest held in sundry claims received from CGTF ECGC relating to non-performing assets. The provision on standard advances is held in “Other Liabilities and Provisions”.

5. Floating Provisions

In accordance with the Reserve Bank of India guidelines, the Bank has an approved policy to set apart a minimum of 1% of gross NPAs as floating provisions for advances over and above the existing floating provisions till the coverage comes up to 100% of the gross NPAs.

6. Fixed Assets

i) Fixed Assets are stated at historical cost. Revalued Land and Buildings are stated at revalued amount.

ii) Software systems are capitalized as intangible assets.

iii) Depreciation on Fixed Assets is provided for on the diminishing balance method at the rates considered appropriate by the management as under:

	Type of Asset	Rate of Depreciation
I.	Premises	5 %
II.	Other Fixed Assets	
	- Furniture and Fittings	10 %
	- Electric Fittings and Equipment, Office Appliances and SDV Lockers Strong rooms etc.	15 %
	- Transport Vehicles	20 %
	- U.P.S.	33.33 %
III.	On the amount added consequent upon revaluation of the assets	over the economic residual life of the respective assets

iv) Depreciation on computers and software systems is provided at 33.33% on straight-line method.

v) Depreciation on additions to assets made upto 30th September of the year is provided at full rate and on additions made thereafter, at half the rate.

vi) Depreciation on premises is provided on composite cost, wherever the value of land and buildings is not separately identifiable.

vii) No depreciation is provided on assets sold disposed off during the year.

viii) Leasehold land is amortised over the period of lease.

7. **Transactions involving Foreign Exchange**

Revaluation of Foreign Currency Position and booking Profits Losses:

i) Monetary assets and liabilities are revalued at the exchange rates notified by FEDAI at the close of the year and resultant gain loss is recognized in the Profit and Loss Account.

ii) Income and Expenditure items are recognised at the exchange rates prevailing on the date of the transaction.

iii) Forward exchange contracts are recorded at the exchange rate prevailing on the date of commitment. Outstanding forward exchange contracts are revalued at the exchange rates notified by FEDAI for specified maturities and at interpolated rates for contracts of 'in-between maturities. The resultant gains or losses are recognised in the profit and loss account.

iv) Contingent liabilities on account of guarantees, acceptances, endorsements and other obligations are stated at the exchange rates notified by FEDAI at the close of the year.

v) Representative offices of the bank outside India are treated as Integral Operation Unit as per RBI guidelines.

8. **Accounting for Non – Integral foreign operations**

Offshore Banking Units (OBU) and foreign branches are classified as non- integral foreign operations.

a) Offshore Banking Unit (OBU):

i. Assets and Liabilities (both monetary and non-monetary as well as contingent liabilities) are translated at the closing rates notified by FEDAI at the year-end.

ii. Income and expenses are translated at the quarterly average closing rate notified by FEDAI at the end of respective quarter.

iii. All resulting exchange differences are accumulated in 'Foreign Currency Translation Reserve'.

b) Foreign Branch:

i) Revenue Recognition

Income and expenditure are recognized accounted for as per the local laws of the respective countries.

ii) Asset Classification and Loan loss Provisioning

Asset classification and loan loss provisioning are made as per local requirement or as per RBI guidelines whichever is more stringent.

iii) Fixed Assets and Depreciation

a) Fixed Assets are accounted for at historical cost

b) Depreciation on fixed assets of foreign branch is provided as per the applicable laws of the respective countries.

iv) Translation of the Assets and Liabilities and the Income and Expenses for foreign branches is done as per 8(a)(i,ii,iii) above.

9. **Employee Benefits**

Annual contribution to Gratuity Fund, Pension Fund and provision towards leave are accounted for on the basis of actuarial valuation and contribution to the Provident Fund is charged to Profit and Loss Account. Net actuarial gains and losses are recognized during the year.

10. **Taxation**

Provision for Tax is made for both current and deferred taxes. Current tax is provided on the taxable income using applicable tax rate and tax laws. Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods are recognized using the tax rates and the tax laws that have been enacted or substantively enacted till the date of the Balance Sheet. Deferred Tax Assets are not recognized unless there is 'reasonable certainty' that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets will be realized. In case of carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses, deferred tax assets are recognized only if there is "virtual certainty".

11. **Provisions, contingent liabilities and contingent assets**

Provisions involving substantial degree of estimation in measurement are recognized when there is a present obligation as a result of past events and it is probable that there will be an outflow of resources and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. Contingent Assets are neither recognized nor disclosed in the financial statements. Contingent liabilities are not provided for and are disclosed by way of notes.

SCHEDULE 18 – NOTES ON ACCOUNTS:

1. **BALANCING OF BOOKS, RECONCILIATION OF INTER BRANCH / BANK TRANSACTIONS:**

i) Confirmation reconciliation of balances with foreign and other banks has been obtained carried out except in a few cases.

ii) Ad ustment of outstanding entries in Suspense Accounts, Sundry Deposits, Clearing Ad ustments, Bank Reconciliation statements and various inter-branch office accounts is in progress. Reconciliation of Central Office Accounts maintained by branches has been completed up to 31st March 2010.

iii) Pending final clearance of (i) and (ii) above, the overall impact, if any, on the accounts, in the opinion of the management will not be significant.

2. INVESTMENTS

i) As per RBI guidelines, an amount of Rs. 100.09 crore (previous year Rs. 217.08 crore), being an amount equivalent to the profit on sale of "Held to Maturity" category securities is transferred to "Capital Reserve Account".

ii) In respect of "Held to Maturity" category, as stated in significant Accounting Policy No.3 (ii)(a), the excess of acquisition cost over face value of the securities amortised during the year amounted to Rs. 96.21 crore (previous year Rs.111.55 crore).

iii) Total investments made in shares, convertible debentures and units of equity linked mutual funds venture capital funds and also advances against shares aggregate to Rs. 1,289.39 crore (previous year Rs. 938.68 crore).

3. FIXED ASSETS

Documentation formalities are yet to be completed in respect of five immovable properties held by the Bank at written down value of Rs. 6.84 crores (previous year Rs. 7.20 crores) in respect of which steps have already been initiated. Land and Buildings revalued as on 31st March,1995 at fair market value as determined by an approved valuer, have further been revalued as on 30th November, 2007 at fair market value by approved valuers. The resultant increase in value thereof on such revaluations amounting to Rs.456.59 crore as on 31st March, 1995 and Rs.1,290.68 crore as on 30th November, 2007 have been credited to Revaluation Reserve and depreciation amounting to Rs. 69.94 crore (previous year Rs. 38.42 crore) attributable thereto has been deducted there from.

4. INCOME TAX

The Bank considers that provision for Income tax held in its accounts is adequate.

5. FUNDS RAISED RANKING FOR TIER I AND TIER II CAPITAL

During the year, the Bank has raised additional funds ranking for Tier - I and Tier -II capital by way of issue of Perpetual Bonds of Rs. 200 crore and Upper Tier II Bonds of Rs. 1,000 crores respectively (previous year: Perpetual Bonds of Rs. 340 crore and sub-ordinated Bonds of Rs. 800 crore in the previous year) and the amount is reflected under "Borrowings" in Schedule 4 of the Balance Sheet.

6. PROVISION ON STANDARD ADVANCES

Provision for Standard Advances and credit risk exposure on derivatives at 0.40% amounts to Rs. 516.06 crore (previous year Rs. 495.11 crore). For certain category of standard advances such as loans for consumer durables, educational loans, loans through credit cards and other personal loans, additional provision of 2% amounting to Rs. 52.38 crore (previous year Rs.39.61 crore) over and above the statutory requirement has been made.

7. ADDITIONAL DISCLOSURES IN TERMS OF THE RESERVE BANK OF INDIA GUIDELINES :

7.1 Capital

(Rs. in crore)

		31.03.2010	31.03.2009
i)	CRAR (%)	12.51	13.27
ii)	CRAR-Tier I Capital (%)	7.91	8.19
iii)	CRAR-Tier II Capital (%)	4.60	5.08
iv)	Percentage of the shareholding of the Government of India.	55.43	55.43
v)	Amount raised by issue of IPDI	200	340
vi)	Amount raised by issue of Upper Tier II instruments	1000	-

7.2 Investments

(Rs. in crore)

		Particulars	31.03.2010	31.03.2009
1		Value of Investments		
	i)	Gross Value of Investments	54,478.39	43,193.80
		(a) In India	54,478.19	43,193.60
		(b) Outside India	0.20	0.20
	ii)	Provisions for Depreciation	79.49	196.83
		(a) In India	79.49	196.83
		(b) Outside India	-	-
	iii)	Net Value of Investments	54,398.90	42,996.97
		(a) In India	54,398.70	42,996.77
		(b) Outside India	0.20	0.20
2		Movement of provisions held towards depreciation on investments		
	i)	Opening balance	196.83	238.33
	ii)	Add: Provisions made during the year	0.50	4.05
	iii)	Less: Write-off write-back of excess provisions during the year	117.84	45.55
	iv)	Closing balance	79.49	196.83

7.2.1 REPO Transactions

(Rs. in crore)

		Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily Average outstanding during the year	As on 31.03.2010
A	Securities sold under Repos				
	i) Government securities	-	-	-	-
	ii) Corporate debt securities	-	-	-	-
B	Securities purchased under reverse repos				
	i) Government securities	-	746.93	8.19	-
	ii) Corporate debt securities	-	-	-	-

7.2.2 Non-SLR Investment Portfolio

i. Issuer composition of Non SLR Investments

(Rs. in crore)

No.	Issuer	Amount	Extent of Private Placement	Extent of 'Below Investment Grade' Securities	Extent of 'Unrated' Securities*	Extent of 'Unlisted' Securities*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i)	PSUs	622.60	310.32	-	1.83	26.83
ii)	FIs	3,488.19	2,873.97	-	52.77	122.77
iii)	Banks	5,347.22	635.76	-	-	7.00
iv)	Private Corporate	1,656.08	962.85	-	13.70	27.23
v)	Subsidiaries Joint Ventures	48.48	-	-	-	-
vi)	Others	430.73	309.87	5.89	0.20	0.20
vii)	Provision held towards depreciation	(42.70)	-	-	-	-
	Total	**11,550.60**	**5,092.77**	**5.89**	**68.50**	**184.03**

	31.03.2010	31.03.2009
Shares	682.26	389.59
Debentures and Bonds	3,495.01	3651.17
Subsidiaries and Joint Ventures	48.48	-
Others	7,324.85	3791.98
TOTAL	**11,550.60**	**7832.74**

*Unrated & unlisted securities disclosed includes only Ratings and Listing of securities required as per extant RBI guidelines.

ii) Non performing Non-SLR investments

(Rs. in crore)

Particulars	31.03.2010	31.03.2009
Opening balance	5.54	0.79
Additions during the year since 1st April	0.50	4.75
Reductions during the year above period	0.11	-
Closing balance	5.93	5.54
Total provisions held	5.93	5.54

7.3 Derivatives

7.3.1 Forward Rate Agreement/Interest Rate Swap

(Rs. in crore)

		31.03.2010	31.03.2009
i)	The notional principal of swap agreements	699.00	2264.40
ii)	Losses which would be incurred if counter parties failed to fulfill their obligations under the agreements	14.70	25.67
iii)	Collateral required by the bank upon entering into swaps	Nil	Nil
iv)	Concentration of credit risk arising from theSwaps	Banking Industry	Banking Industry
v)	The fair value of the swap book	1.90	0.22

Note:

I) Interest rate swaps in Indian rupees were undertaken for hedging Tier II Bonds, Term Loans and Term Deposits.

II) The Bank has not entered into any Interest Rate Swap transactions for trading during the year.

III) All underlyings for hedge transactions are on accrual basis.

7.3.2 Exchange Traded Interest Rate Derivatives :

(Rs. in crore)

S. No	Particulars	Amount
i)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument-wise)	983.02
ii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March 2010 (instrument-wise)	4.02
iii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	Nil
iv)	Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	Nil

7.3.3 Disclosures on risk exposures in derivatives

A. QUALITATIVE DISCLOSURE:

Operations in the Treasury Branch are segregated into three functional areas, i.e., Front Office, Mid Office and Back Office, which are provided with trained officers with necessary system support and their responsibilities are clearly defined.

The Treasury Policy of the Bank clearly lays down the types of financial derivative instruments, scope of usages, approval process as also the limits like the open position limits, deal size limits and stop loss limits for trading in approved instruments. While sanctioning derivative limit, the competent authority may stipulate condition of obtaining collaterals margin as deemed appropriate. The derivative limit is reviewed periodically along with other credit limits.

Mid Office monitors transactions in the trading book and excesses, if any, are reported to Risk Management Department for necessary action. Mid Office also measures the financial risk for transactions in the trading book on a daily basis, by way of Mark to Market. Daily Mark to Market position is reported to Risk Management Department, who, in turn, appraises the risk profile to the Directors Committee on the Assets and Liability Management.

In case of corporate clients transactions are concluded only after the inherent credit exposures are quantified and approved in terms of the approval process laid down in the Treasury Policy for customer appropriateness and suitability and necessary documents like ISDA agreements are duly executed. The bank has adopted Current Exposure Method for monitoring the credit exposures.

The Bank also uses financial derivative transactions for hedging it s own Balance Sheet Exposures. Treasury Policy of the Bank spells out approval process for hedging the exposures. The hedge transactions are monitored on a regular basis. The notional profits or losses calculated on Mark To Market basis, PV01 and VAR on these deals are reported to the ALCO every month.

The hedged unhedged transactions are recorded separately. The hedged transactions are accounted for on accrual basis. All trading contracts are Marked To Market and resultant gross gain or loss is recorded in income statement.

In case of Option contracts, guidelines issued by FEDAI from time to time for recognition of income, premium and discount are being followed.

The customer related derivative transactions for Notional value of Rs 929.96 crores are covered with counterparty banks, on back-to-back basis for identical amount and tenure and the bank does not carry any market risk.

The Bank is Trading & Clearing member of 3 Currency Futures Exchanges namely National Stock Exchange (NSE), Bombay Stock Exchange (BSE) & MCX-SX Stock Exchange (MCX-SX) as permitted by Reserve Bank of India. The Bank started proprietary trading as well as trading on behalf of customers in currency futures on these exchanges. The Bank has set up the necessary infrastructure for Front, Mid and Back office operations. Daily Mark to Market (MTM) and Margin obligations are settled with the Exchanges as per guidelines issued by the regulators.

During the year, the Bank has started proprietary trading in Interest Rate Futures on National Stock Exchange. The bank has necessary infrastructure for Front. Mid and Back office operations in place. Daily Mark to Market (MTM) and Margin obligations are settled with the exchanges as per guidelines issued by regulators.

B. QUANTITATIVE DISCLOSURES

(Rs. in crore)

		31.03.2010		31.03.2009	
Sr. No.	Particulars	Currency Derivatives	Interest Rate Derivatives	Currency Derivatives	Interest Rate Derivatives
i	Derivatives (Notional Principal Amount)				
	a. For hedging	224.50	100.00	1620.36	250.00
	b. For trading	1777.34	603.02	4576.65	2014.40
ii	Marked to Market Positions (1)				
	a. Asset (+)	6.46	0.29	9.14	
	b. Liability (-)				(-)0.52
iii	Credit Exposure (2)	198.99	21.92	471.55	49.42
iv	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)				
	a. On hedging derivatives	0.06	7.96	2.77	5.54
	b. On trading derivatives	0.12	0.00	0.13	0.04
v	Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year				
1.	Maximum				
	a. On hedging	2.88	7.96	14.74	6.08
	b. On trading	0.12	0.76	0.15	2.02
2.	Minimum				
	a. On hedging	0.00	1.12	2.77	4.88
	b. On trading	0.00	0.00	0.13	0.01

7.4 Asset Quality:

7.4.1 Non Performing Assets:

(Rs. in crore)

		31.03.2010	31.03.2009
i)	Net NPAs to Net Advances (%)	0.81	0.34
ii)	Movement of NPAs (Gross)		
	(a) Opening balance as on 1st April	1923.35	1656.60
	(b) Additions (Fresh NPAs) during the year	1785.23	1176.66
	Sub-total (A)	3708.58	2833.26
	(c) Less:-		
	(i) Upgradations	123.16	138.27
	(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	401.29	406.01
	(iii) Write-offs	513.24	365.63
	Sub-total (B)	1037.69	909.91
	(d) Closing balance (A-B)	2670.89	1923.35
iii)	Movement of NPAs (Net)		
	(a) Opening Balance	325.94	127.57
	(b) Closing balance	965.33	325.94
iv)	Movement of provisions for NPAs (excluding provisions on standard assets)		
	(a) Opening balance	1548.88	1511.02
	(b) Provisions made during the year	698.92	546.48
	(c) Write-off write-back of excess Provisions	604.46	508.62
	(d) Closing balance	1643.34	1548.88

7.4.2 Particulars of Accounts Restructured

(Rs. in crore)

		CDR Mechanism	MSME Debt Restructuring	Others
Standard advances restructured	No. of Borrowers	6	1732	4149
	Amount outstanding	176.19	324.55	2210. 24
	Sacrifice (diminution in the fair value)	19.43	3.99	26.91
Sub standard advances restructured	No. of Borrowers	-	4	83
	Amount outstanding	-	0.83	1.08
	Sacrifice (diminution in the fair value)	-	0.04	0.05
Doubtful advances restructured	No. of Borrowers	-	-	-
	Amount outstanding	-	-	-
	Sacrifice (diminution in the fair value)	-	-	-
Total	No. of Borrowers	**6**	**1736**	**4232**
	Amount outstanding	**176.19**	**325.38**	**2211.32**
	Sacrifice (diminution in the fair value)	**19.43**	**4.03**	**26.96**

7.4.3 Details of financial assets sold to Securitisation/ Reconstruction Company for Asset Reconstruction

(Rs. in crore)

		31.03.2010	31.03.2009
i)	No. of accounts	2	62
ii)	Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC RC	0.00	0.00
iii)	Aggregate consideration	26.79+	51.00*
iv)	Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years.	Nil	NIL
v)	Aggregate gain (loss) over net book value.	26.79	51.00

+ Rs. 16.54 crores by way of class B securities receipts and Rs. 10.25 crores in cash.

* Rs. 10.50 crores by way of class B security receipts & Rs. 40.50 cr. in cash.

7.4.4 Details of non performing financial assets purchased /sold

A. Details of non performing financial assets purchased

(Rs. in crore)

	Particulars	31.03.2010	31.03.2009
1	a. No. of accounts purchased during the year	Nil	Nil
	b. Aggregate outstanding	Nil	Nil
2	a. Of these, number of accounts restructured during the year	Nil	Nil
	b. Aggregate outstanding	Nil	Nil

B. Details of non performing financial assets sold

(Rs. in crore)

	Particulars	31.03.2010	31.03.2009
1	No. of accounts sold	Nil	Nil
2	Aggregate outstanding	Nil	Nil
3	Aggregate consideration received	Nil	Nil

7.4.5 Provision on Standard Assets:

(Rs. in crore)

Item	31.03.2010	31.03.2009
Provision towards Standard Assets	20.95	80.11

Includes Rs.4.39 crores (previous year Rs. 6.61 crores) towards provision for credit risk exposure on derivatives.

7.5 Business Ratios

		31.03.2010	31.03.2009
i)	Interest Income as a percentage to Working Funds	8.04	8.78
ii)	Non-interest income as a percentage to Working Funds	1.19	1.09
iii)	Operating Profit as a percentage to Working Funds	2.21	2.28
iv)	Return on Assets	1.25	1.27
v)	Business (Deposits plus advances) per employee (Rs. in lacs)	853	694
vi)	Profit per employee (Rs. in lacs)	7.47	6.28

7.6 Asset Liability Management

Maturity pattern of Assets and Liabilities as on 31.03.2010

(Rs. in crore)

	Deposits	Advances	Investments	Borrowings	Foreign Currency assets	Foreign Currency liabilities
Day 1	1130.60	2133.63	1.50	671.68	386.36	1382.38
2-7 days	7368.50	2797.62	1633.67	463.97	685.67	118.06
8-14 days	1775.81	2837.78	73.79	9.27	117.39	38.30
15 to 28 days	1532.59	4031.75	697.56	49.38	302.82	116.50
29 days to 3 months	12169.00	15597.84	1106.90	595.87	1650.28	854.49
Over 3 months & up to 6 months	9776.38	6511.74	4775.25	713.31	2107.24	1008.67
Over 6 months & up to 1 year	33000.85	16326.95	4166.38	292.69	898.68	1109.73
Over 1 year & up to 3 years	41182.57	42170.20	1953.72	698.38	390.14	725.51
Over 3 years & up to 5 years	7351.73	9706.72	4771.14	480.01	447.61	261.80
Over 5 years	54751.70	17201.06	35223.61	5240.74	462.53	91.79
Total	**170039.73**	**119315.30**	**54403.52**	**9215.31**	**7448.72**	**5707.23**

7.7 Exposures

7.7.1 Exposure to Real Estate Sector

(Rs. in crore)

		Category	31.03.2010	31.03.2009
a)	Direct exposure			
	i)	Residential Mortgages - Lendings fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented - of which individual housing loans up to Rs.30 lakh eligible for inclusion in priority sector.	9599.66 6967.01	8556.82 5987.90
	ii)	Commercial Real Estate - Lendings secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.) Exposure includes non-fund based (NFB) limits:	2838.70	3189.63
	iii)	Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitised exposures a. Residential, b. Commercial Real Estate.	11.12 11.12 -	16.31 16.31 -
b)	Indirect Exposure Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs).		4093.78	5253.96
	Total Exposure to Real Estate Sector		**16543.26**	**17016.72**

7.7.2 Exposure to Capital Market

(Rs. in crore)

	Particulars	31.03.2010	31.03.2009
i)	Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity – oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt.	772.55	549.07
ii)	Advances against shares bonds debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs ESOPs), convertible bonds, convertible debentures and units of equity oriented mutual funds	6.88	6.10

	Particulars	31.03.2010	31.03.2009
iii)	Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security	6.56	6.29
iv)	Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares convertible bonds convertible debentures units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances	2.10	2.18
v)	Secured and unsecured advances to stock brokers and guarantees issued on behalf of stock brokers and market makers	788.01	617.57
vi)	Loans sanctioned to corporates against the security of shares bonds debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter s contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources	-	-
vii)	Bridge loans to companies against expected equity flows issues.	-	-
viii)	Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures and units of equity oriented mutual funds	-	-
ix)	Financing to stock brokers for margin trading	50.00	50.00
x)	All exposures to venture capital funds (both registered and unregistered) will be deemed to be on par with equity and hence will reckoned for compliance with the capital market exposure.	516.84	389.61
	Total exposure to Capital Market	**2142.94**	**1620.82**

7.7.3 Risk Category wise Country Exposure

(Rs. in crore)

Risk Category	Exposure (net) as at March 31, 2010	Provision held as at March 31,2010	Exposure (net) as at March 31, 2009	Provision held as at March31,2009
Insignificant	1699.04	-	2701.23	-
Low	937.16	-	1075.58	-
Moderately low	112.33	-	51.61	-
Moderate	5.54	-	15.18	-
Moderately high	4.26	-	7.23	-
High	1.26	-	0.25	-
Very High	0	-	0	-
Total	**2759.59**	**-**	**3851.08**	**-**

7.7.4 Details of Single Borrower Limit (SBL) exceeded by the Bank.

(Rs. in crore)

Sr. No.	Name of the Borrower	Exposure Ceiling (Rs.)	Total Exposure (Rs.)	Exposure as % of Capital Fund	Position as on 31.03.10	Position as % of Capital Fund
1	Indian Oil Corporation Ltd.	# 25% of capital fund i.e. 3164.50	2175.00	17.18	Nil	Nil
2	Metal Scrap Trading Corp. Ltd. (MSTC)	*20% of capital fund i.e. 2531.60	2050.00	16.20	494.08	3.90
3	Housing Development Finance Corporation Ltd.	*20% of capital fund i.e. 2531.60	1980.00	15.64	1615.00	12.76

Individual borrower exposure Limit is 15%, but in case of oil companies who have been issued Oil Bonds, by GoI which do not rank for SLR securities, the exposure limit is 25%

* Individual exposure limit is 15%. However, 5% additional exposure taken with the approval of the Board as permitted by Reserve Bank of India.

7.7.5 Details of Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank.

(Rs. In crore)

Sr No.	Name of the borrower	Exposure Ceiling (Rs.)	Total Exposure (Rs.)	Exposure as % of Capital Fund	Board Sanction Details	Position as on 31.03.2010 (Rs.)	Position as % of Capital Fund
				NIL			

Group Exposure Limit – 40%

For Infrastructure, Group Exposure ceiling is 50%

5% additional exposure can be taken with the permission of the Board

7.7.6 Unsecured Advances

(Rs. In crore)

		31.03.2010
1	The total amount of advances for which intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority etc. has been taken.	1888.71
2	The estimated value of such intangible collateral	2644.10

8. Miscellaneous

8.1 Amount of Provisions made for Income-tax during the year:

(Rs in crore)

	31.03.2010	31.03.2009
Provision for Income Tax (excluding FBT and Deferred tax liability)	758.00	618.00

includes tax of foreign branch of Rs. 10.00 crore (previous year Rs. 6.18 crore).

8.2 Disclosure of Penalties imposed by RBI. : Nil

9. Disclosure Requirements as per Accounting Standards where RBI has issued guidelines

in respect of disclosure items for 'Notes to Account :

9.1 Accounting Standard 5 – Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies.

There were no material prior period Income Expenditure requiring disclosure under AS–5.

9.2 Accounting Standard 9 - Revenue Recognition.

Income items recognized on cash basis were not material and hence no disclosure under AS – 9 has been made.

9.3 Accounting Standard 15 – Employee Benefits :

The Bank has accounted for employee benefits as per Accounting Standards issued by the Institute of Chartered accountants of India, as per actuarial valuation report for the year ended March 31, 2010. The disclosure is as under:-

(Rs. in crore)

		Gratuity	Pension
i)	**Principal actuarial assumption used**		
	Discount Rate Prev.	8.00%	8.00%
	Rate of return on Plan Assets Prev.	8.00%	8.00%
	Salary Escalation Prev.	4.00%	4.00%
	Attrition Rate Prev.	2.00%	2.00%
	Discount Rate Current	8.00%	8.00%
	Rate of Return on Plan Assets Current	8.00%	8.00%
	Salary Escalation Current	4.00%	4.00%
	Attrition Rate Current	2.00%	2.00%

		Gratuity	Pension
ii)	**Table showing change in Benefit Obligation :**		
	Liability at the beginning of the year	653.14	1,220.31
	Interest Cost	52.00	95.58
	Current Service Cost	24.13	24.23
	Past Service Cost (Vested Benefit)	-	-
	Liability Transfer in	-	-
	Liability Transfer out	-	-
	Benefit paid	(29.88)	(99.58)
	Actuarial (gain) loss on obligations	(182.11)	118.58
	Liability at the end of the year	518.27	1,359.12
iii)	**Table of Fair value of Plan Assets:**		
	Fair value of Plan Assets at the beginning of the year	740.89	977.10
	Expected return on Plan Assets	58.08	90.33
	Contributions	-	201.78
	Transfer from Other Company	-	-
	Transfer to Other Company	-	-
	Benefit paid	(29.88)	(99.58)
	Actuarial Gain (loss) on Plan Assets	(1.73)	(11.52)
	Fair Value of Plan Assets at the end of the year	767.36	1,158.11
	Total Actuarial Gain (loss) to be recognized	180.38	(130.10)
iv)	**Recognition of Transitional Liability :**		
	Transitional Liability at start	-	-
	Transitional Liability recognized during the year	-	-
	Transitional Liability at end	-	-
v)	**Actual return on Plan Assets :**		
	Expected Return on Plan Assets	58.08	90.33
	Actuarial gain (loss) on Plan Assets	(1.73)	(11.52)
	Actual return on Plan Assets	56.35	78.81
vi)	**Amount recognized in the Balance Sheet :**		
	Liability at the end of the year	518.27	1,359.12
	Fair value of Plan Assets at the end of the year	767.36	1,158.11
	Difference	249.09	(201.01)
	Unrecognized Past Service Cost	-	-
	Unrecognized Transition Liability	-	-
	Amount Recognized in the Balance Sheet	249.09	(201.01)
vii)	**Expenses recognized in the Income Statement:**		
	Current Service Cost	24.13	24.23
	Interest Cost	52.99	95.58
	Expected Return on Plan Assets	(58.08)	(90.33)
	Past Service Cost (Non Vested Benefit) recognized	-	-
	Past Service Cost (Vested Benefit) recognized	-	-
	Recognition of Transition Liability	-	-
	Actuarial Gain or Loss	(180.38)	130.10
	Expenses Recognized in P & L	(161.34)	159.58
viii)	**Balance Sheet Reconciliation:**		
	Opening Net Liability (Last year s net amount recognized in the balance sheet)	(82.75)	243.21
	Expenses as above	(161.34)	159.58
	Transfer from other Company (Net)	-	-
	Transfer to other Company (Net)	-	-
	Employers Contribution	-	(201.78)
	Amount recognized in Balance Sheet	(249.09)	201.01

		Gratuity	Pension
ix)	**Other Details :** Gratuity is payable at the rate of 15 days salary for each year of service sub ect to maximum of Rs. 3,50,000 or as banks scheme. Actuarial gain loss is accounted for in the year of occurrence. Salary escalation is considered as advised by the Bank, which is in line with the industry practice considering promotion and demand and supply of the employees. No. of Members Salary Per Month Contribution for next year	 29,387 68.58 -	 14,497 27.34 62.34
x)	**Category of assets:** Government of India Assets Corporate Bonds Special Deposits Scheme State Govt. Property Other Insurer Managed Funds Total	 - - - - - 767.36 - 767.36	 - - - - - 1,158.11 - 1,158.11
xi)	**Experience Adjustment** On plan liability (Gain) Loss On plan Assets (Loss) Gain	 (136.76) (1.73)	 118.58 (11.52)

Details of Provisions made for various Long Term Employees Benefits during the year are as follows:

(Rs. in crore)

Sr. No.	Other Long Term Benefits	Amount
1	Pension	159.58
2	Leave Encashment	50.96
3	Silver Jubilee	0.01
4	Resettlement	0.88
5	Leave Travel Concession	1.04
6	Sick Leave	3.45

The guidance on implementing AS 15 (revised 2005) Employee Benefits states benefits involving employer established provident funds, which require interest shortfall to be provided, are to be considered as defined benefit plans. Pending determination of liability in view of issues in making reasonable actuarial assumptions, effect in this respect has not been ascertained. Accordingly, other related disclosures in this respect have not been made and Rs. 30.55 crore (previous year Rs. 31.51 crore) has been recognized as an expense towards provident fund scheme and have been included in payments to and provisions for employees under operating expenses.

9.4 SEGMENT REPORTING AS PER ACCOUNTING STANDARD - 17

(Rs. in crore)

	Business Segment	Quarter ended (Audited) 31.03.2010	Quarter ended (Audited) 31.03.2009	Year ended (Audited) 31.03.2010	Year ended (Audited) 31.03.2009
(a)	**Segment Revenue**				
1	Treasury Operations	1,074.05	1,063.64	4,300.07	3,426.96
2	Retail Banking Operations	1,269.72	1,201.94	4,759.37	4,356.34
3	Corporate Wholesale Banking	1,674.74	1,500.24	6,115.06	5,395.76
4	Other Banking Operations	35.69	26.92	102.92	89.59
5	Unallocated	-	55.98	-	103.28
	Total	**4,054.20**	**3,848.72**	**15,277.42**	**13,371.93**
(b)	**Segment Results**				
1	Treasury Operations	311.68	342.46	823.52	899.05
2	Retail Banking Operations	122.75	373.93	890.23	1,346.48
3	Corporate Wholesale Banking	351.46	(29.98)	1,058.09	551.27
4	Other Banking Operations	21.61	26.65	61.08	88.69
5	Unallocated	-	(85.00)	-	(540.94)
	Total	**807.50**	**628.06**	**2,832.92**	**2,344.55**
(c)	**Income Tax**	214.00	163.00	758.00	618.00
(d)	**Net Profit**	593.50	465.06	2,074.92	1,726.55
(e)	**Segment Assets**				
1	Treasury Operations	69,499.20	56,617.35	69,499.20	56,617.35
2	Retail Banking Operations	49,096.16	40,758.88	49,096.16	40,758.88
3	Corporate Wholesale Banking	73,983.48	60,858.88	73,983.48	60,858.88
4	Other Banking Operations	-	-	-	-
5	Unallocated Assets	2,583.00	2,740.40	2,583.00	2,740.40
	Total	**195,161.84**	**160,975.51**	**195,161.84**	**160,975.51**
(f)	**Segment Liabilities**				
1	Treasury Operations	63,606.33	54,039.61	63,606.33	54,039.61
2	Retail Banking Operations	48,029.71	38,906.11	48,029.71	38,906.11
3	Corporate Wholesale Banking	72,376.47	58,087.30	72,376.47	58,087.30
4	Other Banking Operations	-	-	-	-
5	Unallocated Liabilities	725.55	1,202.13	725.55	1,202.13
6	Capital, Reserves & Surplus	10,423.78	8,740.36	10,423.78	8,740.36
	Total	**195,161.84**	**160,975.51**	**195,161.84**	**160,975.51**
1	As the revenue from foreign branch does not exceed 10% of the total revenue, the bank has only one reportable geographical segment.				
2	Segmentwise income, expenditure, assets and liabilities which are not directly allocable have been allocated to the reportable segments based on assumptions considered appropriate, including those earlier considered unallocable.				

9.5 Accounting Standard 18 – Related Party Disclosures.

9.5.1 The Bank has identified the following persons to be the Key Management Personnel as per AS – 18 on Related Party Disclosures:

i. Shri M. V. Nair, Chairman & Managing Director

ii. Shri T.Y. Prabhu, Executive Director (till 26.08.2009)

iii. Shri S. C. Kalia, Executive Director (from 23.11.2009)

iv. Shri S. Raman, Executive Director

(Rs. in lacs)

	2009 - 10	2008 – 09
Remuneration paid to Chairman and Managing Director	27.27	19.76
Remuneration paid to Executive Directors	31.07	28.25
Total	**58.34**	**48.01**

9.5.2. The Bank carries on distribution of life insurance products of "Star Union Dai – Ichi Life Insurance Company Ltd." in which it holds 23% of the shares as strategic investment by contributing Rs. 57.50 crores as of 31.03.2010. (Previous year Rs. 2.30 crores). During the year the Bank has earned commission of Rs. 1,748.63 lacs (previous year Rs. 383.68 lacs) by selling their insurance products.

9.5.3. The bank holds 51% shareholding as a subsidiary business in Union KBC Assets Management Company Pvt. Ltd. by contributing Rs. 48.45 crores in AMC and Rs. 2.25 lacs in Trustee Co. i.e. Union KBC Trustee Company Pvt. Ltd. on 26.03.2010. The Companies have already received in principal approval from RBI and SEBI but are yet to commence the commercial activities.

9.6 Earning per Share – Accounting Standard – 20

The Bank reports basic earnings per equity share in accordance with Accounting Standard 20 on "Earning per Share". Basic Earning per Share is computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the year.

			31.03.2010	31.03.2009
I	Basic and Diluted EPS	Rs.	41.08	34.18
ii	Net Profit after Tax available for equity shareholders (Rs. In crores)		2074.92	1726.55
iii	Average number of equity shares (No. in crores)	No.	50.51	50.51
iv	Nominal value per share	Rs.	10.00	10.00

6.7 Consolidated Financial Statement (CFS) AS 21:

The subsidiary has decided to close its books of account on 30th September every year. This year being the first year, the subsidiary is yet to close its books.

9.8 Accounting Standard 22 – Accounting for Taxes on Income

The Bank has accounted for Income Tax in compliance with AS 22 on Accounting for Taxes on Income. Accordingly, Deferred Tax Assets and Liabilities are recognized. Tax effect on the components of Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities as on 31st March 2010 are as under:

(Rs. in crore)

		31.03.2010	31.03.2009
	Deferred Tax Assets		
1	Amortization of Premium on Investments	224.90	197.48
2	Employee Benefits	151.95	163.15
3	Wage Arrears	-	65.60
4	Depreciation on Fixed Assets	3.13	-
	Total	**379.98**	**426.23**
	Deferred Tax Liabilities		
1	Provision for diminution in value of securities	26.41	66.62
2	Depreciation on Fixed Assets	-	16.51
3	Accrued interest on securities	321.19	279.00
	Total	**347.60**	**362.13**
	Net Deferred Tax Liability		-
	Net Deferred Tax Asset	**32.38**	**64.10**

9.9 Accounting Standard 28

In the opinion of the Management, there is no indication for impairment during the year with regard to the assets to which Accounting Standard 28 applies.

9.10 Contingent liabilities referred to in Schedule-12 at S.No.(i) to (vi) are dependent upon, the outcome of court arbitration out of court settlement, the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvement and raising of demand by parties concerned, disposal of appeals respectively.

10. Provisions & Contingencies:

(Break up of 'Provision & Contingencies shown under the head in Profit & Loss)

(Rs. in crore)

	2009-10	2008-09
Provision (Reversal) for Depreciation on Investment	(117.34)	(39.00)
Provision towards NPA	698.92	546.48
Provision towards Standard Assets	20.95	80.11
Provision made towards Income Tax (IT) Deferred tax liability (DTL)	758.00	618.00
Provision made towards Fringe Benefit Tax (FBT)	0.00	12.00
Other Provision and Contingencies: - Shifting Loss - Restructured Advances - Others	 46.76 95.21 81.89	 14.14 94.49 29.23
TOTAL	**1584.39**	**1355.45**

11. Floating Provisions

(Rs. in crore)

	Particulars	2009-10	2008-09
i)	Opening Balance in the floating provisions	539.50	508.00
ii)	Floating provisions made during the accounting year	157.50	115.71
iii)	Amount of drawdown made during the accounting year	0	84.21
iv)	Closing balance in the floating provision account	697.00	539.50

12. Draw Down from Reserves

The Bank has not made any drawdown from the reserved during the year.

13. Disclosure of complaints

13.A Customer Complaints

(a)	No. of complaints pending at the beginning of the year	191
(b)	No. of complaints received during the year	11229
(c)	No. of complaints redressed during the year	9889
(d)	No. of complaints pending at the end of the year	1531

13.B Awards passed by the Banking Ombudsman

(a)	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	0
(b)	No. of Awards passed by the Banking Ombudsmen during the year	8
(c)	No. of Awards implemented during the year	8
(d)	No. of unimplemented Awards at the end of the year	0

14. Disclosure of Letter of Comfort (LoCs) issued

(Rs. in crore)

Letter of Comfort issued in earlier years and outstanding as on 01.04.2009	1207.72
Add : Letter of Comfort issued during the year	4052.25
Less : Letter of Comfort expired during the year.	3968.57
Letter of Comfort outstanding as on 31.03.2010	1291.40

15. **Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs**

15. A. **Concentration of Deposits**

(Rs. in crore)

Total Deposits of twenty largest depositors	24236
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the bank.	14%

15.B. **Concentration of Advances**

(Rs. in crore)

Total Advances of twenty largest borrowers	21175.12
Percentage of Advances of twenty largest borrowers to Total Advances of the bank.	17.46

15.C. **Concentration of Exposures**

(Rs. in crore)

Total Exposures of twenty largest borrowers customers	27581.67
Percentage of Exposures of twenty largest borrowers customers to Total Exposures of the bank on borrowers customers.	11.46

15.D. **Concentration of NPAs**

(Rs. in crore)

Total Exposures to top four NPA accounts	177.05

15.E. **Sector-wise NPAs**

(Rs. in crore)

Sr. No.	Sector	Percentage of NPAs to Total Advances in that sector (31.03.2010)
1	Agriculture & allied activities	2.16
2	Industry (Micro & small, Medium and Large)	2.90
3	Services	3.15
4	Personal Loans	3.14

15.F. **Overseas Assets, NPAs and Revenue**

(Rs. in crore)

Particulars	2009-10
Total Assets	3110.43
Total NPAs	7.02
Total Revenue	102.03

15 G. **Off – balance Sheet SPVs**

(Rs. In crores)

Name of the SPV sponsored	
Domestic	Overseas
Nil	

16. **Disclosure of – Bancassurance Business**

S. No.	Nature of Income	(Rs. in lacs)
1	For selling life and non life insurance policies	2527.56
2	For selling mutual fund products	131.88
3	Others (specify)	-

17. **Provision Coverage Ratio (PCR)**

Provision Coverage Ratio as on 31.03.2010 is 74.02%

18. Wage Revision

An amount of Rs. 367 crore including Rs. 170 crore during the year has been provided towards estimated liability in respect of revision in employee cost benefits.

19. In line with the Reserve Bank of India guidelines, the bank has implemented the Agricultural Debt Waiver and Debt Relief Scheme, 2008 and an amount of Rs. 744.47 crore had been waived for which preliminary claim was preferred with RBI in the month of October 2008 against which the bank has received Rs. 482 crore.

In line with the Reserve Bank of India guidelines in respect of Agricultural Debt Relief Scheme (OTS), the amounts due from eligible borrowers have been classified as standard.

20. The figures of the previous year have been regrouped rearranged wherever considered necessary.

SIGNATORIES TO SCHEDULES 1 TO 18

S.K.GUPTA DY. GEN. MANAGER	**N.S.MEHTA** GENERAL MANAGER	
S. RAMAN EXECUTIVE DIRECTOR	**S. C. KALIA** EXECUTIVE DIRECTOR	**M.V. NAIR** CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR
K.V.EAPEN DIRECTOR	**K.SIVARAMAN** DIRECTOR	**B. M. SHARMA** DIRECTOR
N SHANKAR DIRECTOR	**ASHOK SINGH** DIRECTOR	**DR. GULFAM MUJIBI** DIRECTOR
PROF. M.S.SRIRAM DIRECTOR	**ARUN KUMAR NANDA** DIRECTOR	**S. RAVI** DIRECTOR

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE ATTACHED

For CHANDABHOY & JASSOOBHOY CHARTERED ACCOUNTANTS	**For G. D. APTE & CO.** CHARTERED ACCOUNTANTS	**For JAGANNATHAN & SARABESWARAN** CHARTERED ACCOUNTANTS
(AMBESH A. DAVE) PARTNER (M. No. 49289)	**(CHETAN R. SAPRE)** PARTNER (M. No. 116952)	**(P S NARASIMHAN)** PARTNER (M. No. 20936)
For ARUN K. AGARWAL & ASSOCIATES CHARTERED ACCOUNTANTS	**For J. L. SENGUPTA & CO.** CHARTERED ACCOUNTANTS	**For OM PRAKASH S. CHAPLOT & CO.** CHARTERED ACCOUNTANTS
(ARUN AGARWAL) PARTNER (M. No. 082899)	**(S. R. ANANTHAKRISHNAN)** PARTNER (M. No. 18073)	**(MAHAVEER CHAPLOT)** PARTNER (M. No. 403633)

Place : MUMBAI
Date : 6th May, 2010

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2010

(Rs. in lacs)

Sr. No.	Particulars	Year Ended 31.03.2010	Year Ended 31.03.2009
A	Cash flow from operating activities	**(50,507)**	559,913
B	Cash flow from investing activities	**(20,043)**	(30,976)
C	Cash flow from financing activities	**49,726**	59,772
		(20,824)	588,709
D	Cash and cash equivalents at the beginning of the year	**1,598,493**	1,009,784
E	Cash and cash equivalents at the end of the year	**1,577,669**	1,598,493
F	Total Cash Flow during the year (A+B+C) or (E-D)	**(20,824)**	588,709
	BREAK UP DETAILS		
A	**CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES**		
	Interest received during the year from advances, investments etc.,	**1,317,604**	1,196,093
	Other Income	**197,829**	148,255
	Less : Interest paid on deposits, borrowings etc. (excl. subordinated debts)	**(871,409)**	(784,554)
	Operating expenses including provisions and contingencies	**(409,224)**	(356,956)
	Deferred tax ad ustments		(7,890)
	Add : Ad ustment for depreciation	**16,014**	13,658
	I. Cash profit generated from operations	**250,814**	208,606
	II. Cash flow from operating assets & liabilities		
	[increase (decrease)]in liabilities		
	Deposits	**3,133,692**	3,484,418
	Borrowings	**(75,959)**	(87,559)
	Other liabilities etc. (including write back of excess provision made in earlier years)	**70,712**	57,781
	Decrease (Increase) in Assets		
	Advances	**(2,278,107)**	(2,226,732)
	Investments	**(1,140,657)**	(917,433)
	Others	**(11,002)**	40,832
	Cash flow from operating assets & liabilities	**(301,321)**	351,307
	NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES (I+II)	**(50,507)**	559,913
B	**CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES**		
	Sale disposal of fixed assets	**528**	8,726
	Purchase of fixed assets	**(20,571)**	(39,702)
	NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES	**(20,043)**	(30,976)
C	**CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES**		
	Dividend 2007-2008		(20,205)
	Dividend Tax 2007-08		(3,434)
	Dividend 2008-2009	**(25,256)**	

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2010

(Rs. in lacs)

Sr. No.	Particulars	Year Ended 31.03.2010	Year Ended 31.03.2009
	Dividend Tax 2008-09	**(4,292)**	
	Proceeds of subordinated debts - Tier II Capital		80,000
	Interest on Tier II Capital	**(40,726)**	(30,589)
	Subordinate Upper Tier II Capital	**100,000**	0
	Perpetual Bonds	**20,000**	34,000
	NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES	**49,726**	59,772
D	**CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR**		
	Cash and Balances with RBI (including FC notes)	**899,205**	945,474
	Balances with banks and Money at call	**699,288**	64,310
	Net cash and cash equivalents at the beginning of the year	**1,598,493**	1,009,784
E	**CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR**		
	Cash and Balance with RBI (including FC notes)	**1,246,824**	899,205
	Balances with banks and Money at call	**330,845**	699,288
	Net cash and cash equivalents at the end of the year	**1,577,669**	1,598,493

(S. RAMAN)	**(S. C. KALIA)**	**(M. V. NAIR)**
EXECUTIVE DIRECTOR	EXECUTIVE DIRECTOR	CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

Auditors Certificate :

We, the undersigned Statutory Auditors of the Union Bank of India, have verified the above Cash Flow Statement of the Bank for the year ended 31.03.2010. The statement has been prepared in accordance with the requirements of the clause 32 of the listing agreement with the Stock Exchange and is based on and in agreement with the corresponding Profit & Loss Account and the Balance Sheet of the Bank covered by our report of the 6th May, 2010 to the members.

For CHANDABHOY & JASSOOBHOY
CHARTERED ACCOUNTANTS

(AMBESH A. DAVE)
PARTNER (M. No. 49289)

For G. D. APTE & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

(CHETAN R. SAPRE)
PARTNER (M. No. 116952)

For JAGANNATHAN & SARABESWARAN
CHARTERED ACCOUNTANTS

(P S NARASIMHAN)
PARTNER (M. No. 20936)

For ARUN K. AGARWAL & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS

(ARUN AGARWAL)
PARTNER (M. No. 082899)

For J. L. SENGUPTA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

(S. R. ANANTHAKRISHNAN)
PARTNER (M. No. 18073)

For OM PRAKASH S. CHAPLOT & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

(MAHAVEER CHAPLOT)
PARTNER (M. No. 403633)

Place : MUMBAI
Date : 6th May, 2010

RISK MANAGEMENT

Disclosure under the New Capital Adequacy Framework

Guidelines - Basel II (Pillar 3) – March 2010

Disclosures in this report pertain to Union Bank of India (Solo). The Capital to Risk-weighted Assets Ratio (CRAR) of the bank is as under:

CRAR %	12.51%
CRAR – Tier 1 Capital %	7.91%
CRAR – Tier 2 Capital %	4.60%

Table DF-1

1. Scope of Application

Qualitative Disclosures

Union Bank of India is one of the top Public Sector Banks in India. The bank holds 51% shareholding as a subsidiary business in Union KBC Asset Management Company Pvt. Ltd. The company has already received in principle approval from RBI and SEBI but is yet to commence the commercial activities. The subsidiary is yet to close its books as it has decided to close its books on 30th September every year.

The Bank has sponsored 2 RRBs Kashi Gomati Samyut Gramin Bank Varanasi and Rewa Sidhi Gramin Bank. Bank s investments in these RRBs are Rs.19.15 crs. Both the RRBs are profit making and are working satisfactorily. There is no capital deficiency in these two RRBs. The financials of these RRBs are not consolidated with the balance sheet of the bank.

Quantitative Disclosures

The Bank has entered into oint venture agreement for insurance, which is furnished below and the investment in the oint venture is not deducted from the capital funds of the bank but is assigned risk –weights as an investment as the investment is less than 30% of paid up capital of the company.

- Star Union Dai-ichi (SUD) Life Insurance Co., with 23% in the paid-up capital (Bank of India 51% & Dai-ichi Mutual Life insurance, Japan – 26%).

Details of Star Union Dai-ichi (SUD) Life Insurance Co. Ltd.

Name of the Company :	Star Union Dai-ichi (SUD) Life Insurance Co. Ltd.
Country of Incorporation :	India
Proportion of ownership interest :	23%
Proportion of Voting Power :	25% (viz. 2 votes)
Authorised Capital of SUD Life Insurance : Co.Ltd	Rs. 250.00 crs
Paid up Capital :	Rs. 250.00 crs
Union Bank s share in paid up : capital (viz.23%)	Rs. 57.50 crs

Further, the Bank has entered into oint venture with KBC Asset Management Co., Belgium for Mutual Fund business and the investment amount in this company is deducted from the capital funds (50% from Tier 1 capital and 50% from Tier 2 capital) of the bank as the investment is more than 30% of paid up capital of the company.

Under the same, an asset management and a trustee company has been formed. The details of the companies are furnished as under:

Details of Union KBC Asset Management Company Pvt. Ltd.

Name of the Company :	Union KBC Asset Management Company Pvt. Ltd.
Country of Incorporation :	India
Proportion of ownership interest of Union Bank :	51%
Proportion of Voting Power :	50% (viz. 2 votes)
Authorised Capital of Union KBC Asset Management : Co. Pvt. Ltd	Rs.100.00 crs
Paid up Capital :	Rs.95.00 crs
Union Bank s share in paid up : capital (viz.51%)	Rs. 48.45 crs

Details of Union KBC Trustee Company Pvt. Ltd.

Name of the Company :	Union KBC Trustee Company Pvt. Ltd.
Country of Incorporation :	India
Proportion of ownership interest of Union Bank :	51%
Proportion of Voting Power :	50% (viz. 1 vote)
Authorised Capital of Union KBC Trustee : Co. Pvt. Ltd	Rs. 5 lakhs
Paid up Capital of Union KBC Trustee Co. Pvt. Ltd	Rs. 5 lakhs
Union Bank s share in paid up : capital (viz.51%)	Rs. 2.55 lakhs

Table DF-2

2. Capital Structure

Qualitative Disclosures

2.1 Equity Capital:

2.1.1. The bank has authorized share capital of Rs.3000.00 crore. As on 31st March 2010, the bank has issued, subscribed and paid up equity capital of Rs.505.12 crore, constituting 50,51,17,900 number of shares of Rs.10 each. 55.43% shareholding constituting 28,00,00,000 number of shares is with the Government of India as of 31.03.2010. The bank s shares are listed on the National Stock Exchange (NSE) and

Bombay Stock Exchange (BSE).

2.2 Debt Capital Instruments:

2.2.1. Bank has issued Innovative Perpetual Bonds (Tier 1 capital) and also other bonds eligible for inclusion in Tier 2 capital. Some of the important terms of the bonds are as under:

a. Perpetual Unsecured Non-Convertible Subordinated bonds in the nature of promissory notes (Tier 1 bonds)

Series	Date of Allotment	Bond Amount (Rs.in crs)	Coupon Rate % (p.a.)	Tenor	Call Option*	Put Option
X-First Tranche	10.10.2006	300	9.45 upto 10 yrs Step up to 9.95 after 10th year.	Perpetual	Call at the end of 10th year.	None
XI-Second Tranche	12.12.2007	200	9.90 upto 10 years Step up to 10.40 from 10th year.	Perpetual	Call at the end of 10th year.	None
XII- Perpetual	09.09.2008	200	11.15% upto 10 years Step up to 11.65% from 10th yr, if call option not exercised	Perpetual	Call at the end of 10th year	None
XII- Perpetual	30.03.2009	140	9.10% upto 10 years Step up to 9.60% from 10th yr, if call option not exercised	Perpetual	Call at the end of 10th year	None
XIV-A Perpetual	16.06.2009	200	8.85% upto 10 years Step up to 9.35% from 10th yr, if call option not exercised	Perpetual	Call at the end of 10th year	None
TOTAL		**1040**				

b. Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated bonds in the nature of promissory notes (Upper tier 2 bonds) with call option at the end of 10th year

Series	Date of Allotment	Bond Amount (Rs.in crs)	Coupon Rate% (p.a.)	Maturity Date	Call Option	Put Option
X-Second Tranche Upper Tier 2	16.10.2006	750	8.95 with step up to 9.45 after 10th year.	16.10.2021	Call at the end of 10th year	None
XIV-B Upper Tier 2	25.06.2009	500	8.65 upto 10 years - Step up to 9.15 from 10th year if call option not exercised.	25.06.2024	Call at the end of 10th year	None
XIV-C Upper Tier 2	27.01.2010	500	8.55 upto 10 years - Step up to 9.05 from 10th year if call option not exercised.	27.01.2025	Call at the end of 10th year	None
TOTAL		**1750**				

c. Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated bonds in the nature of promissory notes (Lower Tier 2 bonds)

Series	Date of Allotment	Bond Amount (Rs.in crs)	Coupon Rate % (p.a)	Maturity Date	Call Option	Put Option
V	07.03.2003	400	6.90	07.04.2010	None	None
VI	03.09.2003	250	5.95	03.05.2013	None	None
VII	08.02.2005	450	7.15	08.05.2015	None	None
VIII- Floating	23.09.2005	200	Benchmark+ 55 bps	23.04.2012	None	None
VIII-Fixed	23.09.2005	600	7.45	23.04.2015	None	None
IX	19.05.2006	200	8.33	19.05.2016	None	None
XI- Lower Tier 2 – First tranche	12.12.2007	400	9.35	12.04.2018	None	None
XII- Lower Tier 2	17.09.2008	400	10.95	17.09.2018	None	None
XII- Lower Tier 2	23.12.2008	200	9.50	23.12.2018	None	None
XII- Lower Tier 2	30.12.2008	200	8.60	30.12.2018	None	None
TOTAL		**3300**				

d. Total Active Bonds (Rs in crs)

TOTAL ACTIVE BONDS (a+b+c)	6090

Quantitative Disclosures

2.3 The tier 1 capital of the bank comprises:

(Rs.in crs)

i)	Paid up share capital	505
ii)	Reserves (excluding revaluation reserves)	8299
iii)	Innovative Perpetual Bonds	1040
iv)	Other Capital Instruments	--
Deductions		
v)	Equity Investment in subsidiaries (50%) (KBC:24 cr + RRBs: 10 cr)	34
vi)	Intangible Assets:(Deferred Tax Assets (32cr)+Computer Software(18 cr) + illiquid securities (63 cr)	113
Tier I Capital (i + ii + iii + iv –v –vi)		9697

2.4 The amount of Tier 2 capital (net of deductions) is Rs.5639 Crs.

Total Tier 2 capital	Rs.5673 crs
Less: equity investment in subsidiaries (50%) (KBC:24 cr + RRBs: 10 cr)	Rs. 34 crs
Tier 2 capital after deductions	Rs.5639 crs

2.4.1. The debt capital instruments eligible for inclusion in Upper tier 2 capital are: (Rs.in crs)

Total amount outstanding	1750
Of which amount raised during the current year	1000
Amount eligible to be reckoned as capital funds	1750

2.4.2. The subordinated debts eligible for inclusion in Lower Tier 2 capital is : (Rs.in crs)

Total amount outstanding	3300
Of which amount raised during the current year	-
Amount eligible to be reckoned as capital funds	2680

2.5 There are no other deductions from capital.

2.6 The total eligible capital comprises: (Rs.in crs)

Tier – I Capital	9697
Tier – II Capital	5639
Total Capital Funds	15336

Table DF-3

3. Capital Adequacy

Qualitative Disclosures

3.1. Bank maintains capital as a cushion towards the risk of loss in value of exposure, businesses, etc., to protect the interest of stake holders, more particularly, depositors.

3.2. Bank has system in place for assessing the capital requirements based on current and future business activities and monitoring the same on an ongoing basis. The bank considers that capital availability is the central theme in the whole process and its computation is relatable to policy, strategy, business level composition, Supervisory concern and Disclosure issues. Towards this, bank has evolved a well laid down Internal Capital Adequacy Assessment Process (I-CAAP) framework and carries out capital calculation under Pillar-2 also of Basel-II at periodical intervals besides Pillar 1 Capital calculation. The bank has formulated Stress Testing policy to measure impact of adverse stress scenarios on the adequacy of capital at periodical intervals.

3.3. In line with RBI guidelines, the bank has adopted following approaches for implementation of New Capital Adequacy Framework – Basel II.

- Standardised Approach for credit risk
- Basic Indicator Approach for operational risk
- Standardised Duration Approach for market risk

3.4. Bank plans capital requirements and reviews the same on quarterly basis. Bank has done capital assessment upto 2011.

Quantitative Disclosures

3.5. A summary of the bank s capital requirement for credit, market and operational risk and the capital adequacy ratio as on 31st March 2010 is given as hereunder:

(Rs.in crs)

A. Capital Requirements for Credit Risk: - Portfolios sub ect to Standardized Approach @ 9% - Securisation Exposures	 9084.24 ---
B. Capital Requirements for Market Risk • Standardized Duration Approach - Interest Rate Risk - Foreign Exchange Risk (including gold) - Equity Risk	 438.18 12.15 151.48
C. Capital Requirements for Operational Risk • Basic Indicator Approach (RWA – 6974.77 crs @ 9%)	 627.73
D. Capital Adequacy Ratio of the Bank (%)	12.51 %
E. Tier 1 CRAR (%)	7.91%

General Qualitative disclosures

3.3. Risk Management : Objectives and Organization Structure

The bank has a credible and comprehensive risk management structure and taken various initiatives to strengthen the risk management practices. The Bank has an integrated approach for management of risk. The risk management policies are

commensurate with the business requirements and are as per the guidelines of Reserve Bank of India. The risk management system encompasses the different types of risks viz. credit risk, market risk and operational risk.

The bank has also formulated board approved country specific risk policy for its Hong kong branch and the policies are drawn based on the risk dimensions of Hong Kong economy and the bank s risk appetite.

The Board of Directors of the Bank has an oversight of Risk Management activities of the Bank. The Bank s Supervisory Committee of Directors on Risk Management is the Apex Body Committee to oversee various Risk Management activities. The Bank also has separate Committees of Top Executives i.e., Credit Risk Management Committee (CRMC), Asset & Liability Committee (ALCO) and Operational Risk Management Committee (ORMC) to deal with Credit, Market and Operational Risk respectively. Further, the bank has Risk Management organizational structure in place not only at corporate office but also at Regional Offices Field General Manager s Offices. The broad risk management organizational structure of the bank is furnished as under:

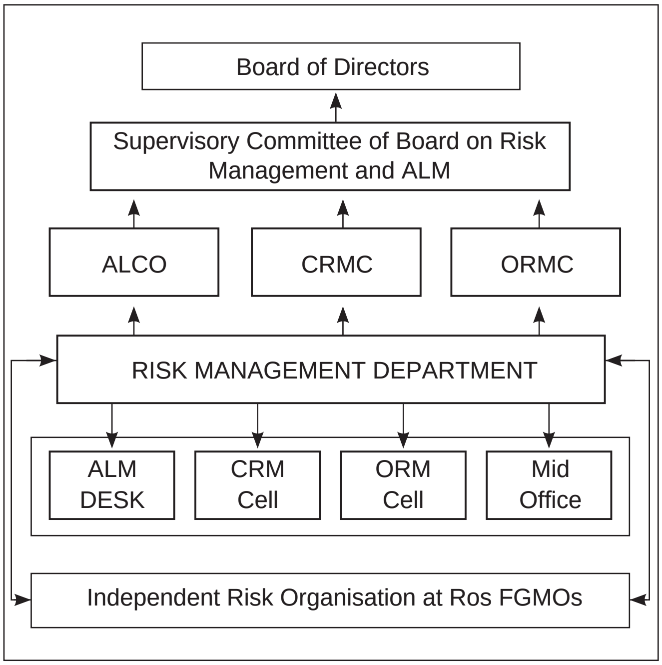

3.3.1. Credit Risk:

Credit Risk Governance

- Credit Risk covers the inability of a borrower or counterparty to honour commitments on due date in respect of payment of interest and instalments.
- The Bank is exposed to Credit Risk through Lending and Investment activities.
- Bank has well laid down Loan Policy, Credit Risk Management Policy, Real Estate Policy and Credit Risk Mitigation (CRM) Techniques & Collateral Management Policy which covers guidelines on the entire gamut of Credit Risk Management Process. Loan Policy & Credit Risk Management Policy, spells out the target markets, risk acceptance avoidance, risk tolerance, preferred levels of diversification and concentration, credit risk measurement, monitoring and controlling mechanisms.
- Bank has an appropriate and independent organizational structure with an oversight mechanism for management of credit risk, which includes Credit Risk Management Committee (CRMC) of Top Executives and a separate Risk Management Department looking after the Credit Risk. Besides, there is a separate Board Level Committee i.e., Supervisory committee of the Board to oversee the functioning of Risk Management and ALM.
- CRMC deals with issues relating to credit policy, procedures and control measures for credit risk on a Bank-wide basis.

Credit Granting Process

- Loan Policy of the bank covers in detail guidelines on credit granting process which among other things include
  - Thrust area and non thrust area
  - Due diligence criteria
  - KYC norms
  - Method of assessment of finance
  - Minimum credit standards
  - Take over code norms, etc.

Credit Monitoring System

Credit monitoring is a continuous process. Bank has separate policy on credit monitoring which includes guidelines on:

- Identification of EAS SMA accounts and trigger points for initiating timely action.
- Periodicity of review of the borrowal accounts based on credit quality. Borrowers with lower credit rating are sub ect to more frequent reviews.
- Submission of periodical monitoring reports.
- Different hierarchical levels for monitoring.

Credit Rating Framework

- Bank has comprehensive internal credit rating scoring models being applied in the Credit Administration and Approval process. Credit rating framework is a combination of quantitative and qualitative aspects. Credit Rating depicts credit quality and predicts probability of default.
- Credit Rating models are in place for Credit Rating of Borrowers, Non-SLR Investments, Inter Bank Exposures and Exposure to NBFC.
- Credit scoring models are in place for retail lending schemes.

- Independent assignment of Credit Rating is in place. The Credit Rating is reviewed annually and for high-risk credits half-yearly.
- There are 8 risk-rating grades in standard category and upto Credit Rating-5 is fixed as ‘investment grade .
- The bank carries out analysis on rating wise distribution of borrowers on obligor basis and portfolio basis at periodical intervals and monitors the same.

Credit Approval Grid System

- Bank has established comprehensive Credit Grid Approval System at Regional Offices Field General Manager s Offices and Central Office to examine all credit exposures with representative of risk management department.

Credit Concentration Risk

- The bank has fixed prudential regulatory ceilings for various category of advances for diversifying the credit portfolio. The bank has well diversified credit portfolio.
- Bank monitors the adherence to the exposure ceilings on a quarterly basis. Bank also has a well-established system of monitoring large exposure through monthly monitoring report. The credit portfolio of the bank is well diversified so as to reduce concentration in any area. If bank s portfolio falls below the desired degree of diversification, immediate steps are initiated to shift risk away from individual - group exposure industry sector, etc.
- Credit Risk appetite of the Bank is defined through Annual Budgeting Process by fixing ceilings prudential limits for different types of exposures and fixing prudential limits in the risk management policies.

Risk Profiling

- Bank also compiles a Credit Risk Profile Template (RPT) on a quarterly basis, by which it assesses the level and direction of inherent business risks, internal control risk and resultant net credit risk based on the following:
  - Exposure to single borrower group borrowers
  - Substantial exposure limits
  - Exposure to sensitive sectors i.e., capital market Real Estate and NBFC.
  - Unsecured advances and guarantees
  - Exposure to top 20 borrowers
  - Exposure to industries sectors
  - Geography-wise exposure

3.3.2. Market Risk

- Market Risk Management is covered in Treasury Policy and ALM Policy.
- There is a clear-cut separation between front office, back office and mid-office.
- Mid-office directly reports to the Risk Management Department.
- Various Limits – for domestic and foreign exchange operations, e.g. Overnight Position limit, Daylight Open Position limit, VaR limits, Deal size limits, Stop Loss limits, Aggregate Gap Limit (AGL), Individual Gap Limit (IGL), counterparty limits etc. are in place.
- Value at Risk (VaR) is being monitored on AFS G-sec, equity Portfolio and forex transactions on a daily basis.

3.3.2.1 Interest Rate Risk In banking Book:

- Bank carries out Duration Gap Analysis (DGA) to capture impact of changes in interest rates by 200 bps on market value of equity in terms of RBI Guidelines.

3.3.3. Operational Risk

- A well laid down board approved Operational Risk Management Policy is in place.
- Presently, Operational Risk is managed through Internal Control System, Internal Audit Process.
- New Product Approval Process is in place.
- Analysis of frauds is done from the angle of operational risk to assess the adequacy and efficacy of internal controls.
- Guidelines for mapping bank s activities and income are in place.
- Since internal Operational Risk (OR) Loss Data points are limited in number, bank has agreed in principle to oin external data pooling exercise of IBA.

Table DF-4

Qualitative Disclosures

4. Credit Risk - General Disclosures

4.1. Overdue: Any amount due to the bank under any credit facility is “overdue” if it is not paid on the due date fixed by the bank.

4.2. An impaired Asset: An impaired asset is a loan or an advance when it ceases to generate income for the bank. A Non Performing Asset (NPA) is a loan or an advance where:

a) Interest and or installment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan.

b) The account remains out of order in respect of an overdraft cash credit (OD CC):

- if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit drawing power.
- In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the

date of balance sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period.

c) In case of bills purchased & discounted, if the bill remains overdue for a period of more than 90 days.

d) In case of Crop Loans

1. The installment of principal or interest thereon, remains overdue for two crop seasons in case of short duration crop.
2. Installment of principal or interest there on, remains overdue for one crop season in case of long duration crop.

e) If interest charged (including monthly interest) during any quarter is not serviced fully within 90 days from the end of the quarter.

f) Any amount to be received remains overdue for a period of more than 90 days in respect of other accounts.

4.3. Credit Risk Management Policy: Bank has board-approved Credit Risk Management Policy besides Loan Policy. While Loan Policy covers business issues, Credit Risk Management Policy deals with risk issues.

Credit Risk Management Policy covers guidelines on:

- Credit Risk Rating framework and pricing
- Credit Grid Approach,
- Prudential Regulatory ceilings, such as industry wise exposure, sensitive sector exposure (capital market real estate exposure,
- Loan review mechanism,
- Portfolio management,
- Off-balance sheet exposure,
- Problem loan management,
- Basel II implementation, etc.

Quantitative Disclosures

4.4 The total gross credit risk exposures are:

(Rs in Crores)

Category	Amount
Fund Based (Credit: 121249 cr) + HTM: 37404 cr)	158653
Non Fund Based	22589
TOTAL	**181242**

4.5 The geographic distribution of exposures is:

(Rs in Crores)

	Overseas	Domestic
Fund Based	2977	155676
Non-fund based	68	22521
Total	**3045**	**178197**

4.6. Industry type distribution of exposures (Fund Based) is as under:

Sr. No.	Code	Industry	31.03.2010	
			(Rs. in crs)	Exposure above 5%
1	1	Coal	95	-
2	2	Mining	881	-
3	3	Iron and Steel	4670	-
4	4	Other Metal & Metal Products	806	-
5	5	All Engineering	1009	-
6	6	Electricity	6369	5.25
7	7	Cotton Textiles	1503	-
8	8	Jute Textiles	104	-
9	9	Other Textiles	2685	-
10	10	Sugar	503	-
11	11	Tea	144	-
12	12	Food Processing	1443	-
13	13	Vegetable Oils & Vanaspati	222	-
14	14	Tobacco & Tobacco Products	43	-
15	15	Paper & Paper Products	498	-
16	16	Rubber & Rubber Products	653	-
17	17	Chemicals, Dyes, Paints etc.	2342	-
		of which Fertilisers	26	-
		of which Petrochemicals	150	-
18	18	Cement	580	-
19	19	Leather & Leather Products	186	-
20	20	Gems and Jewellery	1810	-
21	21	Construction	2506	-
22	22	Petroleum	1741	-
23	23	Automobiles including Trucks	899	-
24	24	Computer Software	1166	-
25	25	Infrastructure	6022	-
26	26	NBFCs	9019	7.44
27	27	Other Industries	3359	-
		TOTAL	**51258**	**42.28**
28	28	Residuary Other Advances	69991	57.72
		Grand Total	**121249**	**100.00**

Industry type distribution of exposures (Non-Fund Based) is as under:

Sr. No.	Code	Industry	31.03.2010	
			(Rs. in crs)	Exposure above 5%
1	1	Coal	0.47	-
2	2	Mining	11.13	-
3	3	Iron and Steel	1494.00	6.61
4	4	Other Metal & Metal Products	449.00	-
5	5	All Engineering	522.00	-
6	6	Electricity	149.00	-
7	7	Cotton Textiles	41.80	-
8	8	Jute Textiles	5.17	-
9	9	Other Textiles	68.81	-
10	10	Sugar	9.34	-
11	11	Tea	2.56	-
12	12	Food Processing	157.34	-
13	13	Vegetable Oils & Vanaspati	42.13	-
14	14	Tobacco & Tobacco Products	3.84	-
15	15	Paper & Paper Products	71.20	-
16	16	Rubber & Rubber Products	84.04	-
17	17	Chemicals, Dyes, Paints etc.	377.96	-
		of which Fertilisers	9.57	-
		of which Petrochemicals	0	-
18	18	Cement	8.70	-
19	19	Leather & Leather Products	285.07	-
20	20	Gems and Jewellery	273.90	-
21	21	Construction	595.55	-
22	22	Petroleum	3.80	-
23	23	Automobiles including Trucks	897.24	-
24	24	Computer Software	107.80	-
25	25	Infrastructure	875.49	-
26	26	NBFCs	19.70	-
27	27	Other Industries	22.45	-
		TOTAL	**6579.49**	**29.13**
28	28	Residuary Other non fund based credit facilties	16009.18	70.87
		Grand Total	**22588.67**	**100.00**

4.7. The residual contractual maturity break down of assets is:

(Rs in Crore)

Maturity Pattern	Advances	Investments	Foreign Currency Assets
Next day	2133.63	1.50	386.36
2 - 7 days	2797.62	1633.67	685.67
8 -14 days	2837.78	73.79	117.39
15- 28 days	4031.75	697.56	302.82
29days - 3months	15597.84	1106.90	1650.28
>3months-6months	6511.74	4775.25	2107.24
>6months-1yr	16326.95	4166.38	898.68
>1yr-3yrs	42170.20	1953.72	390.14
>3yrs-5yrs	9706.72	4771.14	447.61
>5yrs	17201.06	35223.61	462.53
Total	119315.30	54403.52	7448.72

4.8 The gross NPAs are: (Rs. in Crore)

Category	
Sub Standard	1444
Doubtful – 1	463
Doubtful – 2	319
Doubtful – 3	345
Loss	100
Total NPAs (Gross)	2671

4.9. The amount of net NPAs is Rs.965 crores.

4.10 The NPA ratios are as under:

- Gross NPAs to Gross Advances : 2.20%
- Net NPAs to Net Advances : 0.81%

4.11. The movement of gross NPAs is as under:

(Rs. in Crore)

i) Opening Balance at the beginning of the year	1923
ii) Addition during the year	1785
iii) Reduction during the year	1037
iv) Closing Balance as at the end of the year (i+ii-iii)	2671

4.12. The movement of provision for NPAs is as under:

(Rs in Crore)

i) Opening Balance at the beginning of the year	1549
ii) Provisions made during the year	699
iii) Write-off made during the year Write –back	605
iv) Closing Balance as at the end of the year (i+ii-iii)	1643

4.13. The amount of non-performing investment is Rs.5.93 cr.

4.14. The amount of provisions held for non-performing investment is Rs.5.93 cr.

4.15. The movement of provisions for depreciation on investments is as under:

(Rs in Crore)

i) Opening balance at the beginning of the year	197
ii) Provisions made during the year	1
iii) Write-off made during the year Write-back	118
iv) Closing balance as at the end of the year (i+ii–iii)	80

Table DF-5

Qualitative Disclosures

5. Credit Risk: disclosures for portfolios sub ect to the standardized approach

5.1. Bank has approved the following 4 domestic credit rating agencies accredited by RBI for all eligible exposures.

- CRISIL
- CARE
- FITCH India
- ICRA

5.1.1. Bank has also approved the following 3 international credit rating agencies identified by RBI.

- Standard & Poor
- Moody s
- FITCH

5.2. Corporate borrowers and Public Sector Enterprises are being encouraged to solicit ratings from approved external rating agencies. The ratings available in public domain are mapped for the purpose of calculation of risk-weighted assets as per RBI guidelines on mapping.

Quantitative Disclosures

5.3. The exposure amounts after risk mitigation (sub ect to the standardized approach) in different risk buckets are as under:

(Rs in crore)

i)	Below 100% risk weight exposure outstanding	35354.45
ii)	100% risk weight exposure outstanding	87991.65
iii)	More than 100% risk weight exposure outstanding	4096.03
Total		**127442.13**

Table DF-6

6. Credit Risk Mitigation: disclosures for standardized approaches

Qualitative Disclosures

6.1. Bank has board approved policy on Credit Risk Mitigation (CRM) Techniques & Collateral Management, which covers guidelines for selection of collaterals, risk in collaterals, valuation and inspection of collaterals, eligible financial collaterals, guarantees and RBI stipulated haircuts.

6.2. The main types of collaterals taken by the bank are as under:

6.2.1. Eligible financial collaterals recognized as Credit Risk Mitigants under the Standardised Approach as per RBI guidelines on New Capital Adequacy Framework (NCAF),

- √ Cash or cash equivalent (bank deposits NSCs KVP LIC Policy, etc),
- √ Gold
- √ Securities issued by Central State Governments
- √ Debt securities rated BBB- or better PR3 P3 F3 A3 for short term debt instruments

6.2.1.1. Bank reduces its credit exposure to a counter party with the haircut-ad usted value of eligible financial collaterals to factor risk mitigation effect of the collaterals.

6.2.2. Movable and immovable assets landed properties etc.

6.2.3. The guarantees include guarantees given by corporate, bank and personal guarantees. This also includes advances guaranteed by ECGC, CGFTI and State Central Governments, etc.

Quantitative Disclosures

6.3. Under the standardised approach for credit risk, the total credit risk exposure, after giving effect to eligible financial collateral of Rs.11054.28 crs, is Rs.130455.54 crs. The Risk portfolio wise break up of eligible financial collateral is as follows:

(Rs.in crore)

Risk Portfolio	Mitigants	Percentage Contribution
Claims On Domestic Sovereign	286.37	2.59%
Claims On Banks	16.53	0.15%
Claims On Public Sector Enterprises	183.56	1.66%
Claims On Primary Dealers	0.13	0.00%
Claims On Corporate	5651.50	51.13%
Claims On Regulatory Retail	4504.29	40.75%
Claims Secured By Residential Property	14.06	0.13%
Claims Secured By Commercial Real Estate	94.17	0.85%
Non Performing Assets	67.32	0.61%
Consumer Credit Including Personal Loans & Credit Card Receivables	12.04	0.11%
Capital Market Exposures	167.21	1.51%
Claims On NBFCs	15.79	0.14%
Staff Advances	41.31	0.37%
GRAND TOTAL	**11054.28**	**100.00**%

6.4. Under the Standardised approach for Credit Risk, following is the break up of exposure covered by the eligible Guarantors:

(Rs.in crore)

Guarantor Type	Exposure Covered	Percentage Contribution
Claims guaranteed by Central Government	1.10	0.03%
Claims guaranteed by State Government	899.45	22.19%
Claims on ECGC	3152.26	77.78%
Claims on CGTSI	0.17	0.00%
Claims on DICGC	0.01	0.00%
TOTAL	**4052.99**	**100.00**%

Table DF-7

7. Securitisation: disclosure for standardized approach

7.1. At present, the bank s role in securitisation has been an investor in securitized instrument. Bank s outstanding in securitized instrument by way of investment as on 31.03.2010 is Rs.19.42 crs.

Table DF-8

8. Market Risk in Trading Book

Qualitative Disclosures

Market Risk is “the risk that value of ‘on or ‘off Balance Sheet positions will be adversely affected by movements in equity and interest rate markets, caused by exchange rates and commodity asset prices”.

(a) The portfolios covered by the standardised approach for computation of market risk are as under:
- Securities Held under Held for Trading (HFT),
- Securities Held under Available for Sale (AFS),
- Trading position in Derivatives,
- Derivatives entered into for Hedging Trading Books exposures,
- Open Foreign Exchange Position & Open Gold Position.

The rest of the assets – i.e. Investments under Held to Maturity portfolio and advances – are treated as Banking Book. Brief description of the Market Risk Management ob ectives and policies are as below:

(i) Strategies and Processes:

Policies

Bank has well laid out Treasury Policy (covering Investment Portfolio, Foreign Exchange Operations & Derivative Operations) and Asset Liability Management (ALM) Policy in place duly approved by the Board. The policies ensure that operations in Securities, Foreign Exchange and Derivatives are conducted in accordance with sound & acceptable business practices and are as per the extant Regulatory Guidelines, Laws Governing Transactions in Financial Instruments & Financial Markets. The policies are reviewed every year and if required more frequently, to incorporate changes in Rules & Regulations by Regulatory Authorities Government, Business Requirements and Economic Environment.

Liquidity Risk

Bank uses ‘Cash-Flow Approach & ‘Stock Approach for managing, monitoring & measuring liquidity risk. Liquidity Risk is tracked through maturity or cash flow mismatches. Use of maturity ladder and calculation of cumulative ‘surplus or ‘deficit of funds at selected maturity dates, known as ‘time-buckets , is adopted as standard tool for measuring Liquidity Risk. Prudential limits on tolerance level of mismatches are in place and monitored on fortnightly basis. Under stock approach, various ratios limits are in place e.g. – Call Borrowing, Inter-Bank Liabilities, Wholesale Deposits, Commitment Ratio, Purchased Funds to Liquid Assets Ratio etc. Stress tests are carried out at various levels of adversity. The Liquidity Funds requirements under Stress Situations, sources of raising the funds & its possible impact on Profit & Loss are worked out at quarterly interval.

Wholesale Deposits are monitored on a daily basis. Short-term

Dynamic Liquidity Statement is prepared and monitored on a fortnightly basis to assess the Liquidity Position, which takes into account the Business Growth.

Interest Rate Risk

Bank uses Traditional Gap Analysis (TGA) to assess the impact on the Net Interest Income (NII) of the bank in short run, i.e. upto end of Financial Year. Bank s investment portfolio is monitored on basis of duration analysis. VaR methodology is followed for dated securities under SLR and Equities. Prudential limits for VaR have been fixed and monitored on a daily basis and reported to the Top Management.

Bank also uses Duration Gap Analysis (DGA) to assess long-term impact of changes in interest rate on Market Value of Equity (MVE) in terms of RBI Guidelines.

Foreign Exchange Risk

The Bank has fixed various exposure limits such as Maximum Daylight Limit, Overnight Limit, Aggregate Gap Limit (AGL), Stop Loss Limit and Deal Size Limits. Bank has also fixed VaR limit on Foreign Exchange position which is being monitored on daily basis. Derivative transactions are monitored by fixing prudential limit for open position and a cap for PV01 on the outstanding derivatives.

Equity Price Risk

In terms of Banks Treasury Policy, limits are in place with respect to Trading Book size in Equity, Deal size, Holding Period & Stop Loss Limits. These limits are monitored on a daily basis.

(b) Structure and Organisation of Market Risk Management function:

The Board of Directors approves policies covering management of Market Risk. The Board is supported by three levels:

- Supervisory Committee of ALM & Risk Management
- Asset Liability Management Committee
- General Manager (Risk Management Department)

(c) Scope:

Bank has put in place various limits to measure, monitor & manage market risk. Day Light Limits, Overnight Limits, Deal-size Limits, Aggregate Gap Limits (AGL), Individual Gap Limits (IGL), Stop Loss Limits, Trading Book size, Issuer wise Limits, Rate Sensitivity Limits, VaR limits, etc.

The limits are monitored on daily basis and a reporting system to the top management is in place.

Stress testing Framework for Liquidity & Market Risk is in place & stress tests are conducted on quarterly basis. The results are deliberated at ALCO & placed before the Board.

(iv) Hedging & mitigating risk:

Policies for hedging Banks position are laid down in the Bank s Treasury Policy. Hedge transactions for banking books are assessed reviewed at periodic intervals.

Quantitative Disclosures

Bank has adopted the Standardised Duration Approach as prescribed by RBI for computation of capital charge for market risk. The capital requirements for market risk are as under:

(Rs in Cr)

Risk Category	Capital Charge
Interest Rate Risk	438.18
Equity Position Risk	151.48
Foreign Exchange Risk (including gold)	12.15
Total capital charge for market risk under standardised duration approach	601.81

Table DF-9

9. Operational Risk

Qualitative Disclosures

Operational Risk Governance

- Operational Risk is the risk of losses resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events.
- Operational Risk exists at all levels and at all business lines.
- At present, operational risk is largely managed through internal controls and audit system.
- Bank has put in place the following measures to control mitigate operational risk.
  - System of delegated authority covering credit and expenditure
  - Book of instructions and issuance of instructions through circulars from time to time
  - Continuous training process
  - Preventive vigilance
  - Insurance
  - Risk Based Internal Audit
  - Outsourcing policy
  - Compliance Policy
  - Policy on Business Continuity
- Bank has well laid down Operational Risk Management Policy, which covers :
  - Organisational structure
  - Identification, assessment, monitoring and control of operational risk.
  - Capital Charge for operational risk
  - Reporting framework
  - Guidelines on reporting and collection of Operational Risk Loss Data
  - Policy on mapping of activities to 8 business lines

- Bank has an appropriate and independent organizational structure with oversight mechanism for management of Operational risk, which includes Operational Risk Management Committee (ORMC) of Top Executives and a separate Risk Management Department looking after the Operational Risk. Besides, there is a separate Board Level Committee i.e., Supervisory committee of the Board to oversee the functioning of Risk Management and ALM.
- ORMC deals with new product approval process, analysis of frauds, analysis of operational risk loss data, analysis of the exercise of mapping bank s activities and income into 8 business lines.
- The bank has adopted Basic Indicator Approach for calculating capital charge for operational risk.
- As per RBI directives, the bank has to maintain capital for operational risk under Basic Indicator approach (BIA) w.e.f.31.03.2010. The capital charge as per BIA is Rs.627.73 crores.

Risk Profiling

Bank compiles Operational Risk Profile Template (RPT) on a quarterly basis by which it assesses the level and direction of inherent risk, internal control risk and resultant net Operational Risk based on the following:

- People Risk
- Outsourcing Risk
- Process Risk
- Technology Risk
- Reputation Risk
- Event Risk

Table DF-10

10. Interest rate risk in the banking book (IRRBB)

(a) Qualitative Disclosures

Interest Rate Risk is the risk where changes in market interest rates might adversely affect bank financial condition resulting in impact on earnings (Net Interest Income) & Bank s Networth (Capital funds). Bank holds assets, liabilities & off balance-sheet items with different maturities or re-pricing dates & linked to different benchmark rates. This creates exposure to unexpected changes in level of interest rates.

Framework:

Bank has formed Asset Liability Management Committee (ALCO), headed by Chairman & Managing Director, which is responsible for evolving appropriate system & procedures for identification & analysis of liquidity market risk & laid down ALM Policy of the Bank. The ALCO is assisted by a dedicated 'ALM Desk and an independent 'Mid-Office . Supervisory Committee of the Board of Directors on ALM & Risk Management oversees the implementation of the system for Asset Liability Management (ALM) and reviews its functions periodically and provides directions.

Traditional Gap Analysis (TGA) is used to measure & monitor Interest Rate Risk through Rate Sensitive Gap (RSG). Impact of change in interest on Net Interest Income (NII) is computed. Limit on RSG upto 1 year is fixed to limit impact of interest rate changes from earning perspective.

Interest Rate Sensitivity Statement is prepared as on the last Reporting Friday of each month. ALCO reviews the same on monthly basis. Impact of changes in broad categories of Assets & Liabilities, i.e., Deposits, Advances, Investments, etc upto the end of the Financial Year is worked out.

In terms of RBI guidelines, Bank also carries out Duration Gap Analysis (DGA) on quarterly basis to capture impact of changes in interest rates on economic value of Banks assets & liabilities and thereby on Market Value of Equity (MVE). The impact is worked out assuming 200 bps parallel shift in yield curve.

(b) Quantitative Disclosures

The impact on earnings & economic value of equity assuming a percentage shift in interest rates is as under:

Parameter		**Impact**
1. Earnings At Risk (NII) : At 0.50% change	(Amt Rs.Cr.)	161
2. Market Value of Equity : 200 basis point shock	(Amt Rs. Cr.)	1328
Drop in equity value	(%)	8.66%

Capital Employed (Rs.in crs)

Segment Assets	31.03.2010	% to total assets	Capital Allocated
Treasury Operations	69499	35.61	5461
Retail Banking Operations	49096	25.16	3859
Corporate Wholesale Banking	73984	37.91	5814
Other Assets	2583	1.32	202
Total Assets	195162	100.00	
Total Capital	**15336**		**15336**

हम पेश करते है होम ऋण जिसमें आप पाएँगे 10 में से 10 अंक.

1. ऋण के लिए उच्चतर पात्रता
2. अनुकूल ईएमआई
3. अपने स्रोतों से पूर्व भुगतान हेतु कोई दण्ड नहीं
4. टॉप-अप ऋण सुविधा
5. अन्य ऋण के लिए लॉयल्टी रिवॉर्ड
6. आकर्षक ब्याज दर
7. 25 वर्षों तक के ऋण चुकाने के अधिकतम विकल्प
8. 5 दिनों में ऋण मंजूर
9. कॉल द्वारा 24 घंटे सहयोग
10. आसान कार्यपद्धति

यूनियन बैंक
ऑफ इंडिया
अच्छे लोग, अच्छा बैंक

टोल फ्री नं. 1800222244 पर संपर्क करें
www.unionbankofindia.co.in पर लॉग इन करें

खाते में सीधे जमा / एनईसीएस का मैन्डेट फार्म

भविष्य में शीघ्र, सुरक्षित एवं सही लाभांश का भुगतान प्राप्त करने के लिए कृपया निम्नलिखित मैन्डेट फार्म यदि अब तक न प्रस्तुत किया गया हो, तो प्रस्तुत करें. (यदि शेयर भौतिक रुप में है, तो रजिस्ट्रार को और यदि डीमैट / इलेक्ट्रानिक फार्म में है, तो डिपॉज़िटरी सहभागी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए).

प्रिय महोदय

विषयः यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के इक्विटी शेयर्स-

खाते में सीधे जमा / एनईसीएस के जरिये लाभांश प्राप्त करने का विकल्प

मेरे / हमारे पास यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के इक्विटी शेयर्स हैं.

मैं / हम आपसे अनुरोध करता हूँ / करती हूँ / करते हैं कि मेरे / हमारे लाभांश का भुगतान सीधे जमा/ एनईसीएस के जरिये करें तथा मेरे / हमारे खाते में जमा करें, जिसके ब्यौरे निम्नानुसार हैंः

प्रथम/एकल शेयरधारक का नाम ः : ______________________

फोलियो क्र. (यदि शेयर्स डिमैटिरियलाइज़ नही हैं) : ______________________

डीपीआईडी/क्लाइंट आइडी (यदि शेयर्स डिमैटिरियलाइज़ हैं) : ______________________

क. सीधे जमा (केवल यूनियन बैंक खाताधारकों के लिए) ः

1. पूर्ण खाता संख्या (15 अंकों की) : ______________________
2. खाते का नाम (जैसाकि पास बुक में दर्शाया गया है) : ______________________
3. शहर के पिन कोड सहित शाखा का नाम एवं पता : ______________________

या

ख. राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक समाशोधन सेवा (एनईसीएस) ः

1. बैंक का नाम : ______________________
2. बैंक का नाम एवं पता - शहर के पिन कोड सहित : ______________________
3. बैंक शाखा का दूरभाष क्रमांक : ______________________
4. बैंक / शाखा का 9 अंकों का कोड, जैसाकि बैंक द्वारा जारी एमआईसीआर चेक पर दर्शाया गया हो : | | | | | | | | | |
5. खाते का प्रकार (बचत खाता/चालू खाता / कैश क्रेडिट खाता - कोड सहित 10/11/13) : ______________________
6. खाता संख्या (जैसा कि चेक बुक में दर्शायी गई हो) : ______________________

मैं एतदद्वारा घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि ऊपर दिये गये ब्यौरे सही तथा पूर्ण हैं. यदि अधूरी अथवा गलत जानकारी के कारण लेनदेन में विलंब हुआ अथवा वह न हो सका, तो मैं जारीकर्ता संस्थान को जिम्मेदार नहीं मानूंगा/मानूंगी. मैं समझता हूँ / समझती हूँ कि सीधे जमा / एनईसीएस के जरिये लाभांश भुगतान को प्रभावित करने वाली कोई अप्रत्याशित स्थिति, जो बैंक के नियंत्रण के बाहर हो, के कारण बैंक मुझे देय लाभांश को प्रत्यक्ष लाभांश रुप में भेजने का अधिकार सुरक्षित रखता है.

भवदीय,

दिनांकः:

प्रथम/एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर

(कृपया केवल एक विकल्प चुनें. कृपया उक्त ब्यौरों के सत्यापन के लिए अपने बैंक द्वारा जारी चेक की फोटो प्रति अथवा कोरा रद्द किया चेक संलग्न करें.**

रजिस्ट्रार का पता : **डाटामैटिक्स फायनांशियल सर्विसेज लि.,**
यूनिट : यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
प्लॉट क्र. ए-16 एवं 17
पार्ट बी, क्रॉस लेन, एमआईडीसी
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 093
ईमेल : ubiinvestors@dfssl.com

Direct Credit/NECS Mandate Form

To facilitate prompt, safe and correct payment of the future dividend please submit the mandate form, if not submitted earlier. {To be submitted to Registrar if shares are in physical form and to the Depository Participant (DP) if shares are in demat /electronic form}.

Dear Sirs**,**

Sub: Equity Shares of Union Bank of India – Option to receive dividend through Direct Credit/NECS**

I We hold equity shares of Union Bank of India.

I We request you to arrange for payment of my our dividend through Direct Credit NECS** and credit the same to my our account as per particulars given below: -

First/Sole Shareholder's Name : ______________________

Folio No. (If shares are not dematerialized) : ______________________

DPID / Client ID (If shares are dematerialized) : ______________________

A. DIRECT CREDIT (ONLY FOR UNION BANK ACCOUNT HOLDERS)

1. Full Account No. (15 Digits) : ______________________
2. Account Name (as appearing on Pass Book) : ______________________
3. Branch Name and : ______________________
   Address with city PIN Code : ______________________

OR

B. NECS

1. Bank Name : ______________________
2. Branch Name and : ______________________
   Address with city PIN Code : ______________________
3. Telephone No. of the Bank Branch ______________________
4. 9 Digit Code No. of Bank Branch as appearing on MICR cheque issued by the Bank : ______________________
5. Account Type (SB CD CC with code 10 11 13) : ______________________
6. Account No. (as appearing on Cheque book) : ______________________

I, hereby, declare that the particulars given above are correct and complete. If the transaction is delayed or not effected at all for reasons of incomplete or incorrect information, I would not hold the user institution responsible. I understand that the bank also reserves the right to send the dividend payable to me by a physical warrant on account of any unforeseen circumstances beyond the control of the Bank, that may affect the payment of dividend through Direct Credit NECS.

Yours Faithfully,

Date: Signature of the First Sole Shareholder

(Please select one option only. Please attach a blank cancelled cheque or photocopy of a cheque issued by your bank for verification of the bank account details.)**

Address of the Registrar : **Datamatics Financial Services Ltd.**

Plot No.A-16 & 17, Part B, Crosslane, MIDC,
Andheri (East), Mumbai-400 093.
Tel. No.:022-66712151-60
Fax No.:022-66712230
E-mail Id:ubiinvestors@dfssl.com

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

प्रधान कार्यालय : यूनियन बैंक भवन, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021.

परोक्षी फार्म (फार्म 'बी')

(शेयरधारक द्वारा भरा और हस्ताक्षर किया जाये)

पंजीकृत फोलियो सं. (यदि डिमैटिरियलाइज न किया गया हो)
डी.पी.आई.डी.क्र.एवं ग्राहक आईडी क्र. (यदि डिमैटिरियलाइज किया गया हो)

मैं / हम ______________________ निवासी ______________ जिला ______________ राज्य ______________ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई का/के शेयरधारक एतद्द्वारा श्री / श्रीमती ______________________ निवासी ______________ जिला ______________ राज्य ______________ अथवा उनके न होने पर श्री / श्रीमती ______________________ निवासी ______________ जिला ______________ राज्य ______________ को शुक्रवार, दिनांक 2 जुलाई 2010 को शाम 4.00 बजे **रामा वाटुमल ऑडिटोरियम**, के.सी.कॉलेज, दिनशा वाच्छा रोड, चर्चगेट, मुंबई - 400 020 में या उसके स्थगन पर किसी अन्य तिथि और स्थान पर होने वाली यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की 8 वीं वार्षिक साधारण सभा में अपनी/हमारी ओर से वोट देने के लिए परोक्षी के रूप में नियुक्त करता/करती हूं/करते हैं.

दिनांक ______________, 2010 को हस्ताक्षरित.

कृपया रसीदी टिकट लगाएं.

______________________ परोक्षी का हस्ताक्षर

______________________ प्रथम शेयरधारक/ एकमात्र शेयरधारक के हस्ताक्षर

नाम : ______________________

पता : ______________________

परोक्षी फार्म पर हस्ताक्षर करने और जमा करने संबंधी अनुदेश :

1. परोक्षी का लिखत तभी वैध माना जाएगा जब कि वह ;
   ए) एकल शेयरधारक व्यक्ति के मामले में यह उसके द्वारा/उसके अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षरित, विधिवत प्राधिकृत व लिखित रूप में हो.
   बी) संयुक्त धारकों के मामले में रजिस्टर में दर्ज प्रथम शेयरधारक या उसके अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षरित, विधिवत प्राधिकृत व लिखित रूप में हो.
   सी) निगमित निकाय के मामले में इसके अधिकारी या अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षरित विधिवत प्राधिकृत व लिखित रूप में हो.
2. परोक्षी लिखत किसी शेयरधारक द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित होना चाहिए किंतु किसी कारणवश शेयरधारक अपना नाम लिखने में असमर्थ हो और यदि उसके अंगूठे का निशान लगा हो तो यह न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के किसी अधिकारी द्वारा साक्ष्यांकित होना चाहिए.
3. परोक्षी निम्नलिखित के साथ
   ए) पावर ऑफ अटॉर्नी या अन्य प्राधिकारी (यदि कोई है) जिसके अंतर्गत यह हस्ताक्षरित है, अथवा
   बी) उस पावर ऑफ अटॉर्नी की प्रति या प्राधिकार की प्रति जिसे नोटरी पब्लिक या मजिस्ट्रेट द्वारा सत्य प्रमाणित किया गया हो, वार्षिक साधारण बैठक के चार दिन पूर्व अर्थात शनिवार 26 जून, 2010 को कार्य समाप्ति पर अर्थात् दोपहर 2.00 बजे तक कंपनी सचिव, निवेशक सेवाएं प्रभाग, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, प्रधान कार्यालय, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021 में जमा कर देनी चाहिए.
4. परोक्षी का कोई भी लिखत विधिवत स्टाम्प के बिना वैध नहीं होगा.
5. बैंक के पास जमा किया गया परोक्षी का लिखत अप्रतिसंहरणीय तथा अंतिम होगा.
6. यदि परोक्षी लिखत वैकल्पिक रूप से दो व्यक्तियों के लिए हो तो एक से अधिक फार्म निष्पादित न किया जाय.
7. परोक्षी के पक्ष में लिखत निष्पादित करने वाला शेयरधारक उक्त लिखत से संबंधित वार्षिक साधारण सभा में स्वयं मतदान करने का हकदार नहीं होगा.
8. किसी भी ऐसे व्यक्ति को विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा परोक्षी नियुक्त नहीं किया जाएगा जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का अधिकारी अथवा कर्मचारी हो.

UNION BANK OF INDIA

Head Office: Union Bank Bhavan, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai-400 021.

PROXY FORM (FORM 'B')

(to be filled in and signed by the Shareholder)

Regd. Folio (If not dematerialised)	
DP ID & Client ID (If dematerialised)	

I We resident(s) of in the district of in the state of being a shareholder(s) of Union Bank of India, Mumbai hereby appoint Shri Smt. resident of in the district of in the state of or failing him her, Shri Smt. resident of in the district of in the state of as my our proxy to vote for me us and on my our behalf at the 8th Annual General Meeting of the shareholders of Union Bank of India to be held on Friday, 2nd July, 2010 at 4.00 p.m. at **Rama Watumull Auditorium,** K. C. College, Dinshaw Wacha Road, Churchgate, Mumbai – 400 020 and at any ad ournment thereof.

Signed this day of 2010.

Please Affix Revenue Stamp

Signature of Proxy

Signature of First named Sole Shareholder

Name : ____

Address : ____

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

1. No instrument of proxy shall be valid unless
   a) in the case of an individual shareholder, it is signed by him her or his her attorney, duly authorised in writing,
   b) in the case of oint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his her attorney, duly authorised in writing,
   c) in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorised in writing.
2. An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his her name, if his her thumb impression is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Union Bank of India.
3. The proxy together with
   a) the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
   b) a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Head Office of Union Bank of India with the Company Secretary, Investor Services Division, Union Bank of India, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai – 400 021 not less than **FOUR DAYS** before the date of the Annual General Meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank i.e. 2.00 p.m. on Saturday, 26th June, 2010.
4. No instrument of Proxy shall be valid unless it is duly stamped.
5. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
6. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
7. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Annual General Meeting to which such instrument relates.
8. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Union Bank of India.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

उपस्थिति पर्ची

(निहित स्थान पर प्रवेश करते समय सौंपी जाय)

दिनांक : शुक्रवार, 2 जुलाई, 2010

समय : सायं 4.00 बजे

स्थान : **रामा वाटुमल आडिटोरियम,** के.सी. कॉलेज, दिनशा वाच्छा रोड, चर्च गेट, मुंबई - 400 020

मैं एतदद्वारा बैंक की 8वीं वार्षिक साधारण सभा में अपनी उपस्थिति दर्ज करता / करती हूँ.

शेयरधारक का हस्ताक्षर / उपस्थित परोक्षी / प्रतिनिधि का हस्ताक्षर	

पंजीकृत फोलियो	**डीपी आइडी**	
	क्लायंट आइडी	
(यदि डिमैटिरियलाइज न किया गया हो)	(यदि डिमैटिरियलाइज किया गया हो)	
शेयरधारक का नाम		
शेयरों की संख्या		

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

प्रवेश पत्र

(पूरी बैठक के दौरान साथ रखा जाय)

शेयरधारक का हस्ताक्षर / उपस्थित परोक्षी / प्रतिनिधि का हस्ताक्षर	

पंजीकृत फोलियो	**डीपी आइडी**	
	क्लायंट आइडी	
(यदि डिमैटिरियलाइज न किया गया हो)	(यदि डिमैटिरियलाइज किया गया हो)	
शेयरधारक का नाम		
शेयरों की संख्या		

शेयरधारक / परोक्षी अथवा शेयरधारक के प्राधिकृत प्रतिनिधि से अनुरोध है कि बैठक के स्थान पर प्रवेश हेतु बैंक के पास दर्ज उनके नमूना हस्ताक्षर के अनुरुप विधिवत हस्ताक्षरित उक्त उपस्थिति पर्ची, प्रवेश पत्र के साथ प्रस्तुत करें. तथापि, प्रवेश आवश्यकतानुसार सत्यापन / जांच के अध्यधीन होगा. किसी भी परिस्थिति में बैठक के प्रवेश द्वारा पर डुप्लीकेट उपस्थिति पर्ची जारी नहीं की जाएगी.

UNION BANK OF INDIA

ATTENDANCE SLIP

(to be surrendered at the time of Entry to the Venue)

Date : Friday, 2nd July, 2010

Time : 4:00 p.m.

Place : **RAMA WATUMULL AUDITORIUM,** K C COLLEGE, DINSHAW WACHA ROAD, CHURCHGATE, MUMBAI - 400 020.

I hereby record my presence at the 8th Annual General Meeting of the Bank.

Signature of the Shareholder Proxy Representative present	

Regd. Folio	**DP ID**	
	Client ID	
(If not dematerialised)	(If dematerialised)	
Name of the Shareholder		
Number of Shares		

UNION BANK OF INDIA

ENTRY PASS

(to be retained throughout the meeting)

Signature of the Shareholder Proxy Representative present	

Regd. Folio	**DP ID**	
	Client ID	
(If not dematerialised)	(If dematerialised)	
Name of the Shareholder		
Number of Shares		

Shareholders proxy or authorised representative of shareholders are requested to produce the above attendance slip, duly signed in accordance with their specimen signatures registered with the Bank, alongwith the entry pass, for admission to the venue. The admission will, however, be sub ect to verification checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, any duplicate attendance slip will be issued at the entrance to the meeting.

अब आपका यूनियन बैंक बचत खाता ब्याज कमाएगा...

... रोज़ाना

अब से आपके एक नए खर्चे को पूरा करेगा आपका बचत बैंक खाता. जी हां, यह आपकी दिन-प्रतिदिन की ज़रूरतों को पूरा करने के साथ-साथ रोज़ाना ब्याज भी कमाता है. आप इसका उपयोग अपनी जरूरतों के अनुसार इन सुविधाजनक माध्यमों से कर सकते हैं.

- डेबिट-एवं-एटीएम कार्ड
- इंटरनेट बैंकिंग
- मोबाइल बैंकिंग
- उपयोगिता बिलों और करों का ई-भुगतान
- 24 घंटे कॉल सेवा 1800 22 22 44 (टोल फ्री) पर

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
अच्छे लोग, अच्छा बैंक

Union Bank of India
Good people to bank with

www.unionbankofindia.com

यूनियन बैंक
ऑफ इंडिया
अच्छे लोग, अच्छा बैंक
Union Bank
of India
Good people to bank with

www.unionbankofindia.co.in

Magna Graphics (India) Ltd.